ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय
प्रथम तल, प्लॉट सं.5,
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुड़गांव-122001,
टेलि.सं.- 0124-4126285-86
फैक्स- 0124-4126574
ई-मेल- mbd@obc.co.in

ओ०बी०सी०

Oriental Bank of Commerce
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Merchant Banking Division, Corporate Office
1st Floor , Plot No.5,
Institutional Area, Sector - 32
Gurgaon -122001 (Haryana)
Tel.: 0124-4126285-86
Fax : 0124-4126574
E-mail: mbd@obc.co.in

HO/MBD/2017 30.06.2017

Scrip Code: ORIENTBANK	**Scrip Code: 500315**
The Executive Director, **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	The General Manager, Dept. of Corporate Services, **Bombay Stock Exchange Limited,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir,

Reg. Annual Report for the Financial Year 2016-17 of the Bank

In compliance of Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2016-17 inter alia containing the Balance Sheet as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts duly approved and adopted by the shareholders in the Bank's AGM held on 29.06.2017.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

Company Secretary
Encl.: as above

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17
ANNUAL REPORT 2016-17

Now find us wherever you are

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है

ओ.बी.सी.

Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)
Where every individual is committed

विषय-सूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	1–3
निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	4–5
सूचना Notice	6–18
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	19–23
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	24–44
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन - मार्च, 2017 Pillar III Disclosures under Basel III - March 2017	45–96
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	97–135
कारोबार दायित्वता रिपोर्ट Business Responsibility Report	136–149
तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	150–151
लेखा टिप्पणियां 1- 18 Schedules 1 - 18	152–206
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	207–209
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	210–211
फॉर्म Forms	

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक का संदेश
Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 23 वीं आम बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्श के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मैं व्यापक आर्थिक परिवेश का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य–निष्पादन किया है**: -**

आर्थिक पृष्ठभूमि

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर 7.1% रही। राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा तथा मुद्रा स्फीति सामान्य तौर पर नियंत्रित रहीं। अप्रैल,16 से फरवरी, 17 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में केवल 0.4% की वृद्धि दर्ज की जबकि निर्यात में वित्तीय वर्श, 17 के दौरान 4.71% की वृद्धि (डॉलर में) दर्ज की गई। साथ ही, कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे विनिर्माण, पॉवर व लौह तथा इस्पात दबावग्रस्त रहे यद्यपि भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में जल्द सुधार हेतु अनेक कदम उठाएं हैं।

अब, मैं आपके समक्ष वित्तीय वर्ष, 17 के लिए बैंक के कारोबार की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करता हूं:–

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक ने ₹ 3,85,777 करोड़ का कुल कारोबार करते हुए 6.41% की वृद्धि दर्ज की जिसमें जमा एवं कुल अग्रिम में क्रमशः 4.99% एवं 8.33% की वृद्धि हुई।
- कासा जमा राशियों में 26.95% तथा खुदरा सावधि जमाराशियों (₹1 करोड़ से कम) में 8.20% की वृद्धि हुई।
- जमाराशियों की लागत (वित्तीय वर्ष 2015-16) के 7.19% से घटकर (वित्तीय वर्ष 2016-17 में) 6.33% हो गई।
- वित्त के महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा ऋण, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) रहे, कुल अग्रिम पोर्टफोलियो में इनका कुल अंश 31.03. 2016 के 46% की तुलना में 31.03.2017 को बढ़कर 48% रहा है।
- बैंक के कुल आरएएम पोर्टफोलियो में 31.03.2017 के अनुसार खुदरा ऋण में 37.15% की वृद्धि हुई और ये 31.03.2016 के कुल अग्रिम के 12.12% की तुलना में 31.03.2017 को 15.34% हो गए।
- 31.03.2017 को आपके बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम न्यूनतम नियामक आवश्यकता 40% से अधिक होकर समायोजित निवल बैंक ऋण(एएनबीसी) का 41.23% रहा।
- 31.03.2017 का कुल एनपीए स्तर 13.73% तथा निवल एनपीए स्तर 8.96% रहा।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए परिचालनगत लाभ 13.26% बढ़कर ₹4170 करोड़ हो गया। तथापि बड़े स्लिपेज के कारण किए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की निवल हानि ₹1094 करोड़ रही।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 23rd Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2017.

Before I present the performance highlights of the Bank, I would like to place before you the macro-economic environment in which your Bank has performed during the year gone by**: -**

ECONOMIC BACKGROUND

Indian Economy recorded GDP growth of 7.1% during FY 2016-17. Fiscal deficit, current account deficit & inflation were generally contained. Industrial production grew by only 0.4% during Apr'16 to Feb'17 period though Exports grew by 4.71% (in Dollar terms) during FY'17. Further, certain key Sectors like Infrastructure, Power and Iron & Steel continued to remain under stress though the Government of India has initiated various steps for early resolution of the issues plaguing these sectors.

Now, I would like to present before you the Performance Highlights of the Bank for FY'17**: -**

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- During FY'17, your Bank achieved a Business Mix of ₹ 3,85,777 Crores registering a growth of 6.41%; with Deposits and Gross Advances growing by 4.99% and 8.33% respectively
- CASA deposits grew by 26.95% and Retail Term Deposits (below ₹1 Crore) by 8.20%
- Cost of Deposits was reduced from 7.19% (during FY'16) to 6.33% (during FY'17)
- Thrust Area for Advances continued to be Retail, Agriculture & MSME (or RAM) Advances; which, as of 31.03.17, constituted 48% of total Advances portfolio – up from 46% as on 31.3.16
- Out of Bank's total RAM portfolio, Retail Credit grew by 37.15% and as of 31.03.17, it constituted 15.34% of total Advances against 12.12% as of 31.03.16
- Priority Sector (PS) Advances of your Bank were above the minimum regulatory requirement of 40% and stood at 41.23% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as on 31.03.17
- Gross NPA level stood at 13.73% and Net NPA level at 8.96% as on 31.03.17
- Operating Profits grew by 13.26% during FY'17 to ₹ 4170 Crores. However, due to increase in provisions & contingencies mainly on account of higher slippages, Bank registered a Net Loss of ₹ 1094 Crores during FY'17

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार एवं प्रति शाखा कारोबार दोनों में और वृद्धि हुई तथा ये 31.03.2017 को क्रमशः ₹17.90 करोड़ एवं ₹162.36 करोड़ तक पहुंच गए।
- 31.03.2017 को टियर–1 अनुपात 8.88% के साथ आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.64% रहा।
- 31.03.2017 को आपके बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य ₹365.70 रहा।
- सरकार द्वारा की गई पहल के अनुरूप आपके बैंक ने वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से लेन–देन बढ़ाने की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचान की है तथा मुझे पुष्टि करते हुए हर्ष है कि इनके स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और 31.03.2017 को इसका स्तर 54.51% हो गया है।
- साथ–साथ, बैंक ने अपने ऑनसाइट डिलीवरी चैनलों का भी विस्तार किया है, जिससे 31.03.2017 को इनकी संख्या (2,376 शाखाओं एवं 2,621 एटीएम के साथ) कुल 4,997 हो गई है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

आपका बैंक भारत सरकार और आरबीआई के विभिन्न वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को पूरे मनोयोग से लागू कर रहा है। समाज के गैर–बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने 31.03.17 तक प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 39.61 लाख खाते खोले हैं और इनमें से 93% से अधिक खातों में रुपे कार्ड भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म उद्यम (जो विभाजित हैं एवं अधिकांशतः अवित्तपोषित हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और जीवंत घटक है) को अति आवश्यक ऋण देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने अभियान स्तर पर काम किया है और मुझे आपको सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सरकार के प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत आबंटित ₹1800 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है।

भारत सरकार के अन्य वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आदि के लिए आगे भी बैंक का सहयोग बना रहेगा।

नई संगठनात्मक संरचना

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आपके बैंक ने चयनित उद्देश्यों यथा (i) व्यवसाय और लाभप्रदता के मामले में बैंक का विकास, (ii) सभी स्तरों पर अपने अनुपालन स्तर में सुधार, और (iii) अपनी पहुँच के व्यापक विस्तार, के साथ नई संगठनात्मक संरचना के क्रियान्वयन को पूर्ण किया है। व्यापक रूप से, इन उद्देश्यों को पूरे कार्यबल को वर्टिकल में वर्गीकृत करके प्राप्त किया जा रहा है; जो परिणामतः अच्छी तरह से परिभाषित व्यापार के अवसरों पर सूक्षमता से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एवं जिन्हें विभिन्न सहयोगी वर्टिकलों द्वारा भरपूर सहायता मिल रही है।

दक्षता निर्माण

नई संगठनात्मक संरचना के बाद कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण पर नए सिरे से अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैंक के सभी 6 मानव संसाधन विकास संस्थान (एचआरडीआई) हाल ही में अपनाई गई अभिनव पद्धतियों जैसे ई–लर्निंग, केस स्टडीज, रोल प्ले, प्रतिभागियों द्वारा समूह प्रस्तुति आदि के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्देश प्रदान कर रहे हैं। ऐसे केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सभी मानव संसाधन विकास संस्थानों द्वारा कुल 90,203 प्रशिक्षण दिवस संचालित किए गए। इसके अलावा, कर्मचारियों के सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, 6 एचआरडीआई में से 3 ने मार्च के अंत तक आईएसओ प्रमाणन भी प्राप्त कर लिया है।

- Business per Employee and Business per Branch both grew further during FY'17 and touched figures of ₹17.90 Crores and ₹162.36 Crores respectively as on 31.03.17
- Capital Adequacy of your Bank stood at 11.64% as of 31.03.17; with Tier-1 Ratio being 8.88%
- Book value per share of your Bank was ₹ 365.70 as of 31.03.17
- In line with the Govt. initiatives, your Bank has identified increasing the volume of transactions through Digital Channels as one of its top priorities and I am pleased to confirm that their level has been recording a continuous increase – touching level of 54.51% as of 31.03.17
- Concurrently, Bank continued to augment its Onsite Delivery Channels too; with their total number touching 4997 as of 31.03.17 (comprising of 2376 Branches and 2621 ATMs)

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMMES

Your Bank has been vigorously implementing various Financial Inclusion programmes of the Government of India and RBI. With the objective of bringing Banking services to the doorstep of the un-banked segment of the Society, your Bank has opened 39.61 Lac accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) till 31.03.17 and in more than 93% of these accounts, RuPay Cards have also been issued. Further, to meet the objective of delivering much-needed Credit to the Micro Enterprises (which constitute a fragmented & largely unfunded, yet a vital & vibrant component of our economy at the grass-root level); your Bank has worked in Campaign mode and I am pleased to inform you that your Bank has surpassed the target of ₹ 1800 Crores allotted to it under Govt's Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during FY'17.

Other Financial Inclusion programmes of GoI such as Pradhan Mantri Bima Yojanas, Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc continue to be supported by the Bank.

NEW ORGANIZATION STRUCTURE

During FY'17, your Bank has completed implementation of new structure with the select objectives of (i) growing the Bank in terms of business & profitability, (ii) improving its levels of compliances across the board, and (iii) significantly expanding its outreach. Broadly, these objectives are being achieved by segmenting the entire workforce into Verticals; which, in turn, are sharply focused on well-delineated Business opportunities and which are ably-assisted by various Support Verticals.

CAPACITY BUIDLING

To keep pace with the changes in employees' learning-requirements following implementation of new organization structure, your Bank has renewed its focus on Capacity Building during the year. All the 6 Human Resource Development Institutes (HRDIs) of the Bank are actively imparting instruction through recently-adopted innovative methodologies such as E-learning, Case-studies, Role plays, Group presentations by the participants, etc. As a result of this focused approach, all the HRDIs together logged a total of 90,203 Training Man Days during FY'17. Further, with a view to augment the quality of their learning processes, 3 out of the 6 HRDIs have already secured ISO certification by the end of March.

भावी योजना

हाल ही में, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 को अधिसूचित किया है। यह अध्यादेश आरबीआई को दिवालिया और दिवालियापन संहिता के तहत चूक करनेवाली कंपनियों के विरूद्ध बैंकों को दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, आरबीआई अन्वेक्षा समिति की स्थापना/विस्तार करेगा ताकि बैंक दबाव ग्रस्त आस्तियों से अधिक प्रभावशीलता के साथ निपट सके जिसके कारण वर्तमान में इस क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो गया है।

इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से कार्यान्वित होने की उम्मीद है, जो कई केंद्रीय और राज्य करों और लेवी की जगह लेगा और हमारे देश को एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बना देगा जिसके परिणामस्वरूप मध्य से दीर्घकालिक अवधि में अर्थव्यवस्था में समग्र विकास होगा। एक पर्यवेक्षक के रूप में इसे संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए यह – देश का स्वयं के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर है।

देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन के साथ यह उम्मीद है कि बैंकिंग क्षेत्र का विकास भी पुनः होगा। आपका बैंक पहले से ही अपेक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक अपने कासा जमा, रैम पोर्टफोलियो को बढ़ाने, वसूली और उन्नयन को अधिकतम करने और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के उपयोग को बढ़ाने पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।

निष्कर्ष टिप्पणी

मैं इस अवसर पर श्री प्रशांत गोयल (भारत सरकार के नामिति निदेशक), श्री हिमांशु जोशी (कार्यकारी निदेशक) और श्रीमती माला श्रीवास्तव एवं श्री संजय कपूर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) का स्वागत करता हूँ, जो वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं।

मैं, श्री अरुणीश चावला (भारत सरकार के नामिति निदेशक), श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला (अधिकारी निदेशक) और श्री किंग्शुक भट्टाचार्या (कर्मकार निदेशक) द्वारा बैंक में दिए गए मूल्यवान योगदानों के लिए उनकी सराहना करना चाहता हूँ, जो वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल से निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हुए हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और मेरी अपनी ओर से, मैं बैंक और प्रबंधन में उनका विश्वास दिखाने के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों को अपना आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उनके समर्पण और हमारे निष्ठावान ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं भविष्य में भी आपके निरंतर सहयोग और संरक्षण की अपेक्षा रखता हूँ।

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

LOOKING FORWARD

Recently, Government of India has notified the Banking Regulation (Amendment) Ordinance 2017. This Ordinance enables RBI to direct the Banks to initiate bankruptcy proceedings against defaulting companies under the Insolvency & Bankruptcy Code. Further, RBI will also set-up/ expand the Oversight Committee to enable the Banks to more effectively deal with the stressed assets that are currently choking the sector.

Further, Goods & Service Tax (GST) is expected to be implemented from 1st July 2017, which is going to replace multiple central and state taxes & levies and make our country a seamless national market that would result in an all-around growth of the economy in mid- to long-term. As an observer put it succinctly – it would be like the country signing a Free Trade Agreement with itself!

With the implementation of various policy initiatives, already undertaken by Government of India & RBI to boost the country's economy; it is expected that banking sector growth will also rebound. Your Bank has already positioned itself well in order to tap into this expected growth.

During the current financial year, Bank would further intensify its focus on increasing its CASA Deposits, augmenting its RAM Portfolio, maximizing the Recoveries & Up-gradations and boosting the usage of Digital Banking channels.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Shri Prashant Goyal (Government of India Nominee Director), Shri Himanshu Joshi (Executive Director) and Smt Mala Srivastava & Shri Sanjay Kapoor (Part-time Non-Official Directors), who joined the Board of Directors of the Bank during the year.

I would also like to place on record our appreciation for valuable contributions made to the Bank by Shri Arunish Chawla (Government of India Nominee Director), Shri Narendra J Kotiawala (Officer Employee Director) & Shri Kingshuk Bhattacharya (Workmen Employee Director); who laid down office as Directors of the Board of the Bank during FY'17.

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, I express my sincere gratitude to all the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Bank & the Management. I also thank every employee of the Bank for their dedication and our loyal customers for their continued patronage. My sincere thanks to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and patronage in future also.

Animesh Chauhan
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Animesh Chauhan
Managing Director & CEO

श्री राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Sh. Rajkiran Rai G.
Executive Director

श्री हिमांशु जोशी
कार्यकारी निदेशक
Sh. Himanshu Joshi
Executive Director

श्री प्रशांत गोयल
Sh. Prashant Goyal

श्री एस. गणेश कुमार
Sh. S. Ganesh Kumar

श्री संजय कपूर
Sh. Sanjay Kapoor

श्रीमती माला श्रीवास्तव
Smt. Mala Srivastava

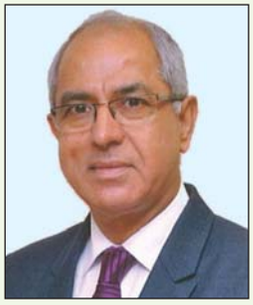

श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrapal

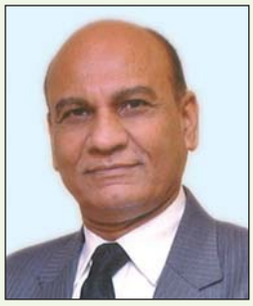

श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
Sh. Dinesh Kumar Agrawal

शीर्ष प्रबंधन वर्ग / Top Management Team

श्री एस. के. गोयल
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. S.K. Goyal
Chief Vigilance Officer

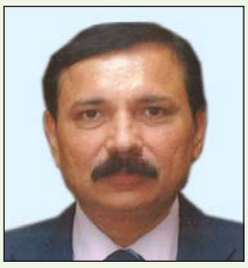

श्री के. के. आचार्य
Sh. K.K. Acharya

श्रीमती विद्यावती रूद्रा
Smt. Vidyavati Rudra

श्री नवलीन कुन्द्रा
Sh. Navleen Kundra

श्री एम. एल. सचदेवा
Sh. M.L. Sachdeva

श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh

श्री मनोज सक्सेना
Sh. Manoj Saxena

श्रीमती शशि जैन
Smt. Shashi Jain

श्री टी. आर. लखानी
Sh. T.R. Lakhani

श्री एस. पी. चुघ
Sh. S.P. Chugh

श्री एस. सी. दास
Sh. S.C. Das

श्री पी. श्रीधर
Sh. P. Sreedhar

श्री एच. के. बत्रा
Sh. H.K. Batra

श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan

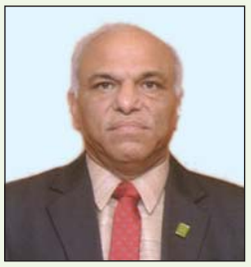

श्री के. ए. सलारिया
Sh. K. A. Salaria

श्री जितेन्दर मोहन
Sh. Jitender Mohan Singh

श्री आर. के. गोगना
Sh. R.K. Gogna

श्री अशोक छाबड़ा
Sh. Ashok Chhabra

श्री सुरिंदर सिंह
Sh. Surender Singh

श्री एम. एम. धुप्पर
Sh. M.M. Dhupar

श्री अश्विनी कुमार
Sh. Ashwani Kumar

श्री बी. जी. संधिबिग्रह
Sh. B.G. Sandhibigraha

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार 29 जून, 2017 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: ''31 मार्च, 2017 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।''

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से ''अधिनियम'' कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से ''योजना'' कहा जाएगा) के साथ पठित, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से ''ओबीसी विनियम'' कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय–समय पर यथालागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियमन/दिशा–निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा / या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, बैंक के शेयधारकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/ या निर्गम के उस

NOTICE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 29th June 2017 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with

भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों लागू विधि मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़ / विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या/ और/ या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमियादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को अधिकतम **₹5000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), अधिनियम** की धारा 3 (2 ख) के अनुसार अथवा संशोधन, यदि कोई हो, के अनुसार बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी के साथ बैंक की अधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/ बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।

संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि–आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम सेबी विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/ हामीदारों तथा/अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य /मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों, provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, may be issued for an amount not exceeding ₹5000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the bank as per section 3 (2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank (as per the extant prevailing directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/other securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Private Placement, Qualified Institutional Placement, or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms

नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ़आईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृति (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में, बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर या वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो और जो अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (भारत सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार) अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में :

क) सेबी आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही आहर्ता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसे प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

ख) सेबी आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुकरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बट्टे पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।''

and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank, (as per the extant prevailing directive of Government of India) to Qualified Institutional Buyers (QIBs) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को इश्यू, आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** नए इक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों /प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, एनआरआई, एफ़आईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को इश्यू और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू कुल सीमा के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1988 यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयर /अधिमानी शेयरों/ प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतदद्वारा सार्वजनिक ऑफर, राइट इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।''

यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतदद्वारा बही संचालक (कों), अग्रणी प्रबन्धक (कों), बैंकर(ओं), हामीदार(ओं), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(ओं), लेखा परीक्षक(ओं) और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी/ अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यों में शामिल हों या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य– निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/ securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, rights issue, qualified institutional placement, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ other securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage,

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ फार्म तथा इश्यू की शर्तें समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों/वारंट अधिकार/प्रतिभूतियों के भुगतान/रुपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या/अधिमानी शेयरों अथवा रुपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रद्द, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम /रुपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रुपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और /अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां जो शेष रह गई हैं, उनके बारे में बोर्ड जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रुप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतदद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक/(कों) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares /preference shares/other securities are to be allotted, number of equity shares /preference shares/other securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ conversion of securities/exercise of warrants/redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares / preference shares/other securities as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

By the order of the Board of Directors

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 12.05.2017

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Place: Gurugram
Date: 12.05.2017

Animesh Chauhan
Managing Director & CEO

टिप्पणियां:–

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें मद सं. 2 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न हैं।

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न फॉर्म 'बी' पर न हो । प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु महाप्रबंधक (एमबीडी) को संबोधित प्रॉक्सी फार्म कार्यालय समय की समाप्ति से पहले अर्थात् 23 जून, 2017 को शुक्रवार 5.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति) तक हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 स्थित प्रधान कार्यालय अथवा प्लॉट सं.5, सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम–122001 स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कॉरपोरेट/निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया है, द्वारा सत्यापित न कर दी गयी हो, बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले अर्थात् 23 जून, 2017 को शुक्रवार 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय (उपरलिखित) में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

3. उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र–सह–मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची –सह–प्रवेश पत्र–सह–मतपत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक/ प्रॉक्सी धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र पर ''प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि'' लिखेंगे। ऐसे प्रवेश पत्रों को मतपत्र प्राप्त करने के लिए ले लिया जाएगा।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

23वीं वार्षिक आम बैठक हेतु बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर

NOTES:-

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.2 of the Notice is annexed below.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the bank. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Annual Report. The proxy form addressed to General Manager (MBD) in order to be effective must be received at the Bank's Head Office situated at Harsha Bhawan, E Block, Connaught Place, New Delhi -110001 or Corporate Office of the Bank situated at Plot No.5, Sector 32, Institutional Area, Gurugram -122001 on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Friday, the 23rd June, 2017. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of any company/entity which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank (as given above) before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 23rd June, 2017.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS - CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June 2017 to 29th June 2017

अंतरण बही 23 जून, 2017 से 29 जून, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

5. मताधिकार

अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ड) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियमों के नियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

उपरोक्त के अध्यधीन, शेयर धारक के रूप में बृहस्पतिवार, 22 जून, 2017 (रिमोट ई–वोटिंग एवं मतपत्र के द्वारा मतदान दोनों के लिए शेयरधारकों के मताधिकार के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि) तक अथवा उससे पहले पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

(I) इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

सेबी सूचीकरण विनियमों एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 अथवा उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में बैंक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए सहमत हैं। एजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से (रिमोट ई–वोटिंग हेतु) मतदान किया जा सकता है। सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

कृपया नोट करें कि बैठक में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों के लिए मतदान का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग पहले नहीं किया है।

जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व ही ई–वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है, बैठक में शामिल हो सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जो नोटिस जारी करने के बाद बैंक के शेयर प्राप्त करता है और अंतिम तिथि अर्थात 22 जून, 2017 को शेयर धारण कर रहा है, ई–वोटिंग के लिए उल्लिखित समान प्रक्रिया को अपना सकता है।

शेयरधारकों के लिए निर्देश

(i) रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 26 जून, 2017 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर बुधवार, 28 जून, 2017 को (सांय 5.00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि में 22 जून 2016 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने

(both days inclusive) for the purpose of the 23rd Annual General Meeting.

5. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Thursday, 22nd June, 2017 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by Ballot Paper at the venue of the AGM) shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

(I) VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In compliance with provisions of the Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means. The business may be transacted using an electronic voting system to cast vote from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). For this purpose, the Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the Remote e-voting platform for facilitating its shareholders to vote electronically.

Please note that the facility for voting shall also be made available at the venue of the meeting to those members attending the meeting who have not already exercised their voting right.

Members who have cast their vote by remote evoting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as on the cut off date ie 22nd June 2017, may follow the same procedure for evoting as mentioned in the Notice.

Instructions for the Shareholders

(i) The remote e-voting period begins on Monday, 26th June 2017 (09.00 am) and ends on Wednesday, 28th June 2017 (05:00 p.m.). During this period shareholders' of the Bank,

वाले बैंक सदस्य अपना मतदान रिमोट ई–वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) शेयरहोल्डर रिमोट ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

(iii) शेयरहोल्डर पर क्लिक करें।

(iv) अपना यूजर आईडी दर्ज करें

क – सीडीएसएल के लिए: 16 अंक वाली लाभार्थी आईडी

ख –एनएसडीएल के लिए: 8 अंक वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंक वाली क्लाइंट आईडी

ग – मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।

(v) प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास डिमैट रूप में शेयर हैं और www.evotingindia.com पर लॉग–ऑन किया है तथा किसी अन्य कंपनी के लिए मतदान किया है, तो अपना मौजूदा पासवर्ड प्रयोग किया जाए।

(vii) यदि आप प्रथम बार यूजर हैं तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं :

	डिमैट रूप में तथा मूर्त रुप में शेयर धारक सदस्यों के लिए (अंतिम तिथि अर्थात् 22.06.2017 के अनुसार)
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 संख्या वाला शब्दांक वाला पैन नंबर दर्ज करें (डिमैट शेयर धारक तथा मूर्त रुप में शेयर धारक दोनों के लिए लागू) जिन सदस्यों ने बैंक / आरटीए / निक्षेपागार के साथ अपने पैन नंबर अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि ई–वोटिंग में पैन संबंधी स्थान में मुद्रित क्रम संख्या का प्रयोग करें।
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि	लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि (दिन माह वर्ष प्रारूप में)दर्ज करें, जैसा कि आपके डिमैट खाते अथवा बैंक रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि दोनों विवरण निक्षेपागार अथवा बैंक के साथ दर्ज नहीं है, तो कृपया सदस्य आईडी / फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण स्थान में भरें जैसा कि निर्देश (iv) में दिया गया है।

(viii) उक्त सूचनाएं ठीक प्रकार भरने के बाद, "submit" टैब पर क्लिक करें।

(ix) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे कम्पनी सलेक्शन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डिमेट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेन्यु पर पहुंचेंगे जिसमें उन्हें नई पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डिमैट धारक इस पासवर्ड को किसी अन्य कंपनी के संकल्प के लिए मतदान करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए वे मतदान करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते बैंक सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई–वोटिंग का विकल्प चुनता है।

holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22nd June 2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders would log on to the remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Next enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form (as on the cut off date ie 22.06.2017)
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA/ Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on evoting sheet as indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or the Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach "Password Creation" menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote,

यह जोर देकर अनुशंसा की जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी व्यक्ति को न बताएं तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का भरसक प्रयास करें।

(x) मूर्त रूप में शेयर धारक सदस्य, इस नोटिस में दिए गए संकल्पों पर रिमोट ई–वोटिंग के लिए ही विवरण प्रयोग किए जा सकते हैं।

(xi) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के ईवीएसएन पर क्लिक करें जहां आपको मतदान करना है।

(xii) मतदान पृष्ठ पर आप "संकल्प विवरण" देखेंगे और इसके सामने मतदान के लिए "हां/नहीं" का विकल्प है। जो भी आपको चुनना है, हां अथवा नहीं का विकल्प लें। हां विकल्प से तात्पर्य है कि आप संकल्प से सहमत हैं एवं नहीं विकल्प का अर्थ है कि संकल्प से सहमत नहीं है।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xiv) संकल्प का चयन करने के बाद जब आपने मतदान करने का निर्णय ले लिया है तो "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स खुल जाएगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा अपना मतदान बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशोधित करें।

(xv) एक बार आपके द्वारा अपने संकल्प पर मतदान की पुष्टि करने के बाद, आपको अपने मतदान को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) वोटिंग पेज पर "क्लिक हिअर टू प्रिंट" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि कोई डिमैट खाता धारक अपना लॉगइन परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तो वह अपना यूजर आई डी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करे और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण को दर्ज करे।

(xviii) **शेयरधारक सीडीएसएल के एंड्राइड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध मोबाइल एप्प एम–वोटिंग का प्रयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एम–वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल एवं विंडोज फोन प्रयोगकर्ता क्रमशः एप्प स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से एप्प डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल से मतदान करते समय कृपया दिए गए निर्देशों का पालन करें।**

(xix) गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी

- गैर–वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग–ऑन करके स्वयं को कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति, जिस पर मुहर तथा हस्ताक्षर हों, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल किया जाए

provided that Banks opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of ORIENTAL BANK OF COMMERCE on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the login changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on *Forgot Password* & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The "m-Voting app" can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

- लॉग–इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग–इन एवं पासवर्ड प्रयोग करके अनुपालन यूजर बनाया जाए। अनुपालन यूजर उस/उन खाते/तों को लिंक करने में सक्षम होगा, जिनके लिए उसे मतदान करना है।
- लॉग–इन में लिंक किए खातों को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल किया जाए और खातों के लिए अनुमोदन प्राप्त होने पर वे मतदान करने में सक्षम होंगे।
- मण्डल के संकल्प तथा उनके द्वारा अभिरक्षक के पक्ष में जारी की गई पॉवर ऑफ अटार्नी(पीओए),यदि कोई हो, की स्कैन प्रति पीडीएफ फार्मेट में अंकेक्षक द्वारा सत्यापन करने हेतु सिस्टम में अपलोड की जाए।

(xx) ई–वोटिंग के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मुद्दे के लिए आप www.evotingindia.com सहायता सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल कर सकते हैं। (संपर्क नं - 18002005533)

(II). संकल्प जिस पर मतदान किया जाना है, पर चर्चा के पश्चात् मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा बैठक में उपस्थित रहने वाले सदस्य, जिन्होंने ई–वाटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है मतपत्र के माध्यम से बैठक में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसे सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, जिन्होंने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, किंतु **पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।**

(III). निष्पक्ष तथा पारदर्शी रिमोट–ई–वोटिंग तथा मतदान प्रक्रिया के लिए श्री अमित गुप्ता(सी.पी.सं.4682) कार्यरत कंपनी सचिव को, बैठक में (बैठक में होने वाले मतदान के लिए) अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। आम बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद अंकेक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे तथा जिसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्षियों जो बैंक द्वारा नियोजित न हों के समक्ष रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को खोलेंगे तथा एजीएम की समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर पक्ष या विरोध, यदि कोई हो, में डाले गए कुल वोटों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।

अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों को घोषित कर दिए जाने के बाद घोषित परिणामों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ तत्काल बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा इन परिणामों को तत्काल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा।

- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com (Contact No. - 18002005533.)

(II). The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through "Ballot Paper". The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM **but shall not be entitled to cast their vote again.**

(III). Mr. Amit Gupta (C.P No. 4682) Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for the remote e-voting and Poll process. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the Meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than forty eight hours of the conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

The Results alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.

6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा अधिनियम की धारा 10ख के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2009–10 से संबन्धित ऐसे अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में 29.07.2017 को अंतरित कर दिया जाएगा।

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2009–10 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कराने के लिए 20.07.2017 बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। दावा न किए जाने की स्थिति में, अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष राशि आई ई पी एफ में अंतरित कर दी जाएगी।

मद संख्या – 2 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

पूंजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

इस समय बैंक की अधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी ₹346.17 करोड़ है। बासेल–।।। पूंजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है । निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना के अनुसार, बैंक वर्ष 2017–18 के दौरान, फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ प्राइवेट प्लेसमेंट/राइट इश्यू /अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा मण्डल या बैंक के मण्डल की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप इसी प्रकार के इश्यू के माध्यम से ₹5000 करोड़ की पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाना चाहता है, जो अधिकृत पूंजी की सीमा के अधीन होगा।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुपालन में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपाति आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं । यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा ।

प्रस्तावित विशेष संकल्प निदेशक मंडल (बोर्ड) के सदस्यों से, पब्लिक आफर, राईट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट अथवा ऐसे अन्य इश्यू, जिन्हें बाजार की स्थितियों, कानून व प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुरूप मण्डल अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, बशर्ते इसे केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी का अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त हो और बैंक में भारत सरकार की किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी 52% से कम न हो (भारत सरकार के मौजूदा निर्देशानुसार), द्वारा इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2009-10 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 29.07.2017.

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2009-10 are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for claiming the same by 20.07.2017. If not claimed, the balance remaining outstanding in the unpaid dividend account will be transferred to IEPF.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.2

Capital Raising Programme of the Bank

The Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹346.17 crore. In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and to fund general business needs of the Bank, the Bank proposes to raise capital. As per the Capital Plan approved by the Board of Directors, the Bank intends to raise capital during FY 2017-18, amounting to ₹5000 crore (including share premium), subject to the ceiling of the Authorised Capital, through issue of shares in the form of Follow on Public Offer (FPO) / Private Placement/ Rights Issue / Qualified Institutional Placement (QIP) or such other issue as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Members, to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Private Placement, Qualified Institutional Placement or such other issue as the Board may in its absolute discretion think fit depending upon market conditions, pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank

प्रतिभूतियों को बनाने, प्रस्ताव, इश्यू, आबंटन करने के लिए, बिना किसी अगले अनुमोदन के सदस्यों को प्राधिकृत करने की अनुमति चाहता है।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार क्यूआईपी के लिए संकल्प की वैधता 12 माह तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन लिए बिना सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय viii के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट लाए। क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उसी श्रेणी के सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। ''संगत तारीख'' का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है।

चूंकि प्रस्ताव के मूल्य आगे की तिथि के अलावा, निर्धारित नहीं किए जा सकते अतः जारी किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों के मूल्य बताना संभव नहीं है। प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार स्थितियों तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

आबंटित किए गए ईक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे। इस उद्देश्य हेतु विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशक मंडल सूचना की संख्या 3 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

अन्य जानकारियां

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर लिंक इनटाइम प्रा.लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

of India, SEBI and other required approvals and subject to the shareholding of Govt. of India not falling below 52% of the paid-up equity share capital of the Bank (as per the extant prevailing directive of Government of India).

In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 12 months for QIP. The above Special Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with qualified institutional buyers under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue, the issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the same class quoted on the stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of the shares/ securities to be issued. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in Item No.2 of the Notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को भेजें।
- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ईमेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त (डिमैट) रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं ।
- वित्त वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, जिसके साथ बैंक की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक की इलेक्ट्रोनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई–मेल आईडी बैंक/डिपोजिटरी सहभागियों/आरटीए के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको वित्त वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ–साथ बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस प्रति, जिसमें ई–वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।
- सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त वर्ष 2016–17 की वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in पर डाऊनलोड हेतु उपलब्ध है। ई–रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ को डाक द्वारा निःशुल्क पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं या इसके लिए बैंक के ई–मेल आईडीः mbd@obc.co.in पर या बैंक के आरटीए में delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध करना होगा।

- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. for consolidation into single folio.
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2016-17 inter alia containing Notice of the 23rd Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s) / RTA for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2016-17 inter alia containing Notice of the 23rd Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank inter alia containing the notice of the AGM for FY 2016-17 will also be available on the Bank's website https://www.obcindia.co.in for download. Even after registering for e-communication, members can request for a hard copy of Full Annual Report, free of cost by post or by sending an email to the Bank's email id: mbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कारोबार परिचालन

बैंक का कुल कारोबार 31.03.2016 के ₹362554.20 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को ₹385777.25 करोड़ रहा। बैंक की कुल जमाराशियां ₹219339.39 करोड़ रहीं जिनमें 4.99% की वृद्धि दर दर्ज की गई। मार्च, 2017 के अंत में कुल अग्रिम 8.33% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹166437.86 करोड़ रहे। बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च, 2017 के अंत में 75.92% रहा । बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादनपरक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया। बैंक का ऋण एवं अग्रिम संविभाग सुविस्तृत और संतुलित है। वितीय वर्ष 2016–17 के दौरान रिटेल अग्रिम में 37.15% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2015–16 के 2.66% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निवल ब्याज मार्जिन 2.42% रहा।

पूंजी और आरक्षित निधि

बैंक ने केन्द्रीय सरकार से आबंटन के लिए लंबित ईक्विटी शेयरों को अधिमानी आधार पर आबंटित करते हुए अंशदान के रूप में 30.03.2016 को ₹300 करोड़ की राशि प्राप्त की । बैंक के शेयरधारकों ने 02.05.2016 को आयोजित असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प द्वारा ₹10/– के अंकित मूल्य पर भारत सरकार को ₹121.10 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) की दर से अधिमानी आधार पर 24772914 ईक्विटी शेयरों के आबंटन को अनुमोदित किया। परिणामतः, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक की प्रदत्त पूंजी में ₹24.77 करोड़ तथा शेयर प्रीमियम में ₹275.23 करोड़ की वृद्धि हुई । 31 मार्च 2017 को बैंक की पूंजी एवं आरक्षित निधियां 31 मार्च 2016 की ₹14941.15 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹14121.36 करोड़ हो गईं तथा औसत कार्यशील निधि की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधि का अनुपात 31 मार्च 2016 के 6.54% की तुलना में 31 मार्च 2017 को 5.87% रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹1000 करोड़ के बासेल–III अनुपालक टीयर II बॉण्ड तथा कुल ₹1500 करोड़ के बासेल–III अनुपालक अतिरिक्त टीयर । बॉण्ड जारी किए ।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च, 2017 को बासेल III के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत बैंक का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2016 के 11.76% की तुलना में 11.64% रहा । बासेल II के अंतर्गत बैंक का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2016 के 12.80 % की तुलना में 31 मार्च, 2017 को 12.57% रहा ।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष की ₹21934.78 करोड़ की तुलना में ₹21187.85 करोड़ रही। बैंक का परिचालन लाभ 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4170.13 करोड़ रहा। राजकोषीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक की निवल हानि ₹1094.07 करोड़ रही।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with audited accounts for the financial year ended 31st March 2017.

BUSINESS OPERATIONS

The Business of the Bank stood at ₹385777.25 crore as on 31.03.2017 as against ₹362554.20 crore as on 31.03.2016. Total deposits of the Bank stood at ₹219339.39 crore, registering a growth of 4.99%. The gross advances as at end-March 2017 stood at ₹166437.86 crore, registering a growth of 8.33%. The Credit deposits ratio of the Bank, as at end- March 2017, stood at 75.92%. The Bank ensured adequate flow of credit to the productive sectors of the economy. The Loans & Advances portfolio of the Bank is well diversified and balanced. Bank's retail credit increased by 37.15% during FY 2016-17. Net interest margin for FY 2016-17 was 2.42% as against 2.66% for FY 2015-16.

CAPITAL & RESERVES

The Bank had received a sum of ₹300.00 crore on 30.03.2016 as contribution of the Central Government for preferential allotment of equity shares pending allotment. The shareholders of the Bank in the Extraordinary General Meeting held on 02.05.2016 approved, through special resolution, the issue and allotment of 24772914 equity shares of face value of ₹10/- each to the Government of India @ ₹121.10 per share (including premium). Consequently, during FY 2016-17, the Paid-up capital of the bank increased by ₹24.77 crore and Share Premium by ₹275.23 crore. The Capital & Reserves as on March 31, 2017 have gone upto ₹14121.36 crore as against ₹14941.15 crore as at end March 2016 and the ratio of Capital & Reserves to average working funds stood at 5.87% as on 31.03.2017 as against 6.54% as on 31st March 2016. During the year, the Bank has issued Basel III Compliant Tier II Bonds aggregating to ₹1000 crore and Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹1500 crore.

CAPITAL ADEQUACY RATIO

The Bank's Capital Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as on 31.03.2017 under Basel III guidelines stood at 11.64% as against 11.76% as on 31.03.2016. The Bank's Capital Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) under Basel II stood at 12.57% as on 31.03.2017 as against 12.80% as on 31.03.2016.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank has posted a total income of ₹21187.85 crore during the year as against ₹21934.78 crore last year. The Operating Profit of the Bank stood at ₹4170.13 crore for the year ended 31.03.2017. The Bank has incurred a net loss of ₹1094.07 crore during the fiscal 2016-17.

बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:–

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ ₹ में)

	31.03.2017	31.03.2016
ब्याज आय	18422.33	20168.50
अन्य आय	2765.52	1766.28
कुल आय	21187.85	21934.78
प्रदत्त ब्याज	13512.83	14793.93
परिचालन व्यय	3504.89	3458.78
कुल व्यय	17017.72	18252.71
परिचालन लाभ	4170.13	3682.07
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	5264.20	3525.99
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) , असाधारण मदों से पहले	**(1094.07)**	**156.08**
घटाएं : असाधारण मदें	0.00	0.00
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) , असाधारण मदों के बाद	**(1094.07)**	**156.08**
जोड़िए–आगे लाया गया लाभ	0.64	0.14
जोड़िए– निवेश आरक्षित खाता	11.54	42.26
विनियोजन हेतु उपलब्ध निवल लाभ/(हानि)	**(1081.89)**	**198.48**
विनियोजन		
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित	0.00	40.00
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि में अंतरित	(1081.89)	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित	0.00	112.00
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित	0.00	18.76
निवेश आरक्षित खाते में अंतरित	0.00	0.00
अंतरिम लाभांश	0.00	0.00
प्रस्तावित लाभांश	0.00	22.50
लाभांश पर कर	0.00	4.58
तुलनपत्र में ले जाया गया षेश	0.00	0.64

लाभांश

राजकोषीय वर्ष के दौरान ₹ 1094.07 की निवल हानि के कारण बैंक के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

प्रोजेक्ट उद्भव

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आपके बैंक ने कारोबार, लाभप्रदता, अनुपालन के स्तर तथा अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक के संगठनात्मक एवं परिचालनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करने की महत्वाकांक्षी एवं चुनौतीपूर्ण यात्रा

The Financial performance of the Bank is given below:-

Financial Performance

(Amt. in ₹ crore)

	31.03.2017	31.03.2016
Interest Income	18422.33	20168.50
Other Income	2765.52	1766.28
Total Income	21187.85	21934.78
Interest Paid	13512.83	14793.93
Operating Expenses	3504.89	3458.78
Total Expenses	17017.72	18252.71
Operating Profit	4170.13	3682.07
Provisions & Contingencies	5264.20	3525.99
Net Profit/(loss) for the Year before Exceptional Item	**(1094.07)**	**156.08**
Less: Exceptional Item	0.00	0.00
Net Profit/(loss) for the year after Exceptional Item	**(1094.07)**	**156.08**
Add-Profit brought forward	0.64	0.14
Add-Investment Reserve Account	11.54	42.26
Net Profit/ (loss) available for appropriation	**(1081.89)**	**198.48**
APPROPRIATION		
Transferred to Statutory Reserve	0.00	40.00
Transferred to Revenue and Other reserves	(1081.89)	0.00
Transferred to Special Reserve u/s 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961	0.00	112.00
Transferred to Capital Reserve	0.00	18.76
Transferred to Investment Reserve Account	0.00	0.00
Interim Dividend	0.00	0.00
Proposed Dividend	0.00	22.50
Tax on Dividend	0.00	4.58
Balance carried over to Balance Sheet	0.00	0.64

DIVIDEND

In view of the net loss of ₹1094.07 crore during the fiscal, the Board of Directors of the Bank has not recommended any Dividend, for the financial year 2016-17.

PROJECT UDBHAV

During FY 2016-17, your Bank has embarked upon an ambitious and challenging journey of 'Re-modelling of the Bank's Organization and Operational Structure' - Project Udbhav to grow in terms of business, profitability, level of compliance and outreach. Project Udbhav aims to achieve Business Growth with enhanced focus on Sales and reduced turnaround time

– प्रोजेक्ट उद्भव को स्वीकार किया है। प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देष्य है, सेल्स वृद्धि तथा अनुवर्ती समय (टीएटी) में कमी लाने पर अधिक ध्यान देकर, कारोबार स्वामित्व लाकर कारोबार वृद्धि प्राप्त करना, ग्राहक सेवा और संतुष्टि में वृद्धि, परिचालन दक्षता में तेजी लाना और अनुपालन कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करना। प्रोजेक्ट उद्भव के तीन मुख्य पिलर (1) कारोबार प्रक्रिया एवं परिचालन मॉडल, (2) संगठनात्मक ढांचा तथा (3) शाखा रूपांतरण हैं।

कारोबार प्रोसेस एवं परिचालन मॉडल : अनुपयोगी तथा डुप्लीकेट गतिविधियों को हटाने और प्रभावोत्पादकता व दक्षता लाने के लिए कारोबार प्रोसेस एवं परिचालन मॉडल को पुनः डिजाइन किया गया है। साथ ही, ग्राहकों के सभी वर्गों के बीच क्रॉस–सेलिंग क्षमताओं के विकास के लिए कारोबार विष्लेषण के तहत आंकड़ों का उपयोग महत्वपूर्ण से ढंग से किया जा रहा है।

संगठन ढांचा : कार्यप्रणाली विशेषज्ञता आधारित संगठन तैयार करना जिसके द्वारा ऋण सुविधाओं की स्वीकृति मात्र दो स्तरों अर्थात् क्लस्टर कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर दी जाती हैं। ₹10 करोड़ तक के अधिकांश रिटेल तथा व्यावसायिक ऋण क्लस्टर कार्यालय स्तर पर ही संस्वीकृत किए जाते हैं जिससे त्वरित निर्णय लेना एवं अनुवर्ती समय (टीएटी) में कमी लाना सुनिश्चित किया जाता है।

साथ ही, कॉरपोरेट कारोबार करने के लिए विशेषीकृत वर्टिकल अर्थात् मिड कॉरपोरेट कारोबार तथा बड़े कॉरपोरेट कारोबार स्थापित किए गए हैं। मिड कॉरपोरेट ऋणियों अर्थात् ₹10 करोड़ से अधिक व ₹50 करोड़ तक के ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए 48 केन्द्रों पर मिड कॉरपोरेट शाखाएं जबकि बड़े कॉरपोरेट ऋणियों अर्थात् ₹50 करोड़ से अधिक के ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए 5 केन्द्रों पर बड़ी कॉरपोरेट शाखाएं स्थापित की गईं हैं।

संस्थागत कासा को प्राप्त करने के लिए एक विशेषीकृत वर्टिकल, ग्राहक संबंध समूह (सीआरजी), जबकि ग्राहकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने की स्थिति में वसूली एवं समाधान के लिए समाधान, वसूली व विधि (आरआरएल) पृथक वर्टिकल स्थापित किए गए हैं।

शाखा रूपांतरण : कारोबार प्राप्त करने के लिए शाखा एक महत्वपूर्ण चैनल है जो ग्राहक सेवा प्रदान करने तथा आरंभिक स्तर पर संबंध प्रगाढ़ करके स्थानीय स्तर पर बैंक की ब्रैंड वैल्यू स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाखा रूपांतरण में, अत्याधुनिक साज–सज्जा और प्रौद्योगिकी द्वारा ग्राहक के सुखद अनुभव में वृद्धि लाने के लिए शाखा के ले–आउट एवं ढांचे को पुनः डिजाइन किया जा रहा है। शाखा के अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व को पुनः परिभाषित करने से वे सेल्स एवं मार्किटिंग पर फोकस कर पाएंगे तथा उनकी दक्षता में वृद्धि होगी। शाखा रूपांतरण के प्रथम चरण में 500 शाखाओं को शामिल किया गया है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कॉरपोरेट सिद्धांत

- बैंक एक कॉरपोरेट इकाई है, जो सामान्यतः समाज में परिचालन के जरिए संसाधनों पर नियंत्रण तथा लाभ प्राप्त करता है । अतः बैंक की यह प्रतिबद्धता बनती है कि वह जिस समाज में कार्य करता है, उसे वापस भी लौटाए तथा समाज के कम भाग्यशाली एवं अल्प–सुविधा प्राप्त

(TAT), build business ownership, enhance Customer Service & Satisfaction, boost Operational Efficiency and strengthen Compliance function.

The three Pillars of Project Udbhav are (1) Business Processes & Operating Model, (2) Organization Structure and (3) Branch Transformation.

Business Processes & Operating Model: Business processes and operating model have been re-engineered so as to remove redundant and duplicate activities and bring about effectiveness and efficiency. Besides, the power of data is being harnessed under Business Analytics to improve cross selling abilities across customer segments.

Organization Structure: Creation of a flattened Organization Structure based on Functional Specialization whereby sanctioning of credit facilities is done at two levels only i.e., Cluster Office and Head Office. The majority of retail loans and commercial loans upto ₹10 Crore are sanctioned at Cluster Office level that ensures quick decision making and reduction of turnaround time (TAT).

Besides, specialized verticals have been established to cater to Corporate Business i.e., Mid Corporate Business and Large Corporate Business. Mid Corporate Branches have been established at 48 centres to cater to Mid Corporate Borrowers i.e., borrowers availing more than ₹10 Crore and upto ₹50 Crore while Large Corporate Branches have been established at 5 centres to cater to Large Corporate Borrowers i.e., borrowers availing more than ₹50 Crore.

A specialized Vertical, Customer Relations Group (CRG) have been established for garnering institutional CASA while dedicated Resolution, Recovery & Law (RR&L) Vertical has been constituted for carrying out recovery & resolution activities in case of borrowers classified as NPA.

Branch Transformation: The branch is an integral channel for business sourcing and plays a pivotal role in providing customer service and establishing brand value of the Bank in local geography by nurturing relationships at the grass root level. Under Branch Transformation, the Branch layout & infrastructure is being redesigned so as to enrich the customer experience with state of art ambience and technology. Further, delineation of the role & responsibilities of the Branch Officials shall enable them to focus on Sales & Marketing and drive efficiency. 500 branches have been covered under the first phase of Branch Transformation.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Philosophy

- Bank is a corporate citizen, with resources at its command and benefits, which it derives from operating in society in general. It therefore has a commitment to give back to the community where it operates and owes a solemn duty to the

वर्ग के प्रति इसका दायित्व बनता है।

- स्टाफ सदस्यों को प्रेरित किया जाता है कि वे अल्प–सुविधाप्राप्त वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए अपना योगदान दें तथा निर्विवाद सामाजिक तथा विकास अभावों को दूर करने के लिए उपाय करें। इससे उनका स्वयं का विकास होगा तथा समुदाय के विकास के साथ–साथ बैंक की छवि में भी सुधार होगा।
- सामुदायिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक द्वारा समाज के शोषित एवं अल्प–सुविधा प्राप्त वर्ग के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए बैंकिंग तथा गैर–बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में विविध कल्याणपरक और सामजिक गतिविधियां की जाती हैं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और पर्यावरण सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बैंक द्वारा की गई मुख्य सीएसआर गतिविधियां

समाज कल्याण के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत बैंक विभिन्न कदम उठाता /परियोजना चलाता रहता है। 2016–17 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों में विभिन्न संगठनों/ ट्रस्टों/संस्थाओं में वाटर कूलर लगाना, आरओ सिस्टम लगाना, कुर्सियां, यूनिफॉर्म, कम्बल, इनवर्टर, कम्प्यूटरों को दान करना शामिल हैं। अग्रतर, बैंक ने गंगा नदी, वाराणसी के पवित्र स्थानों लाल घाट एवं हनुमान गढ़ी घाट को गोद लेकर स्वच्छ करने के लिए भी पहल की है और बैंक ने 75वें स्थापना दिवस पर प्रमुख ग्राहकों को तुलसी के पौधे भी वितरित किए हैं।

निदेशक मंडल

वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक मंडल की 13, मंडल की प्रबन्ध समिति की 14 और मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 8 बैठकें हुईं । श्रीमती माला श्रीवास्तव एवं श्री संजय कपूर ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(एच) एवं 9(3)(जी) के अंतर्गत बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में क्रमशः दि. 25.04.2016 एवं 26.07.2016 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया। श्री हिमांशु जोशी ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(क) के अंतर्गत बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 09.08.2016 को मण्डल में कार्यग्रहण किया। श्री किंग्शुक भट्टाचार्य, कर्मकार कर्मचारी निदेशकों एवं श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला, अधिकारी कर्मचारी निदेशक बैंक के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने पर क्रमशः दि.13.06.2016 एवं 29.01.2017 को कार्यमुक्त हो गए । श्री प्रशान्त गोयल ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(ख) के अंतर्गत श्री अरुनीश चावला के स्थान पर भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 16.01.2017 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधित मत / प्रतिकूल टिप्पणी / किसी मुद्दे पर जोर देने, यदि कोई हो, की प्रतिक्रिया में निदेशक मण्डल का स्पष्टीकरण / टिप्पणी

शून्य

निदेशकों का दायित्व कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में,

- महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हों, के संबंध में लागू लेखा मानकों को, उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया है ।

less fortunate and underprivileged sections of the society.

- Staff members are encouraged to make contributions by understanding the aspirations of underprivileged sections and endeavoring to evolve measures to remove indisputable social and development lacunae. This leads to their self development and improvement of Bank's image besides development of the community.
- Under the community service various welfare and social activities are undertaken by the bank both in Banking and non Banking areas to raise the quality of life of the downtrodden and under privileged sections of the society.
- Providing assistance on education, health, sports and environment services are the focus areas.

Major CSR initiatives undertaken by the Bank in FY 2016-17

The Bank has been taking various steps/projects to improve social welfare as part of its CSR activities. The main activities undertaken during 2016-17 include installation of water coolers, RO systems, donation of chairs, uniforms, blankets, invertor, computers to various organizations/trusts/institutes etc. Further, Bank has also taken initiatives for Cleaning of 'Lal Ghat' & 'Hanuman Garhi Ghat' at river Ganga, Varanasi by adopting these holy areas and distributed Tulsi sapling on the occasion of 75th Foundation day to valuable customers of the Bank.

BOARD OF DIRECTORS

During 2016-17, 13 meetings of Board of Directors, 14 meetings of Management Committee of Board and 8 meetings of Audit Committee of Board, were held. Smt. Mala Srivastava and Sh. Sanjay Kapoor joined the Board of the Bank as Part-time Non-official Directors on 25.04.2016 and 26.07.2016 in terms of Section 9(3)(h) and 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the 'Act'), respectively. Sh. Himanshu Joshi joined the Board as Executive Director in terms of Section 9(3)(a) of the Act on 09.08.2016. Sh. Kingshuk Bhattacharya, Workmen Employee Director and Narendra J Kotiawala, Officer Employee Director vacated their office on the Board of the Bank on 13.06.2016 and 29.01.2017 on completion of tenure as Directors of the Bank. Sh Prashant Goyal joined the Board of the Bank as Government of India Nominee Director on 16.01.2017 in place of Sh. Arunish Chawla in terms of Section 9(3)(b) of the Act.

EXPLANATIONS/COMMENTS BY BOARD OF DIRECTORS IN RESPONSE TO MODIFIED OPINION/ADVERSE REMARKS/ EMPHASIS OF MATTER, IF ANY, IN THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Nil

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that, in preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2017:

- the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

- भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गईं ।
- वित्त वर्ष के अंत में बैंक के कार्यों तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि का सही एवं स्पष्ट चित्र सामने आ सके, इसके लिए विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए ।
- बैंक में आस्तियों की अभिरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व इनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने के लिए सम्यक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए तथा ये पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- बैंक पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां मौजूद और उपयुक्त थीं तथा ये प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।
- लेखे कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों का उनके द्वारा बैंक को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सतत सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। निदेशक मंडल अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, सम्मानित हितधारकों का उनके संरक्षण और बैंक के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए आभार प्रकट करता है और बैंक के सर्वांगीण विकास, प्रगति और समृद्धि में स्टाफ सदस्यों की सहभागिता और समर्पण भावना की सराहना करता है ।

मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक :12.05.2017

(अनिमेष चौहान)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- the accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied,
- reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended on 31st March, 2017,
- proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- Internal financial controls were laid down and these were adequate and operating effectively
- Proper systems were in place to ensure compliance of all laws applicable to the Bank and these were adequate and operating effectively
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGMENTS

The Board of Directors expresses its gratitude to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchanges Board of India (SEBI) and other Government & Regulatory Agencies for their valuable guidance and continued support provided to the Bank throughout the year. The Board of Directors are also grateful to the valued customers, esteemed stakeholders and also wish to place on record its great appreciation of the staff members for their involvement and dedication in the overall development, growth and prosperity of the Bank.

For and on behalf of the Board

Place: Gurugram
Date: 12.05.2017

(ANIMESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
भाग क–समष्टि–आर्थिक परिदृश्य

1. सकल घरेलू उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु जीडीपी के स्थाई मूल्यों में (2011-12) वित्तीय वर्ष 2015–16 की तुलना में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई ।

2. औद्योगिक उत्पादन

मार्च 2017 माह के लिए सामान्य सूचकांक मार्च 2016 माह के मुकाबले 2.7% उच्च स्तर पर है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल–मार्च 2016–17 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि 5.0%है।

3. आठ महत्वपूर्ण उद्योग

आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल मदों का योगदान लगभग 38% है। आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त सूचकांक, मार्च, 2017 में 202.9 है, जो कि मार्च, 2016 के सूचकांक की तुलना में 5.0% अधिक है। अप्रैल से मार्च, 2016–17 के दौरान इनकी संचयी वृद्धि 4.5% रही।

4. थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति

मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मार्च, 2017 माह की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 5.70% (अनंतिम) मार्च 2016 की तुलना में रही जबकि पिछले माह में यह 6.55% और पिछले वर्ष के आलोच्य माह के दौरान (–) 0.45% थी। सीपीआई (सामान्य) पर आधारित भारतीय मुद्रास्फीति की दर, मार्च, 2017 के महीने में 3.81% (अनंतिम) थी, जबकि पिछले महीने की 3.65% (अनंतिम) और पिछले वर्ष की इसी महीने में 4.83% थी।

5. विदेशी व्यापार

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, गत वर्ष की समान अवधि के 262290 मिलियन अमरीकी डॉलर के सापेक्ष 4.71%की वृद्धि दर्ज करते हुये निर्यात का संचयी मूल्य 274645 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, गत वर्ष की समान अवधि के 381006.64 मिलियन अमरीकी डॉलर के सापेक्ष 0.17%की कमी दर्ज करते हुये आयात का संचयी मूल्य 380367.65 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

6. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 31 मार्च, 2017 को 369.95 बिलियन अमरीकी डॉलर आंकी गई और इसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 9.78 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। कुल आरक्षित निधि में, विदेशी मुद्रा आस्तियां 346.32 बिलियन अमरीकी डॉलर आंकी गई और

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

PART A - MACRO–ECONOMIC SCENARIO

1. GROSS DOMESTIC PRODUCT

GDP at constant prices (2011-12) for FY 2016-17 has shown a growth of 7.1% over the year FY 2015-16.

2. INDUSTRIAL PRODUCTION

The General Index for the month of March 2017 is 2.7% higher as compared to the level in the month of March 2016. The cumulative growth for the period April-March 2016-17 over the corresponding period of the previous year stands at 5.0%.

3. EIGHT CORE INDUSTRIES

Eight core industries comprise nearly 38% of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of Eight Core Industries stands at 202.9 in March, 2017, which was 5.0% higher compared to the index of March, 2016. Its cumulative growth during April to March, 2016-17 was 4.5%.

4. WPI & CPI INFLATION

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 5.70% (provisional) for the month of March, 2017 as compared to 6.55% for the previous month and -0.45% during the corresponding month of the previous year. The all India inflation rate, based on CPI (General), stood at 3.81% (provisional) for the month of March, 2017 as compared to 3.65% (provisional) for the previous month and 4.83% during the corresponding month of the previous year.

5. FOREIGN TRADE

Cumulative value of exports FY 2016-17 was US$ 274645 million as against US$ 262290 million registering a growth of 4.71% over the same period last year. Cumulative value of imports for FY 2016-17 was US$ 380367.65 million as against US$ 381006.64 million registering a decline of 0.17% over the same period last year.

6. FOREX RESERVES

Total Foreign exchange reserves as on March 31, 2017 were valued at US$ 369.95 Billion and recorded an increase of US$ 9.78 Billion during the fiscal 2016-17. Out of the total reserves,

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान इनमें 10.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

7. मुद्रा आपूर्ति

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, मुद्रा आपूर्ति (एम3) ₹1,28,390.8 बिलियन थी तथा इसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7.3% (₹8,720 बिलियन) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋणों में 2016–17 के दौरान 4.7% (₹3811बिलियन) की वृद्धि हुई। सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ₹6708बिलियन (21.0%) की वृद्धि हुई । बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ₹400 बिलियन (-1.5%) की कमी हुई।

8. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) कारोबार

i. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां

31मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां 01.04.2016 के ₹97208.2 बिलियन की तुलना में ₹108,051.5 बिलियन रही तथा इनमें 11.1% की वृद्धि हुई।

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण

31मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एसीबी) द्वारा दिए गए बैंक ऋण 01.04.2016 के ₹75299.9 बिलियन की तुलना मे ₹78,818.9 बिलियन रहे और इनमें 4.7% की वृद्धि हुई। बैंकिंग प्रणाली का ऋण–जमा अनुपात 31.03.2017 को 72.95% रहा।

iii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

31मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एसएलआर निवेश 01.04.2016 के ₹25,953.3 बिलियन की तुलना मे ₹30,436.6बिलियन रहे और इनमें 17.3%की वृद्धि हुई। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश–जमा अनुपात 28.17% रहा।

भाग ख – बैंक का कार्यनिष्पादन

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में 5.31% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3307.33 करोड़ की वृद्धि हुई जो मार्च, 2016 के ₹62254.73करोड़ से बढ़कर मार्च, 2017 में ₹65562.06 करोड़ हो गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम निर्धारित 40% की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 41.23% रहे। मार्च, 2016 तथा मार्च, 2017 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के अंतर्गत अग्रिमों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

foreign currency assets were valued at US$ 346.32 Billion and have shown an increase of US $10.21 Billion during the fiscal 2016-17.

7. MONEY SUPPLY

As on March 31, 2017 Money supply (M3) was of the order of ₹1,28,390.8 Billion and has increased by 7.3% (₹8,720 Billion) in FY 2016-17. Bank credit to the commercial sector increased by 4.7% (₹3811Billion) in 2016-17. Net bank credit to Government increased by ₹6708 Billion (21.0%) during FY 2016-17. The net foreign exchange assets of the Banking sector decreased by ₹400 Billion (-1.5%) during 2016-17.

8. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (SCBs) BUSINESS

i. Aggregate Deposits of Scheduled commercial Banks

Aggregate Deposits of SCBs as on 31.03.2017 were of the order of ₹108,051.5 Billion as against ₹97,208.2 Billion as on 01.04.2016 and have increased by 11.1%.

ii. Bank credit of scheduled Commercial banks

Bank credit of SCBs as on 31.03.2017 was of the order of ₹78,818.9 Billion as against ₹75,299.9 Billion as on 01.04.2016 and have increased by 4.7%. The Credit – Deposit ratio of the Banking System stood at 72.95% as on 31.03.2017.

iii. Investments of Scheduled Commercial Banks

Total SLR investments of Scheduled Commercial Banks stood at ₹30,436.6 Billion as on 31.03.2017 as against ₹25,953.3 Billion as on 01.04.2016 and have increased by 17.3%. The Investment - Deposit ratio of SCBs as on 31.03.2017 stood at 28.17%.

PART B – PERFORMANCE OF THE BANK

1. SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT TO PRIORITY SECTOR

Bank's advances to priority sector increased by ₹3307.33 crore from ₹62254.73 crore in March 2016 to ₹65562.06 crore in March 2017 registering a growth of 5.31%. The Priority Sector Advances constituted 41.23 % of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 40%. The comparative position of advances under various segments under Priority Sector at the end of March 2016 and March 2017 are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मार्च, 2015	मार्च, 2016
1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	62254.73	65562.06
2.	कृषि	25957.76	27536.96
3.	एमएसएमई	27511.84	25968.33
4.	शिक्षा ऋण	1214.62	1194.45
5.	आवास ऋण	7427.22	10777.27
6.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	143.29	85.05

1.1 कृषि अग्रिम

कृषि खंड के अग्रिमों में 6.08% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1579 करोड़ की वृद्धि हुई, जो 31.03.2016 के ₹25958 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 में ₹27537 करोड़ हो गए। कृषि ऋण निर्धारित 18% की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) के 17.32% रहे। छोटे एवं मझौले कृषि ऋण का औं निर्धारित 8% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 8.60% होकर ₹13671 करोड़ हो गया। ₹16000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कृषि क्षेत्र को ₹17151 करोड़ के नए ऋण संवितरित किए गए।

1.2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

मार्च, 2017 के अंत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में बैंक का एक्सपोज़र 31.03.16 के ₹27512 करोड की तुलना में ₹25968 करोड़ रहा। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को ऋण निर्धारित 7.50% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 7.73% होकर ₹12296 करोड़ रहा।

1.3. ओरियन्टल ग्रीन कार्ड (ओजीसी) एवं ओरियन्टल किसान गोल्ड कार्ड (ओकेजीसी)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक द्वारा किसानों को फसल उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं संयंत्रों की मरम्मत हेतु ऋण आवश्यकता को पूरा करने, संबंद्ध क्रियाकलापों हेतु कायशील पूंजी, गैर–संस्थागत साहूकारों से लिए गए पुराने कर्जों को चुकाने व उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए 41610 कार्ड जारी किए गए। इस वर्ष के दौरान, इन कार्डों के जरिए ₹1645 करोड़ के ऋण संवितरित किए गए। बैंक ने सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को एटीएम कार्ड जारी किए।

1.4. कमजोर वर्ग को अग्रिम

कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण ैिल्पकार, सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं (पीएमईजीपी को छोड़कर) के लाभग्राही शामिल हैं, को दिए गए अग्रिम 31.03.2016 के ₹ 16220 करोड़ के मुकाबले 31.03.2017 को ₹ 18503 करोड़ हो गए। एएनबीसी के निर्धारित 10.00% के मानक की तुलना में कमजोर वर्ग को अग्रिम का प्रतिशत 11.64% रहा।

(Amount ₹ in crore)

S.No.	Sectors	March 2016	March 2017
1.	Priority sector credit	62254.73	65562.06
2.	Agriculture	25957.76	27536.96
3.	MSME	27511.84	25968.33
4.	Educational Loan	1214.62	1194.45
5.	Housing Loan	7427.22	10777.27
6.	Other P.S.	143.29	85.05

1.1 Agriculture Advances

The advances to Agriculture segment increased by ₹1579crore, from ₹25958 crore as on 31.3.2016 to ₹27537 crore as on 31.3.2017, registering a growth of 6.08%. The Agriculture advances constituted 17.32% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 18%. The share of Small & Marginal farmers stood at ₹13671 crores as on 31.03.2017, which constituted 8.60% against the stipulated norms of 8% of ANBC. During the financial year 2016-17, fresh flow of credit to Agriculture sector amounted to ₹17151 crore against the target of ₹16000 crore.

1.2. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Bank's exposure to Micro, Small & Medium Enterprises stood at ₹25968 crore at the end of March 2017 as against ₹27512 crore as on 31.03.2016. The Micro Enterprises sector advances stood at ₹12296 crore which is 7.73% of ANBC against the stipulated norms of 7.50%.

1.3. Oriental Green Card (OGC) & Oriental Kisan Gold Card (OKGC)

During the Financial Year 2016-17, Bank has issued 41610 cards to farmers to meet their credit requirement for crop production, repairing of agricultural machinery & equipment, working capital for allied activities, to repay their old debts taken from non institutional money lenders and consumption needs. The total amount of loan sanctioned through these cards during the year was ₹1645 crore. Bank has issued ATM cards to all eligible KCC holders.

1.4. Advances to Weaker Sections

Advances to weaker sections, consisting of beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes, small and marginal farmers, landless laborers, rural artisans, beneficiaries under Govt. Sponsored schemes (except PMEGP) are ₹18503 crore as on 31.03.2017 against ₹16220 crore as on 31.03.2016. The percentage of advances to weaker sections is 11.64% of ANBC against stipulated norm of 10%.

1.5 प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधान मंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	मानदण्ड	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
1	खोले गए खाते	39.61
2	जारी किए गए रुपे कार्ड	36.89
3	जारी रुपे कार्ड का प्रतिशत	93.13%
4	शून्य शेष वाले खाते	4.11
5	शून्य शेष वाले खातों का प्रतिशत	10.38%
6	जारी पासबुकों की संख्या	37.51
7	जारी पासबुकों का प्रतिशत	94.70%
8	आधार संख्या के साथ खोले गए खाते	24.75
9	आधार सीडिंग वाले खातों का प्रतिशत	62.48%
10	खातों में जमा की गई राशि	₹421181.44

1.6 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना(पीएमएमवाई)

ऋण से वंचितों को ऋण देने के लिए **विनिर्माण, ट्रेडिंग एवं सेवा क्षेत्र के गैर–कृषि उद्यमों को सामान्य वित्तीय प्रणाली** में लाने और ₹10.00 लाख तक के आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु 08 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई । बैंक द्वारा ₹1800 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹1866 करोड़ के ऋण संवितरण किए गए।

1.7. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे विभेदक ब्याज दर योजना(डीआरआई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) आदि को लागू कर रहा है जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, इसमें अजा/ अजजा एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

1.8 राज्य स्तरीय बैंक समिति दायित्व

बैंक को नवंबर, 2011 से भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक का प्रतिष्ठित दायित्व सौंपा गया है। दिल्ली राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति में 33 सदस्य बैंक हैं जिनमें सभी प्रमुख बैंक अर्थात् सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं।राज्य स्तरीय बैंकर समिति, दिल्ली ने डीबीटी योजना, जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समिति सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को लागू करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकार के विभागों/सदस्य बैंकों के साथ निकट समन्वय भी बनाए हुए है।

1.9 अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

बैंक चार जिलों में अर्थात पंजाब के फिरोजपुर, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के पलवल जिले और दिल्ली राज्य में उत्तर दिल्ली में अग्रणी बैंक का कार्य कर रहा है। इन सभी चार जिलों में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 90% से अधिक की उपलब्धि रही।

1.5 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The progress under PMJDY is as under:

(Amount ₹ in Lac)

SN	Parameters	As on 31.03.17
1	No. of accounts opened	39.61
2	RuPay card issued	36.89
3	Percentage of RuPay card issued	93.13%
4	Accounts with zero balance	4.11
5	Percentage of Zero balance accounts	10.38%
6	No. of Passbooks issued	37.51
7	Percentage of Passbooks issued	94.70%
8	Accounts opened with Aadhaar numbers	24.75
9	Percentage of Aadhaar seeded accounts	62.48%
10	Amount of deposit in accounts	₹421181.44

1.6 Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY)

PMMY was launched on April 08th, 2015 to fund the unfunded **by bringing non-farm enterprises in Manufacturing, Trading and Services to the formal** financial system and extending affordable credit upto ₹10 lakh to them. As against the disbursement targets of ₹1800 crores, the Bank has disbursed ₹1866 crore.

1.7. Government sponsored schemes

Bank is implementing various Government sponsored schemes such as Differential Rate of Interest (DRI), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), National Urban Livelihood Mission (NULM), National Rural Livelihood Mission (NRLM) etc., benefitting all sections of society with special focus on SC/ST and women.

1.8 State Level Bankers Committee Responsibility

The Bank has been bestowed with the assignment of Convener – State Level Bankers' Committee for Delhi State by the Government of India from November, 2011. There are 33 member banks of SLBC – Delhi State which include all prominent banks i.e. PSBs, Private Sector Banks and Cooperative Banks. SLBC Delhi has played important role in implementation of DBT scheme, a flagship program of Government of India. It has also closely co-ordinated with DFS, MoF, GoI/ RBI/ State Govt. departments/ Member Banks for implementation of Government and RBI directions.

1.9 Lead Bank Responsibility

Bank is performing the functions of Lead Bank in four Districts namely Ferozpur in Punjab, Sriganganagar in Rajasthan, Palwal in Haryana and North Delhi in Delhi state. There is more than 90% achievement under ACP in all the four districts.

1.10 ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के उद्देष्य से ओरियन्टल बैंक ग्रामीण विकास न्यास (ओबीसी आरडीटी) नामक एक विशेष संस्थान की स्थापना की है। इस समय देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर और पलवल में पांच ओबीसीआरसेटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 146 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और विभिन्न कार्यक्रमों में 3608 उम्मीदवार लाभान्वित हुए। समेकित रूप से इन केन्द्रों ने अपने आरंभ से 911 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 24483 उम्मीदवार लाभान्वित हुए, स्थापना से अब तक इनकी क्रेडिट लिंकेज दर 67.14% है।

2 रिटेल ऋण

रिटेल ऋण खंड सदैव ऋण बढ़ाने का एक क्षेत्र रहा है। हमारे सभी रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्रतिस्पर्धी हैं तथा इन्हें विशेषकर समाज के सभी वर्गों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है। 31.03.2017 के अनुसार रिटेल ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2016 के कुल अग्रिमों के 12.12%की तुलना में 15.34% हैं और वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रिटेल ऋण में 37.15% की वृद्धि हुई है।

2.1. गृह ऋण

आवासीय ऋण में वर्ष दर वर्ष 41.85% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान 9490 खातों में ₹8105 करोड़ के नए आवासीय ऋण स्वीकृत किए गए।

2.2. कार/वाहन ऋण

कार/वाहन ऋण 31.03.2017 को ₹ 1462 करोड़ रहे। बैंक के आरएएम ऋण के अनुसार वाहन ऋण को पुनः समायोजित किया गया। वर्ष के दौरान 14323 खातों में ₹643.88 करोड़ के नए कार ऋण स्वीकृत किए गए।

2.3. शिक्षा ऋण

बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2017 को ₹1385 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान शिक्षा ऋण खातों में ₹15.45 करोड़ की शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी जमा की गई।

2.4. अचल सम्पत्ति पर ऋण

अचल सम्पत्ति के तहत ऋण के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि 72.16% है। वर्ष के दौरान 2769 खातों में ₹2650.61 करोड़ के नये ऋण स्वीकृत किए गए।

2.5. व्यक्तिगत ऋण

व्यक्तिगत ऋण में वर्ष–दर–वर्ष 15.37% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान 9478 खातों में ₹291.90 करोड़ के नए व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किए गए।

रिटेल ऋण में वृद्धि हेतु, इस वर्ष बैंक द्वारा निम्नलिखित नये कदम उठाये गए : –

- ओएलएस (ओरिएंटल लैंड स्मार्ट) की शुरुआत – बैंक में जुलाई 2016 से ओएलएस लागू किया गया है और सभी रिटेल लोन योजनाएं ओएलएस में लाइव हैं।अब, ओएलएस में ऋण मूल्यांकन, प्रसंस्करण, दस्तावेज प्रिंटिंग,

1.10 OBC Rural Development Trust

Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank Rural Development Trust (OBCRDT) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas. Presently, five OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur, Ferozepur and Palwal. During the Financial Year 2016-17, a total of 146 Skill Development training programmes were conducted and 3608 candidates were benefitted under various programmes. Cumulatively these centres have conducted 911 Skill Development training programmes since inception benefiting 24483 candidates, the credit linkage rate of trainees since inception is more than 67.14%.

2. RETAIL CREDIT

Retail Credit segment continues to be the thrust area of lending. All our Retail Credit products are customer friendly, competitive and specifically designed to suit all sections of the society. The Retail Credit Portfolio constitutes 15.34% of total advances as on 31.03.2017 as against 12.12% as on 31.03.2016. During FY 2016-17, Retail Credit has shown a growth of 37.15%.

2.1. Home Loan

The Home Loan portfolio has shown a growth of 41.85% on YoY basis. During the year, fresh home loans of ₹8105 crore were sanctioned in 9490 accounts.

2.2. Car/Vehicle Loan

Car/ Vehicle loan stood at ₹ 1462 crore as on 31.03.2017. Vehicle Loan has been re-adjusted as per Bank's RAM credit. During the year fresh car loans of ₹ 643.88 crore were sanctioned in 14323 accounts.

2.3. Education Loan

Education Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 1385 crore as on 31.03.2017. Education loan interest subsidy of ₹ 15.45 Crore has been credited in respective education loan accounts during the FY-2016-17.

2.4. Loan against Immovable Property

The YoY growth under Loan against Immovable Property is 72.16%. During the year fresh loans of ₹ 2650.61 crore were sanctioned in 2769 accounts.

2.5. Personal Loan

YoY growth in personal loan is 15.37%. During the year fresh personal loans of ₹ 291.90 crore were sanctioned in 9478 accounts.

For increasing retail credit, the Bank has taken the following new initiatives during the year:

- **Launch of OLS (Oriental Lend Smart)-** OLS has been implemented in the bank since July 2016 and all retail loan

खाता खोलने, एसएमएस जेनरेशन, स्वीकृति के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बीसीसी अनुपालन हो रहा है।

- अखिल भारतीय स्तर पर टाटा हाउसिंग के साथ टाई–अप बैंक ने 04.11.2016 को टाटा हाउसिंग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। समझौते के अनुसार, टाटा परियोजनाओं के होम लोन के स्रोत के लिए हमारा बैंक पसंदीदा बैंकर होगा।
- बैंकबाजार डॉट कॉम के साथ टाई अप – बैंक ने 29.07.2016 को आवास, वाहन और वैयक्तिक ऋण के तहत लीड जेनरेशन के लिए बैंकबाजार डॉट कॉम (विभिन्न रिटेल ऋणों के लिए ऑनलाइन बाजार पोर्टल) के साथ समझौता किया है।

इसके साथ ही,वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित नए रिटेल योजनाओं को शुरू किया गया :–

ओरियन्टल टॉप अप आवास ऋण योजना :– जब एक ग्राहक आवास ऋण लेता है तो उसकी पात्रता की गणना उसकी पुनर्भुगतान क्षमता, ईएमआई के लिए उपलब्ध निधियों के आधार पर की जाती है।तथापि कुछ समय बाद जब वह ऋण के कुछ भाग का भुगतान कर चुका होता है और उसकी आय में भी वृद्धि हो जाती है,तो वह अपनी आवष्यकताओं हेतु राशि जुटाने की स्थिति में होता है।ऋण लेनेवालों की बढ़ी पात्रता की इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए, हमने ओरियंटल टॉप–अप आवास ऋण योजना तैयार की है।

शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना :– यह ₹7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना लागू है।

कौशल विकास ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना :– यह ₹1.50 लाख तक के कौशल विकास ऋण के लिए किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना लागू है।

3. तृतीय पक्ष उत्पाद

3.1. जीवन बीमा कारोबार (संयुक्त उद्यम)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक ने रिटेल/वैयक्तिक प्लेटफार्म पर ₹139.79 करोड़ के प्रथम प्रीमियम संग्रह के साथ 25000 पॉलिसियां बेचीं और ₹16.43 करोड़ का कमीशन अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने आवास एवं शिक्षा ऋण हेतु सुरक्षित समूह योजना (जी.एस.एस) के अंतर्गत 1848 पॉलिसियां भी की, जिससे ₹ 6.67 करोड़ का प्रीमियम संग्रह हुआ।

3.2. सामान्य बीमा कारोबार

बैंक सामान्य बीमा कारोबार हेतु 02 फरवरी 2017 को चोलामण्डलम एमएस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस) के साथ एक नया कॉरपोरेट एजेंसी टाई अप किया है। सामान्य बीमा कारोबार हेतु यह टाई अप ओरियंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मौजूदा टाई अप के अतिरिक्त है।बैंक ने सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत ₹43.61 करोड़ का प्रीमियम जुटाते हुए ₹4.54 करोड़ रूपये का कमीशन अर्जित किया।

3.3. ओरियंटल बैंक मेडिक्लेम पॉलिसी

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक ने 54960 पालिसियां बेची एवं ₹26.56 करोड़ का प्रीमियम एकत्रित किया जिससे ₹4.03 करोड़ का शुद्ध कमीशन अर्जित किया है।

3.4. म्युचुअल फंड कारोबार

हमारा बैंक म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरक है और हमने 7 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक

schemes are live in OLS. Now, Loan appraisal, processing, document printing, account opening, SMS generation, post sanction follow up, BCC Compliance is happening in OLS

- **Tie up with TATA Housing at Pan-India level-** Bank has entered into an MOU with Tata Housing on 04.11.2016. As per the agreement, our Bank will be the preferred Banker for sourcing Home Loan of Tata projects.
- **Tie up with BankBazaar.com-** Bank has entered into an agreement with BankBazaar.com (online market portal for various retail loans) on 29.07.2016 for generation of lead under Home, Vehicle and Personal Loans.

Further, following new retail schemes have been launched during FY 2016-17:-

Oriental Top up Home Loan Scheme: When a customer takes a home loan, his eligibility is calculated based upon the repayment capacity, available of funds for EMI However, over a period of time when he has repaid some part of the loan and his income also increases, he is in a position to raise funds for his requirements. In order to cash this opportunity of enhanced eligibility of the borrower, we have formulated Oriental Top-Up Home Loan Scheme.

Credit Guarantee Scheme for Education loan: It is applicable for education loan upto ₹ 7.50 Lacs without any collateral security and third party guarantee.

Credit Guarantee Scheme for Skill Development Loan: It is applicable for Skill Development Loan upto ₹ 1.50 Lacs without any collateral security and third party guarantee.

3. THIRD PARTY PRODUCTS

3.1. Life Insurance Business (JV)

During FY 2016-17, the Bank has sold 25000 policies on retail/ Individual platform with First Premium Collection of ₹139.79 Crores and has earned commission of ₹16.43 Crores. Besides, the Bank has also sourced 1848 policies under Group Secure Scheme (GSS) for Housing & Education Loan thereby collecting a premium of ₹6.67 crores.

3.2. General Insurance Business

Bank has entered into a new corporate agency tie up with Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CholaMS) for General insurance business on 2nd February 2017. This tie up is in addition to Bank's existing corporate tie up with The Oriental Insurance Company Ltd for General Insurance Business. In General Insurance Business, the Bank has collected a premium of ₹43.61 Crores, thereby earning a commission of ₹4.54 Crores.

3.3. Oriental Bank Mediclaim Policy

During the FY 2016-17, the Bank has marketed 54960 mediclaim policies and collected a premium of ₹26.56 Crores thereby earning a commission of ₹4.03 Crores.

3.4. Mutual Fund Business

Our Bank is a distributor for Mutual Fund products and has Tie Up with 7 Asset Management Companies. During the Financial year

ने म्युचुअल फंड के कारोबार से ₹33.69 लाख की कमीशन अर्जित की है।

3.5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स–एसबीआई क्रेडिट कार्ड

हमारे बैंक ने को–ब्रैडिड क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग हेतु 22.10.2011 से एसबीआई काड्र्स के साथ समझौता ज्ञापन किया।वित्तीय वर्ष 2016–17 में, 13106 कार्ड जारी कर चुके हैं जिससे ₹108.09 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

3.6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मई 2015 में प्रारंभ की गई इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ने 38,80,779 लोगों का नामांकन किया है जिनमें से पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई में क्रमशः 622,762 एवं 32,58,017 लोगों का नामांकन किया गया है।

4. सरकारी कारोबार

- **कर संग्रहणः** बैंक ओल्टास सिस्टम के माध्यम से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद कर और सेवा कर) के संग्रहण के लिए प्राधिकृत है। बैंक तमिलनाडु, सीमांध्रा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र ओडीशा, मुंबई,गुजरात एवं उत्तराखंड राज्य में वाणिज्यिक कर (सरकारी राजस्व/ सरकारी करों के ई–भुगतान) के लिए भी प्राधिकृत है ।
- **केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशनः** बैंक का अपना केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्र है जो केन्द्र सरकार, दूरसंचार, रेलवे, डाक तथा रक्षा पेंशनभोगियों को जीबीएम सिस्टम में पेंशन मोड्यूल के माध्यम से पेंशन संबंधी संवितरण करता है । बैंक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में रह रहे अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित करने के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में संबंधित शाखाओं के माध्यम से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का वितरण भी कर रहा है ।
- **लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) ,वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)और ई–किसान विकास पत्र (केवीपी)**: बैंक 300 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से पीपीफ,एससीएसएस, एसएसए तथा केवीपी कारोबार कर रहा है ।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा एनपीएस लाइट/एपीवाइः**. बैंक राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पीएफआरडीए में भी पंजीकृत है ।
- **ई–स्टैम्पिगः** गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली तथा राजस्थान राज्यों में स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के समन्वय से बैंक की नामित शाखाओं के माध्यम से ई–स्टैम्पिंग सेवाएं प्रदान की गई हैं ।

5. राजकोषीय परिचालन

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बैंक के गौण बाजार का टर्न ओवर ₹3,09,900 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान राजकोषीय परिचालन से निवल लाभ ₹1407 करोड़ रहा। बैंक ने ₹14761 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफ़एस उसी लागत पर शिफ्ट किया। ₹4.25 करोड़ का मूल्यह्रास बुक करते हुए ₹ 1388 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एएफ़एस से एचटीएम में शिफ्ट किया। ₹1.79 करोड़ का मूल्यह्रास बुक करते

2016-17, the Bank has earned a commission of ₹33.69 Lacs from Mutual Fund Business.

3.5. Oriental Bank of Commerce-SBI Credit Cards

Our Bank has an arrangement with SBI Cards for marketing of Co-Branded credit cards since 22.10.2011. In FY 2016-17, 13106 credit cards have been issued and the bank has earned a commission of ₹108.09 Lacs through this business.

3.6. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY)

Under these Social Security Schemes launched by the Hon'ble Prime Minister in May 2015, our bank has enrolled a total of 38,80,779 persons in which 622,762 & 32,58,017 enrolments have been done under PMJJBY & PMSBY respectively.

4. GOVERNMENT BUSINESS

- **Collection of Taxes:** The Bank is authorized for collection of Direct taxes and Indirect taxes (Excise Duty & Service Tax) through OLTAS system. Bank is also authorized for collection of Commercial Taxes (Govt. Revenue/ e-payment of Govt. Taxes) in the state of Tamil Nadu, Seemandhra, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Maharashtra, Odisha, Mumbai, Gujarat and Uttarakhand.
- **Pension to Central Govt. / State Govt. Pensioners:** The Bank has its own Centralized Pension Processing Centre which handles pension related disbursements for Central Civil, Telecom, Railways, Postal and Defence Pensioners through Pension Module in the GBM system. The Bank is disbursing the pension to State Govt. Pensioners through respective branches in the States of Haryana, Punjab, Rajasthan, Chattisgarh and West Bengal besides disbursing pension to other State Govt. pensioners residing in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Further, the Bank is disbursing pension to Freedom Fighters under Swatantra Sainik Samman Pension Scheme.
- **Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samriddhi Account (SSA) and E-Kisan Vikas Patra (KVP):** The Bank is doing PPF, SCSS, SSA and KVP business through 300 authorized Branches.
- **National Pension Scheme & NPS-Lite/APY:** The Bank is also registered with PFRDA for National Pension Scheme and Atal Pension Yojana.
- **E-Stamping:** E-Stamping services have been provided in States of Gujarat, Karnataka, Delhi and Rajasthan through designated branches in the Bank in coordination with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL).

5. TREASURY OPERATIONS

The Bank's secondary market turnover has been ₹3,09,900 crore in FY 2016-17. The net profit from Treasury Operations has been ₹1407 crore during FY 2016-17. The bank shifted SLR securities amounting to ₹14,761 crore from HTM to AFS at cost. The bank also shifted SLR securities amounting to ₹1,388 crore

हुए ₹31.18 करोड़ की गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफ़एस श्रेणी में शिफ्ट किया। बैंक का कुल निवेश 31.03.2016 को ₹66381 करोड़ से घटकर 31.03.2017 को ₹59481 करोड़ हो गया। यह कमी वर्ष के दौरान अनुकूल बाजार परिस्थितियों को भुनाने के लिए 31 मार्च, 2016 के मुकाबले 31 मार्च 2017 को एसएलआर प्रतिभूतियों के तहत उधार लेने के कारण और लाभ कमाने हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री से हुई है।

6. विदेशी विनिमय कारोबार

राजकोषीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक का फॉरेक्स टर्नओवर ₹61,939 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विदेशी कारोबार से कुल आय ₹394 करोड़ रही । बैंक की 87 विशेषीकृत शाखाएँ विदेशी मुद्रा कारोबार कर रही हैं। 31.03.2017 को बैंक का निर्यात ऋण ₹3498 करोड़ रहा। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के ₹4992 करोड़ की तुलना में बैंक ने 31.03.2017 को ₹5178 करोड़ की अनिवासी जमाराशियां जुटाई और इस प्रकार गत वर्ष के मुक़ाबले 3.73% की वृद्धि दर्ज की। दुबई प्रतिनिधि कार्यालय बैंक के अनिवासी ग्राहक आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से यू.ए.ई. में भारतीय प्रवासियों के अनिवासी खाते जुटाने में उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर रहा है। कुशल एवं त्वरित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने मुंबई, कोलकाता,चेन्नई और हैदराबाद चार और केन्द्रीकृत लेनदेन केन्द्र (सीटीसी) की स्थापना की है (पहले नई दिल्ली में खोले गए के अतिरिक्त)

7. वसूली

बैंक की सुपरिभाषित वसूली नीति है, जिसमें एनपीए प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसमें एनपीए प्रबंधन, निगरानी तथा अनुवर्ती उपाय, समझौता करार, सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने, डीआरटी एवं अन्य अदालतों के समक्ष वाद दायर करने, लोक अदालत आयोजित करने, वसूली/प्रवर्तन एजेंटो की नियुक्ति, एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ताओं की घोशणा करने से संबंधित सभी क्षेत्र सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु वसूली कार्यनिष्पादन तथा एनपीए की स्थिति नीचे दी गई है:–

- नकद वसूली ₹1148.65 करोड़ से बढ़कर ₹1348.28 करोड़ हो गई है, तकनीकी रुप से बट्टे खाते में डाले गये खातों में वसूली भी ₹233.58 करोड़ से बढकर ₹291.01 करोड़ हो गई और अपग्रेडेशन ₹519.62 करोड़ से घटकर ₹408.21 करोड़ हो गए हैं।
- रिकॉर्डिड ब्याज में वसूली ₹60.08 करोड़ से घटकर ₹44.03 करोड हो गई।
- सकल एनपीए ₹14701.78 करोड़ से बढ़कर ₹22859.27 करोड़ हो गया।
- निवल एनपीए ₹9932.15 करोड़ से बढ़कर ₹14117.83 करोड़ हो गया।
- बैंक का पीसीआर 51.16% से बढ़कर 53.61% हो गया है।

from AFS to HTM by booking depreciation of ₹4.25 crore. Non SLR securities amounting to ₹31.18 crore were shifted from HTM to AFS category by booking depreciation of ₹1.79 crore. The aggregate investment of the Bank has decreased to ₹59,481 crore as on 31.03.2017 from ₹66,381 crore as on 31.03.2016. The decrease is due to increased borrowing against SLR securities as on 31st March 2017 as against 31st March 2016 and sale of securities during FY 2016-17 to book profit, in order to capitalize on favourable market conditions during the year.

6. FOREIGN EXCHANGE BUSINESS

During the fiscal year 2016-17, Bank achieved Forex turnover of ₹61,939 crore. The total earning from Foreign Exchange business for the financial year 2016-17 was ₹394 crore. Bank has 87 Specialized Branches to conduct Foreign Exchange Business. The Export Credit of the Bank stood at ₹3498 crore as on 31.03.2017. The Bank's Non Resident deposits stood at ₹5178 crore as on 31.03.2017 as against ₹4992 crore as on 31.03.2016, thereby registering a growth of 3.73% over the preceding financial year. The Dubai Representative Office is acting as a catalyst to canvass Non-resident accounts of Indian Expatriates in UAE to expand the Non- resident customer base of the Bank. To provide efficient and speedy Customer Service, Bank has opened four more Centralized Transaction Centres (CTC) Mumbai, Kolkata, Chennai & Hyderabad (besides New Delhi opened earlier).

7. RECOVERY

The Bank has well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA management, monitoring and follow-up measures, Compromise settlements, taking action under SARFAESI Act, filing of recovery suit with DRTs and other courts of law, organizing Lok Adalats, appointment of Recovery/Enforcement agents, sale of assets to ARCs, declaring Willful Defaulters.

The position of recovery performance and NPA for the F.Y.2016-17 in comparison with F.Y. 2015-16 is given as under:-

- Cash Recovery has increased from ₹1,148.65 crore to ₹1,348.28 crore, Recovery in T.W.O. accounts has also increased from ₹233.58 crore to ₹291.01 crore and Up-gradation has decreased from ₹ 519.62 crore to ₹408.21 crore
- Recovery in Recorded Interest has decreased from ₹60.08 crore to ₹44.03 crore.
- Gross NPA has gone up from ₹14,701.78 crore to ₹22,859.27crore.
- Net NPA has gone up from ₹9,932.15 crore to ₹14,117.83 crore.
- PCR of the Bank has gone up from 51.16% to 53.61%.

- सकल एनपीए अनुपात 9.57% से बढ़कर 13.73% हो गया तथा निवल एनपीए अनुपात 6.70% से बढ़कर 8.96% हो गया।

8. मर्चेंट बैंकिंग

बैंक पंजीकृत श्रेणी–I का मर्चेंट बैंकर और एक स्थाई पंजीकृत प्रमाणपत्र धारक है। बैंक, बैंकर टू इश्यू के रूप में भी स्थाई रुप से पंजीकृत है। स्व–पंजीकृत सिंडिकेट बैंक (एस.सी.एस.बी.) के रूप में कार्य करते हुए बैंक ने अपने ग्राहकों को ए.एस.बी.ए.(ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन) सुविधाएँ प्रदान की हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान 98 आईपीओ / डेब्ट / अधिकार निर्गम का काम किया है।

9. जोखिम प्रबंधन

बैंक की अपेक्षित जोखिम प्रबंधन संरचना तथा प्रणाली है, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय आदि से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, समय–समय पर नियमित पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाता है। बैंक में जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। इसमें मण्डल की सहायता बोर्ड की उप समिति द्वारा की जाती है, जैसे कि जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षण समिति (एस. सीडीआरएम) जिसकी बैठकें तिमाही अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं। बैंक के पास एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है, जिसके प्रमुख मुख्य जो. खिम अधिकारी (सीआरओ) है। बैंक में जोखिम प्रबंधन के अनुप्रयोग, नेतृत्व, दिशा और समन्वय के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उत्तरदायी है और सिद्धांतों और जोखिमों के प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरे बैंक में लगातार अपनाने को सुनिश्चित करना है ।

कार्यपालक स्तर पर, पृथक समितियां जैसे; ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम समिति तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपरक विभागों के कार्यपालकगण शामिल हैं, संबंधित जोखिम क्षेत्रों का प्रबंधन करती हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी स्तरीय समिति है।सभी नीतियों की समीक्षा, अनुपालनों की मान्यता, पोर्टफोलियो समीक्षा तथा बैंक के जोखिम नवोन्मेषों को लागू करने के लिए ये समितियां निर्धारित अवधि में बैठकें करती हैं।

बैंक में विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए बैंक के पास मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं, जिनमें ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा बाजार जोखिम नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, अनुपालन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, एकीकृत राजकोषीय नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति, तनाव परीक्षण नीति, ऋण जोखिम परिशमन तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रदत्त शक्तियों की दिशानिर्देश नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, वसूली नीति, कारोबार निरंतरता योजना तथा आपदा वसूली नीति, लेखा–परीक्षा नीति, केवाईसी एवं एएमएल नीति, ग्राहक सेवा नीति

- Gross NPA ratio has increased from 9.57% to 13.73% and Net NPA ratio has also increased from 6.70% to 8.96%.

8. MERCHANT BANKING

The Bank is a registered Category I Merchant Banker and holds permanent registration certificate. The Bank also holds permanent registration as Banker to an Issue. As a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) it has made available ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility to its customers. During the year, Bank handled 98 IPO/Debts/Rights issues.

9. RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place requisite Risk Management Architecture and Systems which are reviewed and updated regularly in the light of guidelines received from time to time from Reserve Bank of India, SEBI and Ministry of Finance etc. The Risk Management Function in the Bank is supervised and managed by the Board of Directors of the Bank. The Board is assisted in this through a Sub-Committee of the Board viz. Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) which meets at quarterly intervals. The Bank has an independent Risk Management Department which is headed by Chief Risk Officer (CRO). The Chief Risk Officer (CRO) is responsible for the leadership, direction and coordination of the application of risk management at the Bank and to ensure that the principles and requirements of managing risk are consistently adopted throughout the Bank.

At the Executive Level, separate committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Asset Liability Management Committee have been formed comprising of MD&CEO, ED and executives of functional departments looking after the respective business risk area. Operational Risk Management Committee is a executive level committee headed by the Executive Director. These committees meet periodically to monitor all policies, validate compliances, undertake portfolio review and implement risk initiatives of the Bank.

The Bank has Board approved policies in place for identifying, assessing, managing and mitigating various risks in the Bank which includes Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management Policy and Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Disclosure Policy, Compliance Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Integrated Treasury Policy, Country Risk Management Policy, Stress Testing Policy, Credit Risk Mitigations & Collateral Management Policy, Policy guidelines of Delegated Powers for loans &advances, Integrated Risk Management Policy, Recovery Policy, Business Continuity Plan & Disaster Recovery Policy,

इत्यादि सम्मिलित हैं। विभिन्न जोखिमों को कवर करने वाले निहित जोखिम के विस्तृत आकलन को शामिल करते हुये एक जोखिम डैशबोर्ड और नियंत्रण मापदंडों को मण्डल के समक्ष एक जोखिम प्रोफाइलिंग टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

बासेल–III का कार्यान्वयन

पिलर I :

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बासेल– III पूंजी विनियमन के अनुसार बासेल–III अनुपालक है। बासेल–III के अंतर्गत पिलर–1 प्रतिमानों के अनुसार बैंक ने ऋण, बाजार व परिचालन जोखिम के लिए 31.03.2017 की पूंजीगत आवश्यकताओं का परिकलन किया है। 31.03.2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 10.25% तथा टियर–। अनुपात 8.25% की न्यूनतम नियामक अपेक्षा के मुकाबले को क्रमशः 11.64% एवं 8.88% रहा।

पिलर II :

पिलर–2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के एक भाग के रूप में बैंक के पास मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है। यह नीति पिलर–1 के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने में बैंक की सहायता करती है। तदनुसार, आन्तरिक पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के अन्तर्गत पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया की वार्षिक समीक्षा की जाती है, ताकि बैंक की कारोबार आयोजना, पूंजी तथा जोखिम के साथ कार्यनिष्पादन का एकीकरण किया जा सकें।

पिलर III:

बासेल –III के पिलर–3 प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

आस्ति देयता प्रबंधन (एलएलएम) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा सभी प्रकार के बाजार जोखिमों, जैसे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी जोखिम तथा विदेशी विनिमय जोखिम का समाधान बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट नीतियों द्वारा किया जाता है, जैसे आस्ति देयता प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा एकीकृत राजकोषीय नीति ।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) एवं बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) का गठन किया है। अल्को को तरलता जोखिम प्रबंधन, निधिगत एवं पूंजीगत योजना, वृद्धि पूर्वानुमान के सक्रिय पर्यवेक्षण, जबकि एमआरएमसी को बाजार जोखिम प्रबंधन, ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन, बैंक के निवेश पोर्टफोलिओ की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) का गठन किया है जो आवधिक अंतरालों पर ऋण प्रशासन संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं पद्धितयों की समीक्षा एवं निगरानी करती है । बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों द्वारा परिचालित है जैसे कि ऋण नीति, ऋण जोखिम

Audit Policies, KYC & AML Policy, Customer Service Policy etc. A Risk dashboard incorporating the detailed assessment of various risk covering inherent risk and control parameters is presented to the Board in the form of a Risk Profiling Template.

Implementation of Basel III

Pillar I:

The Bank is Basel III compliant in terms of the Basel III-capital regulations issued by RBI. In terms of the Pillar-1 norms under Basel III, Bank has computed its capital requirements for Credit, Market and Operational risk as on 31.03.17. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank stood at 11.64% and Total Tier I ratio at 8.88% as on 31.03.17 as against minimum regulatory requirement of 10.25% and 8.25% respectively.

Pillar II:

The Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) as a part of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) under Pillar-2. The Policy enables the Bank to identify and assess other risks which are not covered under Pillar-1. Accordingly, the Capital Assessment process under Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) is reviewed annually so as to integrate the Bank's Business Planning, Business performance with Capital & Risk.

Pillar III:

The disclosures required in terms of Pillar-3 norms of Basel III form part of the annual report of the Bank and are made available on Bank's website.

Asset Liability Management (ALM) and Market Risk Management

All forms of market risks, viz. Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Equity Risk and Foreign Exchange Risk are addressed by the Bank through a well-defined set of policies viz. Asset Liability Management, Market Risk Management Policy, Liquidity Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy are approved by Bank's Board.

The Bank has constituted the Asset Liability Management Committee (ALCO) & Market Risk Management Committee (MRMC) in terms of RBI guidelines. The ALCO is entrusted with active supervision of Liquidity Risk Management, Funding and Capital Planning, Profit Planning and Growth Projection, where as the MRMC is entrusted with Market Risk Management, Trading Risk Management, monitoring of Investment portfolio of the Bank.

Credit Risk Management

The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the Policies, Procedures and Systems relating to Credit Administration and Monitoring at periodic

प्रबंधन नीति, ऋण समीक्षा तंत्र नीति, ऋण निगरानी नीति, ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रदत्त शक्तियों के नीति दिशानिर्देश, वसूली नीति इत्यादि। ऋण जोखिम प्रबंधन विभिन्न स्तरों पर जोखिम को नियंत्रित करता है, जैसे ऋण प्रारंभिकरण, ऋण अनुमोदन, ऋण संवितरण तथा ऋण संवितरण के पश्चात।

ऋण विनिर्देश की निगरानी तथा समीक्षा, एकल एवं समूह ऋणी जोखिम के लिए ऋण जोखिम सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों का जोखिम (अचल संपत्ति तथा पूंजी बाजार सहित) ऋण देने पर दबाव, प्रतिबंधित तथा सीमित क्षेत्रों का निर्धारण करके, औद्योगिक जोखिम की सीमा, संभावित जोखिम तथा अंतर बैंक जोखिम के निर्धारण द्वारा ऋण जोखिम कम किया जाता है।बैंक ने ऋण के क्षेत्र पर बैंक के रुख की पहचान और वर्गीकरण के लिए एक नई पद्धति को अपनाया है,जैसे– ऋण, प्रतिबंधित और ऋण के सामान्य क्षेत्र। यह प्रणाली बैंक को तनावग्रस्त उद्योग/क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करता है और अनवरत आधार पर निर्देशात्मक तनाव या प्रतिकूल क्षेत्रीय विकास के आधार पर ऋण देने के बैंक के रुख की समीक्षा करता है।बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ही सीलिंग लिमिट को निर्धारित कर दिया है (जैसे कि एएए, एए,ए, बीबीबी) ताकि एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखा जा सके और ट्रिगर पॉइंट्स के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धिगत ऋणों की निगरानी की जा सके। ऋण सकेंद्रण की उद्योग वार, रेटिंग वार, क्षेत्र वार समीक्षा तिमाही आधार पर भी की जाती है।

ऋणियों के ऋण जोखिम का मूल्यांकन बड़े कॉरपोरेट, लघु कारोबार तथा सेवाएं, लघु एवं मध्यम उधमियों, बुनियादी संरचना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तथा रियल इस्टेट एवं रिटेल क्रेडिट जिसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, व्यैक्तिक ऋण, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के ऋण शामिल है, के लिए निर्धारित विभिन्न ऋण रेटिंग मॉडलों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ऋण समीक्षा तंत्र जो, ऋण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के कार्य की स्वतंत्र समीक्षा करता है तथा आवधिक आधार पर बैंक के बड़े ऋण एक्सपोजर को मॉनिटर करता है। प्रधान कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) का गठन किया गया है ताकि सार्वजनिक डोमेन से संभावित उधारकर्ताओं पर स्वतंत्र सूचनाएँ और संभावित बाजार की जानकारी एकत्र की जा सके।

परिचालनपरक जोखिम प्रबंधन

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी) है जो परिचालन जोखिम संबंधी मामलों,परिचालन जोखिम तकनीक के कार्यान्वयन और विकास के अनुमोदन एवं आकलन के तरीको के साथ साधनों की समीक्षा,और परिचालन जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें करती हैं। बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्ध नीति में बैंक में परिचालन जोखिम के मापन, निगरानी और नियंत्रण की संरचना व रुपरेखा दी गई है।

जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के सभी क्षेत्रों के साथ समन्वय करता है और सुसंगत सूचनाएं एकत्रित करता है ताकि संचलनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनका सारांश समेकित और इसे जोखिम प्रबंधन समिति व अन्य इच्छुक पार्टियों को संप्रेषित कर सके। संचलनात्मक दृष्टि से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है सिस्टम व प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए जैसे कि नियंत्रणकारी पद्धति आरंभ करके तथा इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करके इस प्रकार के जोखिमों को कम करने/रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाता है।

intervals. The Bank's Credit Risk Management process is articulated through various Board approved policies viz. Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Loan Review Mechanism Policy, Credit Monitoring Policy, Policy guidelines of Delegated Powers for loans & advances, Recovery Policy etc. The Credit Risk Management has risk controls at different stages viz. Loan Origination, Loan Approval, Loan Disbursement and Post Disbursement.

The Credit Risk Mitigation is undertaken by fixing, monitoring and reviewing of lending specifications, credit exposure limits in terms of Single & Group borrower exposure, fixing sub limits within single borrower exposure based on credit rating & constitution of the borrower, exposure to sensitive sectors (including real estate and capital market), laying down thrust and restricted areas of lending, ceiling for Industry exposure, Substantial exposure and Inter-Bank exposure. The Bank has adopted a new methodology for identification and categorization of Bank's stance on Area of lending i.e. Thrust, Restricted & General Area of Lending. This mechanism will enable the Bank in identification of Stressed industry / Sector and review Bank's stance of lending based on indicative stress or adverse sectoral developments, on a frequent basis. The Bank has prescribed ceiling limit at portfolio level (like AAA, AA, A, BBB) to maintain a healthy credit portfolio and monitor the growing exposure to various sectors by way of trigger points. Credit Concentration is also reviewed on quarterly basis industry wise, rating wise, region wise, etc.

The credit risk assessment of the borrowers is undertaken using different credit rating models for borrowers including Large Corporate, Emerging Corporate, Small Business & Services, Small & Medium Enterprises, Infrastructure, Greenfield project and Real Estate and for Retail Credit including Housing loan, Education Loan, Personal Loan and Agriculture & Allied activities. The Loan Review Mechanism, which functions independent of the Credit Department and Risk Management Department, reviews and monitors large credit exposures of the Bank on periodic basis. Risk Management Group (RMG) has been constituted at Head Office level under Risk Management Department to collect independent information and market intelligence on the potential borrowers from the public domain.

Operational Risk Management

The Bank has an Operational Risk Management Committee (ORMC) which meets on regular basis to review the operational risk profile, review and approval of the developmental and implementation of operational risk methodologies and tools including assessment approaches along with review of the existing as well as new products and processes. The Operational Risk Management Policy of the bank outlines the structure and framework for measuring, monitoring and controlling the operational risk of the bank.

The Risk Management Department Co-ordinates with all areas of the Bank and collects relevant information, builds a consolidated view of operational risk, assembles summary of the same and communicates to the Risk Management Committees and other interested parties. The operational risk prone areas are identified and suitable steps are initiated to mitigate/ prevent such risks by reviewing systems and procedures, introducing control elements and imparting training to the staff so as to guard against such incidents.

बैंक वर्तमान सिस्टम के उन्नयन हेतु एवं कार्यपद्धतियों में उच्च पहुँच बनाने की प्रक्रिया में है। इस विषय में, बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु जोखिम वहन रूपरेखा तथा जोखिम सहन सीमा, आरसीएसए रूपरेखा और केआरआई रूपरेखा तैयार की है। बैंक के कुछ उत्पादों हेतु आरसीएसए का प्रयोग किया है। बैंक के कुछ उत्पादों हेतु आरसीएसए का प्रयोग करना एक निरंतर प्रक्रिया है। बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंध सोल्युशन के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। बैंक आईबीए द्वारा गठित ऋण तथा परिचालन जोखिम हानि डाटा एक्सचेंज (सीओआरडीईएक्स) का सदस्य है जो अपने सदस्यों के बीच परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं को एकत्र और प्रसारित करता है।

10. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

बैंक ने चरणबद्ध तरीके से, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा लागू किया था। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को मार्च 2004 से शुरू कर 01.10.2006 को पूरी तरह से प्रभावी कर लिया गया था। इस संबंध में 22.12.2016 को एमओएफ, भारत सरकार के संशोधित दिशानिर्देशों और बैंक के विगत अनुभव को साथ रखते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति और लेखापरीक्षा प्रारूपों की अंतिम समीक्षा की गई थी। चक्र 2016–17 के लिए 2089 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) आयोजित की गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान सभी उपयुक्त 138 क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालय, 10 क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालय (नि एवं नि), प्रधान कार्यालय के 22 विभाग और 5 मानव संसाधन विकास संस्थानों और 1 स्टेशनरी गोदाम का जोखिम आधारित प्रबंधन ऑडिट किया गया है।

बैंक के विभिन्न स्थानों पर 10 क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालय (नि एवं नि) हैं, जो अपने क्षेत्राधिकार के सभी क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालयों, क्लस्टर कार्यालयों एवं शाखाओं के कार्यों की निगरानी करते हैं।

अनुपालन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु 01.04.2015 से एक उप–समिति आरएसीई (कार्यपालकों की प्रादेशिक लेखा समिति) अब सीएसीई (कार्यपालकों की क्लस्टर लेखा समिति) क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालय स्तर पर बनायी गई है। सीएसीई का मुख्य उद्देश्य निगरानी और लेखाबंदी फाइल बंद करने की गुणवत्ता के आधार पर समीक्षा करना है । सीएसीई निरीक्षण से संबंधित अन्य मुद्दों यथा समवर्ती लेखापरीक्षा/आईएस लेखापरीक्षा/विशेष फोकस/आरबीआई निरीक्षण/राजस्व लेखापरीक्षा/विशेष राजस्व लेखापरीक्षा इत्यादि की भी समीक्षा करेगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदशों के अनुरूप प्रतिष्ठित सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा शाखाओं की संगामी लेखापरीक्षा भी की जा रही है जिसमें 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बैंक की 56.14% जमाराशियों और 88.90% अग्रिमों और कुल कारोबार के 70.01% को कवर किया गया है। 31.03.2017 को कुल 619 शाखाओं, जिनमें विशेषीकृत शाखाएं, सेवा शाखाएं और प्रधान कार्यालय के कुछ चुने हुए विभाग शामिल हैं, की संगामी लेखा परीक्षा हुई।

The Bank is in the process of upgrading the existing system and practices to facilitate migration to higher approaches. In this regard, Bank has put in place the risk appetite framework for operational risk, risk tolerance limit for operational risk, RCSA framework and KRI framework. The Bank has carried out the RCSA exercise for few products. The RCSA exercise for different products of the Bank is a continuous process. The Bank has engaged consultant for implementation of Integrated Risk Management Solution. Bank is also a member of Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX) incorporated by IBA, which collects & disseminates the Operational Risk loss events among its members.

10. RISK BASED INTERNAL AUDIT & INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank had implemented Risk Based Internal Audit (RBIA) in a phased manner, starting from March 2004 and fully migrated to Risk Based Internal Audit w.e.f 01.10.2006. The Risk Based Internal Audit Policy and the audit formats were last reviewed on 22.12.2016 in sync with revised guidelines of MOF, Govt. of India and experience gained by the Bank in due course. Risk Based Internal Audit (RBIA) of 2089 branches was conducted for the cycle 2016-17. Besides, Risk Based Management Audit of all eligible 138 Cluster Monitoring Offices, 10 Cluster Monitoring Offices (I&C), 22 Head Office Departments and 5 Human Resource Development Institutions & 1 Stationary Godown has been conducted during the year 2016-17.

The Bank is having 10 Cluster Monitoring Offices (Inspection & Control) at different locations for internal audit and supervising the working of all Cluster Monitoring Offices, Cluster Offices & Branches under their jurisdiction.

In order to improve quality of compliance, w.e.f. 01.04.2015 a sub-committee RACE (Regional Audit Committee of Executives) now called CACE (Cluster Audit Committee of Executives) is formed at Cluster Monitoring Office level. The main objective of CACE is to review monitoring and closure of audit files with qualifications. CACE will also review other issues related to Inspection control viz., working of Concurrent Audit / IS Audit / Spl. Focus/RBI inspections/Revenue audit/Special Revenue audit etc.

In conformity with RBI directives, Concurrent Audit of the branches is also being conducted by CA Firms covering 56.14% of the Deposits and 88.90% of advances and 70.01% of total working as on 31.03.2016. A total number of 619 branches including Specialized Branches, Service Branches and certain Head Office Departments were under Concurrent Audit as on 31.03.2017.

11. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रतिमान एवं कालाधन शोधन निवारण (एएमएल) उपायः

विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विधि विनियमों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों व मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए और मुख्यतः अपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में बैंक का प्रयोग कालाधन शोधन कार्यों के लिए करने से रोकने के लिए, *"ओबीसी केवाईसी नीति"* बनाई गई है। इस नीति के चार प्रमुख तत्व हैं– 'ग्राहक स्वीकरण नीति', 'ग्राहक पहचान प्रक्रिया', 'लेनदेनों की मॉनिटरिंग' तथा 'जोखिम प्रबंधन'। इससे बैंक को ग्राहकों को व उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर ढंग से जानने – समझने में व जोखिम प्रबंधन अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करने में सहायता मिलती है। फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने हेतु विस्तृत मार्ग निर्देश एवं अनुवर्ती अनुदेशों की पुनरावृत्ति समय–समय पर की जाती है।

12. ग्राहक सेवा

विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर ग्राहक सेवा बैठकों का नियमित रुप से आयोजन होता है। ये बैठकें नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। ग्राहकों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए और बैंक की योजनाओं व सेवाओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव/व्यक्तिगत फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैंक ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्राहकों की शिकायतों के अविलंब निवारण के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण पद्धति उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों के खातों से संबन्धित जानकारी तथा अन्य शंकाओं के समाधान के लिए निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800–180–1235 पर एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है और अलग से एक एसएलबीसी हेल्पलाइन संख्या 1800–180–0124 भी परिचालित है।

वर्तमान पद्धति एवं प्रक्रिया की समीक्षा करना बैंक कार्यसंचालन का एक अभिन्न अंग है। बैंक की वेबसाइट पर ग्राहकों से जो शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त होते हैं बैंक द्वारा उनको मॉनिटर किया जाता है। प्राप्त प्रश्नों पर अविलंब प्रतिक्रिया दी जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों को पेश आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान हो।

13. सतर्कता तंत्र

बैंक का सतर्कता तंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी की सर्वोप. रि देखरेख के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो कॉरपोरेट कार्यालय में एक पूरे विभाग तथा फील्ड (विभिन्न स्थानों पर) में कार्यरत 18 सतर्कता अधिकारियों के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संरक्षण एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक सतर्कता के सभी क्षेत्रों अर्थात् निवारक, खोजपूर्ण व दण्डात्मक सतर्कता में पर्याप्त सुधार लाने के उपाय कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं पद्धति का अनुपालन स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने अधिकारिक कार्य निपटाने के दौरान किया जा रहा है, ऑफ–साइट तथा

11. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) NORMS & ANTIMONEY LAUNDERING (AML) MEASURES

OBC "KYC" Policy has been formulated to comply with the various laws and regulations, national as well as international, Govt. of India and Reserve Bank of India directives / instructions & guidelines, primarily to prevent the bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities. The Policy comprises of four key elements viz. "Customer Acceptance Policy", "Customer Identification Procedures", "Monitoring of Transactions" and "Risk Management". This enables the bank to know / understand the customers and their financial dealings better and helps in managing risks prudently. The detailed guidelines and subsequent instructions are being reiterated from time to time for strict compliance by the field functionaries.

12. CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Committee Meetings are held regularly at different administrative levels. These meetings ensure proper implementation of guidelines issued by regulatory authorities. The customers are invited to attend these meetings and give their valuable suggestions / feedback on bank's services and schemes. The Bank is committed to extend excellent customer service for maximum satisfaction of customers.

Web-based Customer Grievance Redressal System is provided for prompt redressal of customers grievances. A dedicated Customer Care Centre on toll free Number 1800-180-1235 has been working for clarifying the customers' account related and other general queries. A separate SLBC Helpline Number 1800-180-0124 has also been operational.

The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning. The bank monitors the queries and suggestions received from the constituents on the website of the bank and gives prompt response to the queries received and ensures providing instant solutions to the problems faced by the customers of the bank.

13. VIGILANCE MACHINERY

The Vigilance set up of the Bank is under the overall supervision of the Chief Vigilance Officer and comprises full-fledged department at Corporate Office and 18 Vigilance Officers also posted in the field (at different locations) functioning directly under the control of the Chief Vigilance Officer. The Bank, under the aegis of and as per guidelines of Central Vigilance Commission, is taking measures for substantial improvement in all areas of vigilance i.e. preventive, detective and punitive. Various initiatives are

ऑन–साइट दोनों स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय सतर्क. ता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक के सभी कार्यालयों में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2016" मनाया गया, जिसमें ''सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने एवं भ्रष्टाचार निवारण में जन सहभागिता'' पर जोर दिया गया। सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क रखता है और बैंक के अंदर भी सतर्कता प्रशासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय बनाए हुए है।

14. डिजिटल बैंकिंग चैनल्स

एटीएम एवं डेबिट कार्ड्स :- मार्च, 2017 के अनुसार, बैंक में 2621 एटीएम जिनमें 2296 ऑनसाइट, 323 ऑफसाइट एवं 2 मोबाइल एटीएम हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड्स देश भर में 2 लाख से ज्यादा एटीएम पर और साथ ही साथ पीओएस और ई–कॉमर्स खरीद के लिए स्वीकार किये जाते हैं। 31.03.2017 तक, कुल कार्डबेस 10 लाख तक पहुंच गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1.1 लाख कार्ड जोड़े गए।

इंटरनेट बैंकिंग – वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार में 46.71% वृद्धि के साथ उपयोगकर्ता आधार मार्च, 2016 को 1.37 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2017 तक 2.01 मिलियन तक पहुंच गया।

बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा विभिन्न नई सुविधाएं शुरू की हैं, जैसे–

- मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण/अपंजीकरण /ब्लॉक/ अनब्लॉक/पिन बदलना।
- बाहरी लेनदेन के लिए आईएमपीएस पी2ए(व्यक्ति से आईएफएससी कोड का उपयोग करने वाले खाते)/पी2पी एमएमआईडी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति से व्यक्ति/ पी2यू (व्यक्ति से यूआईडी प्रयुक्त आधार) का आरंभ।
- गुजरात /उत्तरांचल के लिए वाणिज्यिक कर ई–पेमेंट
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने और पंजीकरण
- मोबाइल उपकरणों पर नेविगेशन की आसानी के लिए मोबाइल उत्तरदायी प्रयोगकर्ता इंटरफेस
- केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए ऑनलाइन जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान

मोबाइल बैंकिंग :– वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने मोबाइल बैंकिंग (ओबीसी एमपे) का नया संस्करण लॉन्च किया जो बेहतर इंटरफेस और विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं से युक्त है, जैसे–

- आईएमपीएस पी2ए, आईएमपीएस पी2यू, आईएमपीएस पी2पी के माध्यम से अंतर बैंक निधि अंतरण और आईएमपीएस पी 2 एम के माध्यम से मर्चेंट भुगतान।
- अंतर बैंक फंड ट्रांसफर (मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल से लाभार्थी खाते दोनों में)।
- एटीएम और शाखा लोकेटर।
- ऋण और सावधि जमा खाता देख पाना।
- रिचार्ज/विभिन्न व्यापारियों को बिल भुगतान।

being taken, both off-site and on-site, to ensure that the systems and procedures laid down by the Bank are adhered to by the staff members while discharging their official duties. As per the directions of Central Vigilance Commission, "Vigilance Awareness Week-2016" was observed at all the offices of the Bank with focus on "Public participation in promoting Integrity and eradicating Corruption". The Vigilance Department maintains liaison with Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation and also co-ordinates with various departments within the Bank to ensure efficacy of vigilance administration.

14. DIGITAL BANKING CHANNELS

ATMs & Debit Cards:- As on March 2017, Bank has 2621 ATMs, which include 2296 Onsite ATMs, 323 Offsite ATMs and 02 Mobile ATMs. The Debit cards issued by the Bank are accepted across 2 Lac+ ATMs as well as for POS and e-Commerce purchases in the country. As of 31.03.2017, the total Cardbase has reached 10 Million with 1.1 Million card addition during the FY2016-17.

Internet Banking:- During the financial year 2016-17, Internet Banking user base has increased from 1.37 Million as on March 2016 to 2.01 Million as on March 2017 witnessing 46.71% growth in the user base.

Bank has introduced various new facilities through internet banking viz.

- Registration/Deregistration/Blocking/Unblocking/Reset Pin of Mobile Banking.
- Introduction of IMPS P2A (Person to account using IFSC code)/P2P Person to Person using MMID)/P2U (Person to UID using Aadhaar) for outward transactions.
- Commercial tax E-payment for Gujarat/Uttaranchal
- Online PPF account opening and Registration for Atal Pension Yojana (APY)
- Mobile Responsive user interface for ease of navigation on mobile devices
- Online life insurance premium payment for "Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd."

Mobile Banking:- During the financial year 2016-17, Bank has launched new version of Mobile Banking (OBC Mpay) with improved interface and various features/ services viz.

- Interbank fund transfer through IMPS P2A, IMPS P2U, IMPS P2P and Merchant payment through IMPS P2M
- Intra bank fund transfer (both Mobile to Mobile and Mobile to beneficiary account).
- ATM and Branch Locator
- Account view for Loans and Term deposit
- Recharge/ Bill payment to various Merchants

— Goibibo.com के माध्यम से फ्लाइट, होटल,बस बुकिंग आदि।
— उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, ऋण, एफडी/आरडी खाते के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मार्च 2017 के अनुसार, मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार बढ़कर 2.94 लाख हो गया है।

एसएमएस बैंकिंग:– मार्च 2017 तक, वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1.6 मिलियन की वृद्धि के साथ 9 लाख ग्राहक एसएमएस अलर्ट सेवा के लिए पंजीकृत हुये हैं। ग्राहक बैलेंस जांच, मिनी स्टेटमेंट, चेक भुगतान पर रोक, एटीएम कार्ड हॉटलिस्टिंग और ई-मेल पंजीकरण के लिए पुल आधारित एसएमएस बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।

मिस्ड कॉल बैंकिंग:– मिस्ड कॉल बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा मिस्ड कॉल से अंतिम तीन लेनदेन का मिनी स्टेटमेंट और अंतिम तीन लेनदेन खातों की शेषराशि की जाँच की जा सकती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा निम्न नए उत्पादों और सेवाओं का शुभारंभ किया गया है: –

— **एटीएम द्वारा आईएमपीएस सुविधा** ग्राहकों को सभी दिन चौबीस घंटे तत्काल अंतर बैंक निधि अंतरण और लाभार्थी के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।
— **बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए)** द्वारा नकदी जमा सुविधा।
— एटीएम के माध्यम से **अंतर बैंक मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण** सुविधा।
— डाइनर्स एवं डिस्कवर वित्तीय सेवाएं नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए ओरियन्टल प्रीमियम (रुपे प्लेटिनम) कार्ड।
— व्यक्तियों और कॉर्पोरेटों के लिए 'रेडी किट' के रूप में ओरियंटल प्रीपेड कार्ड (रुपे ईएमवी चिप कार्ड)।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) :– डिजिटल लेनदेनों को और बढ़ावा देने के लिए बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन (यूपीआई) नामक नए उत्पाद का शुभारंभ किया है, जो 365*24*7 काम करता है। यूपीआई की प्रमुख विशेषताए/सेवाएं निम्नलिखित हैं।

— तत्काल पंजीकरण, यदि मोबाइल नंबर एसएमएस अलर्ट पाने हेतु पंजीकृत है
— भुगतान, भेजनेवाले (भुगतानकर्ता) एवं भुगतान पाने वाला (आदाता) दोनों द्वारा किया जा सकता है एवं एक सुरक्षित, सुगम एवं एकीकृत तरीके में किया जा सकता है जो एक अनूठी सुविधा है।
— ₹1 लाख तक तत्काल निधि अंतरण।
— निधि का अंतरण वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए), क्यूआर कोड, खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड व आधार संख्या द्वारा किया जा सकता है।

ओरियन्टल बटुआ :– ओरियन्टल बटुआ बैंक द्वारा प्रस्तुत एक सेमी क्लोज्ड बटुआ है जो बैंक के ग्राहक एवं गैर–ग्राहकों के लिए ओरियन्टल बटुआ प्रयोक्ताओं के बीच में वैल्यू एडेड सेवाओं जैसे बिल भुगतान/रिचार्ज आदि के भुगतान के लिए निर्बाध डिजिटल लेनदेन हेतु उपलब्ध है।

ओरियन्टल साथी मोबाइल एप्लिकेशन:– ओरिएंटल साथी मोबाइल एप्लिकेशन जो

– Flight, Hotel, Bus booking etc. through Goibibo.com
– User can apply for Credit cards, Cheque book, Loans, FD/RD account

As on March'2017, Mobile Banking user base have increased to 2.94 Lakhs.

SMS Banking:- As on March 2017, there are 9 Million customers, who are registered for SMS alert services with an addition of 1.6 Million numbers in the financial year 2016-17. The customers can use pull based SMS banking for balance enquiry, mini statement, cheque stop payment, ATM card hotlisting & Email registration.

Missed Call Banking:- Missed call banking facility to enquire balance of last three transacted accounts and Mini statement of last three transactions just by Missed call from Registered Mobile number.

Following new products and services have been launched by the Bank, during the current Financial Year:-

– **IMPS Facility through ATMs** allows customers to make instant Inter Bank fund transfer and credit to beneficiary"s account round the clock on all days.
– Cash Deposit Facility through Bunch **Note Acceptors (BNAs).**
– Inter-Bank Mobile Banking Registration facility through ATMs.
– Specially designed O**riental Premium Card**, a RuPay Platinum Card with International acceptance through Diners & Discover Financial services network.
– **Oriental Prepaid cards** (RuPay EMV Chip Cards) in form of 'Ready Kits' for individuals and Corporates.

Unified Payment Interface (UPI):- To further boost the digital transactions Bank has launched new product called Unified Payment Interface Application (UPI), which works 365*24*7. Key Features/Services Offered by UPI are listed below.

– Instant registration if mobile number is registered for SMS alert.
– The payments can be both sender (payer) and receiver (payee) initiated and is carried out in a secure, convenient and integrated fashion which is a unique feature.
– Instant Fund transfer Up to ₹1 Lakh
– Fund can be transferred through virtual payment address (VPA), QR Code, account number and IFSC code and Aadhaar Number.

Oriental Batuaa:- Oriental Batuaa is a semi closed wallet offering of the Bank which is available to customer as well as non customer for seamless digital transaction for payments among Oriental Batuaa users along with value added services like bill payments /recharge etc.

Oriental Saathi Mobile Application:- Oriental Saathi Mobile

एटीएम व शाखा लोकेटर के साथ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे ईएमआई कैलकुलेटर, जमा व रिटेल ऋणों पर ब्याज दर, शिकायतें व सुझाव के साथ एसएमएस और मिस्ड कॉल बैंकिंग, क्विक लिंक जो मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए निर्दिष्ट नंबरों पर कॉल करता है और एसएमएस बैंकिंग के लिए अनिवार्य एसएमएस सिंटैक्स खोलता है, का शुभारंभ किया।

15. सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) एवं वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक के पास आधुनिकतम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तथा इसकी 2376 शाखाओं के नेटवर्क के जरिए 100% कार्य सीबीएस पर होता है और विभिन्न आईटी प्रोडक्ट व सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इन उत्पादों और सेवाओं को शाखाओं, एटीएम, नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दिया जाता है। एमआईएस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया गया है जिससे कई सांविधिक एवं सांख्य. कीय विवरणियां सृजित की जा सकती हैं।

आपदा उद्धार सेट–अप (डीआरएस)

बैंक ने नवी मुम्बई में प्राइमरी डाटा केन्द्र (पीडीसी) के ज़रिए नियर लाइन साइट (एनएलएस) और ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में डिज़ास्टर रिकवरी साइट के जरिए त्रिआयामी डीआर ढांचा स्थापित किया है ताकि सीबीएस के लिए शून्य डाटा हानि सुनिश्चित की जा सके। प्राइमरी डाटा सेन्टर से डाटा की नियर लाइन साइट में अनुकृति निरंतर साथ–साथ होती रहती है और नियर लाइन साइट से डीआरएस में प्रतिलिप्यकरण होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्राइमरी डाटा सेन्टर पर बड़ी खराबी होने की स्थिति में सीबीएस का संपूर्ण डाटा यथासंभव कम से कम समय में डीआरएस में उपलब्ध कराया जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति

बैंक की सभी शाखाएं आईडीआरबीटी द्वारा नियंत्रित एसएफएमएस के सुरक्षित चैनल का प्रयोग करते हुए आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए अंतर–बैंक प्रेषण की सुविधा दे रही हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को अंतर–बैंक प्रेषण के लिए आरटीजीएस तथा एनईएफटी की ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं , कॉरपोरेट एवं सरकार के लिए राष्ट्रीय ओटोमेटेड समाधान गृह (एनएसीएच) को क्रियान्वित किया है ताकि अंतर बैंक सुविधा , हाई वेल्यूम, बारंबार एवं आवधिक स्वरूप के इलेक्ट्रॉनिक लेन–देनों के लिए वेब आधारित समाधान दिया जा सके। बैंक ने प्रायोजक एवं लक्ष्य बैंक के रूप में एनएसीएच (क्रेडिट) तथा एनएसीएच (डेबिट) एवं रूटीन परिचालन में भाग लेने की दृष्टि से इसे क्रियान्वित किया है। बैंक ने तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सुविधा

application has been launched as ATM and Branch locator offering additional facilities such as EMI calculator, Interest rates for Deposits and Retail loans, complaints and suggestions along with SMS and Missed call banking quick link which triggers calls to designated numbers for Missed call Banking and opens mandatory SMS syntax for SMS Banking.

15. INFORMATION TECHNOLOGY

Core Banking Solution (CBS) and Wide Area Network

The Bank has put in place state of the art IT Infrastructure with 100% working on CBS through Network of 2376 branches offering an array of various IT products and services. These products and services are offered through Branches, ATMs, Net-Banking and Mobile Banking Channels. The MIS software has been customized to generate large number of Statutory and Statistical Returns thereby ensuring generation of correct information.

Disaster Recovery Setup (DRS)

Bank has implemented-3-way DR architecture through Primary Data Centre (PDC), Near Line Site (NLS) at Navi Mumbai and Disaster Recovery Site at Greater Kailash, New Delhi for Zero Data Loss for CBS. The data is synchronously replicated from PDC to NLS and is asynchronously replicated from NLS to DRS. This ensures that in case of any major problem at PDC, complete data of CBS can be made available at DRS within the shortest possible time.

Electronic Payment System

All the branches of the Bank offer inter-Bank remittances through RTGS and NEFT using secured channel of SFMS managed by IDRBT. Internet Banking subscribers of the Bank are encouraged to use online facility of RTGS and NEFT for inter-bank remittances.

National Payments Corporation of India (NPCI) has implemented “National Automated Clearing House (NACH)” for Banks, Financial Institutions, Corporate and Government, a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions which are repetitive and periodic in nature. Bank has implemented NACH (Credit) and NACH (Debit) as Sponsor and Destination Bank and participating in routine operations. Bank has also launched Immediate Payment System (IMPS) facility, a product facilitated by NPCI, through branches, Net-Banking and Mobile Banking.

भी लॉन्च की है, जो शाखाओं, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनपीसीआई द्वारा सहायता प्राप्त एक सेवा है।

नई पीढ़ी और उन्नत मोबाइल बैंकिंग ऐप की शुरूआत बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए दोनों प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफार्मों ऐप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर की है। डिजिटल बैंकिंग की क्षमता की कल्पना करने, अपनी क्षमता का उपयोग करने और कम नकदी अर्थव्यवस्था के लिए योगदान करने हेतु बैंक ने एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) को अपने मोबाइल ऐप ओरिएंटल यूनिफाइड पे के माध्यम से उपलब्ध कराया है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी सरकारी योजनाओं के अंशदान की सुबिधा बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं।

कॉरपोरेट वेबसाइट

बैंक ने जागरूकता लाने के लिए बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर अलर्ट के साथ विभिन्न आईटी प्रोडक्ट एवं सेवाओं के उपयोग का विवरण प्रदर्शित किया है।

सूचना सुरक्षा

बैंक भुगतान कार्ड उद्योग – डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई डीएसएस) V 3.2 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है। साथ ही, बैंक के डाटा सेंटरों को भी आईएसओ 27001:2013 से मान्यता प्राप्त है।

सीसीएमपी (साइबर संकट प्रबंधन योजना)

बैंक में साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) स्थापित है।

- साइबर सुरक्षा संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संरचित और व्यवस्थित तंत्र स्थापित करने और व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों को इंगित करने में सक्षम बनाने हेतु
- साइबर हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और साइबर घुसपैठ का तुरंत पता लगाने के लिए, ताकि संभावित नुकसान रोकने हेतु प्रतिक्रिया/पुनर्प्राप्ति की जा सके।

16. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक ने मौजूदा मानव संसाधनों को प्रशिक्षण चैनलों के माध्यम से उनके कौशल को सुदृढ़ करके अधिकतम उपयोग करने की रणनीति बनाई है। वर्ष के दौरान बैंक ने 95 विशेषज्ञ अधिकारी, 418 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 570 लिपिक एवं 26 अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की है। मार्च 2017 के अंत में बैंक की कुल स्टाफ संख्या 21552 थी जिसमें 12,173 अधिकारी, 6807 गैर–अधीनस्थ तथा 2572 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं। वित्त वर्ष 16–17 के दौरान, प्रशिक्षण कार्यदिवसों की संख्या बढ़कर 92,584

New generation and feature rich Mobile Banking App has been launched by the Bank on both the major mobile operating system platforms viz. Apple App Store and Android Play Store for its customers. Envisaging the potential of digital banking, harnessing its potential and contributing towards less cash economy, Bank is offering Unified Payment System (UPI) through its own Mobile App Oriental Unified Pay.

Government schemes like subscription to Public Provident Fund (PPF) and Atal Pension Yojana (APY) have been made available online through Bank's Net Banking.

Corporate Website

Bank has displayed the details on the usage of various IT products and services along with Alerts on the Bank's Corporate Website to create awareness.

Information Security

Bank is accredited with Payment Card Industry - Data security Standard (PCI DSS) v3.2 certification. Also, Bank's data centres are accredited with ISO 27001:2013.

CCMP(Cyber Crisis Management Plan)

The Bank has put in place Cyber Crisis Management Plan (CCMP) in order to:-

- Establish Structured and Orderly mechanism to effectively deal with Cyber Security crisis and be able to pin point responsibilities and accountabilities right down to individual level.
- Take effective measures to prevent Cyber-attacks and to promptly detect Cyber intrusions so as to respond / recover/contain the fall out.

16. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND TRAINING

In order to meet the challenges ahead, the Bank has planned strategies for optimum utilization of existing Human Resources by enhancing their skills through channels of Training. During the year, Bank recruited 95 Specialist Officers, 418 Probationary Officers, 570 Clerks and 26 Sub-staff. As at the end of March, 2017, the Bank has a total staff strength of 21552, comprising 12173 Officers, 6807 Non-Subordinates and 2572 Subordinates. During FY 16-17, Training Mandays increased to 92,584 as

हो गई, जो कि वित्त वर्ष 15–16 के दौरान 87,899 थी। आरक्षण, भर्ती तथा अनुसूचित जाति/जनजाति ओबीसी/पीडबल्यूई/ईएक्सएसएम की प्रोन्नति के संदर्भ में बैंक ने सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई रही हों, उनका निवारण सभी क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में सृजित अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षों के प्रभारी संपर्क अधिकारी/मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा किया जाता है। मार्च 2017 के अंत तक, कुल 6 मानव संसाधन विकास संस्थानों (एचआरडीआई) में से 3 ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

औद्योगिक संबंध

बैंक भागीदारी प्रबंधन के सिद्धान्त को जारी रखे हुए है। वर्कमैन यूनियन, ऑफिसर्स एसोशिएशन एवं प्रबंधन वर्ग संगठन के समग्र समृद्धि और विकास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बैंक की शिकायत निवारण पद्धति अति प्रभावी है। कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हों, उनको नियमित रूप से आयोजित होने वाली श्रमिक संबंध बैठकों में परस्पर व द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अविलंब दूर किया जाता है।

17. अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों को आधार मानते हुए बैंक ने अनुपालन नीति को लागू किया है। अनुपालन वर्टिकल की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी (महाप्रबंधक) द्वारा की जाती है जो कॉरपोरेट के साथ–साथ फील्ड स्तर पर समय समय पर सांवधिक/नियामक/आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है।

18. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

एसपीएआरसी (जोखिम एवं पूंजी का आकलन करने हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम) ऑफसाइट एवं ऑनसाइट जोखिम अन्वेषण प्रक्रिया (आरडीवाई) के संयोजन से निरंतर आधार पर पर्यवेक्षक द्वारा बनाई गई बैंक के जोखिम का एक विस्तृत गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन है

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के चार चक्र यथा 2012–13, 2013–14, 2014–15 व 2016–17 पूर्ण हो चुके हैं। जोखिम आकलन रिपोर्ट (आरएआर) अर्थात वार्षिक आधार पर आईएसई के अंतर्गत आरबीआई रिपोर्ट, प्रत्येक निरीक्षण (पर्यवेक्षण पूंजी निर्धारण, पर्यवेक्षी रेटिंग, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण एवं जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी) सहित) के बाद प्रस्तुत कर दी गई है। आरएमपी बैंक को अंत. र्निहित और जोखिम नियंत्रणों पर कुछ विशिष्ट टिप्पणियों सहित विभिन्न जोखिम समूहों के बीच पर्यवेक्षक द्वारा प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में अवगत कराता है। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षक जोखिम नियंत्रण/निहित जोखिम या/और न्यूनतम नियामक पूंजी से अधिक और अतिरिक्त पर्यवेक्षी पूंजी रखने

against 87,899 during FY 15-16. The Bank has complied with Government guidelines in respect of reservation, recruitment and promotion for SC/ST/OBC/PWD/EXSM besides extending concessions/relaxation as prescribed. The grievances of SC/ST/OBC employees, if any, were resolved through SC/ST Cell created at all CMOs and Corporate Office under the charge of Liaison Officers / Chief Liaison Officer. As at the end of March 2017, 3 out of total 6 Human Resource Development Institutes (HRDIs) have obtained ISO certification.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Bank continued to pursue the principle of Participative Management. The Workmen Union, Officers Association and the Management worked together for the all-round prosperity and growth of the organization. The Grievance Redressal Mechanism in the Bank is quite effective. The grievances of the employees, if any, are promptly resolved through mutual and bilateral discussions in the regularly held industrial relations meetings.

17. COMPLIANCE

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance vertical headed by the Chief Compliance Officer (General Manager) monitors the compliance of the statutory / regulatory / internal guidelines in force from time to time at corporate as well as field level.

18. RISK BASED SUPERVISION

SPARC (Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital) is a detailed qualitative and quantitative assessment of the bank's risks made by the Supervisor on an ongoing basis through combination of offsite and onsite Risk Discovery Process (RDY).

Four Cycles of RBS i.e. 2012-13, 2013-14, 2014-15 & 2015-16 have been completed. Risk Assessment Report (RAR) i.e. RBI report under ISE is provided on yearly basis after each inspection includes Supervisory Capital Prescription, Supervisory Rating, Supervisory Stance and Risk Mitigation plan (RMP). RMP appraises the Bank about the key risk areas by the Supervisor amongst various risk groups including some specific observations on inherent and control risks. Under this, the Supervisor would suggest measures aimed at Control Risk/ Inherent Risk or/and

की अनिवार्य धारिता के उपायों का सुझाव देगा। बैंक आरएआर और आरएमपी में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर आरबीआई की टिप्पणियों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाता है और आरबीआई को निरंतर आधार पर इसकी पुष्टि करता है।

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) – रणनीति और प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डीबीआर.बीपी.बीसी सं.76 / 21.07.001 / 2015–16 दिनांक 11 फरवरी 2016 द्वारा भारत में बैंकों में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप निर्धारित किया है। दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंकों को वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन की रणनीति एवं इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी देनी है। तदनुसार, बैंक ने इंड एएस के काया. न्वयन के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है ताकि इंड एएस की प्रगति का पर्यवेक्षण किया जा सके, परियोजना संचालन समिति (पीएससी) का गठन भी किया गया है जिसके अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक है और इसमें बैंक के विभिन्न पारस्परिक कार्यात्मक क्षेत्रों के महाप्रबंधक शामिल हैं। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को भी नियमित आधार पर इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया जाता है।

इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई परिपत्र डीपीआर.बीपी.बीसी सं.106 / 21.07.001 / 2015–16 दिनांक 23.06.2016 में निर्धारित किया गया है, बैंक ने 30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही के लिए अपेक्षित समयसीमा यथा 30 नवंबर, 2016 के अंदर आरबीआई को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण प्रोफार्मा भेज दिया है।

20. बैंक में हिन्दी का प्रयोग

आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों / निदेशों का पालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। बैंक द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2016–17 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस एवं कारगर कदम उठाए गए।

बैंक की गृह पत्रिका 'आधार' को रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के तहत वर्ष 2015–16 के लिए द्विभाषी गृह पत्रिकाओं में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। मानव संसाधन विकास संस्थान, नोएडा, भूतपूर्व प्रादेशिक कार्यालय पटियाला एवं चण्डीगढ़ और शाखा कार्यालय अकोला को तृतीय पुरस्कार एवं भूतपूर्व प्रादेशिक कार्यालय जयपुर एवं नई दिल्ली को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही, महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर राजभाषा समिति द्वारा बैंक को वर्ष 2015–16 के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

mandating holding of additional supervisory capital over and above the minimum regulatory capital. The Bank takes necessary steps for compliance of RBI observations as highlighted in RAR and RMP within the stipulated timelines and confirms the same to RBI on an ongoing basis.

19. IND AS - STRATEGY AND PROGRESS

The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) in the Banks in India. As per the guidelines, Banks need to disclose in the Annual Report, the strategy for Ind AS implementation, including the progress made in this regard. Accordingly, the bank has appointed a consultant for implementation of the Ind AS. To oversee the progress of Ind AS, the Project Steering Committee (PSC) has also been constituted which is headed by the Executive Director and comprises of General Managers from various cross functional areas of the Bank. The Audit Committee of the Board and the Board of Directors are also being apprised of the progress on regular basis.

Further, as stipulated in RBI circular DBR.BP.BC. No.106/21.07.001/2015-16 dated 23.06.2016, the Bank has submitted proforma Ind AS financial statements to the RBI for the half year ended 30th September 2016 within the requisite timeline i.e. on 30th November, 2016.

20. USE OF HINDI IN THE BANK

During the year under review, Bank continued its concerted efforts to accelerate use of Hindi in its working and to implement guidelines/directives received from Govt. of India, Parliamentary Committee on Official language and Reserve Bank of India. Concrete and effective steps were taken by the Bank to achieve the region wise targets set by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India in the Annual Programme - 2016-17.

Bank's House Magazine 'Aadhaar' was awarded Second Prize under Reserve Bank Rajbhasha Shield for FY 2015-16 in Bilingual House Magazines. Human Resource Development Institute, Noida, erstwhile Regional Office, Patiala & Chandigarh and Branch Office Akola received Third Prizes whereas erstwhile R.O. Jaipur & New Delhi received Consolation prizes. Apart, Bank is awarded consolation prize from Maharashtra State Level Bankers Official Language Committee for FY 2015-16.

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति:-

i. ग्राहकों को एटीएम लेनदेन पर्चियों को हिंदी में भी जनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।

ii. बैंक के खाताधारियों को हिंदी में एसएमएस अलर्ट भेजे गए।

iii. बैंक की वेबसाइट तथा ओबीसी पोर्टल अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी यूनिकोड में भी उपलब्ध है।

iv. बैंक की वेब साइट एवं ओबीसी पोर्टल पर "आज का शब्द" एवं "आज का विचार" का प्रारंभ किया गया।

हमारे अग्रणी बैंक, पलवल को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पलवल के संयोजन का दायित्व सौंपा गया है। सभी बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए "वैश्वीकरण एवं हिंदी का विकास" विषय पर एक अखिल भारतीय हिंदी सेमिनार का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास संस्थान, पंचकूला में संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण पर एक लोकेशनल कार्यशाला आयोजित की गई।

21. शाखा विस्तार

2016–17 के दौरान, बैंक ने 25 नई शाखाएं खोली। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, शाखाओं की कुल संख्या 2351 थीं जो 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अब 2376 हैं। शाखाओं का श्रेणी–वार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्गीकरण	31.03.2017
1.	ग्रामीण	558
2.	अर्ध– शहरी	619
3.	शहरी	607
4.	महानगरीय	592
	कुल	2376

22. अवसर एवं चुनौतियां

वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति तक, बैंक ने ₹385000 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है। बैंक की देशभर में 2376 शाखाएं और दुबई में विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय है। देश के ग्रामीण व अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में बैंक की व्यापक उपस्थिति बैंक को कृषि अग्रिमों एवं रिटेल ऋण पर ध्यान केन्द्रित करने का अवसर प्रदान करती है। कर्मचारी उत्पादकता की दृष्टि से यह बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी बैंकों में से एक है। डिजिटल बैंकिंग चौनलों की एक विस्तृत श्रृंखला, देश भर में उपस्थिति, तुलनात्मक रूप से युवा कार्यबल, बैंक को तकनीकी रूप से सक्षम उत्पादों का प्रयोग करके लाभ उठाने के लिए एक असीम संभावनाएं प्रदान करता है।

आर्थिक परिवेश में तेजी से हुए बदलाव से भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर असर

Progress made in use of Hindi in IT:-

i. Customers were provided facility to generate ATM transaction slip in Hindi also.

ii. SMS Alerts in Hindi were sent to Bank's account holders.

iii. Bank's Website & OBC Portal are available in Hindi Unicode besides English.

iv. Aaj ka Shabd' and 'Aaj ka Vichaar' facility has been started at Bank's Website and OBC Portal.

Our Lead Bank, Palwal has been bestowed with assignment of Convener of Town Official Language Implementation Committee, Palwal by Ministry of Home Affairs, Government of India. An All India Seminar was organized on "Globalisation & progress of Hindi" for all Banks, RBI & FIs. A Locational Workshop was organized at HRDI, Panchkula on Visits of Parliamentary Committee on Official Language

21. BRANCH EXPANSION:

During 2016-17, the Bank has opened 25 new branches. As on 31.03.2017, the total number of branches stood at 2376 as against 2351 as on 31.03.2016. The category-wise classification of branches is as under:

SN	Classification	31.03.2017
1.	Rural	558
2.	Semi-urban	619
3.	Urban	607
4.	Metropolitan	592
	Total	2376

22. OPPORTUNITIES & THREATS

At the close of the financial year 2016-17, the Bank has crossed business figure of ₹385000 crores. The Bank has pan-India presence with 2376 branches and its foreign representative office at Dubai. The wide-spread presence of the Bank's branches in rural & semi-urban areas of the country provides opportunity to the Bank for focusing on Agriculture advances and Retail credit. It is amongst the leading banks in the industry in terms of employee productivity. A wide range of digital banking channels, presence all over the country, comparatively younger workforce provides a great potential for Bank to exploit techno-savvy products to its advantage.

पड़ा है और अधिकांश बैंक आस्ति गुणवत्ता, ऋण सीमाओं का पूर्ण उपयोग न होना और मुनाफे पर असर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, उच्च प्रावधानीकरण और बासेल III मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता पूंजी की आवश्यकता के कारण, अतिरिक्त पूंजी जुटाना बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।

23. आगामी रणनीति

बैंक का स्वप्न एवं लक्ष्य वक्तव्य है –"एक ग्राहक–हितैषी अग्रणी बैंक बनना जो स्टेकहोल्डरों के मूल्यवर्धन के लिए वचनबद्ध है। गुणवत्ता सुलभ करते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नवीनतम तकनीक को उपयोग में लाकर निपुणता के साथ नई सेवाएं प्रदान करना । कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल एवं सामंजस्य–सुदृढ़ता में वृद्धि करना । ग्राहकों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए संपदा सृजन करना''।

The rapid changes in the economic environment, had its effect on the Indian Banking System and most of the Banks are facing issues of asset quality, low credit off-take & impact on profitability. Further, due to higher provisioning and requirement of better quality capital as per Basel III norms, raising of additional capital is proving to be a big challenge to the Bank.

23. WAY FORWARD

The Bank"s Vision and Mission Statement is "To be a customer friendly premier bank committed to enhancing stakeholders" value. Provide quality, innovative services with state-of-the-art technology in line with customer expectations. Enhance employees" professional skills and strengthen cohesiveness. Create wealth for customers and other stakeholders."

मण्डल के लिए उनकी ओर से

स्थानःगुरुग्राम
दिनांकः 12.05.2017

(अनिमेष चौहान)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

For and on behalf of the Board

Place: Gurugram
Date: 12.05.2017

(ANIMESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR & CEO

बासेल-III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन - मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एक अनुसूचित बैंक है जिसकी स्थापना 19 फरवरी, 1943 को हुई। भारत सरकार द्वारा बैंक को दिनांक 15 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रीकृत किया गया । ओबीसी पहला राष्ट्रीकृत बैंक था, जिसने 1994 में सर्वप्रथम आईपीओ निकाला था तथा पहला राष्ट्रीकृत बैंक था, जिसने 2003–04 में कुल एनपीए शून्य घोषित किया था ।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 31 मार्च, 2009 से निर्धारित बासेल-II पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बासेल-III मार्गनिर्देश, 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हैं । 31 मार्च, 2019 तक बासेल-III लागू करने के लिए परिपत्र संख्या डीबीओडी.नं.बीपी. बीसी.102 / 21.06.201 / 2013–14 दिनांक 27 मार्च, 2014 के माध्यम से संशोधित संक्रमण अनुसूची जारी की गई थी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया जा रहा है:

संक्रमणकालीन प्रबंध – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(एलएबी तथा आरआरबी के अतिरिक्त)

(आरडब्ल्यूए का%)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 अप्रैल, 2013	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1)	4-5	5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5
पूंजी परिमित बफर (सीसीबी)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी1+सीसीबी	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
न्यूनतम टीयर 1 पूंजी	6	6.5	7	7	7	7	7
न्यूनतम टीयर 1 पूंजी+ सीसीबी	6	6.5	7	7.625	8.25	8.875	9.50
न्यूनतम कुल पूंजी	9	9	9	9	9	9	9
न्यूनतम कुल पूंजी+सीसीबी	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी 1 से सभी कटौतियों का फेज - इन (%में) #	20	40	60	80	100	100	100

***** 10.25% की न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता के मध्य के अंतर तथा टीयर 1 की जरूरत को टीयर 2 एवं पूंजी के उच्च स्वरूप से प्राप्त किया जा सकता है ।

यही संक्रमणकालीन दृष्टिकोण अतिरिक्त टीयर 1 तथा टीयर 2 पूंजी से कटौतियों पर भी लागू होगा ।

PILLAR III DISCLOSURES UNDER THE BASEL - III -YEAR ENDED – MARCH 2017

- Oriental Bank of Commerce is a scheduled commercial bank which was incorporated on 19th February 1943. Bank was nationalized by Government of India on April 15, 1980. OBC was the first nationalized bank to go for public with IPO in 1994 as well as the first nationalized bank to declare zero net NPA in 2003-04.
- Bank was subject to the Basel II capital adequacy guidelines stipulated by the Reserve Bank of India (RBI) from March 31, 2009. RBI issued Basel III guidelines, applicable with effect from April 1, 2013. The revised transition schedule issued through circular DBOD. No.BP.BC.102/21.06.201/2013-14 dated March 27, 2014 for Basel III implementation till March 31, 2019is as shown in the below table.

Transitional Arrangements-Scheduled Commercial Banks
(excluding LABs and RRBs)

(% of RWA)

Minimum capital ratios	April 1, 2013	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2016	March 31, 2017	March 31, 2018	March 31, 2019
Minimum Common Equity Tier 1 (CET1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Capital conservation buffer (CCB)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
Minimum CET1+ CCB	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
Minimum Tier 1 capital	6	6.5	7	7	7	7	7
Minimum Tier 1 capital+CCB	6	6.5	7	7.625	8.25	8.875	9.50
Minimum Total Capital*	9	9	9	9	9	9	9
Minimum Total Capital +CCB	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
Phase-in of all deductions from CET1 (in %) #	20	40	60	80	100	100	100

* The difference between the minimum total capital requirement of 10.25% and the Tier 1 requirement can be met with Tier 2 and higher forms of capital;

The same transition approach will apply to deductions from Additional Tier 1 and Tier 2 capital.

इसके अतिरिक्त, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15.2 की तालिका 25 में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं :

तालिका : प्रत्येक बैंक हेतु न्यूनतम पूंजी परिमित मानक			
चालू अवधि की आय सम्मिलित करने के बाद सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात			न्यूनतम पूंजी परिमित अनुपात (आय के % के रूप में प्रदर्शित)
31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	
5.5% - 5.65625%	5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.65625% - 5.8125%	>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>5.8125% - 5.96875%	>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>5.96875% - 6.125%	>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.125%	>6.75%	>7.375%	0%

उपरोक्त परिमित तालिका के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को, बैंक को न्यूनतम 6.75% का सीईटी 1 पूंजी अनुपात, न्यूनतम 8.25% का टीयर– 1 पूंजी अनुपात तथा न्यूनतम 10.25% का कुल पूंजी अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है ।

बासेल III की रूपरेखा में तीन–पारस्परिक प्रबलन पिलर्स हैं :

पिलर 1 : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता

पिलर 2 : पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा

पिलर 3 : मार्केट अनुशासन

मार्केट अनुशासन (पिलर 3) में, पूंजी पर्याप्तता पर प्रकटन, बैंक के आस्ति गुणवत्ता तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा के प्रकटन का समूह सम्मिलित है । ये प्रकटन निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए हैं :

1. आवेदन तथा पूंजी पर्याप्तता की संभावना

डीएफ–1 : आवेदन की व्यापकता

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम :– ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(i) **गुणात्मक प्रकटनः–**

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पर लागू पिलर 3 प्रकटीकरण

In addition, Table 25 of Paragraph 15.2 of the Master Circular is revised as under:

Table: Minimum capital conservation standards for individual bank			
Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings			Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)
As on March 31, 2016	As on March 31, 2017	As on March 31, 2018	
5.5% - 5.65625%	5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.65625%-5.8125%	>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>5.8125% - 5.96875%	>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>5.96875% - 6.125%	>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.125%	>6.75%	>7.375%	0%

As per the transition table above, at March 31st 2017, the Bank is required to maintain minimum CET1 capital ratio of 6.75%, minimum Tier-1 capital ratio of 8.25% and minimum total capital ratio of 10.25%.

The Basel III framework consists of three-mutually reinforcing pillars:

Pillar 1 : Minimum capital requirements for credit risk, market risk and operational risk

Pillar 2 : Supervisory review of capital adequacy

Pillar 3 : Market discipline

Market discipline (Pillar 3) comprises set of disclosures on the capital adequacy, asset quality and risk management framework of the Bank. These disclosures have been set out in the following sections.

SCOPE OF APPLICATION AND CAPITAL ADEQUACY

DF-1: Scope of Application

Name of the Head of the Banking Group:-Oriental Bank of Commerce

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

Pillar 3 disclosures apply to **Oriental Bank of Commerce**.

कंपनी / निगमन के देष का नाम Name of the entity / Country of incorporation	क्या कंपनी समेकन की लेखा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है (हाँ / नहीं) Whether the entity is included under Accounting scope of consolidation (Yes / no)	समेकन की पद्धति बताएं Explain the method of consolidation	क्या कंपनी समेकन की विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है (हाँ / नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / no)	समेकन की पद्धति बताएं Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण बताएं Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि केवल एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है तो कारण बताएं Explain the reasons if consolidated under only one of of the scopes of consolidation
शून्य / NIL						

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी कोई समनुषंगी नहीं है ।
- पूंजी पर्याप्तता के समेकन हेतु विचाराधीन कंपनी में बैंक के समनुषंगी, सहायक तथा संयुक्त उपक्रम सम्मिलित हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समेकित विवेकसम्मत रिपोर्टें तैयार करने की संभावना में बताई गई बैंकिंग या वित्तीय प्रक्रिया संबंधी गतिविधियां करती है । बीमा कारोबार से जुड़ी कंपनियों तथा वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारोबार को पूंजी पर्याप्तता हेतु समेकन कार्य से बाहर रखा गया है । बैंकिंग की पूंजी में विशेष निवेश, वित्तीय तथा बीमा कंपनियां जो उन समेकन विनियामक की संभावना से बाहर हैं, जहां बैंक के पास जारीकर्ता कंपनी द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व है, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सामान्य शेयर की प्रकृति में निवेश पर 250% का जोखिम भार है । (दिनांक 1 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र– बासेल– III पूंजी विनियामक के पैरा सं. 4.4.9.2 सी iii के अनुसार) ।

क) समेकन हेतु विचारधीन समूह कंपनियां

- 31 मार्च, 2017 को समेकन हेतु लेखा क्षेत्र तथा समेकन हेतु विनियामक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचारार्थ कोई समूह कंपनियां नहीं हैं।

ख). समेकन हेतु दोनों लेखा तथा विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु विचार ना की जाने वाली समूह कंपनियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	31 मार्च, 2017 को कुल तुलन पत्र इक्विटी (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)	**कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %**	कंपनी की पूंजी प्रलेख में बैंक के निवेष का विनियामक उपचार	31 मार्च, 2017 को कुल तुलन पत्र आस्तियां (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि./ भारत	बीमा	₹ 1075.02 करोड़ **(₹ 950 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी + ₹125 करोड़ की शेयर प्रीमियम)**	23%	250% करोड़ का भारित जोखिम	₹ 11655.00 करोड़

(ii) **गुणात्मक प्रकटन** :–

ग) समेकन की विनियामक क्षेत्र हेतु विचारार्थ समूह कंपनियां

कंपनी / निगमन के देष का नाम (जैसा ऊपर (i) क में दर्षाया गया है)	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्षाया गया है)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्षाया गया है)
षून्य			

समेकन की लेखा क्षेत्र तथा समेकन की विनियामक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचारार्थ कोई समूह कंपनियां नहीं हैं ।

- Oriental Bank of Commerce is a Public Sector Bank having no subsidiary.
- The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI. Entities engaged in insurance business and businesses not pertaining to financial services are excluded from consolidation for capital adequacy. Significant Investment in the capital of Banking, Financial and Insurance Entities which are outside the scope of regulatory consolidation where bank owns more than 10% of the issued common share capital of the issuing entitity are risk weighted at 250% as stated by RBI as such investment is in the nature of common share. (As per para 4.4.9.2 C iii of Master circular- Basel-III Capital regulations dated July 1,2014).

a) Group entities considered for consolidation

- As on March 31st 2017, there are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.

Name of the entity / Country of incorporation	**Principle activity of the entity**	**Total balance sheet equity at March 31st 2017 (as per accounting balance sheet)**	**% of Bank's holding in total equity**	**Regulatory treatment of Bank's investment in the capital instruments of the entity**	**Total balance sheet assets at March 31st 2017 (as per accounting balance sheet)**
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd./India	**Insurance**	**₹ 1075.02 Crore (**total paid up capital of ₹ 950 crores + Share premium of Rs 125 crores	**23%**	Risk Weighted at 250%	**₹11655.00Crore**

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

b) Group entities considered for regulatory scope of consolidation

Name of the entity / Country of incorporation (as indicated in (i)a above	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity
NIL			

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

घ) समनुषंगियों में पूंजी संबंधी कमियां

कंपनी / निगमन के देष का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्षाया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %	पूंजी संबंधी कमियां
षून्य				

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लागू नहीं ।

ङ). बीमा कंपनियों में बैंक का हित

बीमा कंपनियों में बैंक के हित का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

कंपनी / निगमन के देष का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	31 मार्च, 2017 को कुल तुलन पत्र इक्विटी (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित :	जोखिम भारित पद्धित के सापेक्ष पूर्ण कटौती पद्धति के प्रयोग करने पर विनियामक पूंजी पर गुणात्मक प्रभाव
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंष्योरेंस कं. लि.	बीमा	₹1075.02 करोड़	23%	9 बीपीएस

च). बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा :

उपरोक्त मामले में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं :

i) अंतः समूह जोखिम सीमा, प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 10% तक प्रतिबंधित है ।

ii) आगे, बैंक को डीबीएस, भारिबैं को उन समूह इकाइयों की सूची प्रस्तुत करनी होती है जिनके साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण लेन–देन रहा हो । तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक का अपनी संयुक्त उपक्रम बीमा कंपनी, केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ऐसा कोई लेन–देन नहीं है ।

डीएफ–2 : पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन :–

उद्देश्य

- अपने कारोबार में जोखिम, रेटिंग एजेंसियों, शेयरधारको एवं निवेशकों की अपेक्षाओं तथा पूंजी में वृद्धि के लिए उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर बैंक चालू एवं भावी कारोबार की ज़रूरतों को देखते हुए तथा नियामक प्रतिमानों की पूर्ति हेतु अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंध करता है। इसके लिए बैंक तिमाही आधार पर पूंजी योजना की समीक्षा करता है और आगामी तिमाही के लिए इसका परीक्षण करता है।

संगठनात्मक संरचना

- जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षक समिति तथा आईसीएएपी पर कार्यपालक स्तर की समिति के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बैंक की पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क का संचालन किया जाता है।

Capital deficiency in subsidiaries

Name of the entitity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

Bank's interest in insurance entities

Following table gives the details of the Bank's interest in insurance entity:

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity at March 31st 2017 (as per accounting balance sheet)	% of bank's holding in the total equity	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd.	Insurance	₹ 1075.02 Crore	23%	9 bps

Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

The following restriction is applicable in the aforesaid matter:

Intra group exposure limit is restricted to 10% of Paid-up Capital and Reserves.

Further, the Bank is required to submit the list of group entities with which they have material transactions during last three years to DBS, RBI. However, the Bank does not have any such transactions with its joint venture insurance company, Canara HSBC OBC Life Insurance Company Limited during the last three years

DF-2: Capital Adequacy

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

Objective

- The Bank actively manages its capital to meet regulatory norms and current and future business needs considering the risks in its businesses, expectation of rating agencies, shareholders and investors, and the available options of raising capital. Bank undertakes quarterly Capital planning exercise and back test the same for the preceding quarter.

Organisational set-up

- The capital management framework of the Bank is administered by the Risk Management Department under the supervision of the Executive level committee on ICAAP and Supervisory Committee of Directors on Risk Management.

नियामक पूंजी

बैंक को बासेल ।।। पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के प्रतिमानों का पालन करना होता है । बासेल ।।। पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल पूंजी का टीयर–। में 8.25% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ साथ जोखिम भारित आस्ति के लिए 10.25% का न्यूनतम अनुपात बनाए रखना होता है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 8.88% की टीयर–। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ एकल आधार पर बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.64% रही ।

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासेल ।।। के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने निम्न दृष्टिकोण अपनाया है :
  - ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण
  - बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण
  - परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

पूंजी का आंतरिक निर्धारण

- बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) व्यापक रूप से शामिल है जो वार्षिक रूप से की जाती है व जिसमें बैंक के लिए पर्याप्त स्तर पर पूंजी जुटाने का प्रयास किया जाता है ताकि दवाब के परिप्रेक्ष्य में नियामक के प्रतिमानों तथा चालू व भावी कारोबारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके ।आईसीएएपी की पूंजी आयोजना में आगामी तीन वर्षो की अवधि, भौतिक जोखिमों की नाप–तोल शिनाख्त, तथा जोखिम व पूंजी के बीच के संबंध को ध्यान में रखा जाता है । बैंक में स्वतंत्र आईसीएएपी समिति है जिसमें बैंक के सर्वोच्च कार्यपालक शामिल हैं और जो बैंक की पूंजी आवश्यकताओं और इसके अभीष्टतम प्रयोग पर नजर रखती है ।
- जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए पूरक का कार्य करती है जिसमें भौतिक जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन सम्मिलित होता है ।
- आईसीएएपी का मुख्य पक्ष दवाब परीक्षण और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क रहता है जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजीगत स्थिति पर अति और मध्यम परिस्थितियों में पड़ने वाले प्रभावों से संबधित जानकारी उपलब्ध कराता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के आधार पर ,बैंक विविध पोर्टफोलियो में दवाब परीक्षण करता है और पूंजी अनुपातों, चालू और आगामी अवधियों में पूंजी बफर की पर्याप्तता पर इसके प्रभाव का निर्धारण करता है। बैंक आवधिक अंतरालों पर दबाव परीक्षणों का निर्धारण व इसमें सुधार करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं दवाब की परिस्थितियों में भौतिक जोखिम तो नहीं हैं व साथ ही साथ बाजार की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न बाजार की संभावित अति गतिविधि को भी प्रतिबिम्बित किया जा सके ।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग

- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मण्डल बैंक के पूंजी पर्याप्तता स्तरों पर सक्रिय दृष्टि रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता की स्थिति, जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी और जोखिम प्रबंधन पर बासेल ।।। के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण तिमाही आधार पर मण्डल को रिपोर्ट किया जाता है। आगे, आईसीएएपी, जोकि एक वार्षिक प्रक्रिया है और मण्डल को तीन वर्षो की अवधि हेतु बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के निर्धारण और निगरानी के लिए सहायक के तौर पर एक मशीनरी के रूप में भी कार्य करता है। पूंजी आयोजना प्रयास में बैंक निम्न समीक्षा करता है:
- चालू पूंजीगत आवश्यकताएं
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम क्षमता के अनुरूप लक्षित एवं निरंतर पूंजी

गुणात्मक प्रकटन :–

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न जोखिमों हेतु बासेल ।।। के अंतर्गत पूंजी आवश्यकताएं

Regulatory capital

- The Bank is subject to the capital adequacy norms stipulated by the RBI guidelines on Basel III. The RBI guidelines on Basel III require the Bank to maintain a minimum ratio of total capital to risk weighted assets of 10.25%, with a minimum Tier-1 capital adequacy ratio of 8.25% for the year ended March 31st 2017. The total capital adequacy ratio of the Bank on standalone basis as on March 31st 2017 is 11.64% with Tier-1 capital adequacy ratio of 8.88%.
- In line with RBI guidelines Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel III.
  - Standardised Approach for Credit Risk
  - Standardised Duration Approach for Market Risk
  - Basic Indicator Approach for Operational Risk

Internal assessment of capital

- The Bank's capital management framework includes a comprehensive internal capital adequacy assessment process (ICAAP) conducted annually which determines the adequate level of capitalisation for the Bank to meet regulatory norms and current and future business needs, including under stress scenarios. The ICAAP encompasses capital planning for a three year time horizon, identification and measurement of material risks and the relationship between risk and capital. Bank has independent ICAAP Committee which meets every quarter constituting top Executives of the bank to oversee the optimum utilization of Capital and requirement of Capital.
- The capital management framework is complemented by the risk management framework, which includes a comprehensive assessment of material risks.
- Stress testing, which is a key aspect of the ICAAP and the risk management framework, provides an insight on the impact of extreme but plausible scenarios on the Bank's risk profile and capital position. Based on the Board-approved stress testing framework, the Bank conducts stress tests on its various portfolios and assesses the impact on its capital ratios and the adequacy of capital buffers for current and future periods. The Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that the stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of market conditions.

Monitoring and reporting

- The Board of Directors of Oriental Bank of Commerce maintain an active oversight over the Bank's capital adequacy levels. On a quarterly basis, an analysis of the capital adequacy position, the risk weighted assets and an assessment of the various aspects of Basel III on capital and risk management as stipulated by RBI, are reported to the Board. Further, the ICAAP which is an annual process also serves as a mechanism for the Board to assess and monitor the Bank's capital adequacy position over a three year time horizon. While undertaking the capital planning exercise, bank reviews:
- Current capital requirement.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

Capital requirements under Basel III for various risk areas as on March 31st, 2017

क्रमांक	जोखिम क्षेत्र	राषि (₹ करोड़ में)
(क)	ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवष्यकताएं	
	• मानक दृश्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो	15160.51
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	षून्य
(ख)	बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवष्यकताएं	
	. मानक अवधि दृश्टिकोणय	1115.99
	• ब्याज दर जोखिम	739.10
	• विदेषी विनिमय (सोना सहित) जोखिम	2.25
	• इक्विटी स्थिति का जोखिम	374.64
(ग)	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवष्यकताएं:	
	. मूलभूत संकेतक दृश्टिकोण	1079.95
	• कुल पूंजी आवष्यकताएं (क)+(ख)+(ग)	17356.45
	बैंक की कुल पूंजी निधि	20409.62
(घ)	सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात	
	बैंक का सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात	7.59%
	बैंक की टीयर 1 सीआरएआर	8.88%
	बैंक की कुल सीआरएआर	11.64%

S.N.	Risk area	(Rs in crore)
(a)	**Capital Requirements for Credit risk**	
	Portfolio subject to standardized approach	15160.51
	Securitisation exposure	Nil
(b)	**Capital requirements for market risk**	
	- Standardised duration approach;	1115.99
	Interest rate risk	739.10
	Foreign exchange (including gold) risk	2.25
	Equity position risk	374.64
(c)	**Capital requirements for operational risk:**	
	- Basic indicator approach	1079.95
	Total Capital Requirement (a)+(b)+(c)	**17356.45**
	Total Capital fund of the Bank	**20409.62**
(d)	**Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios**	
	Common Equity Tier 1 ratio of the Bank	7.59%
	Tier 1 CRAR of the bank	8.88%
	Total CRAR of the bank	11.64%

डीएफ 3. ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटन:

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंधन, मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति द्वारा किया जाता है । बैंक को अपने ऋण परिचालनों में ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऋण जोखिम, बैंक के साथ किसी वित्तीय संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करने में किसी भी प्रतिपक्ष के असफल होने पर होने वाली हानि का जोखिम है, जो कि मुख्यतः अपेक्षित भुगतान न करने के कारण होता है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति है :

- भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मार्गनिर्देशों/नीतियों का पालन
- कॉरपोरेट, सरकारी, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, कृषि और रिटेल ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनना
- सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल एवं दक्षता पूर्वक करके उनसे सौहार्द पूर्ण व्यवसायिक संबंध बनाए रखना
- जोखिम आधारित ऋण प्रदान करके और ऋण पोर्टफोलियो को सक्रिय बनाते हुए विविधीकृत गुणवत्ता परक आस्ति पोर्टफोलियो बनाना
- उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ इष्टतम जोखिम प्रतिफल प्रोफाइल बनाना

इस नीति में कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम, रिटेल, ग्रामीण/कृषि और निवेश संबंधी ऋणों को शामिल किया गया है । इसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ

DF-3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

(a) QUALITATIVE DISCLOSURES:-

Credit Risk Management Policy and Processes

Management of credit risk in the Bank is governed by Board approved Loan Policy, Credit Risk Management Policy and Recovery Policy. The Bank is exposed to credit risk on account of its lending operations. Credit risk is the risk of loss that may occur from the failure of counterparty to abide by the terms and conditions of any financial contract with the Bank, principally the failure to make required payments. The broad objectives of Credit Risk Management process are to meet the following goals:

- Adhere to the guidelines / policies enunciated by RBI and other regulatory authorities.
- Be the preferred bank for Corporate, Government, Small and Medium Enterprises, Rural/Micro banking, Agriculture and Retail customers.
- Maintain cordial business relationship with all customers by servicing their needs promptly and efficiently.
- Build a diversified good quality asset portfolio through risk based lending and active churning of the portfolio.
- Optimise risk return profile with adequate exit options.

The policy covers Corporate, Small and Medium Enterprise, Retail, Rural/ Agriculture and Investment related exposures. There is a structured and

एक संरचित और मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्तीय प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं और संबंधित उद्योग से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करता है । बैंक निम्नानुसार विचार करके उधारकर्ता के गुणात्मक तथा मात्रात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करता है :

- उधारकर्ता की वित्तीय विवरणियों, पिछले वित्तीय कार्यनिष्पादन, पूंजी जुटाने के लिए इसकी वित्तीय क्षमता और इसकी नकदी प्रवाह पर्याप्तता का आकलन करते हुए उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन
- उधारकर्ता की सापेक्ष बाजार स्थिति और परिचालन दक्षता
- प्रबंधन की गुणवत्ता जो उनके पिछले रिकार्ड, खाते के संचालन के विश्लेषण आदि द्वारा आंकी जाती है ।

बैंक निम्नानुसार विचार करके उद्योग जोखिम का मूल्यांकन करता है :

- कतिपय औद्योगिक विशेषताएं जैसे अर्थव्यवस्था में उस उद्योग की महता, विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण, चक्रीयता और उस उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियां
- उद्योग की प्रतिस्पर्धा भावना और कतिपय औद्योगिक वित्तीय आंकड़े जिसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, परिचालन मार्जिन और आय स्थिरता शामिल है ।

ऋण निगरानी को मजबूत करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ नए उपाय :–

उधार खाते के गैर–निष्पादित आस्ति (एनपीए) में बदल जाने से पहले आरंभ में तनाव की पहचान करने के लिए, बैंक ने सीआरआईएलसी तंत्र को अपनाया है, जिसके अनुसार एसएमए श्रेणी के तहत तीन उप–श्रेणियों अर्थात एसएमए –0 1 और 2, की निगरानी की जाती है। उधार खाते में जहां मूलधन या ब्याज 31–60 दिनों के बीच अतिदेय हो, को एसएमए–1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा यदि या ब्याज 61–90 दिनों के बीच अतिदेय हो, तो उधार खाते को एसएमए–2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। बैंक उधारकर्ता की एसएमए स्थिति के साथ 5 करोड़ रूपए और उससे अधिक की कुल निधि आधारित और गैर–निधि–आधारित एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं की ऋण सूचना, बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार (क्रिलिक) को भेज रहा है।

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक या अधिक ऋण प्रदाता बैंकों / अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा खाते की एसएमए –2 के रूप में रिपोर्टिंग एक संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के अनिवार्य गठन एवं सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) का सूत्रीकरण करेगी।

ऋण धोखाधड़ी से निपटने हेतु तंत्र को मजबूत करने के लिए, बैंक द्वारा धोखाधड़ी जोखिम नियंत्रण में एक रैड फ्लैग्ड अकाउंट (आरएफए) के सिद्धान्त को अपनाया गया है। आरएफए, जहां एक या अधिक प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडबल्यूएस) के द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधि के संदेह को दूर किया जाता है। किसी भी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत, आरएफए और ईडब्ल्यूएस की प्रारंभिक सीमा का एक्सपोजर 50.00 करोड़ और इससे अधिक है। आरएफए के रूप में वर्गीकृत सभी खातों की सूचना क्रिलिक (ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार) के डाटा प्लेटफॉर्म पर की जानी चाहिए।

इसके अलावा, क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) बनाया गया है जो इसके विस्तार पर बाजार का रुख और साथ ही मौजूदा उधारकर्ताओं के संबंध में सार्वजनिक डोमेन से स्वतंत्र जानकारी एकत्रित करेगा और इसे क्रेडिट अधिकारियों को प्रदान करेगा।

ऋण अनुमोदन प्राधिकारी :

निदेशक मंडल ने प्रधान कार्यालय तथा क्लस्टर मॉनीटरिंग कार्यालय (क्लासिक शाखाएं) स्तर पर विभिन्न ऋण समितियों को निम्नानुसार प्राधिकार प्रत्यायोजित किए हैं :–

i) प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति :

standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry. Bank evaluates the qualitative and quantitative aspects of borrower by considering:

- The financial position of the borrower by analyzing the financial statements, its past financial performance, its financial flexibility in terms of ability to raise capital and its cash flow adequacy.
- The borrower's relative market position and operating efficiency.
- The quality of management by analysing their track record and conduct of account, etc.

The Bank evaluates industry risk by considering:

- Certain industry characteristics, such as the importance of the industry to the economy, its growth outlook, cyclicality and government policies relating to the industry.
- The competitiveness of the industry and certain industry financials, including return on capital employed, operating margins and earnings stability

Certain new measures for strengthening Credit Monitoring are adopted by the Bank in line with RBI guidleines:-

In order to identify incipient stress in the borrowal account before it turns into Non Performing Asset (NPA), the Bank has adopted the CRILC mechanism as per which the monitoring is done for the three sub-categories under the SMA category i.e., SMA-0, 1 and 2. In borrowal accounts where Principal or interest payment overdue between 31 - 60 days shall be classified as SMA -1 and in case Principal or interest payment is overdue between 61-90 days, the borrowal account shall be classified as SMA-2. The Bank is furnishing credit information to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) on all the borrowers having aggregate Fund-Based and Non-Fund Based Exposure of Rs 5 Crore and above along with the SMA status of the borrower.

As per RBI guidelines, reporting of an account as SMA-2 by one or more lending banks/notified NBFCs will trigger the mandatory formation of a Joint Lenders' Forum (JLF) and formulation of Corrective Action Plan (CAP).

In order to strengthen the mechanism for dealing with loan frauds', the concept of a Red Flagged Account (RFA) has been adopted by the Bank in fraud risk control. A RFA is one where a suspicion of fraudulent activity is thrown up by the presence of one or more Early Warning Signals (EWS). The threshold limit for RFA & EWS is an exposure of Rs 50.00 Crore & above, irrespective of the lending arrangement. All the accounts classified as RFA must be reported on the CRILC (Central Repository of Information on Large Credit) data platform.

Further, in order to strengthen the credit appraisal process, Risk Management Group (RMG) has been formulated that would collect independent information and market intelligence on the potential as well as existing borrowers from the public domain and provide inputs to the credit officers.

Credit Approval Authorities:

The Board of Directors has delegated the authority to the various Credit Committees at Head Office and Cluster Monitoring Office (Classic Branches) Level as under:

i) Credit Committees at Head Office Level:

- Management Committee of Board (MCB) headed by Managing

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की अध्यक्षता में मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी)
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की अध्यक्षता में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी)
- महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी)

ii) क्लस्टर मॉनीटरिंग कार्यालय (क्लासिक शाखाएं) स्तरीय ऋण समितियां :

- क्लस्टर मॉनीटरिंग अध्यक्ष क्लासिक शाखा की अध्यक्षता में क्लस्टर मॉनीटरिंग स्तरीय ऋण समिति (सीएमएलसीसी)

उपर्युक्त ऋण समितियों के अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर क्लस्टर प्रमुख / शाखा प्रभारी क्लासिक शाखाएं को, उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी देने के अधिकार दिए गए हैं ।

अधिकारों के प्रत्यायोजन का ढांचा इस प्रकार बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च एक्स्पोज़र और जोखिम–स्तर के संव्यवहार उच्चतर स्तर / समिति को अनुमोदन हेतु भेजा जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यायोजित शक्तियां, बैंक की ऋण नीति तथा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित विभिन्न प्रसंविदाओं के आधार पर प्रदान की जाती हैं जैसे; ऋणी की प्रकृति पर आधारित प्रति ऋणी एक्सपोजर सीलिंग, ऋणी की बाह्य क्रेडिट जोखिम रेटिंग के आधार पर एक्सपोजर सीलिंग, ऋणी से संबंधित उद्योग / क्षेत्र, विशेष महत्व हेतु प्रवेश स्तर की रेटिंग, ऋण प्रदान करने का प्रतिबंधित तथा सामान्य क्षेत्र, अधिग्रहण दिशानिर्देश आदि।

प्रस्तावों की गुणवत्तापरक समीक्षा करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के निम्नलिखित मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाया जा सके :

1. बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग और सभी क्लस्टर मॉनीटरिंग कार्यालयों में ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्य, ऋण प्रस्ताव की प्रोसेसिंग/ मूल्यांकन / मंजूरी से भिन्न है ।
2. बैंक के प्रधान कार्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए बैंक की ऋण नीति के अनुरुप ऋण ग्रिड बनाए गए हैं । बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक, ऋण अनुमोदन ग्रिड के सदस्य हैं ।
3. ग्रिड की बैठक के कोरम के लिए जोखिम प्रबन्धन विभाग और ऋण विभाग के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
4. बैंक में निम्नलिखित के अलावा सभी उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग करने की नीति है:
   - स्टाफ ऋण
   - मीयादी जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, डाक प्रतिभूतियों इत्यादि की जमानत पर अग्रिम
   - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं
   - प्रतिष्ठित बैंकों के साख पत्रों के अंतर्गत देशी बिलों का परक्रामण
   - राज्य / केन्द्र सरकार को अग्रिम
   - केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों / उपक्रमों / सरकारी संस्थापनों जैसे मंडी बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, नगर निगम तथा विश्वविद्यालय इत्यादि को वित्त ।
   - ₹2 लाख तक के मुद्रा ऋण

इस ढांचे का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है । ऋण पोर्टफोलियो की संरचना का विश्लेषण (मूल्यांकन वार/उद्योगवार) ऋणकर्ताओं के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन सहित जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीडीआरएम) के समक्ष रखा जाता है ।

Director& Chief Executive Officer (MD & CEO).

- Credit Approval Committee (CAC) headed by Managing Director& Chief Executive Officer (MD & CEO).
- Head Office Level Credit Committee (HLCC) headed by Executive Director.
- Head Office Level Credit Committees (HLCC) headed by General Managers.

ii) Cluster Monitoring Office (Classic Branches) Level Credit Committees:

- Cluster Monitoring Office Level Credit Committee (CMLCC) headed by Cluster Monitoring Head Classic Branch.

Apart from above mentioned Credit committees Cluster Heads / Branch Incumbents Classic Branches at various levels have also been delegated powers for sanction of credit facilities to various segments of borrowers.

The delegation structure has been designed to ensure that transactions with higher exposure and level of risk are delegated to the higher forum/ committee for approval.

Further, the Delegated Powers are subject to various covenants prescribed in the Bank's Loan Policy and Credit Risk Management Policy viz. exposure ceiling per borrower based on the Constitution of the borrower, exposure ceiling based on External Credit Risk Rating of the borrower, industry/sector to which the borrower belongs, entry level rating for thrust, restricted and general area of lending, takeover guidelines etc.

Following guidelines of Credit Risk Management Policy are being adopted for the purpose of screening of the proposals qualitatively so as to ensure healthy credit portfolio of the Bank

1. Credit Risk Management Department is set up at Head Office and Credit Risk Management Cell at all the Cluster Monitoring Offices of the Bank. The function of Risk Management Department is independent of processing/ appraisal/ sanction of the proposal.
2. Credit Grids for different sanctioning levels at Head Office of the Bank are set up in accordance with the Loan Policy of the Bank. The senior executives of the Bank are members of the Credit Grid.
3. The presence of the members from Risk Department and Credit Department is mandatory for quorum of the meeting of the Grid.
4. The Bank has a policy for undertaking Credit Risk Rating of all borrowers except the following :
   - Staff Loans.
   - Advance against Term Deposits, Govt. Securities, Postal Securities etc
   - Govt. Sponsored Schemes.
   - Negotiation of Inland Bills under L/C of reputed banks.
   - Advance to State/ Central Govt.
   - Finance to Central/ State Govt. Departments/ Undertakings / Govt. Establishments such as Mandi Boards, Improvement Trusts, Municipal Corporations and Universities etc.
   - MUDRA loans upto ₹ 2 lacs.

The objective of this framework is to ensure healthy credit portfolio of the Bank by following the set principles of Risk Management. The analysis of the composition of the credit portfolio (Rating wise/Industry wise) is placed to the Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) along with the migration of rating of borrowers.

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए समेकित स्तर पर निर्धारित एक्सपोजर संबंधी मानदंडों का पालन करता है । बैंक की समेकित पूंजी निधियों/कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन्हें नियमित आधार पर मानीटर किया जाता है । बैंक ने उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों पर (पर्याप्त एक्सपोजर सहित) आंतरिक रूप से भी विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की हैं ।

पिछला देय तथा क्षतिग्रस्त ऋण :

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय होती है, यदि इसे बैंक द्वारा नियत की गई तारीख को अदा नहीं किया जाता । बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में करता है । गैर-निष्पादक आस्ति ऐसे ऋण अथवा अग्रिमों के रूप में परिभाषित है जहां:

I. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है । किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि "अतिदेय" तब होगी यदि राशि बैंक द्वारा नियत की गई तारीख को अदा न की गई हो ।

II. ओवरड्राफ्ट / नकद उधार (ओडी/सीसी) सुविधा के संबंध में खाता लगातार 90 दिनों तक "अनियमित" बना रहता है तो खाते को "अनियमित" माना जाएगा यदि :
   - बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहे ।
   - जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख को, लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा जमा की गई राशि लेखांकन अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो ।
   - खाते में आहरण की अनुमति लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी स्टॉक विवरणियों के आधार पर परिकलित आहरण अधिकार के अनुसार की गई हो जो तीन माह से अधिक पुरानी हो चाहे यूनिट कार्य कर रही हो अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो ।
   - नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि के 180 दिनों के भीतर न किया गया हो ।

III. बैंक द्वारा खरीदे गए / भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो ।

IV. कृषि ऋण के संबंध में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्त, छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसली मौसम और लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहे ।

इसके अतिरिक्त, गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अवस्तरीय, संदिग्ध और घाटे वाली आस्तियों के रूप में किया जाता है । अवस्तरीय आस्ति वह है, जो 12 माह से कम अथवा इसके बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी आस्ति रही हो । किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह 12 माह के लिए अवस्तरीय श्रेणी में रही हो। घाटे वाली आस्ति वह है, जहां घाटे का पता, बैंक अथवा इसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों को अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान लगा हो परंतु राशि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं डाली गई हो ।

Bank complies with the exposure norms stipulated by RBI for both single borrower as well as borrower group at the consolidated level. Limits have been set up as a percentage of the Bank's consolidated capital funds/ aggregate advances and are regularly monitored. Bank has also stipulated internal limits on exposure (including substantial exposure) to industries, sensitive sectors.

Loans Past Due and Impaired:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank. The Bank classifies its advances into performing and non-performing Assets(NPA) in accordance with the extant RBI guidelines.NPA is defined as a loan or an advance where:

I. Interest and/ or instalment of principal remains overdue for more than 90 days in respect of a term loan. Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank;

II. The account remains 'out of order' in respect of an overdraft/ cash credit (OD/CC) facility continuously for 90 days. An account is treated as 'out of order' if:
   - The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.
   - Where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of the balance sheet or, credits in the account are not enough to cover the interest debited during the accounting period.
   - Drawings have been permitted in the account for a continuous period of 90 days based on drawing power computed on the basis of stock statements that are more than three months old even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.
   - The regular/ad-hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction.

III. A bill purchased/discounted by the Bank remains overdue for a period of more than 90 days.

IV. Interest and/or installment of principal in respect of an agricultural loan remain overdue for two crop seasons for short duration crops and one crop season for long duration crops.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months. A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

मात्रात्मक प्रकटनः

(ख) 31 मार्च, 2017 को सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

श्रेणी		(₹ करोड़ में)
निधि आधारित सुविधाएं (क)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल नकदी तथा शेष राशि	10813.09
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग पर नकदी	6613.14
	निवेश	34970.77
	अग्रिम	166437.86
	अन्य आस्तियां	16344.77
	कुल निधि आधारित सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर	235179.63
गैर निधि आधारित सुविधाएं (ख)	साख पत्र	8193.94
	बैंक गारंटियां	17458.80
	विनिमय संविदाएं	11944.08
	कुल गैर–निधि आधारित सकल ऋण जोखिम	37596.82
सकल योग (क+ख)		272776.45

(ग) 31 मार्च, 2017 को ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	निधि – आधारित	गैर – निधि आधारित	कुल
देशी	235179.63	37596.82	272776.45
विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	235179.63	37596.82	272776.45

(घ) 31 मार्च, 2017 को एक्सपोज़र का उद्योगवार संवितरण (डीएसबी विवरणी के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
1	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	372	414	786
2	खाद्य प्रसंस्करण	6239	605	6844
2.1	जिसमें से चीनी	1083	40	1123
2.2	जिसमें से खाद्य तेल तथा वनस्पति	647	368	1015
2.3	जिसमें से चाय	20	1	21
2.4	अन्य	4489	196	4685
3	पेय पदार्थ (चाय एवं कॉफी को छोड़कर) तथा तम्बाकू	24	1	25
4	वस्त्र	7706	454	8160

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

(b) Gross Credit Risk Exposure as on March 31st, 2017

Category		(₹ in crore)
Fund-based facilities (A)	Total Cash & Balances with Reserve Bank of India	10813.09
	Bal. with Banks and Money at Call	6613.14
	Investments	34970.77
	Advances	166437.86
	Other Assets	16344.77
	Total Fund based Gross Credit Risk Exposure	235179.63
Non-fund based facilities (B)	Letters of Credit	8193.94
	Bank Guarantees	17458.80
	Forward Exchange Contracts	11944.08
	Total Non Fund based Gross Credit Risk	37596.82
Grand Total (A+B)		272776.45

(c) Geographic Distribution of Credit Exposures as on March 31st, 2017

(₹increore)

Particulars	Fund-based	Non-fund based	Total
Domestic	235179.63	37596.82	272776.45
Overseas	Nil	Nil	Nil
Total	235179.63	37596.82	272776.45

(d) Industry-Wise Distribution of Exposures as on March 31st, 2017 (As per DSB returns)

(₹ in Crore)

SN	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
1	Mining and Quarrying (Inc. Coal)	372	414	786
2	Food Processing	6239	605	6844
2.1	Of which Sugar	1083	40	1123
2.2	Of which Edible Oil and Vanaspati	647	368	1015
2.3	Of which Tea	20	1	21
2.4	Others	4489	196	4685
3	Beverages (Exc. Tea & Coffee) and Tobacco	24	1	25
4	Textiles	7706	454	8160

क्र.सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
4.1	जिसमें से कॉटन वस्त्र	44	4	48
4.2	जिसमें से जूट वस्त्र	20	5	25
4.3	अन्य	7642	445	8087
5	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	320	12	332
6	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	667	315	982
7	कागज तथा कागज उत्पाद	1256	277	1533
8	पेट्रोलियम(गैर इन्फ्रा), कोयला उत्पाद(गैर–खनन) तथा न्यूक्लियर ईंधन	564	2	566
9	रसायन तथा रसायन उत्पाद (डाई, पेंट आदि)	1802	413	2215
10	रबड़, प्लास्टिक तथा इनके उत्पाद	279	13	292
11	कांच तथा कांच की वस्तुएं	273	16	289
12	सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	968	394	1362
13	मूल धातु तथा धातु उत्पाद	11909	1432	13341
13.1	जिसमें से लोहा तथा स्टील	11238	1223	12461
13.2	जिसमें से अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	671	209	880
14	सभी इंजीनियरिंग	3279	2181	5460
15	वाहन, वाहन पुर्जे तथा परिवहन उपकरण	1954	225	2179
16	रत्न और आभूषण	796	14	810
17	निर्माण	2222	2975	5197
18	बुनियादी संरचना	17471	3193	20664
19	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	15214	70	15284
20	अन्य उद्योग	8522	1024	9546
21	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	84601	23567	108168
कुल जोड़		166438	37597	204035

उद्योग जिनमें 31 मार्च, 2017 को कुल ऋण जोखिम के 5% से अधिक एक्सपोजर है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
1.	बुनियादी संरचना	17471	3193	20664
2.	एन.बी.एफ.सी.	15214	70	15284
3.	बेसिक धातु एवं धातु उत्पाद	11909	1432	13341

SN	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
4.1	Of Which Cotton Textiles	44	4	48
4.2	Of Which Jute Textiles	20	5	25
4.3	Others	7642	445	8087
5	Leather and Leather Products	320	12	332
6	Wood and Wood Products	667	315	982
7	Paper and Paper Products	1256	277	1533
8	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	564	2	566
9	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	1802	413	2215
10	Rubber, Plastic and their Products	279	13	292
11	Glass and Glassware	273	16	289
12	Cement and Cement Products	968	394	1362
13	Basic Metal and Metal products	11909	1432	13341
13.1	Of Which Iron & Steel	11238	1223	12461
13.2	Of Which Other Metal and Metal Products	671	209	880
14	All Engineering	3279	2181	5460
15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1954	225	2179
16	Gems and Jewellery	796	14	810
17	Construction	2222	2975	5197
18	Infrastructure	17471	3193	20664
19	NBFCs	15214	70	15284
20	Other Industries	8522	1024	9546
21	Residuary Other Advances	84601	23567	108168
Grand Total		166438	37597	204035

Industry Where Exposure Is More Than 5% Of Gross Credit Risk Exposure as on March 31st, 2017

(Rs in crore)

S. N.	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
1.	Infrastructure	17471	3193	20664
2.	NBFCs	15214	70	15284
3.	Basic Metal and Metal products	11909	1432	13341

(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदापरक परिपक्वता संबंधी विवरण

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का परिपक्वता ढांचा निम्न सारणी में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता बकेट	कुल अग्रिम	कुल निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
अगले दिन	4907.58	0.00	1,138.04
2-7 दिन	1832.90	1222.54	1,198.79
8-14 दिन	1500.30	0.00	47.07
15-30 दिन	6813.00	147.72	395.82
31 दिन - 2 माह	5840.44	0.00	738.10
> 2 माह - 3 माह	8340.23	508.57	1975.75
> 3 माह - 6 माह	23213.87	205.67	1,703.92
> 6 माह - 1 वर्ष	12156.36	464.31	1,159.63
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	26747.15	9584.05	40.93
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	28650.11	9433.72	72.10
> 5 वर्ष - 7 वर्ष	26413.63	10954.91	-
> 7 वर्ष - 10 वर्ष	8117.70	16741.00	-
> 10 वर्ष - 15 वर्ष	7847.42	5597.55	-
> 15 वर्ष	4057.16	4620.58	-
कुल	166437.86	59480.62	8,470.14

(e) Residual Contractual Maturity Break-Down of Assets

The maturity pattern of assets as on March 31st, 2017 is detailed in the table below.

(₹ in Crore)

Maturity Buckets	Gross Advances	Gross Investments	Foreign currency Assets
Next day	4907.58	0.00	1,138.04
2 – 7 days	1832.90	1222.54	1,198.79
8 -14 days	1500.30	0.00	47.07
15-30 days	6813.00	147.72	395.82
31 days-2 months	5840.44	0.00	738.10
>2 months – 3months	8340.23	508.57	1975.75
>3 months – 6months	23213.87	205.67	1,703.92
>6months-1 Yr	12156.36	464.31	1,159.63
>1 Yr - 3Yrs	26747.15	9584.05	40.93
>3Yr - 5Yrs	28650.11	9433.72	72.10
>5Yr - 7Yrs	26413.63	10954.91	-
>7Yr - 10Yrs	8117.70	16741.00	-
>10Yr - 15Yrs	7847.42	5597.55	-
>15Yr	4057.16	4620.58	-
Total	166437.86	59480.62	8,470.14

31 मार्च, 2017 को गैर निष्पादनकारी आस्तियां (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
(च)	कुल एनपीए	22859.27
	· अवस्तरीय	7831.33
	· संदिग्ध	15027.94
	o संदिग्ध–1	10606.71
	o संदिग्ध–2	4421.23
	o संदिग्ध–3	0.00
	· हानि	0.00
(छ)	निवल एनपीए	14117.83
(ज)	एनपीए अनुपात	
	· कुल अग्रिमों में कुल एनपीए	13.73
	· निवल अग्रिमों में निवल एनपीए	8.96
(झ)	एनपीए का उतार–चढ़ाव (कुल)	
	· 01.04.16 को अथशेष	14701.78
	· जोड़े गए एनपीए	12222.3
	· कमी	4064.81
	· 31.03.17 को इतिशेष	22859.27
(ञ)	एनपीए हेतु प्रावधान में उतार–चढ़ाव	
	· 01.04.16 को अथशेष	(*) 4759.88
	· अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	6284.21

Non-Performing Assets as on March 31st, 2017 (₹ in Crore)

S.N.	Particulars	Amount
(f)	Gross NPAs	22859.27
	· Sub- standard	7831.33
	· Doubtful	15027.94
	o Doubtful-1	10606.71
	o Doubtful-2	4421.23
	o Doubtful-3	0.00
	· Loss	0.00
(g)	Net NPAs	14117.83
(h)	NPA Ratios	
	· Gross NPAs to gross advances	13.73
	· Net NPAs to net advances	8.96
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	· Opening balance as on 01.04.16	14701.78
	· Additions	12222.3
	· Reductions	4064.81
	· Closing balance as on 31.03.17	22859.27
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	· Opening balance as on 01.04.16	(*) 4759.88
	· Provisions made during the period	6284.21

	· बट्टे खाते डाले गए	2308.32
	· अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	0.00
	· 31.03.17 को इतिशेष	(*) 8735.77
(ट)	गैर निष्पादनकारी निवेशों की राशि	1026.07
(ठ)	गैर निष्पादनकारी निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	313.00
(ड)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार–चढ़ाव	
	· 01.04.16 को अथशेष	147.16
	· अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	104.19
	· बट्टे खाते / अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	-
	· 31.03.17 को इतिशेष	251.35
(ढ.1)	एनपीए वार शीर्ष उद्योग	लोहा तथा स्टील
	· एनपीए की राशि	5295
	· विशेष प्रावधान (सामान्य प्रावधान)	-
	· चालू वर्ष के दौरान बट्टाकृत	1068.37
(ढ.2)	एनपीए वार शीर्ष प्रतिपक्ष	भूषण पॉवर एंड स्टील लिमिटेड
	· एनपीए की राशि	1561.11
	· विशेष प्रावधान (सामान्य प्रावधान)	528.40
	· चालू वर्ष के दौरान बट्टाकृत	0
(ण)	एनपीए की राशि तथा, यदि उपलब्ध हो, पिछला प्रदत्त देय ऋणों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि व्यावहारिक हो तो, बैंक प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधानों की राशि उपलब्ध करा सकता है। सामान्य प्रावधानों का हिस्सा, जो किसी भोगोलिक क्षेत्र को आबंटित नहीं किया गया है, को अलग से बताया जाए।	एनपीए के लिए कुल विशेष प्रावधान: ₹8711.65 करोड़

(*) 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को एनपीए के लिए प्रावधान के उतार–चढ़ाव में बैंक द्वारा एनपीए पोर्टफोलियो के लिए किए गए 24.12 करोड़ के परिवर्तनशील प्रावधान को शामिल किया गया है।

डीएफ 4. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो

गुणात्मक प्रकटन

4.1 बाह्य मूल्यांकन

बासेल - III मार्गनिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे विनिर्दिष्ट बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों (ईसीएआई) अर्थात् घरेलू प्रतिपक्षों हेतु क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग , ब्रिक वर्क्स तथा एस.एम.ई.आर.ए तथा विदेशी प्रतिपक्षों के लिए स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग करें । ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों का उपयोग किया जाए। यह मूल्यांकन निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों प्रकार के एक्सपोज़र के लिए किया जाता है ।

	· Write-off	2308.32
	· Write-back of excess provisions	0.00
	· Closing balance as on 31.03.17	(*) 8735.77
(k)	Amount of Non-Performing Investments	1026.07
(l)	Amount of provisions held for non-performing investments	313.00
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	· Opening balance as on 01.04.16	147.16
	· Provisions made during the period	104.19
	· Write Off/ Write back of excess provision	-
	· Closing balance as on 31.03.17	251.35
(n.1)	Top Industry NPA wise	Iron and Steel
	· Amount of NPAs	5295
	· Specific Provision (General provision)	--
	· Write-off during current quarter	1068.37
(n.2)	Top Counterparty NPA wise	BHUSHAN POWER AND STEEL LIMITED
	· Amount of NPAs	1561.11
	· Specific Provision (General provision)	528.40
	· Write-off during current quarter	0
(0)	Amount of NPAs and, if available, past due loansprovided separately broken down by significant geographic areas. In addition, if practical, Bank may provide the amounts of specific and general provisions related to each geographical area. The portion of general provisions that is not allocated to a geographical area should be disclosed separately	Total Specific Provision for NPA : Rs. 8711.65 Crore

(*) The movement of Provision for NPAs as on 31.03.2016 and 31.03.2017 includes the effect of floating provision of Rs.24.12 Crore made by the Bank towards NPA portfolio.)

DF-4- Credit Risk: Portfolios Subject to the Standardised Approach

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

4.1 External Ratings

Basel III guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Assessment Agencies (ECAIs) namely CRISIL, CARE, ICRA, India Rating, Brickworks and SMERA for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties. The Credit Risk Management Policy prescribes for utilisation of RBI approved ECAIs. The rating is used for both fund based and Non-fund based exposure.

अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सियों के मूल्यांकनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्सपोज़र हेतु निम्नानुसार किया जाता है :

(i) एक वर्ष से कम या उसके बराबर संविदागत परिपक्वता वाले एक्सपोज़र हेतु (नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी साख के अतिरिक्त), ईसीएआई द्वारा किया गया अल्पावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(ii) घरेलू नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साखों (अवधि कुछ भी हो) और / या एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण हेतु दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(iii) विदेशों में एक्सपोज़र हेतु, संविदागत परिपक्वता कुछ भी हो, अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा किया गया दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा ।

(iv) एक कॉरपोरेट समूह के भीतर किसी संस्था विशेष को दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता।

पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रेटिंग का मापन, इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में बताई गई मापन प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।

बैंक नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिम भार की गणना करने के लिए बाह्य मूल्यांकनों का प्रयोग करता है। बैंक के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने वाली विशेषीकृत एजेन्सी की सहायता से विकसित आंतरिक मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करके बैंक अपने ग्राहकों का आंतरिक मूल्यांकन भी करता है ।

मात्रात्मक प्रकटन :-

4.2 जोखिम भार द्वारा ऋण एक्सपोज़र

नीचे दी गई सारणी में तीन प्रमुख जोखिम श्रेणियों में, मानक दृष्टिकोण अपनाते हुए जोखिम न्यूनीकरण के बाद बैंक की कुल बकाया राशि (मूल्यांकित व अमूल्यांकित) दी गई है :

₹ करोड़ में

एक्सपोज़र श्रेणी	बकाया राशि
100% से कम जोखिम भार	54696
100% जोखिम भार	48847
100% से अधिक जोखिम भार	51385
कटौती की गई*	7021
कुल	147907

* कटौती की गई राशि में ऋण जोखिम न्यूनीकृत तथा पूंजी से काटी गई राशि सम्मिलित है ।

डीएफ – 5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण

गुणात्मक प्रकटन :-

5.1. नीतियां एवं पद्धतियां, जिनसे पता चलता है कि बैंक तुलन पत्र की तथा तुलन पत्र से इतर मदों का समायोजन (नेटिंग) का उपयोग किस सीमा तक करे :

- बैंक तुलन पत्र की मदों का समायोजन, उसी ऋणी के लिए ऋण जोखिम को कम करने की (सीआरएम) तकनीक के रूप में करता है, चूंकि बैंक को समंजन का अधिकार है। बैंक द्वारा इसके उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ऋण दस्तावेज में यह खंड होता है कि बैंक का उधारकर्ता/गारंटीदाता, जैसा भी मामला हो, की सभी प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार, प्रभार व समंजन का अधिकार होगा तथा बैंक में उसके किसी भी खाते में जमा उससे संबंधित सभी राशियों को समायोजित/वसूल करने का अधिकार होगा तथा बैंक को प्रतिभूतियों से वसूल की गई राशि और उपर्युक्तानुसार उधारकर्ता/गारंटीदाता के खातों से वसूल की गई राशि में से ऋण खाते में देय राशि को समायोजित/ परिसमाप्त करने का अधिकार होगा।

The ratings assigned by approved Rating Agencies are used for various types of exposures as follows:

(i) For Exposure with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits) , Short -Term Rating given by ECAIs will be applicable.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdrafts and other Revolving Credits (irrespective of the period) and/ or Term Loan exposures of over one year, Long Term Rating will be applicable.

(iii) For Overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Rating given by International Rating Agencies will be applicable.

(iv) Rating assigned to specific entity within a corporate group cannot be used to risk weight the other entities within the same group.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.

Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework. Bank also rates its clients internally using an internal rating model developed with the assistance of specialised agency acting as Bank's consultant.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

4.2 Credit Exposures by Risk Weights

The table below classifies the bank's outstanding amount (rated and unrated), after risk mitigation subject to standardised approach, in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:

₹ in Crore

Exposure Category	Amount outstanding
Less than 100% risk weight	54696
100% risk weight	48847
More than 100% risk weight	51385
Deducted*	7021
Total	147907

*Deducted amount includes Credit Risk Mitigant and amount deducted from capital.

DF-5 Credit Risk Mitigation

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

5.1. Policies and Processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off- balance sheet netting:

- Bank off-set the on-balance sheet exposure of the borrower using the Credit Risk Mitigation (CRM) technique as the right of set off is with the Bank. The loan documents obtained by the Bank from its borrowers carry a clause that the Bank shall have a lien, charge and right to set-off, adjust/ realize on all securities and all moneys belonging to the borrower/ guarantor, as the case may be, standing to their credit in any of the account with the Bank and the Bank shall have all rights, power and authority to adjust/ liquidate the dues in the loan accounts from the amount of the securities so realized and out of the proceeds recovered from the accounts of borrower/ guarantor as mentioned above.

5.2. संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

- बैंक में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक (सीआरएम) और संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसमें सम्पार्श्विक का चयन, सम्पार्श्विक के जोखिम, सम्पार्श्विक का मूल्यांकन व निरीक्षण, पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक, गारंटी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मार्जिन दिए गए हैं। बैंक द्वारा सम्पार्श्विक की परिभाषा ऋण सुविधा की प्रतिभूति के लिए ऋणी अथवा अन्य पक्ष द्वारा बैंक को दी गई आस्तियों या अधिकारों के रूप में दी गई है । ऋणी / बाध्यताधारी के दायित्वों हेतु प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों / संविदाओं के संबंध में बैंक को प्रतिभूत लेनदार के अधिकार होंगे।

5.3 संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन: भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट

- बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यांकन हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बासेल-II मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट, पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा कम किए गए जोखिम की सीमा तक प्रतिपक्ष को दी जाने वाली ऋण राशि कम कर देता है। बासेल-II मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में भविष्य में संभावित उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के लिए प्राप्त हुई किसी संपाश्विक प्रतिभूति के मूल्य का समायोजन करता है। ये समायोजन, जिन्हें "मार्जिन" भी कहा गया है, संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु अस्थिरता-समायोजित राशि निकालते हैं और लागू जोखिम भारों पर आधारित पूंजी प्रभार की गणना करते समय एक्सपोज़र में से घटा दिए जाते हैं । रिटेल उत्पादों हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति, संबंधित उत्पादों की उत्पाद नीति में परिभाषित की गई है। आवास ऋणों और अन्य रिटेल ऋणों के लिए वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति / आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है । संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा किया जाता है । बैंक ऐसे उत्पाद भी प्रस्तुत करता है जो प्रमुखतया संपार्श्विक प्रतिभूति पर आधारित होते हैं, जैसे षेयर, विनिर्दिष्ट सिक्योरिटीज़, भंडारित जिंस और स्वर्ण आभूषण । ये उत्पाद अनुमोदित योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मूल्यांकन और मार्जिन आदि भी होते हैं।
- बैंक उच्च श्रेणी के ग्राहकों और कुछेक उत्पादों जैसे डेरिवेटिव, व्यक्तिगत ऋणों आदि के लिए बे–जमानती सुविधाएं भी प्रदान करता है। बे–जमानती सुविधाओं के संबंध में ऋण सीमाओं का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। प्रत्येक संव्यवहार के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार और मात्रा के संबंध में निर्णय, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण अनुमोदन प्राधिकार के अनुसार, ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। अनुमोदित उत्पाद नीतियों के अनुसार, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (रिटेल उत्पाद, शेयरों की जमानत पर ऋण आदि) के लिए उक्त नीति के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाती है ।

5.4 ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें :

ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण के अनुसार विनियामक पूंजी की गणना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें निम्नानुसार हैं :

1. संपार्श्विक लेन–देन
2. ऑन–तुलन पत्र नेटिंग
3. गारंटियां

5.5. बैंक द्वारा दिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरण

- बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए एक्सपोज़र (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) की प्रतिभूति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां लेता है (जिन्हें संपार्श्विक भी कहा जाता है) । बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम कम करने के संबंध में एक्सपोज़र में कमी करने का तरीका अपनाया है। जहां भी ऋण जोखिम को कम करने के लिए गारंटी

5.2. Policies And Processes For Collateral Valuation And Management

- Bank has Board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, having detailed guidelines on selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts. The Bank defines collateral as the assets or rights provided to the Bank by the borrower or a third party in order to secure a credit facility. Bank shall have the rights of secured creditor in respect of the assets/ contracts offered as security for the obligations of the borrower/ obligor.

5.3 Collateral valuation and management: As stipulated by the RBI guidelines,

- Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces the credit exposure to counterparty when calculating the capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible financial collateral as specified in the Basel II guidelines. In line with Basel II guidelines, Bank adjusts the value of any collateral received for possible future fluctuations in the value of the collateral. These adjustments, referred as'haircuts', produce volatility-adjusted amounts for collateral, and are reduced from the exposure to compute the capital charge based on the applicable risk weights. For retail products, security to be taken is defined in the respective policy of the specific products. Housing loans and other retail loans are secured by the security of the property/ asset being financed. The valuation of the properties is carried out by an approved valuation agency. Bank also offers products, which are primarily based on collateral such as shares, specified securities, warehouse commodities and gold jewellery. These products are offered in line with the approved schemes, which also deal with types of collateral, valuation and margin.
- Bank extends unsecured facilities to high rated clients and for certain products such as derivatives, personal loans etc. The limit structure with respect to unsecured facilities has been approved by the Board of Directors. The decision on the type and quantum of collateral for each transaction is undertaken by the credit approval authority as per the Board approved credit approving authorisation. For facilities provided as per approved product policies (retail products, loan against shares etc.), collateral is taken in line with the policy.

5.4 Credit Risk Mitigation techniques:

Credit Risk Mitigation Techniques allowed by RBI for calculation of regulatory capital as per Standardised Approach for Credit Risk are as follows :

1. Collateralised Transactions
2. On-Balance Sheet Netting
3. Guarantees

5.5. Description of the main types of Collateral taken by the Bank

- Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk remains with the guarantor to the extent of guarantee

उपलब्ध होती है, वहां उपलब्ध गारंटी की सीमा तक ऋण जोखिम गारंटीदाता का होता है । सामान्यतः निम्न प्रकार की प्रतिभूतियां (प्राथिमक प्रतिभूतियां या संपार्श्विक प्रतिभूतियां) ली जाती हैः–

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की अपनी जमाराशियां
5. एनएससी, किसान विकास पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां आदि।
6. ऋण प्रतिभूतियां – अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकित – कुछ शर्तों सहित ।
7. ऋण प्रतिभूतियां – गैर मूल्यांकित – बैंक द्वारा जारी – कुछ शर्तों सहित।
8. म्युचुअल फंड के यूनिट
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के प्रति नकद मार्जिन
10. स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण

क्रम संख्या 4 से 10 पर दी गई प्रतिभूतियों का, ऋण जोखिम के लिए बासेल मार्गनिर्देश–मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम कम करने में सक्षम माना जाता है।

5.6. गारंटीदाता प्रतिपक्षों के मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण योग्यता

ऐसी गारंटियां जो प्रत्यक्ष, सुनिश्चित, अप्रितसंहरणीय तथा बिना किसी शर्त की होती हैं, को बैंक द्वारा पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए विचार में ली जाती है। पूंजी की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी गारंटियों का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है।

बैंक के ऋण जोखिम के प्रति मुख्य प्रकार के गारंटर निम्नानुसार है :–

- एए(–)या बेहतर रेटिड कॉरपोरेट्स
- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई
- सीआरजीएफटीएलआईएच

5.7. जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार अथवा साख) के बारे में जोखिम कम करने संबंधी सूचना

जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा प्रयोग किए जा रहे संपार्श्विक के प्रकार सहजता से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं तथा बाजार के उतार–चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती हैं । अतः इस समय बैंक द्वारा पहचाने गए ऋण जोखिम न्यूनीकरण में जोखिम संक्रेंद्रीकरण का सामना करने के लिए कोई सीमा/सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है ।

मात्रात्मक प्रकटन :-

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017
1	कुल एक्सपोज़र, जो अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर प्राप्त हो (जहां लागू हो, ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) ।	7021
2	कुल एक्सपोज़र, जो अलग से प्रकट संविभाग के लिए गारंटी / ऋण डेरिवेटिव (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित) मार्जिन द्वारा कवर प्राप्त हो (जहां लागू हो, ऑन या ऑफ, तुलन पत्र नेटिंग के बाद) ।	12325

available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc.
2. Immovable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelery.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants under Basel guidelines- standardized approach for credit risk.

5.6. Main Types of Guarantor Counterparty and their Creditworthiness

Guarantees, which are direct, explicit, irrevocable and unconditional, are taken into consideration by Bank for calculating capital requirement. Use of such guarantees for capital calculation purposes is strictly as per RBI guidelines on the subject.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Corporates rated AA(-) or better
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE
- CRGFTLIH

5.7. Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

₹ in Crore

S. No.	Particulars	31.03.2017
1	Total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio	7021
2	Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	12325

डीएफ – 6. प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन :-

- बैंक में मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रतिभूतिकरण नीति है। बैंक में 31 मार्च, 2017 को इसकी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है।
- प्रतिभूतिकरण के संबंध में कोई धारित एक्सपोजर नहीं है ।

डीएफ– 7. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:-

- बाजार जोखिम वित्तीय लिखतों के मूल्य में परिवर्तन से होने वाली संभावित हानि है जो बाजार की विविधता के परिणामस्वरूप होती है जैसे ब्याज दर, विनिमय दर, ऋण विस्तार तथा अन्य आस्तियों का मूल्य ।
- बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिम मॉनिटर तथा नियंत्रित किए जाते हैं । बैंक इस समय जिंसों में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है ।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम को मॉनिटर करने के लिए दैनिक आधार पर अंतर विश्लेषण किया जाता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित विवेकपूर्ण सीमाएं मॉनिटर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार दैनिक और औसत मांग ऋण-अंतर बैंक देयताएं, खरीदी गई निधियों आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं हैं। निवेश समिति द्वारा दैनिक आधार पर उच्च मूल्य की बल्क जमाराशियां मॉनिटर की जाती हैं। तरलता स्थिति का जायजा लेने के लिए अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें कारोबार वृद्धि पर भी विचार किया जाता है। आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधीयन योजना बनी हुई है । योजना की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है । तरलता संकट होने और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां लेने की स्थिति में बैंक को होने वाली संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण (स्ट्रैस टेस्टिंग) भी किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम

अगले 12 माह के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। बैंक अवधि अंतर विश्लेषण का भी प्रयोग करता है ।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो अवधि विश्लेशण के आधार पर मॉनीटर किए जाते हैं ।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, बाजार दर में 200 बेसिस प्वाइंट तक के परिवर्तन के आघात द्वारा दवाब परीक्षण किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम दिन व रात के (डेलाइट और ओवरनाइट) एक्सपोजर निर्धारित किए हैं। इसके साथ, डीलरों के फोरेक्स परिचालनों की मॉनिटरिंग के लिए हानि रोध सीमा और एकल सौदा सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश योजना ने ईक्विटी डीलरों के लिए हानि रोध सीमाएं निश्चित की हैं। लेन-देनों तथा लाभ के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है ।

- **बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन** :
- बैंक में जोखिम प्रबंधन का कार्य तीन स्तरों पर समर्थित है – (i) निदेशकों की जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति जो पर्यवेक्षण करती है और जहां आवश्यक हो, निर्देश जारी करती है/जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि का अनुमोदन करती है ।

  (ii) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जो नीतिगत मुद्दों पर विचार करती

DF-6 Securitisation

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. The Bank does not have any case of its assets securitized as on March 31st, 2017.
- There is no case of retained exposure in respect of securitization.

DF-7: Market Risk in Trading Book

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- Market risk is the possibility of loss arising from changes in the value of a financial instrument as a result of changes in market variables such as interest rates, exchange rates, credit spreads and other asset prices.
- Under Market Risk Management, Liquidity risk, Interest rate risk, Foreign Exchange Risk and equity price risk are monitored and managed. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is undertaken for monitoring liquidity risk on daily basis. Prudential limits based on RBI guidelines for the short- term buckets are monitored. Besides prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc. High value bulk deposits are monitored on daily basis by the Investment Committee. Short- term dynamic liquidity statement is prepared on a monthly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is reviewed on monthly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.

Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing shock of change in market rate upto 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limits and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

- Structure and Organisation of the Market risk management function
- Market Risk Management function in the Bank is supported at three levels- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Asset Liability Committee

है और तरलता, लाभप्रदता तथा बाजार जोखिम पर विचार विमर्श करती है।

(iii) जोखिम प्रबंधन विभाग जो आधारभूत स्तर पर सहायता प्रदान करता है ।

- **जोखिम रिपोर्टिंग और /अथवा मापन पद्धति का क्षेत्र तथा स्वरूप** :

घरेलू कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जैसे, मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करना, ट्रेडिंग बुक निवेशों का दैनिक आधार पर अवधि विश्लेषण, तरलता जोखिम/बाजार जोखिम का तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण। घरेलू तुलनपत्र तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का तिमाही आधार पर अवधि विश्लेषण किया जाता है । इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर अवधि विश्लेषण तथा प्रभाव मासिक आधार पर किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता की कारपोरेट स्तर पर आल्को द्वारा नियमित अंतरालों में पर पुनरीक्षा की जाती है । तरलता जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार उधार व ऋण के संबंध में विभिन्न विवेकपूर्ण प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं। संरचनात्मक तरलता विवरणी दैनिक आधार पर तैयार की जाती है और अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाती है और आल्को को रिपोर्ट की जाती है। स्ट्रैस टेस्टिंग तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव पर किए गए तिमाही अध्ययन के परिणाम आल्को को रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रेडिंग बुक स्थिति के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन सूचित किया जाता है ।

- **बचाव व्यवस्था और / अथवा जोखिम कम करने की नीतियां**

निवेश प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियां लागू हैं, जिनमें बाजार जोखिम की मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं विस्तार से दी गई हैं।

मात्रात्मक प्रकटन :-

- **बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता**

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
अपेक्षित पूंजी	1115.99
. ब्याज दर जोखिम	739.10
. विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
. ईक्विटी स्थिति जोखिम	374.64

डीएफ– 8. परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :-

- परिचालन जोखिम, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोग या सिस्टम या बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप हुई हानि का जोखिम है । परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम सम्मिलित है परंतु रणनीति एवं प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम सम्मिलित नहीं हैं । बैंक की देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की कारोबारी गतिविधियों में परिचालन जोखिम निहित है तथा यह मुद्दों के वृहद परिदृश्य को कवर करता है ।

- **परिचालन जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य** :–

- सामान्य में परिचालन जोखिम को समझने की आवश्यकता को तथा उन विशेष बैंकिंग गतिविधियों/कारोबार लाइनों में समाहित परिचालन जोखिम को पहचानना, जिनमें बैंक संलिप्त है । परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य को इस प्रकार के जोखिम को समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं समझा जाए वरन् इस प्रकार के जोखिम को समझने, पहचानने, मॉनिटर तथा नियंत्रण करने के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण समझा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में भाग ले तथा इस संबंध में अपने दायित्व को समझे।
- विशिष्ट कारोबारी इकाइयों / कारोबारी लाइनों के लिए आवधिक परिचालन जोखिम आंकड़ों के संग्रहण हेतु फार्मेट को अंतिम रूप दें तथा इस प्रकार के जोखिम को बढ़ाने वाले कारणों की समीक्षा करना ताकि इस प्रकार के जोखिम को मापा जा सके व इसकी निगरानी की जा सके ।

(ALCO) for considering policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

- **Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:**

In respect of domestic business, the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as, Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis, Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis, conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. Duration analysis and impact on the Economic Value of Equity is done on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed at regular intervals by ALCO at the corporate level. Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a monthly basis and reported to ALCO. The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position is reported daily to Top Management.

- **Policies for hedging and / or mitigating risk.**

Detailed policies are operational for Investment management, Asset Liability Management and Market Risk Management which deal in detail the various strategies and processes for monitoring and managing Market Risk.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

- **Capital Requirement for Market Risk**

Particulars	Amount (₹ in Cr)
Capital required	1115.99
- for interest rate risk	739.10
- for foreign exchange (including gold) risk	2.25
- for equity position risk	374.64

DF-8: Operational Risk

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk. Operational risk is inherent in the Bank's business activities in both domestic as well as overseas operations and covers a wide spectrum of issues.

- **Objectives of Operational Risk Management:-**

- Recognise the need to understand Operational Risk in general and also in particular Operational Risk inherent in specific banking activities/business lines in which the Bank is engaged. Operational Risk Management Functions shall not be understood as a process of eliminating such risk but as a systematic approach to understand, identify, measure, monitor and control such risk. It shall be ensured that each individual employee of the Bank participates in the Operational Risk Management process and understands his/her responsibility in this regard.
- Finalise the format for collection of Operational Risk Data for specified business units/ business lines periodically and analyse causes influencing such risk so as to measure and monitor such risk.

- जोखिम के वास्तविक संग्रहीत आंकड़ों, उसकी तीव्रता तथा उसके रुझान के आधार पर परिचालन जोखिम की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारणों को जानने के लिए परिचालन जोखिम सीमाएं निर्धारित करना । परिचालन जोखिम घटनाएं घटित होने के पीछे छिपे कारणों को दूर करने / रोकने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है ।
- विशेष कारोबारी क्षेत्रों के लिए परिचालन जोखिम रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्धारण / संशोधन करना ।
- संभावित परिचालन जोखिम घटनाओं तथा कारोबारी लाइनों द्वारा सुव्यवस्थित ट्रेकिंग परिचालन जोखिम आंकड़ों के द्वारा होने वाली हानि की नियमित आधार पर पहचान करने, निगरानी करने तथा नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक कारोबारी लाइन हेतु आंतरिक नियंत्रण सिस्टम संशोधित/पुनर्समायोजित करना ।
- प्रभावी पहचान, मूल्यांकित निगरानी, नियंत्रण तथा परिचालन जोखिम घटनाओं को कम करने के लिए स्पष्ट दायित्वों के निर्धारण द्वारा बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन सिस्टम लागू करना।
- समय–समय पर भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर परिचालन जोखिम हेतु अपने दृष्टिकोण को मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से मानकीकृत दृष्टिकोण में बदलने का प्रस्ताव रखना ।

- **परिचालन जोखिम प्रबंधन पद्धति का ढांचा एवं संगठन**

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य तीन स्तरों पर समर्थित है –

(i) जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों को पर्यवेक्षी समिति जो जहां जरूरी हो निदेश देती है तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की देखरेख/अनुमोदन करती है । (ii) नीतिगत मुद्दों पर विचार करने तथा विभिन्न परिचालनपरक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा (iii) आधारभूत स्तर पर समर्थन देने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग ।

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जो परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना, परिचालन जोखिमों और इन्हें कम करने के तत्वों, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं इत्यादि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है । इस नीति की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

- **जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा मापन पद्धति का स्वरूप एवं प्रकृति** :

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं जिसमें व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, टेक्नॉलॉजी तथा बाहरी घटनाओं से संबंधित, बैंक को परिचालन जोखिम में डालने वाली घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

ख. बैंक, भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर, हानि डाटा एकत्रित करने के लिए "ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (CORDEX)" उद्यम में पहले से ही एक प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है।

- **पूंजी प्रभार की गणना**

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है और बासेल-II/III के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी प्रावधान कर रहा है । इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, पूंजी प्रभार निकालने के लिए तीन वर्षों की औसत को हिसाब में लिया जाता है ।

डीएफ . 9. बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:-

- **आईआरआरबीबी के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा**

ब्याज दर जोखिम आय में तथा मार्किट ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्य में संभावित उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिम है । आईआरआरबीबी, किसी संस्थान की बैंकिंग बहियों में निर्धारित समय के भीतर ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के कारण स्थिति के खराब होने के जोखिम की जानकारी देती है । बैंक विभिन्न बाजारों में विविध परिपक्वता या पुनर्मूल्यांकन तिथियों के साथ आस्तियां, देयताएं तथा ऑफ तुलन–पत्र रखता है तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध रहता है जिससे इस प्रकार की मार्किट में ब्याज दरों के स्तर में अनपेक्षित परिवर्तनों के कारण जोखिम उत्पन्न होता है।

- Set up Operational Risk Limits for various causes leading to Operational Risk event based on actual risk data collected, its severity and its trend. This approach would be necessary to eliminate/restrict the underlying causes for Operational Risk Event to occur.
- Devise/Modify Operational Risk Reporting System for specified business lines.
- Modify/readjust the Internal Control System for each business line for identification, monitoring and control on a continuing basis of probable operational risk events and consequent losses by systematically tracking operational risk data by business lines.
- Integrate the operational risk management system into day to day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing monitoring, controlling and mitigating operational risk events.
- Propose to move from Basic Indicator Approach (BIA) to Advanced Approach for Operational Risk in due course in line with guidelines received from Govt. of India/Reserve Bank of India from time to time.
- **Structure and organization of operational risk management system**

Operational Risk Management function in the Bank is supported at three levels-

(i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Operational Risk Management Committee (ORMC) for considering policy issues and deliberating on various operational issues and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

Bank has operational risk management policy that clearly defines operational risk management framework, operational risks and its mitigants, reporting requirements etc. The policy is reviewed on annual basis by the Board of Directors.

Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

a. The Operational Risk Management Committee meets at regular intervals wherein the incidents related to people, processes, technology and external events exposing the Bank to Operational risk are deliberated at length and suitable steps are initiated to check recurrence of such events.

b. The Bank has collaborated with IBA in a venture "Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX)" as one of the promoters.

- **Calculation of capital charge**

The Bank is following Basic Indicator Approach and providing for requisite capital under Basel II/III as per RBI guidelines. Under this approach, average annual positive gross income for the previous 3 years is taken into consideration for arriving at capital charge.

DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

Risk Management Framework for IRRBB

Interest rate risk is the risk of potential variability in earnings and capital value resulting from changes in market interest rates. IRRBB refers to the risk of deterioration in the positions held on the banking book of an institution due to movement in interest rates over time. The Bank holds assets, liabilities and off balance sheet items across various markets with different maturity or re-pricing dates and linked to different benchmark rates, thus creating exposure to unexpected changes in the level of interest rates in such markets.

- बैंकिंग बही में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संविभाग में रखे गए सभी अग्रिम तथा निवेश शामिल हैं।
- आईआरआरबीबी मापन में कार्यविधि तथा प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार है :
  - आईआरआरबीबी का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों पर आधारित है ।
  - विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की दर संवेदनशीलता तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में विभिन्न समय–श्रेणियों में ब्याज दर संवेदनशील विवरणी तैयार की जाती है ।
  - प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक समयावधि के मध्य बिन्दु को परिपक्वता तारीख के रूप में लेकर और औसत आय को कूपन के रूप में तथा बट्टे के उद्देश्य से मार्किट दर लेकर निकाली जाती है । निवेशों के लिए वास्तविक समयावधि निकाली जाती है और जोखिम निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है।
  - प्रत्येक श्रेणी के लिए देयताओं एवं आस्तियों की संशोधित अवधि निकाली जाती है और ब्याज दर पर 200 बेसिस प्वाइंट के परिवर्तन से उनके मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निकाला जाता है ।
- **ब्याज दर जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना एवं संगठन:**
- बैंक में ब्याज दर प्रबंधन कार्य तीन स्तरों पर समर्थित हैं– (i) निदेशकों की जोखिम पर्यवेक्षी समिति जो जोखिम प्रबंधन नीतियों की देखरेख तथा जहां आवश्यक हो मार्गनिर्देश जारी करती है/अनुमोदन करती है (ii) नीतिगत मुद्दों तथा तरलता, लाभप्रदता एवं बाजार जोखिम पर विचार करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) तथा (iii) आधारभूत स्तर पर समर्थन देने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग ।

गुणात्मक प्रकटन:-

- आईआरआरबीबी मापने के लिए ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के आघातों के लिए आय तथा आर्थिक मूल्य में वृद्धि (कमी) निम्नानुसार है:–

विवरण	शर्तें	कुल (₹करोड़ में)
1. अर्जन पर प्रभाव (एनआईआई)	1 वर्ष के लिए अपवर्ड 50 बीपीएस पर	-135.29
	1 वर्ष के लिए डाउनवर्ड 50 बीपीएस पर	+135.29
2. जोखिम वाली ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बेसिस प्वाइंट अपवर्ड आघात	-919.77
	200 बेसिस प्वाइंट डाउनवर्ड आघात	+919.77
ईक्विटी मूल्य में प्रतिशत कमी		7.27%

डीएफ–10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित जोखिम हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन:-

- **प्रतिपक्षकार जोखिम**
- व्युत्पन्नी संविदा के मामले में प्रतिपक्षकार जोखिम, वायदा संविदा के कारण होता है । उसके उपरांत के ऋण जोखिम एक्सपोजर बाजार के तथ्यों के मूल्य पर आधारित होते हैं (उदा. ब्याज दरें तथा विदेशी विनिमय दरें), जो प्रकृति से अस्थिर तथा अनिश्चित हो सकते हैं। बैंक वायदा संविदा के अलावा व्युत्पन्नी संविदा नहीं करता है ।
- **ऋण सीमा**
- नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, प्रतिपक्षकार बैंक हेतु ऋण सीमा उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है । सीमा

- Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.
- The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:
  - IRRBB is assessed based on RBI guidelines.
  - Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
  - The duration for each asset and liability is arrived by taking the midpoint of each time bucket as the maturity date, the average yield as coupon and the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is arrived and used for risk assessment.
  - Modified Duration of Liabilities and Assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 Basis Points is arrived.
- **Structure and Organisation of Interest Rate Risk Management function:**
- Interest Rate Risk Management function in the Bank is supported at three levels- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Asset Liability Committee (ALCO) for considering policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

The increase (decrease) in Earnings and Economic Value for upward and downward rate shocks for measuring IRRBB is as follows:-.

Particulars	Condition	Total (₹in Cr)
1. Impact on Earnings (NII)	At upward 50 bps for 1 year	-135.29
	At downward 50 bps for 1 year	+135.29
2. Economic Value of Equity at Risk	200 basis point shock upwards	-919.77
	200 basis point shock downwards	+919.77
Drop in equity value in percentage terms		7.27%

DF-10: General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- **Counterparty exposure**
- Counterparty credit risk in case of derivative contracts arises from the forward contracts. The subsequent credit risk exposures depend on the value of underlying market factors (e.g., interest rates and foreign exchange rates), which can be volatile and uncertain in nature. The Bank does not enter into derivative transactions other than forward transactions.
- **Credit limits**
- The credit limit for counter party bank is fixed based on their financial performance as per the latest audited financials. Various financial

निर्धारित करते समय विभिन्न वित्तीय मापदंड यथा एनपीए अनुपात, चलनिधि अनुपात आदि पर विचार किया जाता है। ऋण एक्सपोजर की दैनिक मॉनिटरिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनुमोदित ऋण सीमा से अधिक न हो । यह ऋण सीमाएं अनुमानित एक्सपोजर आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

- **वायदा संविदा पर ऋण एकस्पोजर**
- बैंक कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, स्थितिकरण तथा अंतरपणन उद्देश्य के लिए तथा साथ में अपनी स्वयं की जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए वायदा करार करता है जिसमें ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना शामिल है। व्युत्पन्नी जोखिम की गणना मौजूदा जोखिम पद्धति के अनुसार की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटन:-

- 31 मार्च, 2017 को वायदा संविदा पर ऋण एक्सपोजर :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित राशि	संभावित भविष्यगत एकस्पोजर	करार का सकल सकारात्मक उचित मूल्य	कुल ऋण एक्सपोजर
वायदा संविदा	11944.08	245.11	219.51	464.62

बैंक ऋण व्युत्पन्नी में कारोबार नहीं करता है।

parameters such as NPA ratios, liquidity ratios, etc are taken into consideration while assigning the limit. Credit exposure is monitored daily to ensure it does not exceed the approved credit limit. These credit limits are set on the notional exposure basis.

- **Credit exposures on forward contracts**
- The Bank enters into the forward contracts in the normal course of business for positioning and arbitrage purposes, as well as for our own risk management needs, including mitigation of interest rate and foreign currency risk. Derivative exposures are calculated according to the current exposures method.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

- Credit exposure on forward Contracts as on March 31st 2017:-

(₹ in Cr)

Particulars	Notional Amount	Potential future exposure	Gross Positive fair value of contracts	Total credit exposure
Forward Contracts	11944.08	245.11	219.51	464.62

The Bank does not deal in credit derivatives.

डीएफ 11 - पूंजी की संरचना				₹ करोड़ में
विनियामक समायोजनों के परिवर्तन के दौरान बासेल ।।। सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट प्रयुक्त किया जाए (अर्थात् 1अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2019)			बासेल ।।। पूर्व उपचार के अध्यधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधि				
1	प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	4333.64	-	क+ख
2	प्रतिधारित अर्जन	0	-	ग
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	8339.30	-	घ
4	सीईटी 1 से फेजआउट के अध्यधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)	-	-	
	सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीगत सहायता जो 1 जनवरी 2018 तक प्राप्त होनी है	-	-	
5	समनुषंगियों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा रोकी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में स्वीकृत)	-	-	
	सीईटी 1 पूंजी के लिए योग्य राशि – पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	651.79	1448.43	ङ
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	13324.73		
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजीः विनियामक समायोजन				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-	
8	साख (संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)	-	-	
9	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार के अलावा (संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)	-	-	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	वी+ एक्स
11	नकदी– प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-	-	
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधान की कमी	-	-	
13	बिक्री पर प्राप्त प्रतिभूतिकरण	-	-	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ एवं हानि	-	-	
15	परिभाषित लाभ पैंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	0.00	एल
16	स्वयं के शेयरों में विनिवेश (यदि प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र में प्रदत्त पूंजी पहले से नेटेड ऑफ नहीं है)	-		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	15.00	15.00	पी
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा में पूंजी विनिवेश जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	0.00	0.00	क्यू
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण विनिवेश जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	-	-	

DF 11 - Composition of Capital				₹ in crore
Basel III Common Disclosure Template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e.from April 1,2013 to March 31,2019)			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	4333.64	-	a+b
2	Retained earnings	0	-	c
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	8339.30	-	d
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	-	-	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
	Amount Eligible for CET1 Capital- Revaluation Reserve	651.79	1448.43	e
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	13324.73		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	-	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-	-	
10	Deferred tax assets	0.00	0.00	v+x
11	Cash-flow hedge reserve	-	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	-	
13	Securitisation gain on sale	-	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00	l
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	15.00	15.00	p
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	q
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	-	

20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (राषि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	-	-	
21	आस्थिगत कर आस्तियां जो अस्थाई अंतर से उत्पन्न हुई हैं (राशि 10 % से अधिक थ्रेशहोल्ड, संबंधित कर जिम्मेदारियों को घटाने के बाद)	-	-	
22	15% थ्रेशहोल्ड से अधिक राशि	-	-	
23	उसमें से : वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण विनिवेश	-	-	
24	उसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार	-	-	
25	उसमें से : आस्थिगत कर आस्तियां जो अस्थाई अंतर से उत्पन्न हुई हैं	-	-	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-	-	
26 क	असमेकित बीमा समनुषंगियों की इक्विटी–पूंजी में विनिवेश	-	-	
26 ख	असमेकित गैर–वित्तीय समनुषंगियों की इक्विटी–पूंजी में विनिवेश	-	-	
26 ग	अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय इकाइयों की इक्विटी–पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है	-	-	
26 घ	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	-	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 न होने के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए विनियामक समायोजन लागू करना	-	-	
28	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 के कुल विनियामक समायोजन**	15.00	-	
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	13309.73		

₹ करोड़ में

अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			**बासेल ।।। पूर्व उपचार के अध्यधीन राशि**	**संदर्भ सं.**
30	प्रत्यक्ष जारी पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	.	
31	उसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर–समेकित वरियता शेयर)	-	.	
32	उसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर कर्ज लिखत)	-	.	
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज आउट के अध्यधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	2300.00	.	एच

20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	-	-	
23	of which : significant investments in the common stock of financial entities	-	-	
24	of which : mortgage servicing rights	-	-	
25	of which : deferred tax assets arising from temporary differences	-	-	
26	National specific regulatory adjustments	-	-	
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	-	
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-	-	
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	-	
26d	Unamortised pension funds expenditures	-	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	-	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**15.00**	-	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**13309.73**		

₹ in crore

Additional Tier 1 capital : instruments			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-	-	
31	of which : classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	-	
32	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-	-	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	2300.00	-	h

34	समनुषंगियो द्वारा जारी अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (व सीईटी 1 लिखत पांचवी लाइन में सम्मिलित नहीं है) तथा अन्य पार्टी द्वारा धारित (राशि समूह ए.टी. 1 में स्वीकृत)	-	.	
35	उसमें से : फेज आउट के अध्यधीन समनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	-	.	
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	**2300.00**	.	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में विनिवेश	-		
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	34.20	34.20	आर
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा में पूंजी विनिवेश जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10%से अधिक नहीं है (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	0.00	0.00	एस
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से इतर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात (पात्र लघु स्थिति 10 का निवल)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-		
41क	असमेकित बीमा समनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर । पूंजी में विनिवेश	-		
41ख	अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जो बैंक के पास समेकित नहीं है	-		
	बासेल III पूर्व उपचार के अध्यधीन राशि के संबंध में अतिरिक्त टीयर 1 के लिए लागू विनियामक समायोजन			
	उसमें सेः अंतरल स्थितियों हेतु पूंजी प्रभार			
	उसमें सेः समेकन पर साख			
	उसमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	एम+ डब्ल्यू + वाई
42	कटौतियों को कॅवर करने हेतु प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त टीयर 2 न होने के कारण लागू किया गया विनियामक समायोजन	-		
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के कुल विनियामक समायोजन	34.20		
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)**	2265.80		
44 क	**पूंजी पर्याप्तता 11 को समझने के लिए अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	2265.80		
45	**टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी 1 +एटी 1) (पंक्ति 29+ पंक्ति 44 क)**	15575.53		
टीयर 2 पूजीं : लिखत एवं प्रावधान				

34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	-	
35	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	-	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**2300.00**	-	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	34.20	34.20	r
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	s
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions10)	-		
41	National specific regulatory adjustments	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which : capital charge for illiquid positions			
	of which : goodwill on consolidation			
	of which : deferred tax assets	0.00	0.00	m+w+y
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	34.20		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	2265.80		
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	2265.80		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)**	15575.53		
Tier 2 capital : instruments and provisions				

46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखत जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य	-		
47	टीयर 2 से फेज आउट के अध्यधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	3862.50	.	आई
48	समनुषंगियों द्वारा जारी टीयर 2 लिखत(व सीईटी 1 व एटी 1 लिखत 5वीं अथवा 34वीं पंक्ति में सम्मिलित नहीं है) तथा अन्य पार्टी द्वारा धारित			
49	उसमें से : फेज आउट के अध्यधीन समनुषंगियों द्वारा जारी लिखत			
50	प्रावधान और हानि आरक्षित	971.59		एफ+के+पी
51	**विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	4834.09		

₹करोड़ में

टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			**पूर्व बासेल ।।। के अध्यधीन राशि**	**संदर्भ सं.**
52	स्वयं के टीयर 2 लिखतों में विनिवेश	-		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	0.00	टी
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा में पूंजी विनिवेश जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% से अधिक थ्रेशहोल्ड)	0.00	0.00	यू
55	विनियामक समेकन (निवल पात्र अधिविक्रय स्थिति) क्षेत्र से बाहरी–पूंजी बैंकिंग, वित्तीय एवं इंश्योरेंस से महत्वपूर्ण विनिधान	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	-		
56 क	इनमें से : गैर–समेकित समनुषंगियों की टीयर 2 पूंजी में विनिवेश	-		
56ख	इनमें से : अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय समनुषंगियों टीयर 2 पूंजी में कमी, जो बैंक के पास समेकित नहीं है	-		
57	**टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	0.00		
58	**टीयर 2 पूंजी (टी2)**	4834.09		
58 क	**टीयर 2 पूंजी को पर्याप्तता हेतु माना जाए**	4834.09		
58 ख	**अधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी को टीयर 2 पूंजी के रूप में समझने के लिए**	-		
58 ग	**पूंजी पर्याप्ता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (पंक्ति 58 क + पंक्ति 58 ख)**	4834.09		
59	**कुल पूंजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+ पंक्ति 58सी)**	20409.62		
: राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां ■ पूर्व बासेल ।।। के अध्यधीन उपचारित				

46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	-		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	3862.50	-	i
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties	-		
49	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50	Provisions and Loss reserves	971.59		f+k+p
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	4834.09		

₹ in crore

Tier 2 capital: regulatory adjustments			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
52	Investments in own Tier 2 instruments	-		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00	t
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	0.00	u
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a	of which: investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b	of which: shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00		
58	**Tier 2 capital (T2)**	4834.09		
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	4834.09		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	-		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)**	4834.09		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**	20409.62		
: Risk Weighted Assets in Respect of Amounts ■Subject to Pre-Basel III Treatment				

60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60 क + पंक्ति 60ख + पंक्ति 60 ग)**	175356.76		
60 क	उसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	147907.47		
60ख	उसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	13949.97		
60 ग	उसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	13499.33		
पूंजी अनुपात				
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में))	7.59%		
62	टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.88%		
63	कुल पूंजी (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.64%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा + पूंजी परिमित एवं काउंटरसाइक्लिकल बफर अपेक्षा जिसे जोखिम धारित आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है)	6.75%		
65	उसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.25%		
66	उसमें सेः बैंक की विशिष्ट काउंटरसाइक्लिकल बफर आवश्यकता	-		
67	उसमें सेः जी–सिब बफर आवश्यकता	-		
68	बफर को पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.84%		
राष्टीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)	-		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)	-		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)	-		

₹ करोड़ में

कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार से पहले)			**पूर्व बासेल III के अध्यधीन राशि**	**संदर्भ सं.**
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण विनिवेश	-		
73	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण विनिवेश	218.50		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयताओं को घटाने के पश्चात)	-		
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं को घटाने के पश्चात)	--		
टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा (कैप)				

60	**Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)**	175356.76		
60a	of which : total credit risk weighted assets	147907.47		
60b	of which : total market risk weighted assets	13949.97		
60c	of which : total operational risk weighted assets	13499.33		
Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.59%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.88%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.64%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%		
65	of which : capital conservation buffer requirement	1.25%		
66	of which : bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67	of which : G-SIB buffer requirement	-		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.84%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	-		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	-		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	-		

₹ in crore

Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
72	Non-significant investments in the capital of other financials	-		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	218.50		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	-		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				

76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन एक्सपोजर के संदर्भ में टीयर 2 में सम्मिलित होने योग्य प्रावधान (कैप के आवेदन से पूर्व)	971.59		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों के सम्मिलित होने पर कैप	1848.84		
78	आंतरिक रेटिंग–आधारित दृष्टिकोण के अध्यधीन एक्सपोजर के संदर्भ में टीयर 2 में सम्मिलित होने योग्य प्रावधान (केप के आवेदन से पूर्व)	-		
79	आंतरिक रेटिंग–आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों के सम्मिलित होने पर कैप	-		
फेज–आउट व्यवस्था के अध्यधीन पूंजी लिखत (केवल 1अप्रैल, 2018 एवं 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)				
80	फेज–आउट व्यवस्था के अध्यधीन सीईटी1 लिखत पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
81	कैप की वजह से सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक)	लागू नहीं		
82	फेज–आउट व्यवस्था के अध्यधीन एटी1 लिखत पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
83	कैप की वजह से सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात केप से अधिक)	लागू नहीं		
84	टी2 लिखत पर चालू केप फेज–आउट व्यवस्था की शर्तों के अधीन	लागू नहीं		
85	कैप की वजह से टी2 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात केप से अधिक)	लागू नहीं		
टेम्पलेट के लिए नोट्स				
# टेम्पलेट की पंक्ति	**विवरण**	**₹ करोड़ में**		
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर	-.		
	आस्थगित कर आस्तियां (उनके अतिरिक्त, जो संचित हानियों से संबद्ध हैं) (आस्थगित कर देयताओं को घटा कर)	0		
19	यदि बैंक की बढ़ी पूंजी में से, बीमा समनुषंगियों में किए गए विनिवेश को पूर्णतया नहीं घटाया गया है एवं कटौती हेतु 10% थ्रेशहोल्ड माना गया है	लागू नहीं		
	उनमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें से : अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें सेः टीयर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
26 ख	यदि असमेकित गैर–वित्तीय समनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में विनिवेश नहीं घटाया गया है और इसके बावजूद जोखिम धारित किया गया है	लागू नहीं		
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर1 पूंजी में वृद्धि			
	(ii) जोखिम धारित आस्तियों में वृद्धि	0		

76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	971.59		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1848.84		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	-		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT 1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
Notes to the Template				
Row # of template	**Particular**	**₹ in crores**		
10	Deferred tax associated with accumulated losses	-		
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	0		
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	NA		
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	NA		
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	NA		
	of which: Increase in Tier 2 capital	NA		
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	NA		
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital			
	(ii) Increase in risk weighted assets	0		

44 क	आधिक्य, अतिरिक्त टीयर1 पूंजी को पूंजी पर्याप्तता नहीं माना गया है (पंक्ति 44 में प्रस्तुत की गई अतिरिक्त टीयर1 पूंजी एवं पंक्ति 44 क में प्रस्तुत की गई स्वीकार्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में अंतर)	-		
	उनमें से : आधिक्य अतिरिक्त टीयर1 पूंजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टीयर2 की पूंजी माना गया है	-		
50	टीयर 2 पूंजी में सम्मिलित पात्र प्रावधान	971.59		
	टीयर 2 में पूंजी में सम्मिलित पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	0.00		
	पंक्ति 50 का कुल	971.59		
58 क	आधिक्य, अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी जो पूंजी पर्याप्तता को समझने के लिए नहीं है (पंक्ति 58 में प्रस्तुत अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी एवं पंक्ति 58 ख में प्रस्तुत टी2 पूंजी में अंतर)	-		
		लागू नहीं		

44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-		
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-		
50	Eligible provisions included in Tier 2 capital	971.59		
	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	0.00		
	Total of row 50	971.59		
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	-		
		NA		

डीएफ–12– पूंजी का संघटन – समाधान आवश्यकताएं
बैंक का समेकन

डीएफ–12 (चरण–1) :–नियामक समेकन एवं लेखांकन में कोई अन्तर नहीं है				₹ करोड़ में
डीएफ–12 (चरण–2) :–				
क.	पूंजी एवं देयताएं	समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन–पत्र	नियामक समेकन की आवश्यकताओं के अनुसार तुलन–पत्र	संदर्भ सं.
		31 मार्च–2017 को	31 मार्च 2017 को	
i	**पूंजी**	14121.37	14121.37	
	प्रदत्त पूंजी	346.17	346.17	
	उसमें सेः सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	346.17	346.17	ए
	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	13775.20	13775.20	
	उसमें सेः सीईटी 1 – शेयर प्रीमियम खाता हेतु पात्र राशि	3987.47	3987.47	बी
	उसमें सेः सीईटी 1 प्रतिधारित आय खाता हेतु पात्र राशि	0	0	सी
	उसमें सेः सीईटी 1 – सांविधिक आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि, राजस्व आरक्षित निधि, अन्य आरक्षित निधि पुनर्मूल्यांन आरक्षित निधि तथा शेयर आवेदन राषि हेतु पात्र राशि	8339.30	8339.30	डी
	विशिष्ट आरक्षित निधि पर कर	0.00	0.00	
	उसमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	एक्स
	उसमें से : एटी –1 से कटौती	0.00	0.00	वाई
	उसमें से : सीईटी 1 पूंजी हेतु पात्र राशि – पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	1448.43	651.79	ई
	उसमें से टीयर–।। पूंजी हेतु पात्र राशि – विनिवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	0.00	0.00	एफ
	उसमें से : बासेल–।।। के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0	796.64	जी
	अल्पांश हित	0	0	
ii	**जमाराशि**	219339.39	219339.39	
	उसमें से : बैंकों से जमाराशियां	98.18	98.18	
	उसमें से : ग्राहक जमाराशियां	219241.21	219241.21	
	उसमें से : अन्य जमाराशियां	0.00	0.00	

DF-12- Composition Of Capital - Reconciliation Requirements

Consolidation of the Bank.

DF 12 (Step-1) :-There is no difference between the regulatory consolidation and accounting				₹ in crore
DF 12 (Step-2) :-				
A Capital and Liabilities		**Balance sheet as in consolidated financial statements**	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**	**Ref. No.**
		As on 31-March-2017	**As on 31-March-2017**	
i	Capital	14121.37	14121.37	
	Paid-up capital	346.17	346.17	
	of which: Amount Eligible for CET1	346.17	346.17	a
	Reserves & surplus	13775.20	13775.20	
	of which: Amount Eligible for CET1-Share Premium Account	3987.47	3987.47	b
	of which: Amount Eligible for CET1-Retained earning Account	0	0	c
	of which: Amount Eligible for CET1-Stautory Reserve, Capital Reserve, Revenue Reserve, other Reserves,Revaluation reserve & Share Application Money	8339.30	8339.30	d
	Tax on Special Reserve	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	x
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	y
	of which: Amount Eligible for CET1 Capital- Revaluation Reserve	1448.43	651.79	e
	of which: Amount Eligible for Tier-II Capital- Investment fluctuation Reserve	0.00	0.00	f
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0	796.64	g
	Minority interest	0	0	
ii	Deposits	219339.39	219339.39	
	of which: Deposits from banks	98.18	98.18	
	of which: Customer deposits	219241.21	219241.21	
	of which: Other deposits	0.00	0.00	

iii	उधार	14592.17	14592.17	
	उसमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00	
	उसमें से: बैंकों से	0.39	0.39	
	उसमें से: अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	6442.53	6442.53	
	उसमें से: अन्य (भारत के बाहर बैंकों से उधार)	324.25	324.25	
	उसमें से: पूंजीगत लिखत– अतिरिक्त टीयर–। बॉण्ड	2600.00	2300.00	एच
	उसमें से: पूंजीगत लिखत– टीयर–।। बॉण्ड	5225.00	3862.50	आई
	उसमें से: बासेल–।।। के अुनसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0.00	1662.50	जे
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	5011.79	5011.79	
	(क) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान	945.78	945.78	के
	(ख) द्वितीय पेन्शन फण्ड हेतु देयता	0.00	0.00	
	(ग) अरक्षित एक्सपोजर के लिए प्रावधान	25.81	25.81	पी
	उसमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	एल
	उसमें से : एटी –1 से कटौती	0.00	0.00	एम
	उसमें से : अन्य देयताएं	4040.20	4040.20	
	उसमें से : वार्षिक लाभ	0.00	0.00	एन
	उसमें से : बासेल–।।। के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0.00	0.00	ओ
कुल पूंजी एवं देयताएं		253064.72	253064.72	
ख. आस्तियां				
i	नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आरक्षित निधि	10813.09	10813.09	
	बैंकों के पास अधिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	6613.14	6613.14	
	कुल	17426.23	17426.23	
ii	**विनिवेश**	59229.26	59229.26	
	उसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	49786.88	49786.88	
	उसमें से : अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.15	0.15	
	उसमें से : शेयर	1366.98	1351.98	
	उसमें से : डिबेन्चर एवं बॉण्ड	6035.70	6001.50	
	उसमें से : सहायक कंपनियां, सांझा उद्यम, सहयोगी कंपनियां	218.50	218.50	
	उसमें से : अन्य (कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्युचुअल फंड, वेन्चर फंड इत्यादि सहित.)	2072.40	2072.40	
	उसमें से : सीईटी 1 में से पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	15.00	पे
	उसमें से : सीईटी 1 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजी में निवेश हेतु कटौती	0.00	0.00	क्यू
	उसमें से : टीयर–1 में से पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	34.20	टार
	उसमें से : एटी–1 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजी में विनिवेश हेतु कटौती	0.00	0.00	एस
	उसमें से : टीयर–2 में से पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	0.00	टी
	उसमें से : टीयर–2 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजी में विनिवेश हेतु कटौती	0.00	0.00	यू
	उसमें से : विनिवेश में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	251.35	251.35	

iii	Borrowings	14592.17	14592.17	
	of which: from RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	0.39	0.39	
	of which: From other institutions & agencies	6442.53	6442.53	
	of which: Others(Borrowing Outside India from Banks)	324.25	324.25	
	of which: Capital instruments- Add. Tier-I Bonds	2600.00	2300.00	h
	of which: Capital instruments- Tier-II Bonds	5225.00	3862.50	i
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	1662.50	j
iv	Other liabilities & provisions	5011.79	5011.79	
	(a) Provision for Standard Assets	945.78	945.78	k
	(b) Liability for IInd pension fund	0.00	0.00	
	(c) Provision for Unhedged Exposure	25.81	25.81	p
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	l
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	m
	of which: other Liabilities	4040.20	4040.20	
	of which: Profit for the Year	0.00	0.00	n
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	0.00	o
Total Capital and Liabilities		253064.72	253064.72	
B Assets				
i	Cash and balances with RBI	10813.09	10813.09	
	Balance with banks and money at call and short notice	6613.14	6613.14	
	Total	17426.23	17426.23	
ii	Investments	59229.26	59229.26	
	of which: Government securities	49786.88	49786.88	
	of which: Other approved securities	0.15	0.15	
	of which: shares	1366.98	1351.98	
	of which: Debentures & Bonds	6035.70	6001.50	
	of which: Subsidiaries, Joint Ventures, Associates	218.50	218.50	
	of which: Others (including Commercial Papers, Certificate of Deposits, Mutual Funds, Venture Funds etc.)	2072.40	2072.40	
	of which: Deduction from CET-1 for Reciprocal holdings	0.00	15.00	p
	of which: Deduction from CET-1 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	q
	of which: Deduction from Add. Tier-1 for Reciprocal holdings	0.00	34.20	r
	of which: Deduction from AT-1 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	s
	of which: Deduction from Tier-2 for Reciprocal holdings	0.00	0.00	t
	of which: Deduction from Tier-2 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	u
	of which: provisions for Depreciation in Investment	251.35	251.35	

iii	**ऋण एवं अग्रिम**	157706.00	157706.00	
	उसमें से: बैंकों को	0.00	0.00	
	उसमें से: ग्राहकों को	157706.00	157706.00	
iv	अचल परिसंपत्तियां	2358.46	2358.46	
v	**अन्य आस्तियां**	16344.77	16344.77	
	उसमें से:			
	(क) साख एवं अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	(ख) आस्थगित आयकर आस्तियां	0.00	0.00	
	उसमें से: सीईटी–1 से कटौती	0.00	0.00	वी
	उसमें से: एटी–1 से कटौती	0.00	0.00	डब्लू
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00	
vii	अन्य समस्त परिसंपत्तियां	16344.77	16344.77	
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल परिसंपत्तियां	253,064.72	253,064.72	

iii	Loans and Advances	157706.00	157706.00	
	of which: to banks	0.00	0.00	
	of which: to customers	157706.00	157706.00	
iv	Fixed assets	2358.46	2358.46	
v	Other assets	16344.77	16344.77	
	of which:			
	(a) goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	(b) deferred Income tax assets	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	v
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	w
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	All Other Assets	16344.77	16344.77	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	253,064.72	253,064.72	

डीएफ–13 : नियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं को दर्शानेवाला प्रकटीकरण टेम्पलेट

	लोअर टीयर– II आईपीडीआई बॉण्ड अपर टीयर– II	इक्विटी	लोअर टीयर – II	लोअर टीयर– II	आईपीडीआई बॉण्ड	आईपीडीआई बॉण्ड	अपर टीयर– II	अपर टीयर– II	टीयर– II	एटी–1 पीडीआई	टीयर– II	टीयर– II	एटी–1 पीडीआई	एटी–1 पीडीआई
1	जारीकर्ता	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स												
2	यूनिक पहचानकर्ता (अर्थात् प्राईवेट प्लेसमेंट हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 141A01014	आईएनई 141A09082	आईएनई 141A09132	आईएनई 141A09116	आईएनई 141A09108	आईएनई 141A09090	आईएनई 141A09124	आईएनई 141A08019	आईएनई 141A08027	आईएनई 141A08035	आईएनई 141A08043	आईएनई 141A08050	आईएनई 141A08066
3	लिखत के संबंध में लागू कानून	भारतीय कानून												
	नियामक व्यवहार													
4	पश्चितनीय बासेल–III नियम	सीईटी–1	टीयर–II	टीयर–II	टीयर–I	टीयर–I	टीयर–II	टीयर–II	टीयर–II	टीयर–I	टीयर–II	टीयर–II	टीयर–I	टीयर–I
5	पश्चितन–बाद बासेल–III नियम	सीईटी–1	अयोग्य	अयोग्य	अयोग्य	अयोग्य	अयोग्य	अयोग्य	योग्य	योग्य	योग्य	योग्य	योग्य	योग्य
6	सोलो / ग्रुप / ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो	सोलो
7	लिखत का प्रकार	इक्विटी	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड	बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी के अन्तर्गत चिह्नित राशि (लाख में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि के निकट)	3461.70	0	5125	1500	1500	2500	1000	10000	5000	10000	10000	10000	10000
9	लिखत का सममूल्य	10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक इक्विटी	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	विविध दिनांक	23.04.2007	30.11.2012	17.09.2010	17.12.2009	12.02.2009	20.09.2010	27.10.2014	10.02.2015	26.10.2015	24.06.2016	16.09.2016	30.09.2016
12	सतत या दिनांकित	लागू नहीं	दिनांकित	दिनांकित	सतत	सतत	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	सतत	दिनांकित	दिनांकित	सतत	सतत
13	अवधि समाप्ति की मूल तिथि	लागू नहीं	23.04.2017	30.11.2022	परिपक्वता नहीं	परिपक्वता नहीं	12.02.2024	20.09.2025	27.10.2024	परिपक्वता नहीं	26.10.2025	24.06.2026	परिपक्वता नहीं	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के तहत जारीकर्ता कॉल	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां
15	ऑप्शनल कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं प्रतिदान राशि	नहीं	नहीं	नहीं	17.09.2020 सममूल्य पर	17.12.2019 सममूल्य पर	12.02.2019 सममूल्य पर	20.09.2020 सममूल्य पर	नहीं	10.02.2020 सममूल्य पर	नहीं	24.06.2021 सममूल्य पर	16.09.2021 सममूल्य पर	30.09.2021 सममूल्य पर
16	परवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां , देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	हां , देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	–	–	लागू नहीं	हां , देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	लागू नहीं	हां , देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	हां , देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर	हां , देय तिथि पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न करने पर प्रति कूपन तिथि पर
17	कूपन / डिविडेंड	डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
18	स्थायी अथवा अस्थायी डिविडेंड / कूपन	अस्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
19	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूची	लागू नहीं	9.95%	8.93%	9.05%	9.10%	8.75%	8.68%	9.20%	9.48%	9.34%	9.05%	10.95%	10.95%
20	डिविडेण्ड स्टॉपर की मौजूदगी	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
21	पूर्णतया विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन अथवा अधिदेशात्मक	पूर्णतया विवेकाधीन	आज्ञापक	आज्ञापक	अंशत विवेकाधीन	अंशत विवेकाधीन	अंशत विवेकाधीन	अंशत विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया विवेकाधीन	पूर्णतया आज्ञापक
22	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	असंचयी अथवा संचयी	लागू नहीं संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
24	पश्चितनीय अथवा अपश्चितनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्त नीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपश्चितनीय	अपश्चितनीय	अपरिवर्त नीय	अपरिवर्त नीय	अपश्चितनीय	अपरिवर्तनीय
25	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन के लिए ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो आज्ञापक या ऐच्छिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत का प्रकार संबंधी सूचना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

DF-13 : Disclosure Template for Main Features of Regulatory Capital Instruments

		Equity	Lower Tier-II	Lower Tier-II	IPDI Bonds	IPDI Bonds	Upper Tier II	Upper tier II	Tier-II	AT-1 PDI	Tier II	Tier II	AT-1 PDI	AT-1 PDI
1	Issuer	ORIENTALBANKOFCOMMERCE												
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE 141A01014	INE 141A09082	INE 141A09132	INE 141A09116	INE 141A09108	INE 141A09090	INE 141A09124	INE 141A08019	INE 141A08027	INE 141A08035	INE 141A08043	INE 141A08050	INE 141A08068
3	Governing law (s) of the instrument	Indian Laws												
	Regulatory treatment													
4	Transitional Basel III rules	CET-1	Tier-II	Tier-II	Tier-I	Tier-I	Tier-II	Tier-II	Tier-II	Tier-I	Tier-II	Tier-II	Tier-I	Tier-I
5	Post-transitional Basel III rules	CET-1	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo /group/group &solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Equity	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds
8	**Amount recognised in regulatory capital(` in million, as of most recent reporting date)**	3461.70	0	5125	1500	1500	2500	1000	10000	5000	10000	10000	10000	5000
9	Par value of instrument (`)	10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Accounting classification	Shareholder's Equity	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various Dates	23.04.2007	30.11.2012	17.09.2010	17.12.2009	12.02.2009	20.09.2010	27.10.2014	10.02.2015	26.10.2015	24.06.2016	16.09.2016	30.09.2016
12	Perpetual or dated	NA	Dated	Dated	Perpetual	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated	Dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	NA	23.04.2017	30.11.2022	No Maturity	No Maturity	12.02.2024	20.09.2025	27.10. 2024	No Maturity	26.10.2025	24.06.2026	No Maturity	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amt	No	No	No	17.09.2020 At Par	17.12.2019 At Par	12.02.2019 At Par	20.09.2020 At Par	No	10.02.2020 At Par	No	24.06.2021 At Par	16.09.2021 At Par	30.09.2021 At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date	-	-	N.A.	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date	N.A.	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on each coupon date
17	Coupons/dividends	Dividend	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons
18	Fixed or floating dividend / coupon	Floating	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
19	Coupon rate and any related index	NA	9.95%	8.93%	9.05%	9.10%	8.75%	8.68%	9.20%	9.48%	8.34%	9.05%	10.95%	10.95%
20	Existence of a dividend stopper	No	N.A.	N.A.	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Yes	N.A	NA	Yes	Yes
21	Fully discretionary, partiallydiscretionary or mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
22	Existence of step up or other Incentive to redeem	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
23	Non-cumulativeor cumulative	N.A. Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
24	Convertible or non-convertible	N.A.	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible	non-convertible
25	If convertible conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA	NA
26	If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA	NA
27	If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA	NA
28	If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA	NA
29	If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA	NA

डीएफ–14: विनियामक पूंजीगत लिखतों हेतु सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें

लिखत का प्रकार	सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें
लोअर टीयर–।। अधीनस्थ बॉण्ड 23.04.2007	प्रोमिज़री नोट के रूप में अधीनस्थ लोअर टीयर–।। बॉण्ड –अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय. कॉल ऑप्शन – काई नहीं, स्टेप अप–कोई नहीं । अन्य विवरणः राशिः ₹.500 करोड़, अवधिः 120 माह, 23.04.2017 को परिपक्व होगी । कूपनः 9.95%, वार्षिक भुगतान । रेटिंगः केयर एवं इकरा द्वारा एए
लोअर टीयर–।। अधीनस्थ बॉण्ड 30.11.2012	डिबेंचर के रूप में अधीनस्थ लोअर टीयर–।। बॉण्ड –अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड. कॉल ऑप्शन – काई नहीं, स्टेप अप – कोई नहीं । अन्य विवरणः राशिः ₹1025 करोड़, अवधिः 120 माह 30.11.2022 को परिपक्व होगी । कूपनः 8.93% वार्षिक भुगतान । रेटिंगः केयर एवं इकरा द्वारा एए
सतत – । अधीनस्थ बॉण्ड 17.09.2010	लिखत का प्रकारः प्रोमिज़री नोट के रूप में सतत, अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड । कॉल ऑप्शनः 10 साल के बाद अर्थात् 17.09.2020 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन) । अन्य विवरणः राशिः ₹ 300 करोड़, अवधिः सतत कूपनः 9.05% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.55% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है । रेटिंगः केयर द्वारा एए – एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए –
सतत – टीयर । अधीनस्थ बॉण्ड 17.12.2009	लिखत का प्रकारः प्रॉमिजरी नोट के रूप में सतत, अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड. कॉल ऑप्शन# 10 साल के बाद यानि 17.12.2019 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन). अन्य विवरणः राशिः ₹300 करोड़ अवधिः सतत कूपनः 9.10% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.60% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है. रेटिंग : केयर द्वारा एए – एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए –
अपर – टीयर।। अधीनस्थ बॉण्ड 12.02.2009	लिखत का प्रकार : प्रोमिज़री नोट के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टीयर–।। बॉण्ड । कॉल ऑप्शनः 12.02.2019 को सममूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन). अन्य विवरण : राशिः ₹500 करोड़ अवधिः 180 माह परिपक्वताः 12.02.2024 कूपनः 8.75% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.25% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है. रेटिंग : केयर द्वारा एए – एवं इकरा द्वारा एए –
अपर – टीयर ।। अधीनस्थ बॉण्ड 20.09.2010	लिखत का प्रकारः प्रोमिजरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टीयर–।। बॉण्ड. कॉल ऑप्शन : 20.09.2020 को सममूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन). अन्य विवरणः राशिः ₹200 करोड़ अवधिः 180 माह परिपक्वताः 20.09.2025 कूपनः 8.68% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.18% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है. रेटिंग : केयर द्वारा एए– एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए–
टीयर ।। अधीनस्थ बॉण्ड 27.10.2014	लिखत का प्रकार : डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल ।।। अनुपालक टीयर–।। बॉण्ड. अन्य विवरण : राशि ₹.1000 करोड़ अवधि : 120 माह परिपक्वता : 27.10.2024 कूपनः 9.20% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षों के लिए रेटिंग : केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए (हाइब्रिड) हानि वहनीयता खंड
सतत –अतिरिक्त टीयर । बॉण्ड 10.02.2015	लिखत का प्रकार: डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय बासेल III अनुपालक सतत ऋण लिखत (एटी 1 बांड) बैंक के लिए अतिरिक्त टियर –1 पूंजी जुटाने हेतु डिबेंचरों के रुप में जारी। कॉल ऑप्शनः 10.02.2020 समपार। बैंक जारी होने की तिथि के पांचवें वर्ष अर्थात 10.02.2015 अर्थात पांचवीं कूपन भुगतान तिथि अथवा किसी भी कूपन के भुगतान की तिथि के बाद से। अन्य विवरण : राशि ₹500 करोड़ अवधि : सतत कूपन 9.48% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) रेटिंग : केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए हानि वहनीयता खंड
टीयर ।। बॉण्ड 26.10.2015	लिखत का प्रकारः अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बॉण्ड बासेल ।।। नियामक, टियर–।। डिबेंचरों के स्वरूप में बांड अन्य विवरणः राशि ₹1000 करोड़ अथवा अवधि –120 माह परिवक्वता तिथि–26.10.2025, कूपनः 8.34% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षों के लिए रेटिंगः केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए (hyb) हानि वहनीयता खंड

DF-14:Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Type of Instrument	Full terms &conditions
Lower Tier-II Subordinated Bonds 23.04.2007	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes .Call option- none and step-up- none. Other details:Amount:Rs.500cr. Tenor : 120months maturing on 23.04.2017 Coupon: 9.95% payable annually.Ratings:AA by CARE and ICRA
Lower Tier-II Subordinated Bonds 30.11.2012	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Call option-none and step-up-none. Other details: Amount:Rs.1025 cr. Tenor: 120 months maturing on 30.11.2022 Coupon: 8.93% payable annually. Ratings: AA by CARE and ICRA
Perpetual - I Subordinated Bonds 17.09.2010	Type of Instrument: Unsecured, non-convertible Subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option: After 10years i.e. on17.09.2020 or thereafter (subject to prior approval from RBI).Other details: Amount:Rs.300 cr Tenor : Perpetual Coupon: 9.05% (fixed, payable annually) for first 10years and 9.55%p.a. for subsequent years if call option is not exercised at the end of10thyear Rating: AA- by CARE AA- by Brickwork
Perpetual - Tier I Subordinated Bonds 17.12.2009	Type of Instrument: Unsecured, non-convertible Subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call: After 10years i.e. on 17.12.2019 or thereafter (subject to prior approval from RBI).Other details: Amount: Rs. 300cr.Tenor: Perpetual Coupon: 9.10% (fixed, payable annually) for first 10 years and 9.60% p.a. for subsequent years if call option is not exercised at the end of 10thyear. Rating: AA- by CARE AA- by Brickwork
Upper Tier-II Subordinated Bonds 12.02.2009	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option: On 12.02.2019 at par subject to RBI approval. Other details: Amount: Rs.500 cr Tenor: 180 months maturing on: 12.02.2024 Coupon: 8.75% (fixed, payable annually) for 10 years & 9.25% after 10 years if call option is not exercised at the end of 10th year. Rating : AA- by CARE and AA- by ICRA
Upper Tier-II Subordinated Bonds 20.09.2010	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option:At par on 20.09.2020(subject to prior approval from RBI). Other details: Amount: Rs.200 cr Tenor: 180 months maturing on: 20.09.2025 Coupon: 8.68% (fixed, payable annually) p.a. for first 10 years and 9.18% p.a. for subsequent year if call option is not exercised at the end of 10th year Rating : AA- by CARE and AA- by Brickwork
Tier-II Bonds 27.10.2014	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Other details: Amount : Rs.1000 cr Tenor: 120 months maturing on: 27.10.2024 Coupon: 9.20% (fixed, payable annually) for 10 years Rating : AA by CARE and AA (hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause
Perpetual –Additional Tier I Bonds 10.02.2015	Type of Instrument: Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds) issued in the nature of debentures for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank. Call option: On 10.02.2020 at par.The Bank may exercise Call Option on the fifth anniversary from the Date of Allotment viz. 10.02.2015 i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. Other details: Amount:Rs.500cr Tenor: Perpetual Coupon: 9.48% (fixed, payable annually) Rating: A+ by CARE and A+ by ICRA Loss Absorbency Clause
Tier-II Bonds 26.10.2015	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Other details: Amount : Rs.1000 cr Tenor: 120 months maturing on: 26.10.2025 Coupon: 8.34% (fixed, payable annually) for 10 years Rating : AA by CARE and AA (hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause

लिखत का प्रकार	सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें
टीयर ।। बॉण्ड 24.06.2016	लिखत का प्रकार: डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बासेल ।।। अनुपालक टीयर–।। बॉन्ड कॉल ऑप्शनः 24.06.2021 समपार। बैंक जारी होने की तिथि के पांचवें वर्ष अर्थात 24.06.2016 अर्थात पांचवीं कूपन भुगतान तिथि अथवा किसी भी कूपन के भुगतान की तिथि के बाद से। अन्य विवरण : राशि ₹1000 करोड़, अवधि 120 माह, 24.06.2026 को परिपक्वता कूपन : 9.05% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षो के लिए रेटिंग : केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए हानि वहनीयता खंड
सतत – अतिरिक्ति टीयर । बॉण्ड 16.09.2016	लिखत का प्रकार: अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय बासेल III अनुपालक सतत ऋण लिखत (एटी 1 बांड) बैंक के लिए अतिरिक्त टीयर –1 पूंजी जुटाने हेतु डिबेंचरों के रुप में जारी। कॉल ऑप्शनः 16.09.2021 समपार। बैंक जारी होने की तिथि के पांचवें वर्ष अर्थात 16.09.2016 अर्थात पांचवीं कूपन भुगतान तिथि अथवा किसी भी कूपन के भुगतान की तिथि के बाद प्रयोग कर सकता है। अन्य विवरण : राशि ₹1000 करोड़ अवधि : सतत कूपन 10.95% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) रेटिंग : इंडिया रेटिंग द्वारा ए+ (हाइब्रिड) एवं इकरा द्वारा ए+ (हाइब्रिड), हानि वहनीयता खंड
सतत – अतिरिक्ति टीयर । बॉण्ड 30.09.2016	लिखत का प्रकार: अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय बासेल III अनुपालक सतत ऋण लिखत (एटी 1 बांड) बैंक के लिए अतिरिक्त टीयर –1 पूंजी जुटाने हेतु डिबेंचरों के रुप में जारी। कॉल ऑप्शनः 30.09.2021 समपार। बैंक जारी होने की तिथि के पांचवें वर्ष अर्थात 30.09.2016 अर्थात पांचवीं कूपन भुगतान तिथि अथवा किसी भी कूपन के भुगतान की तिथि के बाद प्रयोग कर सकता है अथवा नहीं। अन्य विवरण : राशि ₹5000 करोड़ अवधि : सतत कूपन 10.95% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) रेटिंग : केयर द्वारा ए+ एवं इकरा द्वारा ए+ (हाइब्रिड) हानि वहनीयता खंड

Type of Instrument	Full terms &conditions
Tier-II Bonds 24.06.2016	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Call option: On 24.06.2021 at par.The Bank may exercise Call Option on the fifth anniversary from the Date of Allotment viz. 24.06.2016 i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. Other details: Amount: Rs.1000 cr Tenor: 120 months maturing on: 24.06.2026 Coupon: 9.05% (fixed, payable annually) for 10 years Rating : AA by CARE and AA (hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause
Perpetual –Additional Tier I Bonds 16.09.2016	Type of Instrument: Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds) issued in the nature of debentures for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank. Call option: On 16.09.2021 at par.The Bank may exercise Call Option on the fifth anniversary from the Date of Allotment viz. 16.09.2016 i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. Other details: Amount:Rs.1000cr Tenor: Perpetual Coupon:10.95% (fixed, payable annually) Rating: A+(hyb.) by India Rating and A+(hyb.)by ICRA Loss Absorbency Clause
Perpetual –Additional Tier I Bonds 30.09.2016	Type of Instrument: Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds) issued in the nature of debentures for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank. Call option: On 30.09.2021 at par. The Bank may or may not exercise Call Option on the fifth anniversary from the Date of Allotment viz. 30.09.2016 i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. Other details: Amount:Rs.500cr Tenor: Perpetual Coupon:10.95% (fixed, payable annually) Rating: A+ by CARE and A+(hyb.)by ICRA Loss Absorbency Clause

तालिका डीएफ–15 पारिश्रमिक हेतु प्रकटन

भारत में परिचालित सभी निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को जारी परिपत्र सं. डीबीओडी सं.बीसी.72/29.67.001/2011–12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 जो कि पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/अन्य रिस्कटेकर्स को क्षतिपूर्ति दिशानिर्देश के मास्टर परिपत्र द्वारा बासेल ।।। पूंजी विनियमन के परिशिष्ट 18 के पैरा 3.6 के अनुरूप जारी किया गया है। इस मास्टर परिपत्र के अनुसार भारत में परिचालित सभी निजी क्षेत्र और विदशी बैंकों को मास्टर परिपत्र में दिए गए नमूने के अनुरूप अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणी में वार्षिक आधार पर कम–से–कम एक बार पारिश्रमिक का प्रकटन करना आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र का बैंक होने के कारण ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को डीएफ–15 के अंतर्गत प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

तालिका डीएफ–16 ईक्विटीः बैंकिंग बुक स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन
ईक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन, इसमें शामिल हैं–
1. वे जोखिम जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है, के बीच अंतर और वे जो संबंध और अन्य रणनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्य हेतु लिए गए हैं।
संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी choice में बैंक ने ₹218.15 करोड़ निवेश किए हैं, इसका कारण दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के साथ–साथ इसके रणनीतिक कारण भी हैं ताकि ग्राहकों को एक ही छत के नीचे बीमा उत्पाद खरीदने की सुविधा दी जा सके और ग्राहक बैंक के साथ जुड़े रहें ।
2. महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार–विमर्श जिसमें बैंकिंग बुक में ईक्विटी होल्डिंग का मूल्यांकन और लेखांकन शामिल हैं । इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन कार्यविधि शामिल है, इसमें मूल्यांकन के साथ व्यवहार में हुए महत्वपूर्ण बदलावों को प्रभावित करने वाले मुख्य अनुमान और व्यवहार शामिल हैं ।
क) परिपक्वता तक धारिता वर्ग के अंतर्गत निवेश अधिग्रहण लागत अथवा परिशोधन लागत पर किया जाता है । जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है ।
ख) संयुक्त उद्यम में निवेश का मूल्यांकन मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, को घटाकर रख–रखाव लागत पर किया जाता है अस्थायी स्वरूप को छोड़कर ।

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration:-

As per para 3.6 of Annex 18 of Master Circular - Basel III Capital regulations Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Other Risk Takers issued vide circular DBOD. No.BC.72/29.67.001/2011-12 dated January 13, 2012 addressed to *all private sector and foreign banks operating in India*. Private sector and foreign banks operating in India are required to make disclosure on remuneration on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements in the template provided with Master circular.

Oriental Bank of Commerce being a Public Sector Bank is not required to make Disclosure under DF-15.

Table DF-16: Equities:-Disclosures for Banking Book Positions

Qualitative Disclosures
The general qualitative disclosures requirement with respect to equity risk, including:-
1.) Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons.
The Bank has invested Rs. 218.50 Crores in the Joint Venture Insurance Company, CHOICe, where the Bank is expecting capital gains in longer term as well for strategic reason of giving the facility to the customers for purchasing insurance products under one roof and thus to increase the customer retention.
2.**) Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.**
a) Investments under “Held to Maturity” category are carried at acquisition cost or amortized cost if acquired at a premium over face value. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
b) Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any,other than temporary in nature.

गुणात्मक प्रकटन			
		बही मूल्य 31.03.2017	उचित मूल्य 31.03.2017
1.	मूल्य प्रकार और संकल्प		
2.	निजी रूप से धारित संयुक्त उद्यम (भारत में)	218,50,00,000	218,50,00000
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और लिक्विडेशन से प्राप्त संचित वास्तविक लाभ (हानि)	शून्य	
4.	कुल लाभ (हानि)	शून्य	
5.	कुल पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	शून्य	
6.	टीयर–1 और/अथवा टीयर–2 पूंजी में शामिल उपर्युक्त कोई भी राशि	शून्य	
7.	बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप पूंजी उचित ईक्विटी ग्रुपिंग द्वारा विभाजित पूंजी आवश्यकताओं के साथ ही, समग्र राशि और ईक्विटी निवेश का प्रकार विनियम पूंजी आवश्यकताओं से संबधि ात पर्यवेक्षी अंतरण अथवा प्रमुख प्रावध ानों के अध्यधीन है ।	निवेष राशि 250 पर जोखिम भारित है ।	
8.	तुलन–पत्र में शामिल लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं किए गए अवास्तविक लाभ (हानि)	शून्य	
9.	न तो तुलन–पत्र और न ही लाभ–हानि खाते में शामिल किए गए अवास्तविक लाभ (हानि)	शून्य	

Quantitative Disclosures			
		BOOK VALUE 31.03.2017	FAIR VALUE 31.03.2017
1.	Value Type & Nature		
2.	*Privately held.***JVs (In India) in	218,50,00,000	218,50,00000
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL	
4.	Total unrealized gains (losses)	NIL	
5.	Total latent revaluation gains (Losses)	NIL	
6.	Any amounts of the above included in Tier-1 and/or Tier 2 capital	NIL	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and type of equity investment subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The investment amount is Risk weighted at 250%.	
8.	Unrealised gains (losses) recognized in the balancesheet but not through the profit and loss account.	NIL	
9.	Unrealised gains (losses) not recognized either in the balancesheet or through the profit and loss accounts.	NIL	

लीवरेज अनुपात

बासेल– ।।। लीवरेज अनुपात को पूंजी मानक (गणक) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अनुपात के साथ एक्सपोज़र मानक (भाजक) द्वारा विभाजित किया जाता है ।

	टीयर–1 पूंजी
बासेल ।।। के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लीवरेज अनुपात	बैंक का ऑन और ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोज़र
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यनूतम लीवरेज अनुपात	4.50%

वर्तमान में, भारतीय बैंकिग प्रणाली 4.5% से अधिक लीवरेज अनुपात पर परिचालित है। अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात 2017 के अत तक बासेल समिति द्वारा निर्धारित अंतिम नियमों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाएगा । साथ–साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश बैंको द्वारा समानातर रुख के लिए और प्रकटन के उद्देश्य से आधार प्रदान करते है । इस अवधि के दौरान, रिजर्व बैंक 4.5% लीवरेज अनुपात आधार पर प्रत्येक बैंक की निगरानी करेगा । हमारे बैंक का लीवरेज अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है ।

Leverage Ratio

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (the numerator) divided by the exposure measure (the denominator), with this ratio expressed as a percentage.

Leverage Ratio prescribed by RBI under Basel-III	Tier-I Capital Bank's On & Off balance sheet exposure
Minimum Leverage Ratio prescribed by RBI	4.50%

Currently, Indian banking system is operating at a leverage ratio of more than 4.5%.The final minimum leverage ratio will be stipulated taking into consideration the final rules prescribed by the Basel Committee by end-2017. In the meantime, RBI guidelines serves as the basis for parallel run by banks and also for the purpose of disclosures below. During this period, Reserve Bank will monitor individual banks against an indicative leverage ratio of 4.5%. Our bank's leverage ratio is well above the RBI prescribed limit.

पूंजी उपाय

विभिन्न विनियामक समायोजनों/कटौतियों और संक्रमण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, लीवरेज अनुपात हेतु पूंजी मानक जोखिम आधारित पूंजीगत ढांचा की टीयर–1 पूंजी है । अन्य शब्दों में, किसी खास समय लीवरेज अनुपात हेतु पूंजी मानक जोखिम आधारित ढांचे के अंतर्गत उस समय लागू टीयर 1 पूंजी मानक है ।

एक्सपोज़र उपाय

सामान्य माप नियम

एक बैंक का कुल एक्सपोज़र मानक निम्नलिखित एक्सपोज़र का योग होता है:

क) ऑन–बैलेंस शीट एक्सपोज़र

ख) व्युत्पन्नी एक्सपोज़र

ग) प्रतिभूति वित्तीय लेन–देन एक्सपोज़र (एसएफटी) और

घ) ऑफ बैलेंस शीट (ओबीएस) मदें।

डीएफ–17 : लेखा आस्तियों और लीवरेज अनुपात मानक की सारांश तुलना

31.03.2017 के अनुसार		
	मद	(₹ मिलियन में)
1	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां प्रकाशित	2530149.83
2	बैंकिंग वित्तीय बीमा अथवा वाणिज्यिक ईकाइयों में निवेश हेतू समायोजन, जिनको लेखा उद्देश्य से समेकित किया गया है लेकिन, विनियामक समेकन के बिना	(490.20)
3	तुलन पत्र में दिए गए परिचालित लेखा ढांचे के अनुरूप प्रत्ययी आस्तियों हेतु समायोजन, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र मानक को छोड़कर	0.00
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों हेतु समायोजन	4645.90
5	प्रतिभूति वित्तीय लेन–देन हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और जमानती ऋण)	3140
6	ऑफ तुलन पत्र मदों हेतु समायोजन (ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर का समान ऋण में परिवर्तन)	529029.57
7	अन्य समायोजन	0
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	2759723.20

Capital Measure

The capital measure for the leverage ratio is the Tier 1 capital of the risk-based capital framework, taking into account various regulatory adjustments / deductions and the transitional arrangements. In other words, the capital measure used for the leverage ratio at any particular point in time is the Tier 1 capital measure applying at that time under the risk-based framework.

Exposure Measure

General Measurement Principles

A bank's total exposure measure is the sum of the following exposures:

(a) on-balance sheet exposures;

(b) Derivative exposures;

(c) Securities financing transaction (SFT) exposures; and

(d) Off- balance sheet (OBS) items

DF 17- SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

AS ON 31.03.2017		
	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	2530149.83
2	Adjustment for investments in banking financial insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(490.20)
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	4645.90
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	3140
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	529029.57
7	Other adjustments	0
8	Leverage Ratio Exposure	2759723.20

डीएफ – 18 लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	मदें	31.03.2017
ऑन–बैलेन्स षीट एक्सपोजर		
1	ऑन – बैलेन्स षीट मदें (व्युत्पन्नी और एसएफटी के बिना पर संपार्षिक सहित)	2530640.03
2	बासेल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने में घटाई गई आस्ति राषि	-490.20
3	कुल ऑन –बैलेन्स षीट एक्सपोजर (व्युत्पन्नी और एसएफटी के बिना) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	2530149.83
4	सभी व्युत्पन्नी लेन.देन से संबंधित प्रतिस्थापन्न लागत (अर्थात योग्य नकद विचरण मार्जिन का निवल)	2195.00
5	सभी व्युत्पन्नी लेन.देन से संबंधित पीएफई हेतु वर्धित राषि	2450.90
6	व्युत्पन्नी संपार्षिक हेतु ग्रौस–अप बषर्ते तुलन पत्र आस्तियों से कटौती परिचालित लेखा ढांचे के अनुरूप हो	-
7	व्युत्पन्नी लेन.देन में प्रदत्त नकद विचरण मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती	-
8	(क्लाईंट– क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी अंष)	-
9	लिखित ऋण व्युत्पन्नी हेतु समायोजित प्रभावी राश्ट्रीय राषि	-
10	लिखित ऋण व्युत्पन्नी हेतु समायोजित प्रभावी राश्ट्रीय ऑफसेट्स और वर्धित कटौतियां	-
11	कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	4645.90
12	सकल एसएफटी आस्तियां, (नेटिंग के बिना) विक्रय हेतु लेखा लेन–देन के समायोजन के पष्चात	62640
13	सकल एसएफटी आस्तियों की नकद प्राप्य और नकद देय नेटेड राषि	-59500
14	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-
15	एजेंट लेन–देन एक्सपोजर	-

DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(₹ Million)

Sl. No.	Items	31.03.2017
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs but including collateral)	2530640.03
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-490.20
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2530149.83
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	2195.00
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2450.90
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	4645.90
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting) after adjusting for sale accounting transactions	62640
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-59500
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-

16	कुल प्रतिभूति वित्तीय लेन–देन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)	3140
17	सकल राश्ट्रीय राषि पर तुलन पत्र एक्सपोजर	529029.57
18	(ऋण समतुल्य राषि तक कनवर्ज़न हेतु समायोजन)	-307242.10
19	तुलन पत्र मदें (पंक्ति 17 और 18 का योग)	221787.47
20	टीयर 1 पूंजी	155750.00
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	2759723.20
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	5.64%

16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	3140
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	529029.57
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-307242.10
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	221787.47
20	Tier 1 capital	155750.00
21	Total exposures (sum of lines 3 11 16 and 19)	2759723.20
22	Basel III leverage ratio	5.64%

कम्पनी अभिशासन

1. कम्पनी अभिशासन संहिता पर बैंक की अवधारणा

बैंक की कंपनी अभिशासन नीतियां, हमारे सभी घटकों जिसमें जमाकर्ता, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी और विनियामक प्राधिकारी शामिल हैं, के प्रति मंडल के उत्तरदायित्व और इसके निर्णयों के महत्व को मानती हैं और यह दर्शाती है कि शेयरधारक ही हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतिम लाभग्राही हैं। मंडल तथा कार्यपालक प्रबंधन के कार्य सुपरिभाषित हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सदैव सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वेच्छा से प्रयास किए हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनकी बैठकें नियमित अंतरालों पर होती हैं व बैंक के कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर किए जाने वाले कार्यों को मॉनीटर करती है और सुनिश्चित करती हैं कि निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप–समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन, समय–समय पर यथासंशोधित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों तथा राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों)योजना 1980 के अनुसार किया जाता है।

मंडल में अन्य निदेशकों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक शामिल हैं ।

मंडल के अन्य सदस्यों में भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि, कर्मकार व गैर-कर्मकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा केन्द्र सरकार से भिन्न – शेयरधारकों द्वारा चुने गए अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक तथा निदेशक शामिल हैं।

विवरण निम्नानुसार है:

CORPORATE GOVERNANCE

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

The Bank's Corporate Governance Policy recognizes the accountability of the Board and the importance of its decisions to its constituents including depositors, lenders, customers, employees and the regulatory authorities, and demonstrates that the shareholders are the ultimate beneficiaries of its economic activities. The functions of the Board and the executive management are well defined and are distinct from one another. Oriental Bank of Commerce has always voluntarily made efforts to implement sound governance practices.

Oriental Bank of Commerce has set up various Committees of the Board which meet at regular intervals and monitor the activities of the Bank, which are being carried out on a daily basis by the Executives of the Bank and ensure that the Bank implements the decisions taken at the meetings of the Board of Directors/Sub-Committee of Board of Directors.

2. BOARD OF DIRECTORS

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended from time to time.

The Board comprises of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors as whole time Directors appointed by the Government of India besides other Directors.

The other members of the Board include Representative of Government of India, Representative of Reserve Bank of India, Directors nominated by the Government of India to represent the interests of workmen and non-workmen, Director nominated by Government of India as Part time Non Official Director under Chartered Accountant Category and Part time Non official Directors as well as Directors elected by the shareholders – other than the Central Government.

The details are as follows:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
1	श्री अनिमेष चौहान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	59	बी.कॉम, जेएआईआईबी	शून्य	1. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) 2. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि0 (CHOICe) उप–समितियों के सदस्य/अध्यक्ष : 1	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 5. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन समिति 8. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 9. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 10. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 11. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 12. चुनाव विवाद समिति 13. सीएसआर समिति 14. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 15 मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 5. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन समिति 8. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 9. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 10. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 11. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 12. चुनाव विवाद समिति 13. सीएसआर समिति 14 असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति	लागू नहीं
2	श्री राजकिरण राय जी. कार्यकारी निदेशक	54	बी.एससी, (कृषि.) सीएआईआईबी	शून्य	1. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि0 (CHOICe) उप–समितियों के सदस्य/अध्यक्ष : 7	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति जोखिम प्रबंधन पर 3. निदशकों की पर्ययेक्षी समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. अनशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 15. सीएसआर समिति	शून्य	लागू नहीं

SN	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committee	Sitting Fees paid during the Financial Year 2016-17
1	Sh. Animesh Chauhan Managing Director & Chief Executive Officer	59	B.Com, JAIIB	NIL	1.India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) 2. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) Member / Chairperson of sub-committees: 1	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 3. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 4. Committee of Board on Customer Service 5. Disciplinary Action Committee 6. Credit Approval Committee 7. HR Committee 8. PR & Publicity Committee 9. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 10. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 11. Share Issue & Allotment Committee 12. Election Disputes Committee 13. CSR Committee 14. Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 15. IT Strategy Committee of Board	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 3. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 4. Committee of Board on Customer Service 5. Disciplinary Action Committee 6. Credit Approval Committee 7. HR Committee 8. PR & Publicity Committee 9. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 10. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 11. Share Issue & Allotment Committee 12. Election Disputes Committee 13. CSR Committee 14. Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters	N.A
2	Sh. Rajkiran Rai G Executive Director	54	B Sc. (Agri), CAIIB	Nil	1.Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) Member / Chairperson of sub-committees: 7	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Stakeholders Relationship Committee 6. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. H R Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue & Allotment Committee 15. CSR Committee	NIL	N.A

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
3	श्री हिमांशु जोशी कार्यकारी निदेशक	58	बी.कॉम, सीएआईआईबी, ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति (आमंत्रित) 3. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 15 . सीएसआर समिति	शून्य	लागू नहीं
4	श्री अरुणीश चावला भारत सरकार के नामिती निदेशक (गैर–कार्यकारी)	48	एम.एससी., पीएचडी	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 3. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. नामांकन समिति 6. मानव संसाधन समिति 7. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 8. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 9. चुनाव विवाद समिति 10. जनसंपर्क एवं प्रचार समिति 11. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	1. पारिश्रमिक समिति 2. नामांकन समिति 3. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति	लागू नहीं
5	श्री प्रशांत गोयल भारत सरकार के नामिती निदेशक (गैर–कार्यकारी)	49	बी.ई., स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र), वित्तीय प्रबंधन एवं लोक प्रबंधन व नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 3. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. मानव संसाधन समिति 6. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 7. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 8. नामांकन समिति 9. चुनाव विवाद समिति 10. जनसंपर्क एवं प्रचार समिति 11. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	1. पारिश्रमिक समिति 2. नामांकन समिति 3. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति	लागू नहीं

SN	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committee	Sitting Fees paid during the Financial Year 2016-17
3	Sh. Himanshu Joshi Executive Director	58	B.Com, CAIIB, Diploma in Treasury & Risk Management	NIL	Nil	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board (as Invitee) 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Stakeholders Relationship Committee 6. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. H R Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue & Allotment Committee 15. CSR Committee	NIL	N.A.
4	Sh. Arunish Chawla Government of India Nominee Director (Non-Executive)	48	M.Sc., Ph.D	Nil	Nil	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. Nomination Committee 6. HR Committee 7. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 8. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 9. Election Disputes Committee 10. PR & Publicity Committee 11. IT Strategy Committee of Board	1. Remuneration Committee 2. Nomination Committee 3. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board	N.A
5	Sh. Prashant Goyal Government of India Nominee Director (Non-Executive)	49	B.E., Post Graduate (Economics), PG Diploma in Financial Management and in Public Management & Policy	Nil	Nil	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. HR Committee 6. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 7. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 8. Nomination Committee 9. Election Disputes Committee 10. PR & Publicity Committee 11. IT Strategy Committee of Board	1. Remuneration Committee 2. Nomination Committee 3. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board	N.A

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
6	श्री एस. गणेश कुमार भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदशक (गैर–कार्यकारी)	57	बी.एससी., एमबीए, पीजीडीबीएम, बैंकिंग में पीजी डिप्लोमा, सीएआईआईबी, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	शून्य	इंडियन फाइनेसियल टेक्नोलोजी एवं अलाइड सर्वीसेज उप–समितियों के सदस्य/अध्यक्ष : शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 6. चुनाव विवाद समिति 7. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (विशेष अतिथि के रूप में)	शून्य	लागू नहीं
7	श्री संजय कपूर सनदी लेखाकर निदशक (गैर–कार्यकारी)	48	बी.कॉम, एफसीए	संजय कपूर (एचयूएफ) के नाम पर 1610 शेयर	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 3. नामांकन समिति 4. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 5. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति	लेखापरीक्षा समिति	2,70,000/-
8	श्री किंग्शुक भट्टाचार्य कर्मकार निदेशक (गैर–कार्यकारी)	59	बी.ए	शून्य	शून्य	1. मानव संसाधन समिति 2. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति	शून्य	60,000/-
9	श्री नरेन्द्र जे कोटियावाला अधिकारी कर्मचारी निदेशक	58	एम.कॉम, सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. मानव संसाधन समिति 2. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 3. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 4. जोखिम प्रबंधन पर निदेषकों की पर्यवेक्षी समिति 5. मंडल की प्रबंध समिति	शून्य	5,30,000/-
10	श्रीमती माला श्रीवास्तव अंशकालिक गैर सरकारी निदशक (गैर–कार्यकारी)	62	बी.ए., सामाजिक विज्ञान में परास्नातक	शून्य	इफको किसान संचार लि. उप–समितियों के सदस्य/अध्यक्ष : 3	1. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 2. नामांकन समिति 3. मंडल की प्रबंध समिति	शून्य	3,60,000/-
11	श्री देश दीपक खेत्रपाल शेयरधारक निदेशक (गैर–कार्यकारी)	61	बी.कॉम (ऑनर्स), एमबीए, सीएआईआईबी	100 शेयर	1. ओरिएन्ट सीमेंट लि., 2. एचआईएल लि. उप–समितियों के सदस्य/अध्यक्ष : 7	1. मानव संसाधन समिति 2. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 4. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 5. पारिश्रमिक समिति 6. सीएसआर समिति 7. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 8. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 9. मंडल की प्रबंध समिति	1. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	4,30,000/-

SN	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committee	Sitting Fees paid during the Financial Year 2016-17
6	Sh.S Ganesh Kumar RBI Nominee Director (Non-Executive)	57	B Sc, MBA, PGDBM, PG Diploma in Banking , CAIIB, Diploma in IT	NIL	Indian Financial Technology & Allied Services Member / Chairperson of sub-committees: NIL	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 6. Election Disputes Committee 7. IT Strategy Committee of Board (as special invitee)	NIL	N.A
7	Sh. Sanjay Kapoor Chartered Accountant Director (Non-Executive)	48	B.Com, FCA	1610 shares held in the name of Sanjay Kapoor (HUF)	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 3. Nomination Committee 4. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 5. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies	1. Audit Committee	2,70,000/-
8	Sh. Kingshuk Bhattacharya Workmen Employee Director (Non-Executive)	59	B.A	NIL	NIL	1. HR Committee 2. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 3. Committee of Board on Customer Service	NIL	60,000/-
9	Sh. Narendra J Kotiawala Officer Employee Director (Non-Executive)	58	M.Com, CAIIB	NIL	NIL	1. HR Committee 2. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 3. IT Strategy Committee of Board 4. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 5. Management Committee of Board	NIL	5,30,000/-
10	Smt. Mala Srivastava Part Time Non Official Director (Non-Executive)	62	B.A., Master in Social Science	NIL	IFFCO kisan sanchar Ltd. Member / Chairperson of sub-committees:3	1. Committee of Board on Customer Service 2. Nomination Committee 3. Management Committee of Board	NIL	3,60,000/-
11	Sh. Desh Deepak Khetrapal Shareholder Director (Non-Executive)	61	B.Com(Hons) MBA,CAIIB	100 shares	1. Orient Cement Ltd., 2. HIL Ltd. Member / Chairperson of sub-committees: 7	1. HR Committee 2. IT Strategy Committee of Board 3. Committee of Board on Customer Service 4. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 5. Remuneration Committee 6. CSR Committee 7. Share Issue and Allotment Committee 8. Stakeholders Relationship Committee 9. Management Committee of Board	1. IT Strategy Committee of Board	4,30,000/-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	अर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
12	श्री अशोक कुमार शर्मा शेयरधारक निदेशक (गैर–कार्यकारी)	65	बी.कॉम, एलएलबी, एफसीए	1100 शेयर	शून्य	1. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 2. जनसंपर्क एवं प्रचार समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 4. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 5. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 6. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 7. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 8. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 9. उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 10. मंडल की प्रबंध समिति	शून्य	7,70,000/-
13	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शेयरधारक निदेशक (गैर–कार्यकारी)	41	बी.कॉम, एलएलबी, एफसीए	1000 शेयर	1. ग्लोबल स्पर्पाट्र्स प्रा. लि. 2. कैंडीडलेक्स एड्वाइजर्स एलएलपी 3. फ़र्स्ट ग्लोबल बिज़नेस चेंबर्स उप–समितियों के सदस्य/अध्यक्ष : शून्य	1. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 4. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 5. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनीटरिंग हेत मंडल की विशेष समिति 6. पारिश्रमिक समिति 7. सीएसआर समिति 8. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 9. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति	1. स्टेकहोल्डर संबंध समिति	6,40,000/-

SN	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committee	Sitting Fees paid during the Financial Year 2016-17
12	Sh. Ashok Kumar Sharma Shareholder Director (Non-Executive)	65	B.Com, LLB, FCA	1100 shares	NIL	1. IT Strategy Committee of Board 2. PR & Publicity Committee 3. Committee of Board on Customer Service 4. Committee of Board to decide candidature of Shareholder Director in other companies 5. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Special Committee of Board for Monitoring of Large Value Frauds 8. Appellate and Reviewing Authority Committee 9. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 10. Management Committee of Board	NIL	7,70,000/-
13	Sh. Dinesh Kumar Agrawal Shareholder Director (Non-Executive)	41	B.Com, LLB, FCA	1000 shares	1.Global Sparenparts Pvt Ltd. 2.Candidlex Advisors LLP 3. First Global Business Chambers Member / Chairperson of sub-committees: Nil	1. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Stakeholders Relationship Committee 4. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 5. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 6. Remuneration Committee 7. CSR Committee 8. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 9. Shares Issue & Allotment Committee	1. Stakeholders Relationship Committee	6,40,000/-

3. वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक के मंडल में हुई नियुक्तियां

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों की सूची : -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि/ कार्य–ग्रहण तिथि	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री प्रशांत गोयल	भारत सरकार के नामिती निदेशक	16.01.2017	धारा 9 (3) (ख) के अंतर्गत
02.	श्री हिमांशु जोशी	कार्यकारी निदेशक	09.08.2016	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत
03.	श्री संजय कपूर	सनदी लेखाकर निदेशक	26.07.2016	धारा 9 (3) (छ) के अंतर्गत
04.	श्रीमती माला श्रीवास्तव	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	25.04.2016	धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत

4. वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशक:

वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशकों की सूची:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अधिसूचना की तिथि /पूरे किए गए कार्यकाल	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01	श्री किंग्शुक भट्टाचार्य	कर्मकार निदेशक	13.06.2016	धारा 9 (3) (ड) के अंतर्गत
02	श्री अरुणीश चावला	भारत सरकार के नामिती निदेशक	15.01.2017	धारा 9 (3) (ख) के अंतर्गत
03	श्री नरेन्द्र जे कोटियावाला	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	29.01.2017	धारा 9 (3) (च) के अंतर्गत

5. निदेशकों का प्रोफाइल

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पदभार ग्रहण करने वाले तथा मंडल में नियुक्त हुए निदेशकों का प्रोफाइल नीचे दिया जा रहा है :

1. **श्री प्रशांत गोयल,** भारत सरकार के नामित निदेशक ने 16 जनवरी, 2017 को पदभार ग्रहण किया। वे राजस्थान इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जयपुर से बी.ई (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) और अन्नामलाई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र) हैं। आपने समष्टि (मैक्रो) आर्थिक नीति एवं आयोजना तथा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। साथ ही, आपने इग्नू, नई दिल्ली से वित्तीय प्रबंधन में एवं भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलूरू से लोक प्रबंधन एवं नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया हैं। श्री गोयल ने अपने कैरियर की शुरूआत 1995 में उप–जिलाधिकारी के रूप में की तथा आपने विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में आप 07.09.2015 से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में संयुक्त सचिव

3. APPOINTMENTS ON THE BOARD OF THE BANK DURING THE YEAR 2016-17

List of Directors appointed during the year: -

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment/ Assumption of Office	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980
01.	Sh. Prashant Goyal	GOI Nominee Director	16.01.2017	U/s 9 (3) (b)
02.	Sh. Himanshu Joshi	Executive Director	09.08.2016	U/s 9 (3) (a)
03.	Sh. Sanjay Kapoor	Chartered Accountant Director	26.07.2016	U/s 9 (3) (g)
04.	Smt. Mala Srivastava	Part Time Non Official Director	25.04.2016	U/s 9 (3) (h)

4. OUT-GOING DIRECTORS DURING THE YEAR 2016-17

List of outgoing Directors during the year: -

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Notification / Tenure Completed	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980
01	Sh. Kingshuk Bhattacharya	Workmen Employee Director	13.06.2016	U/s 9 (3) (e)
02	Sh. Arunish Chawla	GoI Nominee Director	15.01.2017	U/s 9 (3) (b)
03	Sh. Narendra J Kotiawala	Officer Employee Director	29.01.2017	U/s 9 (3) (f)

5. PROFILE OF THE DIRECTORS

The profile of the Directors who were appointed on the Board of the Bank and assumed office during the Financial Year 2016-17 is furnished hereunder:

1. **Sh. Prashant Goyal,** Government of India Nominee Director assumed charge on 16th January 2017. He is B.E. (Electrical Engineering) from REC Jaipur and Post Graduate (Economics) from Annamalai University. He holds certificates from University of California, Irvine in Macro Economics Policy & Planning & Managerial Economics. Further, he holds a PG Diploma in Financial Management from IGNOU, New Delhi and in Public Management & Policy from IIM Bangalore. He started his career as SDM in 1995 and worked in various Government Departments at various positions and has been serving as Joint Secretary (Budget), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance since 07.09.2015. He has

(बजट) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने वित्त एवं वाणिज्य से जुड़े क्षेत्र के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (भारत एवं विदेश दोनों में) में भाग लिया है।

2. **श्री हिमांशु जोशी**, कार्यकारी निदेशक ने 09 अगस्त, 2016 को पदभार ग्रहण किया। वे सी.ए.आई.आई.बी. के साथ–साथ कॉमर्स में स्नातक हैं। इन्होंने ट्रेजरी एवं जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया है। श्री जोशी ने पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में 1981 में अपने करियर की शुरुआत की। पंजाब नेशनल बैंक में अपने 34 वर्ष के लम्बे करियर के दौरान इन्होंने बैंक की शाखाओं तथा अंचल कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 2013 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत होने पर इन्हें भोपाल के फील्ड महाप्रबंधक का दायित्व सौंपा गया। इनके कार्यकाल के दौरान, एफ.जी.एम.ओ. भोपाल पंजाब नेशनल बैंक के सर्वोच्च कार्यनिष्पादक एफ.जी.एम.ओ. में से एक था तथा सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग में इन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी में वैयक्तिक रूपे डेबिट कार्ड की शुरुआत की। इसके उपरांत, इन्हें मई 2015 में मुम्बई के ट्रेजरी डिवीजन का पोर्टफोलियो सौंपा गया। पंजाब नेशनल बैंक से कार्यमुक्त होते समय, ये बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी थे।

3. **श्री संजय कपूर** ने 26 जुलाई, 2016 को पदभार ग्रहण किया। आप डी.ए.वी. कॉलेज, अमृतसर से वाणिज्य स्नातक हैं। आपने वर्ष 1992 में सनदी लेखाकार की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा आप भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य भी हैं। सनदी लेखाकार के रूप में आपके पास बड़े कॉरपोरेट एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के सांविधिक, आंतरिक व संगामी लेखा कार्यों का समृद्ध अनुभव है। आपको कराधान और कम्पनी मामलों का भी गहन अनुभव है। वर्तमान में, आप आयकर बार एसोसिएशन, अमृतसर के उपाध्यक्ष हैं। आप पिछले 16 वर्षों से आयकर बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य थे तथा आपने वर्ष 2012–13 के दौरान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। आपने वर्ष 2012–13 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के उत्तरी क्षेत्रीय संस्थान में व्यावसायिक विकास समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

4. **श्रीमती माला श्रीवास्तव** ने 25 अप्रैल 2016 को पदभार ग्रहण किया। इन्होंने बी.ए. (ऑनर्स) एवं बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यू.के. से सामाजिक विज्ञान में एम.ए. भी किया है। आप एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें संयुक्त सचिव स्तर एवं उच्च पदों पर कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप भारतीय राजस्व सेवा (सीमा एवं केंद्रीय उत्पाद) से सदस्य (सीबीईसी) तथा भारत सरकार की विशेष सचिव पद से 30.11.2014 को सेवानिवृत्त हुईं।

attended various training programmes (both in India and abroad) w.r.t. areas relating to Finance and Commerce.

2. **Sh. Himanshu Joshi,** Executive Director assumed charge on 09th August, 2016. He is a graduate in Commerce with CAIIB. He has also completed his Diploma in Treasury & Risk Management. He started his career in 1981 as a Management Trainee in Punjab National Bank. During his long career spanning over 34 years with Punjab National Bank, he has worked in various capacities at branches and Circle Offices of the Bank. On his elevation as General Manager in 2013, he was assigned the responsibility of Field General Manager of Bhopal. During his tenure, FGMO Bhopal was one of the top performing FGMO in Punjab National Bank and he was the first in the entire banking industry to introduce Rupay Personalised Debit Card in Hindi. Thereafter, he was assigned portfolio of Treasury Division at Mumbai in May 2015. At the time of his relieving from Punjab National Bank, he was the Chief Compliance Officer of the Bank.

3. **Sh. Sanjay Kapoor,** assumed charge on 26th July 2016. He is a Commerce Graduate from DAV College, Amritsar. He qualified as a Chartered Accountant in the year 1992 and is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. In his career as Chartered Accountant he has gained vast experience in handling Statutory, Internal and Concurrent audits of large corporates and public sector institutions. He is also having in depth knowledge of taxation and company related matters. Presently, he is Vice President of Income tax bar association, Amritsar. He was executive member of Income Tax Bar Association for the past 16 years and also served as Secretary during the year 2012-13. He also served as a member of Professional Development Committee in 2012-13 at Northern Regional Institute of Chartered Accountants of India.

4. **Smt. Mala Srivastava,** assumed charge on 25th April 2016. She holds a B.A. (Hons.) degree and is also Masters in Social Science from University of Birmingham, U.K. She is a Retired government officer with more than 10 years experience at Joint Secretary Level and above. She superannuated from IRS (Customs & Central Excise) as Member (CBEC) & Special Secretary to the Govt. of India on 30.11.2014.

6. मण्डल की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक मंडल की 13 बैठकें हुई :

11 मई 2016, 11 जून 2016, 25 जून 2016, 25 जुलाई 2016, 12 अगस्त 2016, 20 सितंबर 2016, 18 अक्टूबर 2016, 09 नवंबर 2016, 22 दिसंबर 2016, 19 जनवरी 2017, 04 फरवरी 2017, 20 फरवरी 2017 और 28 मार्च 2017.

मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण उनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या के साथ इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

7. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार, निदेशकों की विभिन्न समितियां गठित की गई हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया तीव्र हो सके तथा उनके विचारार्थ विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके । मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :

7.1 मंडल की प्रबन्ध समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए, निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजनाए 1980 के खंड 13 का पालन करते हुए ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, वाद/अपील दायर करना, निवेश दान आदि जैसे विभिन्न कारोबारी मामलों पर विचार करने के लिए मंडल की प्रबन्ध समिति गठित की गई है । इस समिति में इस समय प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार, तथा तीन गैर.कार्यपालक निदेशक, श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्रीमती माला श्रीवास्तव शामिल हैं, बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम,1980 के खंड 9(3)(ड़),(च),(ज),(झ)के अंतर्गत श्री अशोक कुमार शर्मा और श्रीमती माला श्रीवास्तव को मण्डल द्वारा नामित किया गया । बशर्ते कि मण्डल द्वारा नामित निदेशक एक समय में छः माह से अधिक समय कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करेंगे ।

वर्ष के दौरान मण्डल की प्रबंध समिति की कुल 14 बैठकें हुई।

7.2 मंडल की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशो के अनुसरण में, निदेक मंडल की लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैः

6. BOARD MEETINGS

During the year 2016-17, 13 Board Meetings were held on: May 11 2016, June 11 2016, June 25 2016, July 25 2016, August 12 2016, September 20 2016, October 18, 2016, November 09 2016, December 22 2016, January 19 2017, February 04 2017, February 20 2017 and March 28, 2017.

The details of the attendance of the Directors in the Board Meetings along with number of meetings held during their tenure, is given elsewhere in the report.

7. COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Various Committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India directives and listing provisions in order to quicken decision-making, proper monitoring and follow-up of the various activities falling within their terms of reference. The important Committees of the Board are as under:

7.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition of premises, investments, donations etc. The Committee presently consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, RBI Nominee Director, Sh S. Ganesh Kumar and three Non Executive Directors, viz Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. Ashok Kumar Sharma and Smt. Mala Srivastava nominated by the Board from amongst the Directors under Section 9(3)(e), (f), (h) and (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. Provided, that the Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time.

In all, 14 meetings of the Management Committee of Board were held during the year.

7.2 AUDIT COMMITTEE OF BOARD

The Audit Committee of Board has been constituted by the Bank as per the guidelines of the Reserve Bank of India, comprising of the following members:

1.	श्री संजय कपूर	सनदी लेखाकर निदेशक
2.	श्री राजकिरण राय जी.	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री हिमांशु जोशी	कार्यकारी निदेशक (आमंत्रित के रूप में)
4.	श्री प्रशांत गोयल	भारत सरकार के नामिती निदेशक
5.	श्री एस. गणेश कुमार	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
6.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक

इस समिति की बैठक की अध्यक्षता गैर–कार्यपालक निदेशक श्री संजय कपूर द्वारा की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की 8 बैठकें हुईं। कंपनी सचिव, सेबी सूचीकरण विनियमन, 2015 के विनियम 18 के अनुसार मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों को भी देखती है, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण पद्धति की व्यवस्था, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

2. यह समिति आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा कार्यों का पुनरीक्षण करती है तथा लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है और लॉंग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में बाहरी लेखापरीक्षकों से संपर्क करती है ।

3. समिति लेखांकन मानदंडों, रिपोर्टिंग पद्धति, वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की भी समीक्षा करती है ।

4. यह समिति बैंक की प्रबंध लेखापरीक्षा रिपोर्टों, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों व उनके अनुपालन की पुनरीक्षा करती है। यह आंतरिक व्यवस्था तथा अंतर-शाखा समाधान की स्थिति का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ असंतोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं की रिपोर्टों की पुनरीक्षा भी करती है ।

5. यह अंतर बैंक खातों, नोशनल खातों तथा नोस्ट्रो खातों में काफी समय से मिलान न की गई प्रविष्टियों तथा बैंक में हुई धोखाधड़ी पर भी ध्यान देती है।

6. मंडल की लेखापरीक्षा समिति बैंक के तिमाही, छमाही व वार्षिक परिणामों की समीक्षा करती है और मंडल को अपनी संस्तुति देती है। यदि लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई शर्त रखी जाती है तो इस पर केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करती है और मंडल को इसकी सूचना देती है।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल और मंडल की प्रबंधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या निम्नानुसार हैं:

1.	Sh. Sanjay Kapoor	Chartered Accountant Director
2.	Sh. Rajkiran Rai G	Executive Director
3.	Sh. Himanshu Joshi	Executive Director (As Invitee)
4.	Sh. Prashant Goyal	Government of India Nominee Director
5.	Sh. S Ganesh Kumar	Reserve Bank of India Nominee Director
6.	Sh. Dinesh Kumar Agrawal	Shareholder Director

The meetings of the Committee are chaired by the Non Executive Director, Sh. Sanjay Kapoor. The Committee met 08 times during the year 2016-17. The Company Secretary is the Secretary to the Audit Committee of Board in terms of Regulation 18 of SEBI Listing Regulations, 2015.

The main functions of the Audit Committee of Board inter alia include:

1. The Audit Committee of Board provides directions, and also oversees the operations of the total audit functions of the Bank, which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the statutory/external audit of the Bank and Annual Financial Inspection/Risk based Supervision by Reserve Bank of India.

2. The Committee reviews internal inspection reports/audit functions, follow-up of all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with external auditors in respect of the LFAR.

3. The Committee also reviews the compliance of accounting standards, reporting process, disclosure of financial information and compliance of other statutory requirements.

4. It reviews the Management Audit Reports of the Bank, Internal Inspection Reports and its compliance. It also reviews inspection reports of branches with unsatisfactory ratings, besides reviewing the position of housekeeping and inter-branch reconciliation.

5. It also focuses on un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts, notional accounts and nostro accounts and any fraud perpetuated in the Bank.

6. The Audit Committee of Board reviews the quarterly, half-yearly and annual results of the Bank and gives its recommendations to the Board. If any qualification / modified opinion is given by the Auditors in their report, it discusses the same with Central Statutory Auditors and report the same to the Board.

The details of the attendance of the Directors in the meetings of the Board, Audit Committee of Board and Management Committee of Board along with number of meetings held during their tenure are as follows:

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान हुई मंडल/उप–समितियों की बैठकों में उपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट

		मंडल की बैठकें		मंडल की प्रबंधन समिति		मंडल की लेखापरीक्षा समिति	
	अध्यक्ष	श्री अनिमेष चौहान (01.04.16-31.03.17)		श्री अनिमेष चौहान (01.04.16-31.03.17)		श्री संजय कपूर (12.08.16-31.03.17) श्री अशोक कुमार शर्मा (01.04.16-11.08.16)	
क्र. स.	निदेशक का नाम	आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया	आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया	आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	श्री अनिमेष चौहान (01.04.16 –31.03.17)	13	13	14	14	लागू नहीं	-
2	श्री राजकिरण राय जी. (01.04.16 – 31.03.17)	13	12	14	13	08	08
3	श्री हिमांशु जोशी (09.08.16-31.03.17)	09	09	10	10	06	06
4	श्री अरूणीश चावला (01.04.16 – 15.01.17)	09	06	लागू नहीं	-	06	03
5	श्री प्रशांत गोयल (16.01.17 – 31.03.17)	04	02	लागू नहीं	-	02	01
6	श्री एस. गणेश कुमार (01.04.16-31.03.17)	13	13	14	13	08	08
7	श्री किंग्शुक भट्टाचार्य (01.04.2016 – 13.06.16)	02	02	-	-	लागू नहीं	-
8	श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला (01.04.16- 29.01.17)	10	10	07	07	लागू नहीं	-
9	श्री संजय कपूर (26.07.16 – 31.03.17)	09	09	लागू नहीं	-	05	05
10	श्रीमती माला श्रीवास्तव (25.04.16 – 31.03.17)	13	11	10	09	-	-
11	श्री देश दीपक खेत्रपाल (01.04.16 - 31.03.17)	13	07	11	07	03	01
12	श्री अशोक कुमार शर्मा (01.04.16 - 31.03.17)	13	13	08	08	04	04
13	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल (01.04.16 - 31.03.17)	13	13	06	06	04	04

लागू नहीं: समिति के सदस्य नहीं

आयोजित बैठकें: निदेशक की कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठक

REPORT IN RESPECT OF ATTENDANCE IN MEETINGS OF BOARD/SUB-COMMITTEES OF BOARD HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2016-17

		Board Meeting		Management Committee of Board		Audit Committee of Board	
	CHAIRMAN	Sh.Animesh Chauhan (01.04.16-31.03.17)		Sh.Animesh Chauhan (01.04.16-31.03.17)		Sh. Sanjay Kapoor (12.08.16-31.03.17) Sh. Ashok Kumar Sharma (01.04.16-11.08.16)	
SN	Name of the Director	MEETINGS HELD	MEETINGS ATTENDED	MEETINGS HELD	MEETINGS ATTENDED	MEETINGS HELD	MEETINGS ATTENDED
1	Sh. Animesh Chauhan (01.04.16 –31.03.17)	13	13	14	14	N.A	-
2	Sh. Rajkiran Rai G (01.04.16 – 31.03.17)	13	12	14	13	08	08
3	Sh. Himanshu Joshi (09.08.16-31.03.17)	09	09	10	10	06	06
4	Sh Arunish Chawla (01.04.16 – 15.01.17)	09	06	N.A	-	06	03
5	Sh. Prashant Goyal (16.01.17 – 31.03.17)	04	02	N.A	-	02	01
6	Sh. S Ganesh Kumar (01.04.16-31.03.17)	13	13	14	13	08	08
7	Sh. Kingshuk Bhattacharya (01.04.16 – 13.06.16)	02	02	-	-	N.A	-
8	Sh. Narendra J Kotiawala (01.04.16- 29.01.17)	10	10	07	07	N.A	-
9	Sh. Sanjay Kapoor (26.07.16 – 31.03.17)	09	09	N.A	-	05	05
10	Smt. Mala Srivastava (25.04.16 – 31.03.17)	13	11	10	09	-	-
11	Sh. Desh Deepak Khetrapal (01.04.16 - 31.03.17)	13	07	11	07	03	01
12	Sh. Ashok Kumar Sharma (01.04.16 - 31.03.17)	13	13	08	08	04	04
13	Sh. Dinesh Kumar Agrawal (01.04.16 - 31.03.17)	13	13	06	06	04	04

N.A.: Not a Member of the Committee

Meetings Held: Meetings Held during the tenure of the Director

7.3 ऋण अनुमोदन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13ए के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा ऋण अनुमोदन समिति गठित की गई है । समिति विभिन्न कारोबारी मामलों अर्थात् एक उधारकर्ता को ₹250 करोड़ के अधिकतम एक्सपोजर हेतु प्रत्यायोजित अधिकारों के साथ ऋण प्रस्तावों को मंजूरी करने तथा ₹4 करोड़ की अधित्याग की राशि हेतु प्रत्यायोजित अधिकारों के साथ ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करती है। इस समिति में इस समय प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, बड़े कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, मध्य कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, लेखा के महाप्रबन्धक/मुख्य वित्तीय अधिकारी, जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महाप्रबन्धक, एमएसएमई ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक, ऋण निगरानी के प्रभारी महाप्रबंधक, समाधान, वसूली एवं विधि के प्रभारी महाप्रबंधक तथा निरीक्षण एवं नियंत्रण के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की कुल 46 बैठकें हुई ।

7.4 मंडल की स्टेक होल्डर संबंध समिति

बैंक ने, शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण हेतु तथा शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त ना होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त ना होने से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध इकाइयों के सिक्योरिटी धारकों की शिकायतों के निवारण के तंत्र पर विचार करने की दृष्टि से सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक, 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में, इस समिति का गठन किया। इस समय, समिति के अध्यक्ष के रूप में शेयरधारक/स्वतंत्र निदेशक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल तथा सदस्य के रूप में कार्यकारी निदेशक के अलावा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री देश दीपक खेत्रपाल हैं। इस समिति की वर्ष में चार बैठकें हुई और इस समिति ने वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने शेयरों के हस्तांतरण, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, लाभांश वारंटों की पुनर्वैधता, आदि जैसी शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी मामले देखे।

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों की शिकायतों का निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए तथा जिन शिकायतों में अंतिम निपटान के लिए जांच की आवश्यकता होती है उनका अंतरिम उत्तर/सूचना दी जाती है। बैंक को 243 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें 31 मार्च 2017 तक निपटा दिया गया है।

7.3 CREDIT APPROVAL COMMITTEE

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Credit Approval Committee is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13A of the Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1980. The Committee considers sanctioning of credit proposals upto ₹250 crore for single borrower exposure and loan compromise/write-off proposals with sacrifice amount upto ₹4 crore. The Committee presently consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager in-charge of the Large Corporate Credit, General Manager in-charge of the Mid Corporate Credit, General Manager in-charge of the Priority Sector Credit, General Manager in-charge of Accounts/CFO, General Manager in-charge of Risk Management, General Manager in-charge of MSME Credit, General Manager in-charge of Resolution Recovery & Law and General Manager in-charge of Inspection & Control.

In all, 46 meetings of the Credit Approval Committee were held during the year 2016-17.

7.4 STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE OF BOARD

The Bank has constituted this Committee pursuant to Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with a view to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders and to consider and resolve the grievances of the security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of annual report and non receipt of declared dividends. The Committee at present consists of Non Executive Director, Sh. Dinesh Kumar Agrawal, as the Chairman of the Committee and two other Non Executive Directors, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Desh Deepak Khetrapal, apart from Executive Directors as members. The Committee met four times in the year and looked after the redressal of Investors complaints like non receipt of Annual Reports, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared, revalidation of dividend warrants etc.

The Bank ensures that shareholders' complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which need investigation for final disposal are attended with immediate interim reply / information. During the year under review, Bank received 243 complaints, all of which stand redressed as on 31st March 2017.

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	10.05.2016	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अशोक कुमार शर्मा 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल	शून्य
2.	25.07.2016	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अशोक कुमार शर्मा 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल	शून्य
3.	08.11.2016	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री राजकिरण राय जी. 3 श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री देश दीपक खेत्रपाल
4.	03.02.2017	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री राजकिरण राय जी. 3 श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.5 मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना सुरक्षा कार्यदल के परिपत्र सं.भारिबै/2010–11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं 6/31.02.2008/2010–2–11 दिनांक 29.04.2011 द्वारा की गई संस्तुति के अनुपालन में किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ श्री प्रशांत गोयल, श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री एस. गणेश कुमार (विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में), श्री अशोक कुमार शर्मा, बैंक के गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री देश दीपक खेत्रपाल समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की ग्यारह बैठकें हुई।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	02.05.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
2	10.05.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
3	11.06.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4	25.06.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Ashok Kumar Sharma 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal	NIL
2	25.07.2016	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Ashok Kumar Sharma 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal	NIL
3	08.11.2016	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
4	03.02.2017	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal

7.5 IT STRATEGY COMMITTEE OF BOARD

The Committee is constituted to review the implementation of IT projects of the Bank pursuant to RBI Working Group Information Security recommendations vide Circular No. RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.2008/2010-2-11 dated 29.04.2011. The Committee at present comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors alongwith Sh. Prashant Goyal, Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. S Ganesh Kumar (as Special Invitee) and Sh. Ashok Kumar Sharma, Non Executive Directors of the Bank. The Committee is headed by Sh. Desh Deepak Khetrapal. During the year, IT Strategy Committee met eleven times.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	02.05.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
2	10.05.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
3	11.06.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4	25.06.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL

5	25.07.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री एस. गणेश कुमार 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
6	11.08.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री हिमांशु जोशी 5. श्री अरूणीश चावला 6. श्री एस. गणेश कुमार 7. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 8. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
7	20.09.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री एस. गणेश कुमार 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
8	18.10.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री हिमांशु जोशी 5. श्री अरूणीश चावला 6. श्री एस. गणेश कुमार 7. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 8. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री राजकिरण राय जी.
9	22.12.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री हिमांशु जोशी 5. श्री अरूणीश चावला 6. श्री एस. गणेश कुमार 7. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 8. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री अरूणीश चावला 2. श्री देश दीपक खेत्रपाल
10	03.02.2017	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री हिमांशु जोशी 5. श्री प्रशांत गोयल 6. श्री एस. गणेश कुमार 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री देश दीपक खेत्रपाल
11	28.03.2017	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री हिमांशु जोशी 5. श्री प्रशांत गोयल 6. श्री एस. गणेश कुमार 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल

7.6 जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के नीतियों की वार्षिक समीक्षा, एएलसी. ओ/एमआरएमसी/सीआरएमसी/ओआरएमसी तथा अन्य समितियों, पूंजी योजना, जोखिम प्रबंधन कार्यशैली की समीक्षा/बासेल III लागू करने हेतु बैंक ने मंडल स्तर की समिति का गठन किया है जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ बैंक के गैर–कार्यकारी निदेशक श्री अशोक कुमार शर्मा तथा श्री संजय कपूर शामिल हैं । इस समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार वर्ष के दौरान पांच बैठकें हुई।

5	25.07.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. S Ganesh Kumar 6. Sh. Narendra J Kotiawala 7. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
6	11.08.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Himanshu Joshi 5. Sh. Arunish Chawla 6. Sh. S Ganesh Kumar 7. Sh. Narendra J Kotiawala 8. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
7	20.09.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Himanshu Joshi 5. Sh. Arunish Chawla 6. Sh. S Ganesh Kumar 7. Sh. Narendra J Kotiawala 8. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
8	18.10.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Himanshu Joshi 5. Sh. Arunish Chawla 6. Sh. S Ganesh Kumar 7. Sh. Narendra J Kotiawala 8. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Rajkiran Rai G
9	22.12.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Himanshu Joshi 5. Sh. Arunish Chawla 6. Sh. S Ganesh Kumar 7. Sh. Narendra J Kotiawala 8. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. Desh Deepak Khetrapal
10	03.02.2017	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Himanshu Joshi 5. Sh. Prashant Goyal 6. Sh. S Ganesh Kumar 7. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
11	28.03.2017	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Himanshu Joshi 5. Sh. Prashant Goyal 6. Sh. S Ganesh Kumar 7. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Prashant Goyal

7.6 SUPERVISORY COMMITTEE OF DIRECTORS ON RISK MANAGEMENT

To oversee the annual review of the policies of Integrated Risk Management System, effectiveness of ALCO/MRMC/CRMC/ORMC & other committees, Capital Planning, review of Risk Management function/ Basel III implementation, the Bank has formed a Board level committee which presently comprises of Managing Director & CEO as Chairman, Executive Directors alongwith Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Sanjay Kapoor, the Non Executive Directors of the Bank. The Committee met five times during the year as per the prescribed frequency.

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	23.06.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला	श्री देश दीपक खेत्रपाल
2	20.09.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 1. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री संजय कपूर	शून्य
3	08.11.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री संजय कपूर	शून्य
4.	22.12.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री संजय कपूर	शून्य
5.	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री संजय कपूर	शून्य

7.7 बड़ी राशि की धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग करने हेतु मण्डल की विशेष समिति

एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की बड़ी राशि की धोखाधड़ी को मॉनिटर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.01.2004 के परिपत्र के अनुसार मंडल की एक विशेष समिति का गठन किया गया। वर्तमान में, यह समिति प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है जिसमें कार्यकारी निदेशक के साथ भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा तीन अन्य गैर कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें हुईं।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	10.05.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
2	25.06.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री देश दीपक खेत्रपाल

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the Meeting
1	23.06.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Desh Deepak Khetrapal 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
2	20.09.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Sanjay Kapoor	NIL
3	08.11.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Sanjay Kapoor	NIL
4.	22.12.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Sanjay Kapoor	NIL
5.	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Sanjay Kapoor	NIL

7.7 SPECIAL COMMITTEE OF BOARD FOR MONITORING OF LARGE VALUE FRAUDS

Special Committee of Board was constituted as per the Reserve Bank of India vide Circular dated 14.01.2004 for monitoring and following up/ review of cases of frauds of ₹1 crore & above. The Committee at present is headed by the Managing Director & CEO and consists of Executive Directors alongwith Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and three other Non-Executive Directors, Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee met five times during the year.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
2	25.06.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
3	18.10.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री राजकिरण राय जी
4	20.02.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री देश दीपक खेत्रपाल
5	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 7. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल

7.8 बैंक में ग्राहक सेवा पर मंडल की समिति

इस समिति का गठन बैंकिंग प्रणाली में कॉरपोरेट अभिशासन संरचना को सशक्त करने तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने की दृष्टि से नीतियों तथा अनुपालन का मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए किया गया था। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ बैंक के गैर–कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री अशोक कुमार शर्मा और श्रीमती माला श्रीवास्तव शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार पांच बैठकें हुई।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	23.06.2016 (स्थगित)	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री देश दीपक खेत्रपाल
2	25.07.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्रीमती माला श्रीवास्तव 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
3	20.09.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्रीमती माला श्रीवास्तव 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4	22.12.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्रीमती माला श्रीवास्तव 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल
5	18.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्रीमती माला श्रीवास्तव 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
3	18.10.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 7. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Rajkiran Rai G
4	20.02.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 7. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
5	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 7. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Prashant Goyal

7.8 COMMITTEE OF BOARD ON CUSTOMER SERVICE IN BANK

The Committee was constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthen the corporate governance structure in the banking system and bring about ongoing improvements in the quality of customer service. The Committee presently comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors alongwith Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. Ashok Kumar Sharma and Smt. Mala Srivastava, Non-Executive Directors of the Bank. During the year, the Committee met five times, as per the prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	23.06.2016 (Adjourned)	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Desh Deepak Khetrapal 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
2	25.07.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Smt. Mala Srivastava 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
3	20.09.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Smt. Mala Srivastava 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4	22.12.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Smt. Mala Srivastava 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
5	18.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Smt. Mala Srivastava 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL

7.9 मंडल की पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 20/1/2005–बीओ 1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार पूर्णकालीन निदेशकों के कार्य–निश्पादन आधारित प्रोत्साहन का निर्धारण करने हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें भारत सरकार के नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक एवं दो अन्य स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्तमान में, समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिति निदेशक श्री एस. गणेश कुमार तथा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं श्री देश दीपक खेत्रपाल शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों एवं बैंक के अन्य कर्मचारियों के अनुरूप आवास ऋण, कार ऋण और त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति देने हेतु नीति के अनुमोदनार्थ समिति की बैठक वर्ष में एक बार दिनांक 25.06.2016 को हुई।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	25.06.2016	1. श्री अरूणीश चावला 2. श्री एस. गणेश कुमार 3. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.10 नामांकन समिति

"नामांकन समिति" का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3एबी) एवं उप धारा (3एए) के अंतर्गत राश्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों पर चुने गए मौजूदा निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए सक्षम व उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित/निशचित करने के लिए बैंककारी कंपनी ;उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3) (झ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.बीसी.सं0 46/29.39.001/2007.08 द्वारा किया गया। समिति में अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल, और दो गैर–कार्यपालक निदेशक हैं अर्थात् श्रीमती माला श्रीवास्तव और श्री संजय कपूर शामिल हैं। मौजूदा निर्वाचित शेयरधारक निदेशको के सक्षम एवं उपयुक्त स्तर का निर्धारण करने के लिए समिति की बैठक 25.07.2016 को हुई।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	25.07.2016	1.श्री अरूणीश चावला 2.श्री एस. गणेश कुमार 3.श्रीमती माला श्रीवास्तव	शून्य

7.11 चुनाव विवाद समिति

यह समिति ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियामक 1998 के विनियम 67 के अनुकरण में, निर्वाचित घोषित अथवा माने गए व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में होने वाली किसी शंका अथवा विवाद के समाधान के लिए गठित की गई है। इस समिति में इस समय प्रबंध एवं निदेशक एवं सीईओ, भारत सरकार के नामित निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस.गणेश कुमार शामिल हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान चुनाव विवाद समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7.9 REMUNERATION COMMITTEE OF BOARD

A Remuneration Committee was constituted to evaluate the performance-linked incentive of Whole-time Directors as per the notification No. 20/1/2005-Bo.I dated 09.03.2007 from Ministry of Finance, Government of India, consisting of Govt. of India Nominee Director, RBI Nominee Director and two other non executive directors. At present the composition of Committee consists of Govt. of India Nominee Director Sh. Prashant Goyal as its Chairman, RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar and two other Non-Executive Directors, Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Desh Deepak Khetrapal. The Committee, during the year, met once on 25.06.2016 to approve the Policy for sanctioning of Housing Loan, Car Loan and Festival Advance to the Chief Executive Officer / Whole Time Directors of the Bank in line with other staff of the Bank.

S. No.	Date of Meeting	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.06.2016	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. S Ganesh Kumar 3. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal

7.10 NOMINATION COMMITTEE

"Nomination Committee" was constituted vide Reserve Bank of India notification DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for laying down/determining 'Fit & Proper' Criteria for existing elected directors/the person to be elected as a director under Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/80 on the Boards of Nationalized Banks. The Committee comprises of Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal as its Chairman and two Non-Executive Directors viz., Smt. Mala Srivastava and Sh. Sanjay Kapoor. The Committee met to decide the fit and proper status of existing elected Shareholder Directors on 25.07.2016.

S. No.	Date of Meeting	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.07.2016	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. S Ganesh Kumar 3. Smt. Mala Srivastava	NIL

7.11 ELECTION DISPUTES COMMITTEE

It is a Committee constituted in pursuance of Regulation 67 of Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations 1998, for resolving of any doubt or dispute arising as to qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected or as to the validity of the election of a director. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. During the year 2016-17, no meeting of the Election Disputes Committee was held.

7.12 मानव संसाधन समिति

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मंडल की मानव संसाधन समिति के गठन के बारे में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एफ नं. 9/18/2009–आई आर दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा मंडल की 27.03.2012 को हुई बैठक में औद्योगिक संबंधों/ मानव संसाधन संबंधी मामलों / क्षमता निर्माण तथा उत्तराधिकार योजना / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता / तथा विनयामक दिशा–निर्देशों को लागू करने संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन समिति बनाई गई । वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा बैंक के गैर–कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल शामिल हैं। वर्ष के दौरान निर्धारित समयावधि के अनुसार समिति की सात बैठकें हुई।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	10.05.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री किंग्शुक भट्टाचार्य 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला	श्री अरूणीश चावला
2	11.08.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला	श्री अरूणीश चावला
3	18.10.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला	श्री राजकिरण राय जी.
4	08.11.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला	श्री देश दीपक खेत्रपाल
5	22.12.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला	1. श्री अरूणीश चावला 2. श्री देश दीपक खेत्रपाल
6	20.02.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री देश दीपक खेत्रपाल
7	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल	श्री प्रशांत गोयल

7.13 जनसंपर्क एवं प्रचार समिति

जनसंपर्क एवं प्रचार समिति का गठन दिनांक 30.04.2012 की बैठक में मंडल के निदेशों के अनुसरण में किया गया था । वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक और दो गैर कार्यपालक निदेशक, श्री प्रशांत गोयल एवं श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल

7.12 HR COMMITTEE

Pursuant to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India Gazette Notification No. F.No.9/18/2009-IR dated 21st March 2012 relating to the constitution of the HR Committee of the Board in all Public Sector Banks, HR Committee has been constituted by the Board of Directors in the Board Meeting dated 27.03.2012 in order to review Industrial relations/HR Related Issues/Capacity Building and Succession Planning / Efficacy of Training Programmes / and implementation of regulatory guidelines. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors alongwith Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and non-executive director, Sh. Desh Deepak Khetrapal. During the year the Committee met seven times, as per prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Kingshuk Bhattacharya 6. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Arunish Chawla
2	11.08.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Arunish Chawla
3	18.10.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Rajkiran Rai G.
4	08.11.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
5	22.12.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal 6. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh.Arunish Chawla 2. Sh. Desh Deepak Khetrapal
6	20.02.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
7	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Desh Deepak Khetrapal	1. Sh. Prashant Goyal

7.13 PR & PUBLICITY COMMITTEE

The PR & Publicity Committee was constituted pursuant to directions of the Board in the meeting dated 30.04.2012. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors and two Non-Executive Directors, Sh. Prashant Goyal and Sh. Ashok Kumar

हैं । समिति बैंक की जनसंपर्क छवि को निखारने के लिए कार्यनीति बनाती है और बैंक की सुदृढ़ ब्रांड छवि बनाने पर ध्यान देती है । यह देश भर में बैंक की पहचान को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देती है। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित समयावधि के अनुसार छः बैठकें हुईं।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	10.05.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
2	23.06.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
3	11.08.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अरूणीश चावला
4	08.11.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
5	03.02.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
6	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री प्रशांत गोयल

7.14 अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के बारे में निर्णय लेने हेतु समिति

अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के बारे में निर्णय लेने हेतु समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र सं0 16/11/2012–बीओ–I , दिनांक 03.04.2012 के अनुसार किया गया । मंडल ने उक्त परिपत्र के अनुसरण में दिनांक 30.04.2012 की बैठक में इस समिति के गठन का अनुमोदन किया। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, दो गैर कार्यपालक निदेशक, श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री संजय कपूर शामिल हैं । समिति अन्य कंपनियों में, जहां बैंक कंपनी का ईक्विटी धारक है और बैंक से अपेक्षित है कि वह शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु चुनाव प्रक्रिया में भाग ले, शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में, उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय लेती है । वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

Sharma. The Committee formulates the Strategy Plan for improving the Public image of the Bank and focuses on strong brand building exercise of the Bank. It also suggests various measures for improvement of visibility of the Bank across the country. During the year the Committee met six times, as per prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
2	23.06.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
3	11.08.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
4	08.11.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
5	03.02.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
6	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Prashant Goyal

7.14 COMMITTEE TO DECIDE CANDIDATURE OF SHARE-HOLDER DIRECTOR IN OTHER COMPANIES

The 'Committee to decide candidature of the Shareholder Director in other companies' was constituted in terms of Circular No. 16/11/2012-BO-I dated 03.04.2012 from Ministry of Finance. Pursuant to the aforementioned circular, the Board approved constitution of this Committee in the meeting dated 30.04.2012. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors, two Non-Executive Directors, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Sanjay Kapoor. The Committee decides on supporting the candidates, after careful consideration of qualification, experience, profile and background of the candidates in the Election of Shareholder Directors in other companies where Bank is the equity holder of the company and is required to participate in the election process. During Financial Year 2016-17, no meeting of this Committee was held.

7.15 गैर–निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की मानीटरिंग हेतु मंडल की उप–समिति

एनपीए की मानीटरिंग के लिए मंडल की उप समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र सं0 7/112/2012–बीओए दिनांक 21.11.2012 के अनुसरण में दिनांक 23.11.2012 को किया गया । वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ भारत सरकार के नामिति निदेशक श्री प्रशांत गोयल, एक गैर–कार्यपालक निदेशक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शामिल हैं । महाप्रबन्धक (समाधान,वसूली एवं विधि) समिति के सदस्य सचिव हैं । समिति गैर–निष्पादनकारी आस्तियों को मॉनीटर करती है तथा एनपीए की स्थिति और वसूली की प्रगति की समीक्षा करती है । वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की दस बैठकें आयोजित की गईं।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	10.05.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री किंग्शुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री अरूणीश चावला
2	25.06.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
3	25.07.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
4	11.08.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री अरूणीश चावला
5	20.09.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
6	18.10.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री राजकिरण राय जी.
7	08.11.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
8	22.12.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री अरूणीश चावला

7.15 SUB-COMMITTEE OF BOARD FOR MONITORING OF NPAs

The Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs was constituted on 23.11.2012 pursuant to the Circular No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 from Ministry of Finance. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors alongwith Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal, one Non-Executive Director Sh. Dinesh Kumar Agrawal. The General Manager (Resolution Recovery & Law) is the Member Secretary of the Committee. The Committee monitors the Non-Performing Assets and reviews the NPA position and progress of recovery. During the year 2016-17, ten meetings of the Committee were held.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla
2	25.06.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Narendra J Kotiawala 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
3	25.07.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Narendra J Kotiawala 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
4	11.08.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla
5	20.09.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
6	18.10.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Rajkiran Rai G
7	08.11.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
8	22.12.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
9	20.02.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
10	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री प्रशांत गोयल

7.16 सीएसआर समिति

मंडल की सीएसआर समिति दिनांक 29.10.2014 को हुई मंडल की बैठक में गठित की गई। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा जनसंपर्क एवं प्रचार समिति के सदस्य निदेशकों के अलावा शेष पात्र मंडल सदस्यों में से दो गैर कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री देश दीपक खेत्रपाल एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शामिल हैं । समिति, बैंक द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों की निगरानी / समीक्षा के लिए गठित की गई । वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं ।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	10.05.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
2	11.08.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
3	08.11.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री देश दीपक खेत्रपाल
4	03.02.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.17 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति

इस समिति का गठन बैंक के इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन संबंधी सभी मामलों का निर्णय लेने के लिए दिनांक 18.07.2014 को हुई बैठक में मंडल द्वारा किया गया । वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा दो गैर कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री देश दीपक खेत्रपाल एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गईं । तथापि, परिचालन के माध्यम से भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹121.10 के निर्गम मूल्य (शेयर प्रीमियम सहित) पर 2,47,72,914 इक्विटी शेयर निर्गमन तथा आबंटन को 06.05.2016 को पारित संकल्प के द्वारा अनुमोदित किया गया ।

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
9	20.02.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
10	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Prashant Goyal

7.16 CSR COMMITTEE

The CSR Committee of Board was constituted by the Board in its meeting held on 29.10.2014. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors and two Non-Executive Directors other than the member Directors of PR & Publicity Committee, from the remaining eligible Board members viz., Sh. Desh Deepak Khetrapal and Sh. Dinesh Kumar Agrawal. The Committee was constituted for focusing/ reviewing the CSR activities being undertaken by the Bank. During the year 2016-17, four meetings were held of the Committee.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Desh Deepak Khetrapal 4. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
2	11.08.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
3	08.11.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal
4	03.02.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal

7.17 SHARE ISSUE AND ALLOTMENT COMMITTEE

This Committee has been constituted by the Board in the Meeting held on 18.07.2014 for deciding all matters with regard to issue and allotment of equity shares of the Bank. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors and two Non-Executive Directors viz., Sh. Desh Deepak Khetrapal and Sh. Dinesh Kumar Agrawal. During the year 2016-17, no meeting of the Share Issue and Allotment Committee was held. However, the issue and allotment of 2,47,72,914 equity shares at an issue price of ₹121.10 (including share premium) to Government of India on preferential basis was approved by the Committee on 06.05.2016 through resolution passed by circulation.

7.18 अनुशासनिक कार्रवाई समिति

यह समिति भारत सरकार के दिनांक 24.10.1990 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक की अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा के लिए गठित की गई । समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार शामिल हैं । वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं ।

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	10.05.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरूणीश चावला 4. श्री एस. गणेश कुमार	श्री अरूणीश चावला
2	11.08.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री एस. गणेश कुमार	श्री अरूणीश चावला
3	18.10.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री अरूणीश चावला 5. श्री एस. गणेश कुमार	श्री राजकिरण राय जी.
4	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री हिमांशु जोशी 4. श्री प्रशांत गोयल 5. श्री एस. गणेश कुमार	श्री प्रशांत गोयल

7.19 मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति

यह समिति दिनांक 30.04.2014 को मंडल की बैठक में गठित हुई, जिसमें अनुशासनिक मामलों में समीक्षा तथा विचार हेतु दिनांक 28.05.2014 की बैठक में संशोधन हुआ । इस समय समिति में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री प्रशांत गोयल और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार तथा तीन गैर कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री संजय कपूर शामिल हैं। समिति अनुशासनिक मामलों में अपीलों की समीक्षा करती है । वर्ष 2016–17 के दौरान अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गईं ।

7.20 असहयोगी उधारकर्ताओं एवं इरादतन चूककर्ताओं पर मंडल की समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 01.07.2014 एवं 22.12.2014 के अनुसरण में गठित की गई । समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो गैर कार्यपालक अधिकारी अर्थात् श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं । समिति चूककर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता घोषित करने और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति के निर्णय की समीक्षा करती है । वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई ।

7.18 DISCIPLINARY ACTION COMMITTEE

This Committee has been constituted pursuant to Government of India Guidelines dated 24.10.1990 to review the Disciplinary cases and departmental enquiries of the Bank. The Committee comprises of Managing Director and CEO, Executive Directors, Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. During the year 2016-17, four meetings of the Committee were held.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	10.05.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. S Ganesh Kumar	1. Sh. Arunish Chawla
2	11.08.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. S Ganesh Kumar	1. Sh. Arunish Chawla
3	18.10.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. S Ganesh Kumar	1. Sh. Rajkiran Rai G
4	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Himanshu Joshi 4. Sh. Prashant Goyal 5. Sh. S Ganesh Kumar	1. Sh. Prashant Goyal

7.19 APPELLATE AND REVIEWING AUTHORITY COMMITTEE OF BOARD

This Committee has been constituted by the Board in its meeting held on 30.04.2014 with amendments in the meeting dated 28.05.2014 for reviewing and considering appeals in disciplinary cases. The Committee at present comprises of Government of India Nominee Director, Sh. Prashant Goyal and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar and three other Non-Executive Directors viz., Sh. Dinesh Kumar Agrawal, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Sanjay Kapoor. The Committee reviews the appeals in the Disciplinary cases. During Financial Year 2016-17, no meeting of this Committee was held.

7.20 REVIEW COMMITTEE OF THE BOARD ON NON-COOPERATIVE BORROWERS AND WILFUL DEFAULTERS

This Committee has been constituted pursuant to RBI Circulars dated 01.07.2014 and 22.12.2014. The Committee comprises of Managing Director and CEO and two Non-Executive Directors viz., Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee reviews the declaration of defaulters as Non-cooperative borrowers and the decision of Screening Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Wilful Defaulters. During the year 2016-17, four meetings of the Committee were held.

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	06.04.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 3. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
2	25.06.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 3. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
3	08.11.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 3. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4	28.03.2017	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 3. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य

7.21 निवेश समिति

यह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली बैंक के कार्यपालकों की समिति है तथा जिसकी प्रतिदिन होने वाली बैठक में मौजूदा निवेशों, सांविधिक चलनिधि, गैर-सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों के संबंध में नए निवेश संबंधी निर्णयों, सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग और बैंक की निधियों की स्थिति सहित कई अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार किया जाता है।

7.22 शेयर हस्तांतरण समिति

शेयर हस्तांतरण समिति, जिसमें तीन महाप्रबन्धक, एक उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक और एक मुख्य प्रबन्धक हैं, साप्ताहिक आधार पर शेयरों के अंतरण व प्रसारण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, नामों को रद्द करना, शेयर आदि का पुनर्मूर्तिकरण का अनुमोदन करती है । शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरणों को तिमाही आधार पर सूचनार्थ मण्डल के समक्ष तथा अनुसमर्थन हेतु मंडल की स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान शेयर अंतरण समिति की 33 बैठकें आयोजित की गईं । बैंक प्रस्तुत किए गए सभी अंतरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर विधिवत् रूप से प्रभावी करना सुनिश्चितकरता है ।

शेयरधारक सूचना

8.1 आम बैठकें

पिछली वार्षिक आम बैठकों की तारीख एवं स्थल		
बैठक की प्रकृति	**दिनांक एवं समय**	**स्थल**
बीसवीं वार्षिक आम बैठक	19 जून, 2014 को प्रातः 10.00 बजे	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक	26 जून, 2015 को प्रातः 10.00 बजे	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
बाईसवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2016 को प्रातः 10.00 बजे	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	06.04.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 3. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
2	25.06.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 3. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
3	08.11.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 3. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4	28.03.2017	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 3. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL

7.21 INVESTMENT COMMITTEE

It is Committee of Executives of the Bank headed by Managing Director and CEO, which meets daily to take a view on existing investments, fresh investments decisions with regard to SLR, Non-SLR Securities, G-Sec trading and other allied matters including funds position of the Bank.

7.22 SHARE TRANSFER COMMITTEE

The Share Transfer Committee comprising of three General Managers, one Dy. General Manager /Asst. General Manager and one Chief Manager approves the transfer, transmission of shares, issue of duplicate share certificate, deletion of names, rematerialisation of shares etc. on weekly basis. The share transfers approved by the Share Transfer Committee are placed before the Board and Stakeholders' Relationship Committee of Board for information and ratification, respectively. 33 meetings of the Share Transfer Committee were held during the period of April 1, 2016 to March 31, 2017. The Bank ensures that all the transfers are duly effected within a period of 15 days from the date of their lodgment.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 GENERAL BODY MEETINGS

Date & Venue of Previous Annual General Meetings		
Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Twentieth Annual General Meeting	19th June, 2014 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.
Twenty First Annual General Meeting	26th June, 2015 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.
Twenty Second Annual General Meeting	23rd June 2016 at 10.00a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

20वीं, 21वीं और 22वीं वार्षिक आम बैठकें बैंक के तुलन–पत्र लाभ एवं हानि लेखा तथा लेखों में ली गई अवधि हेतु बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लाभांश की घोषणा पर चर्चा करने, अनुमोदित करने तथा अपनाने के लिए आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आम बैठकों में, विशेष संकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों ने बैंक द्वारा पूंजी एकत्रित करने को भी अनुमोदित किया।

दिनांक 23 जून, 2016 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में श्री अरूणीश चावला, श्री एस. गणेश कुमार, श्री देश दीपक खेत्रपाल एवं श्रीमती माला श्रीवास्तव जो पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए, के अलावा सभी निदेशकों ने भाग लिया।

8.2 असाधारण आम बैठक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 2 मई, 2016 को निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की गई :

राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा वांछित अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन अन्य लागू विधि / दिशानिर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले सेबी आईसीडीआर विनियमक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹300.00 करोड़ (₹ तीन सौ करोड़ मात्र) की सीमा तक सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित ₹121.10 (₹ एक सौ इक्कीस और दस पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु ₹10/– (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के बैंक के 2,47,72,914 इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु।

पोस्टल मत – इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पोस्टल मत का आयोजन नहीं किया है।

8.3 वित्तीय कैलेंडर

31.03.17 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने हेतु मंडल की बैठक	12 मई, 2017
वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय और स्थान	बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 को प्रातः 10.00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
बही बंद होने की तारीख	23 जून, 2017 – 29 जून, 2017
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23 जून, 2017
ई–वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख	22 जून, 2017
ई–वोटिंग अवधि	26 जून, 2017 (प्रातः 09:00 बजे) से 28 जून, 2017 (सायं 05:00 बजे)

8.4 सूचीकरण

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में और कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में है। मार्च, 2017 की समाप्ति पर, देश के सभी भागों में इसके नेटवर्क में 2376 शाखाएं और 21 क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालय हैं।

बैंक के शेयर (ISIN NO. INE 141A01014) निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और ईक्विटी शेयर निम्नलिखित कोड के अंतर्गत उद्धृत हैं :

The, 20th, 21st and 22nd Annual General Meetings of the Bank were held to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank and to declare dividend. Further, in the above Annual General Meetings, the shareholders also approved raising of Capital by the Bank through special resolution.

The last Annual General Meeting held on 23rd June 2016 was attended by all the directors except Sh. Arunish Chawla, Sh. S. Ganesh Kumar, Sh. Desh Deepak Khetrapal and Smt. Mala Srivastava who could not attend the meeting due to preoccupation.

8.2 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

During the year ended 31st March, 2017, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Monday, 2nd May 2016, to transact the following business:

To create, offer, issue and allot 2,47,72,914 equity shares of the Bank of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an issue price (including premium) of ₹121.10 (Rupees One hundred Twenty One and paise Ten only) per equity share, as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹300.00 crore (Rupees Three Hundred crore only) on preferential basis to Government of India (President of India) pursuant to the provisions of SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and other applicable laws/guidelines and subject to receipt of requisite approvals.

Postal Ballot – The Bank did not conducted any postal ballot during the financial year.

8.3 FINANCIAL CALENDAR

Board Meeting for approving Audited Financial Results of the bank for the year ended 31.03.17	12th May, 2017
Date, Time & Venue of the AGM	Thursday, 29th June 2017 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.
Book Closure dates	23rd June 2017 – 29th June 2017
Last Date for receipt of proxy forms	23rd June 2017
Cut-off Date for E voting	22nd June 2017
E-Voting period	26th June 2017 (09.00 a.m.) to 28th June 2017 (05.00 p.m.)

8.4 LISTING

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at New Delhi and Corporate Office at Gurugram. The Bank has its presence in all parts of the country with network of 2376 Branches and 21 Clusters Monitoring Offices as at end of March 2017.

The Bank's shares (ISIN No.INE141A01014) are listed on the following major Stock Exchanges and the equity shares are quoted under the following codes:

स्टॉक एक्सचेंज	स्क्रिप कोड	रायटर्स कोड	ब्लूमबर्ग कोड
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, मुम्बई –400001	500315	ORBC.BO	OBC:IB
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि0 एक्सचेंज प्लॉजा, 5वीं मंजिल, बांद्रा–कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई–400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

दोनों स्टाक एक्सचेंजों को आज तक के सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

8.5 अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक 2015 के अनुसार श्रीमती एकता पसरीचा, कंपनी सचिव बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

8.6 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य डिमैट सूची में हैं और बैंक के शेयरों का अमूर्तीकरण कराने के लिए बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किए हैं । शेयरधारक एनएसडीएल से या फिर सीडीएसएल से शेयर अमूर्त करा सकते हैं।

31 मार्च, 2017 के अनुसार, बैंक के पास नीचे दिए गए विवरणानुसार निम्नलिखित संख्या में ईक्विटी शेयर मूर्त तथा अमूर्त रूप में हैं :

धारिता का स्वरूप	शेयरधारकों का रिकॉर्ड / संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
मूर्त	31128	3407929	0.98
एनएसडीएल (अमूर्तीकृत)	68808	131671955	38.04
सीडीएसएल (अमूर्तीकृत)	30919	211090531	60.98
कुल	130855	346170415	100.00

8.7 31 मार्च, 2017 को एस्क्रो /उचंत खाते में रखे हुए शेयरों की स्थिति

(अमूर्त शेयर – अवितरित वापस हुए)

दिनांक 01.04.2016 को अथशेष		वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जमा हुए शेयर	31.03.2017 को अंतिम अधिशेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या			शेयरधारकों की संख्या	शेय. रों की संख्या
15	650	0	0	15	650

(मूर्त शेयर – अवितरित वापस हुए)

दिनांक 01.04.2016 को अथशेष	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जमा हुए शेयर	31.03.2017 को अंतिम अधिशेष
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयर के मालिक द्वारा शेयरों पर दावा करने तक, एस्क्रो / उचंत खाते में रखे गए शेयरों पर मताधिकार अवरुद्ध रहेंगे।

Stock Exchange	Scrip Code	Reuters Code	Bloomberg Code
Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001.	500315	ORBC.BO	OBC:IB
National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

Listing fee has been paid to both the Stock Exchanges.

8.5 Compliance Officer

Smt. Ekta Pasricha, Company Secretary of the Bank is the Compliance Officer in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

8.6 Dematerialization of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2017 the Bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form as per detail given hereunder:-

Nature of Holding	No. of shareholders	No. of Shares	Percentage (%)
Physical	31128	3407929	0.98
NSDL (Dematerialized)	68808	131671955	38.04
CDSL (Dematerialized)	30919	211090531	60.98
Total	130855	346170415	100.00

8.7 Status of Shares lying in Escrow / Suspense Account as on 31st March 2017

[Demat shares – returned undelivered]

Opening Balance as on 01.04.2016		No. of requests received during the financial year 2016-17	Shares credited during the financial year 2016-17	Closing Balance as on 31.03.2017	
No. of shareholders	No. of shares			No. of shareholders	No. of shares
15	650	0	0	15	650

[Physical shares – returned undelivered]

Opening Balance as on 01.04.2016	No. of requests received during the financial year 2016-17	Shares credited during the financial year 2016-17	Closing Balance as on 31.03.2017
Nil	Nil	Nil	Nil

The voting rights on the shares lying in the Escrow / Suspense Account shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

8.8 निम्नलिखित अदावाकृत लाभांश राशि का शेष नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के प्रावधानों के अंतर्गत निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

क्रमांक	अप्रदत्त लाभांश खातों का विवरण	घोशणा की तारीख	31.03.2017 को शेष (₹ में)	आईईपीफ में अंतरण की नियत तारीख
1.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2009–10	23.06.2010	13541700.90	29.07.2017
2.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2010–11	23.06.2011	16332804.80	29.07.2018
3.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2011–12	13.06.2012	14234101.50	19.07.2019
4.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2012–13	17.06.2013	17728832.40	23.07.2020
5.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013–14 (अंतरिम)	11.01.2014*	8463512.00	16.02.2021
6.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013–14 (अंतिम)	19.06.2014	7668356.40	27.07.2021
7.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2014–15	26.06.2015	7784960.70	29.07.2022
8.	अप्रदत्त लाभांश खाता 2015–16	23.06.2016	2137527.70	29.07.2023

* निदेशक मण्डल की बैठक की तारीख जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई।

वर्ष 2009–10 के लिए अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश दिनांक 29.07.2017 को प्रेषण करने से पहले, सभी संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र, इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि वे अपना दावा 20.07.2017 तक भेज दें। यदि दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते में बकाया शेष राशि आईईपीएफ के खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

8.9 शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयर से संबंधित सभी अंतरण शेयर जमा कराए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर विधिवत् रूप से प्रभावी कर दिए जाएं । मंडल ने एक शेयर अंतरण समिति बनाई है जिसकी बैठक बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है। रजिस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान और निवेशक से संबंधित अन्य सभी कार्यकलाप किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण विलेख और अन्य कोई दस्तावेज, शिकायतें और कठिनाइयां निम्न में से किसी को भी निम्न पते पर भेज सकते हैं:

(क) शेयर अंतरण एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल,
नारायणा इण्डिस्ट्रयल एरिया, फेज . 1
निकट पीवीआर नारायणा,नई दिल्ली . 110028
फोन : 011–41410592/93/94, फैक्सः 011–41410591
ई–मेल – delhi@linktime.co.in
(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
निवेशक सेवा कक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय
दूसरी मंजिल, प्लॉट सं. 5
सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरुग्राम –122001 (हरियाणा)
फोन : 0124–4126285/4176918,
फैक्सः 0124–4126574
ई–मेल – mbd@obc.co.in

8.8 The balance of the following Unclaimed Dividend amount will be transferred as per details mentioned below to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980:-

S r . No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2017 (in ₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Unpaid Dividend A/c 2009-10	23.06.2010	13541700.90	29.07.2017
2	Unpaid Dividend A/c 2010-11	23.06.2011	16332804.80	29.07.2018
3	Unpaid Dividend A/c 2011-12	13.06.2012	14234101.50	19.07.2019
4	Unpaid Dividend A/c 2012-13	17.06.2013	17728832.40	23.07.2020
5	Unpaid Dividend A/c 2013-14 (Interim)	11.01.2014*	8463512.00	16.02.2021
6	Unpaid Dividend A/c 2013-14 (Final)	19.06.2014	7668356.40	27.07.2021
7	Unpaid Dividend A/c 2014-15	26.06.2015	7784960.70	29.07.2022
8	Unpaid Dividend A/c 2015-16	23.06.2016	2137527.70	29.07.2023

* Date of meeting of Board of Directors in which interim dividend was declared.

Prior to remittance of Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2009-10 on 29.07.2017, reminder letters shall be sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 20.07.2017. If not claimed, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account.

8.9 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly effected within the period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee, which meets on regular intervals for transacting the business of all matters relating to shares issued by the Bank. Share transfers, dividend payment and all other investor related requests/complaints are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Limited. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints either to:

(a) Registrar & Share Transfer Agent
Link Intime India Pvt. Ltd.
44, Community Centre, 2nd Floor,
Naraina Industrial Area,
Phase-I, Near PVR Naraina,
New Delhi-110028
Phone: 011-41410592/93/94; Fax: 011-41410591
Email id: delhi@linkintime.co.in
(b) Oriental Bank of Commerce
Investor Services Cell, Corporate Office,
Second Floor, Plot no.5
Sector – 32, Institutional Area,
Gurugram – 122001 (Haryana)
Ph: 0124- 4126285 / 4176918
Fax: 0124-4126574
Email id: mbd@obc.co.in

8.10 31 मार्च, 2017 को शेयरधारिता की स्थिति

क्र0सं0	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयर्स	शेयरों का %
1.	भारत सरकार	1	202081957	58.38
2.	बैंक / वित्तीय संस्थाएं तथा बीमा कंपनियां	31	53156686	15.36
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अनिवासी भारतीय	1229	21689413	6.26
4.	म्यूचुअल फंड / यूटीआई	37	33079581	9.56
5.	अन्य	129557	36162778	10.44
	कुल	**130855**	**346170415**	**100.00**

31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार बैंक के पांच सर्वोच्च शेयरधारक

क्र0सं0	शेयर धारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या	कुल धारिता का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	20,20,81,957	58.38
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,51,78,035	13.05
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि0 – एचडीएफसी इक्विटी फंड	82,70,035	2.39
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि0 – एचडीएफसी प्रूडेन्स फंड	62,27,604	1.80
5	जुपिटर इंडिया फंड के ट्रस्टी के रूप में नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक पीएलसी	40,69,333	1.18
कुल		**26,58,26,964**	**76.80**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार संवितरण अनुसूची

प्रत्येक शेयर का सांकेतिक मूल्य – ₹10/–

शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	धारिता वर्ग	शेयरों की संख्या	कुल का %
123166	94.12	1 से 5000	13286575	3.84
4058	3.10	5001 से 10000	3218295	0.93
2941	2.25	10001 से 50000	6246920	1.80
313	0.24	50001 से 100000	2255182	0.65
377	0.29	100001 और अधिक	321163443	92.78
130855	**100.00**	**कुल**	**346170415**	**100.00**

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय प्रलेख जारी नहीं किए हैं।

8.10 Share Holding Pattern as on 31st March, 2017

Sr. No.	Category	No. of Holders	Shares	% to Shares
1.	Government of India	1	202081957	58.38
2.	Banks / FIs & Insurance Companies	31	53156686	15.36
3.	FPIs & NRIs	1229	21689413	6.26
4.	Mutual Funds/ UTI/ Trusts	37	33079581	9.56
5.	Others	129557	36162778	10.44
	Total	**130855**	**346170415**	**100.00**

Top five shareholders of the Bank as on 31st March, 2017

Sr. No.	Category of Shareholders	No. of Shares	% to total holding
1	President of India	20,20,81,957	58.38
2	Life Insurance Corporation of India	4,51,78,035	13.05
3	HDFC Trustee Company Limited-HDFC Equity Fund	82,70,035	2.39
4	HDFC Trustee Company Limited-HDFC Prudence Fund	62,27,604	1.80
5	National Westminster Bank PLC as Trustee of the Jupiter India Fund	40,69,333	1.18
Total		**26,58,26,964**	**76.80**

Distribution Schedule as on 31st March, 2017
Nominal Value of each Share - ₹10/-

NO. OF SHARE-HOLDERS	% TO TOTAL	HOLDING RANGE	NO. OF SHARES	% TO TOTAL
123166	94.12	1 TO 5000	13286575	3.84
4058	3.10	5001 TO 10000	3218295	0.93
2941	2.25	10001 TO 50000	6246920	1.80
313	0.24	50001 TO 100000	2255182	0.65
377	0.29	100001 And Above	321163443	92.78
130855	**100.00**	**TOTAL**	**346170415**	**100.00**

Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.

8.11 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर भाव, खरीदे–बेचे गए शेयरों की संख्या

एनएसई (निफ्टी के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे – बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

एनएसई					
माह	उच्च मूल्य (रु.)	निम्न मूल्य (रु.)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	एनएसई निफ्टी	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2016	100.90	85.50	47939656	7992.00	7516.85
मई 2016	92.20	76.75	65249820	8213.60	7678.35
जून 2016	109.60	80.50	102095363	8308.15	7927.05
जुलाई 2016	127.10	107.30	118465141	8674.70	8287.55
अगस्त 2016	128.25	106.50	103444952	8819.20	8518.15
सितम्बर 2016	138.00	120.95	84610056	8968.70	8555.20
अक्तूबर 2016	138.65	121.30	73909377	8806.95	8506.15
नवम्बर 2016	131.15	104.45	87354947	8669.60	7916.40
दिसम्बर 2016	124.15	101.80	51216393	8274.95	7893.80
जनवरी 2017	121.90	103.85	49495550	8672.70	8133.80
फरवरी 2017	134.20	114.00	86872109	8982.15	8537.50
मार्च 2017	149.35	120.60	82980162	9218.40	8860.10

बीएसई (बीएसई सेंसेक्स के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे – बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

बीएसई					
माह	उच्च मूल्य (रु.)	निम्न मूल्य (रु.)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	सेंसेक्स	
				उच्च	निम्न
अप्रैल 2016	100.90	85.50	8995066	26100.54	24523.20
मई 2016	92.15	76.80	11990577	26837.20	25057.93
जून 2016	109.50	80.40	14109647	27105.41	25911.33
जुलाई 2016	127.30	107.25	12987093	28240.20	27034.14
अगस्त 2016	128.30	106.60	11663226	28532.25	27627.97
सितम्बर 2016	137.80	120.75	9214464	29077.28	27716.78
अक्तूबर 2016	138.45	121.35	8243882	28477.65	27488.30
नवम्बर 2016	131.25	104.50	10408657	28029.80	25717.93
दिसम्बर 2016	124.20	101.70	5762567	26803.76	25753.74
जनवरी 2017	121.80	103.85	5652958	27980.39	26447.06
फरवरी 2017	134.20	114.00	10424922	29065.31	27590.10
मार्च 2017	148.80	120.70	8439757	29824.62	28716.21

	बीएसई	एनएसई
बंद मूल्य – 31.03.2017	**140.95**	**140.85**
बाजार पूंजीकरण – 31.03.2017 (₹ करोड़ में)	**4879.27**	**4875.81**

बीएसई (बीएसई बैंकेक्स के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे – बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

बीएसई					
माह	उच्च मूल्य (रु.)	निम्न मूल्य (रु.)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	बैंकेक्स	
				उच्च	उच्च
अप्रैल 2016	100.90	85.50	8995066	19428.98	17566.34
मई 2016	92.15	76.80	11990577	20154.27	18398.47
जून 2016	109.50	80.40	14109647	20683.24	19331.69
जुलाई 2016	127.30	107.25	12987093	21980.40	20520.45
अगस्त 2016	128.30	106.60	11663226	22713.42	21055.57
सितम्बर 2016	137.80	120.75	9214464	23694.65	21760.14
अक्तूबर 2016	138.45	121.35	8243882	22847.63	21480.37
नवम्बर 2016	131.25	104.50	10408657	23349.92	20791.00
दिसम्बर 2016	124.20	101.70	5762567	21458.69	20087.45
जनवरी 2017	121.80	103.85	5652958	22658.21	20357.56
फरवरी 2017	134.20	114.00	10424922	23975.17	22272.87
मार्च 2017	148.80	120.70	8439757	24672.15	23294.39

8.11 Share Price, Volume of Shares traded in Stock Exchanges during FY 2016-17

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (along with comparison of share price of the Bank with Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	NSE Nifty	
				High	Low
April 2016	100.90	85.50	47939656	7992.00	7516.85
May 2016	92.20	76.75	65249820	8213.60	7678.35
June 2016	109.60	80.50	102095363	8308.15	7927.05
July 2016	127.10	107.30	118465141	8674.70	8287.55
August 2016	128.25	106.50	103444952	8819.20	8518.15
September 2016	138.00	120.95	84610056	8968.70	8555.20
October 2016	138.65	121.30	73909377	8806.95	8506.15
November 2016	131.15	104.45	87354947	8669.60	7916.40
December 2016	124.15	101.80	51216393	8274.95	7893.80
January 2017	121.90	103.85	49495550	8672.70	8133.80
February 2017	134.20	114.00	86872109	8982.15	8537.50
March 2017	149.35	120.60	82980162	9218.40	8860.10

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (along with comparison of share price of the Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	Sensex	
				High	Low
April 2016	100.90	85.50	8995066	26100.54	24523.20
May 2016	92.15	76.80	11990577	26837.20	25057.93
June 2016	109.50	80.40	14109647	27105.41	25911.33
July 2016	127.30	107.25	12987093	28240.20	27034.14
August 2016	128.30	106.60	11663226	28532.25	27627.97
September 2016	137.80	120.75	9214464	29077.28	27716.78
October 2016	138.45	121.35	8243882	28477.65	27488.30
November 2016	131.25	104.50	10408657	28029.80	25717.93
December 2016	124.20	101.70	5762567	26803.76	25753.74
January 2017	121.80	103.85	5652958	27980.39	26447.06
February 2017	134.20	114.00	10424922	29065.31	27590.10
March 2017	148.80	120.70	8439757	29824.62	28716.21

	BSE	NSE
Closing price - 31.03.2017	**140.95**	**140.85**
Market Capitalization - 31.03.2017 (₹ in crore)	**4879.27**	**4875.81**

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (along with comparison of share price of the Bank with BSE Bankex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	BANKEX	
				High	Low
April 2016	100.90	85.50	8995066	19428.98	17566.34
May 2016	92.15	76.80	11990577	20154.27	18398.47
June 2016	109.50	80.40	14109647	20683.24	19331.69
July 2016	127.30	107.25	12987093	21980.40	20520.45
August 2016	128.30	106.60	11663226	22713.42	21055.57
September 2016	137.80	120.75	9214464	23694.65	21760.14
October 2016	138.45	121.35	8243882	22847.63	21480.37
November 2016	131.25	104.50	10408657	23349.92	20791.00
December 2016	124.20	101.70	5762567	21458.69	20087.45
January 2017	121.80	103.85	5652958	22658.21	20357.56
February 2017	134.20	114.00	10424922	23975.17	22272.87
March 2017	148.80	120.70	8439757	24672.15	23294.39

8.12 पत्राचार हेतु पता

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग
कॉरपोरेट कार्यालय
दूसरी मंजिल,प्लॉट सं. 5
सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरुग्राम–122001 (हरियाणा)
फोन नं.: 0124–4126285/4176918,
फैक्स: 0124-4126574
ई–मेल – mbd@obc.co.in

8.13 31.03.2017 के अनुसार, बैंक के टीयर । एवं ।। बॉन्डों संबंधी डिबेंचर ट्रस्टी निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	श्रृंखला विवरण	डिबेंचर ट्रस्टी
1	9.95% निम्नतम टीयर ।। बांड *	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. एशियन बिल्डिंग, 17, भूतल, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई – 400001 दूरभाश नं. 022–40807037
2	8.75% उच्चतम टीयर ।। बांड	
3	9.48% बासेल–।।। अनुपालक अतिरिक्त टीयर । बांड	
4	9.10%: स्थाई टीयर । बांड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि. दूसरा तल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई – 400025 महाराष्ट्र दूरभाश नं. 022–24255227
5	9.05% स्थाई टीयर । बांड	
6	8.68% उच्चतम टीयर ।। बांड	
7	8.93% निम्नतम टीयर ।। बांड	
8	9.20% बासेल–।।। अनुपालक टीयर ।। बांड	
9	8.34% बासेल–।।। अनुपालक टीयर ।। बांड	
10	9.05% बासेल–।।। अनुपालक टीयर ।। बांड	
11	10.95% बासेल–।।। अनुपालक अतिरिक्त टीयर । बांड	
12	10.95% बासेल–।।। अनुपालक अतिरिक्त टीयर । बांड	

*₹500 करोड़ मूल्य के 9.95% निम्न टीयर– II बॉन्डों की श्रृंखला 23.04.2017 को अर्थात आबंटन की तारीख यथा 23 अप्रैल 2007 से 10वें वर्ष की समाप्ति पर मोचन हेतु देय थी। ब्याज सहित मूलधन राशि का बैंक द्वारा 24.04.2017 (देय तिथि यथा 23.04.2017 को चूंकि अवकाश था) को भुगतान किया गया।

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बॉन्डों का मोचन किया:–
क) 20.04.2016 (परिपक्वता पर) को 500 करोड़ मूल्य के 8.50% निम्न टीयर– II बॉन्ड
ख) बैंक द्वारा क्रय विकल्प का प्रयोग करते हुए 21.07.2016 को ₹500 करोड़ मूल्य के 9.25% उच्च टीयर– II बॉन्ड
ग) बैंक द्वारा क्रय विकल्प का प्रयोग करते हुए 07.12.2016 को ₹250 करोड़ मूल्य के 9.40% स्थायी टीयर– I बॉन्ड

9. संचार साधन

तिमाही, छमाही और वार्षिक परिणाम बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी एवं अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किए गए । वित्तीय परिणाम तथा विश्लेषकों को की गई प्रस्तुति, सामान्य शेयरधारक सूचना तथा शेयरधारिता पैटर्न बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

8.12 Address for Correspondence

Oriental Bank of Commerce
Merchant Banking Department
Corporate Office
Second Floor, Plot No.5,
Sector – 32, Institutional Area,
Gurugram – 122001 (Haryana)
Tel No(s): 0124-4126285 / 4176918
Fax No(s): 0124-4126574
Email: mbd@obc.co.in

8.13 The Debenture Trustees in respect of Bank's Tier I & II Bonds as on 31.03.2017 are:

Sr. No.	Series Particulars	Debenture Trustees
1	9.95% Lower Tier II Bonds*	IDBI Trusteeship Services Limited Asian Building, 17, Ground Floor, R. Kamani Marg Ballard Estate, Mumbai-400001 Phone no. 022-40807037
2	8.75% Upper Tier II Bonds	
3	9.48% Basel III Compliant Additional Tier I Bonds	
4	9.10% Perpetual Tier I Bonds	Axis Trustee Services Limited 2nd Floor, Axis House Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli- Mumbai – 400025 Maharashtra Phone no. 022-24255227
5	9.05% Perpetual Tier I Bonds	
6	8.68% Upper Tier II Bonds	
7	8.93% Lower Tier II Bonds	
8	9.20% Basel III Compliant Tier II Bonds	
9	8.34% Basel III Compliant Tier II Bonds	
10	9.05% Basel III Compliant Tier II Bonds	
11	10.95% Basel III Compliant Additional Tier I Bonds	
12	10.95% Basel III Compliant Additional Tier I Bonds	

* The series of 9.95% Lower Tier II Bonds amounting to ₹500 crore were due for redemption on 23.04.2017 i.e. at the end of 10th year from the date of allotment i.e. 23rd April 2007. The interest along with principal amount was paid by the Bank on 24.04.2017 (due date i.e. 23.04.2017 being a holiday)

During the year, the Bank has redeemed a) 8.50% Lower Tier II Bonds amounting to ₹500 crore on 20.04.2016 (on maturity) b) 9.25% Upper Tier II Bonds amounting to ₹500 crore on 21.07.2016 upon exercise of Call option and c) 9.40% Perpetual Tier I Bonds amounting to ₹250 crores upon exercise of Call Option on 07.12.2016.

9. Means of Communication

The quarterly, half-yearly & annual financial results were published in Business Standard (Hindi & English) Financial Express (English) and Jansatta (Hindi).The financial results as well as presentation made to analysts, general shareholder information and shareholding pattern are also displayed on Bank's website at www.obcindia.co.in.

10. घोषणा एवं प्रमाणपत्र

1. सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक, 2015 के अनुसार सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों से वर्ष 2016–17 के लिए बैंक में कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी प्रमाणपत्र ले लिया गया है और यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

2. सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

3. बैंक ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंध वर्ग के लिए आचार संहिता अपनाई है जो बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर उपलब्ध है । सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंध वर्ग ने समीक्षा वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि से संबंधित सर्टीफिकेट रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

4. बैंक ने बैंक की प्रतिभूतियों की भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए अपने निदेशकों, लेखापरीक्षकों और नामित कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता बनाई है।

11. प्रकटीकरण

1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 द्वारा बैंक किसी निदेशक को या ऐसी किसी फर्म, जिसमें निदेशक हितबद्ध हैं या ऐसी किसी कम्पनी, जिसमें बैंककारी कम्पनी का कोई निदेशक–निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी या गारंटीदाता है या जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, को ऋण व अग्रिम दिए जाने का निषेध करती है । इसलिए बैंक का अपने निदेशकों, प्रबन्ध वर्ग, उनके अनुषंगियों और/या रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ जिसके सामान्य तौर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है।

2. आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने टीयर ।/ टीयर ।। पूंजी एकत्र करने के लिए निम्नलिखित प्रलेख जारी किए हैं:

प्रलेख विवरण	जारी बॉन्डस /शेयरों की संख्या	जारी करने की तिथि	निर्गम मूल्य	एकत्रित राशि (रु. करोड़ में)
रु. 10/– प्रति के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन	2,47,72,914	06.05.2016	₹121.10	₹300.00 करोड़ *
बासेल ।।। अनुपालक टीयर ।। बॉन्डस	10,000	24.06.2016	₹10.00 लाख प्रति बॉन्ड	₹1000.00 करोड़
बासेल ।।। अनुपालक अतिरिक्त टीयर । बॉन्डस	10,000	16.09.2016	₹10.00 लाख प्रति बॉन्ड	₹1000.00 करोड़
बासेल ।।। अनुपालक अतिरिक्त टीयर । बॉन्डस	5,000	30.09.2016	₹10.00 लाख प्रति बॉन्ड	₹500.00 करोड़

** बैंक को भारत सरकार से 30 मार्च 2016 को ₹300.00 करोड़ पूंजी अंत:प्रवाह के रूप में प्राप्त हुआ। राशि को 'शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट' खाते में रखा गया एवं इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन 6 मई, 2016 को किया गया।*

बासेल ।।। पूंजी विनियमन के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को सशक्त करने हेतु टीयर – । एवं टीयर ।। पूंजी को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियां एकत्रित की गईं। एकत्रित की गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए तथा बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी मामलों के संबंध में सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड / जुर्माना नहीं लगाया गया।

4. जनहित प्रकटन तथा सूचना देने वाले का संरक्षण (पीआईडीपीआई) पर सेबी सूचीकरण विनियामक तथा भारत सरकार के संकल्प के अनुसार बैंक ने

10. DECLARATIONS AND CERTIFICATES

1. In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance of the Bank for the year 2016-17 and the same is annexed to the Report.

2. The certificate of CEO & CFO has been submitted to the Board of Directors and is annexed to this Report.

3. The Bank has adopted a code of conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.obcindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming compliance is given at the end of report.

4. The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors, Auditors and Designated employees for prevention of insider trading in Bank's securities.

11. DISCLOSURES

1. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949, prohibits grants of loans and advances by the bank to directors or to any firm in which the directors are interested or to any company of which any of the director of the Banking Company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.

2. During the year under review, the Bank has issued the following instruments to raise Tier I / Tier II capital:-

Instrument Details	Number of Bonds/ Shares Issued	Date of Issue	Issue Price	Amount raised (₹. in crore)
Preferential Allotment of equity shares of face value of ₹10/- each	2,47,72,914	06.05.2016	₹121.10	₹300.00 crore*
Basel III Compliant Tier II Bonds	10,000	24.06.2016	₹10.00 Lakhs per Bond	₹1000.00 crore
Basel III Compliant Additional Tier I Bonds	10,000	16.09.2016	₹10.00 Lakhs per Bond	₹1000.00 crore
Basel III Compliant Additional Tier I Bonds	5,000	30.09.2016	₹10.00 Lakhs per Bond	₹500.00 crore

**The Bank received ₹300.00 crore as capital infusion from the Government of India on 30th March 2016. The amount was kept in 'Share Application Money Pending Allotment' Account and Preferential Allotment of equity shares was made on 6th May 2016.*

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier –I & Tier II capital for strengthening Capital Adequacy of the Bank in terms of Basel III capital Regulations. The capital raised was utilized to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

3. No other penalties/strictures were imposed on the Bank by SEBI/ Stock Exchanges in respect of matters related to Capital Market during the last three years.

4. In terms of the SEBI Listing Regulations and Government of India Resolution on "Public Interest Disclosures & Protection of Informer"

एक विसल ब्लोअर नीति बनाई है ताकि बैंक के हितधारकों के लिए अनैतिक व्यवहार, बैंक की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नियमों का उल्लंघन अथवा वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी के बारे में सूचित करने के लिए एक सतर्क पद्धित स्थापित की जा सके। विसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/WHISTLE%20BLOWER%20POLICY.pdf पर उपलब्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को बैंक की लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।

5. बैंक ने सेबी सूचीकरण विनयामक के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेन–देन पर एक नीति बनाई है, जो बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/RPT%20Policy.pdf पर उपलब्ध है । इस नीति का उद्देश्य सेबी के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में बैंक तथा इसके संबंधित पार्टियों के बीच हुए लेन–देन का उपयुक्त अनुमोदन तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा आईसीएआई के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के संबंधित पार्टी लेन–देन 31.03.2017 के तुलन पत्र की अनुसूची 18 में लेखा टिप्पणियों में उजागर किए गए हैं।

6. कंपनी अभिशासन पर सेबी सूचीकरण विनियामक के बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा प्रावधानों पर बासेल समिति द्वारा जारी कंपनी अभिशासन के सिद्धांतों पर आधारित बैंक ने कंपनी अभिशासन नीति तैयार की है।

7. निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/MainMenuEnglishLevel-2_TRAINING.pdf पर दिया गया है।

8. बैंक की लाभांश पॉलिसी बैंक की वेबसाइट, https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/MainMenuEnglishLevel-3_Revised_dividend_policy_2016-17.pdf. पर उपलब्ध हैं।

9. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । बैंक गैर–कार्यकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस, जो भारत सरकार के परिपत्र सं0 15/1/2011–बीओ.–। दिनांक 20.07.2015 के अनुसार मंडल की प्रति बैठक ₹20,000/– तथा समिति की प्रति बैठक ₹10000/– है, के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है।

10. वरिष्ठ प्रबन्ध वर्ग के महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिनमें उनका निजी हित निहित है और जिनसे समग्रतः बैंक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की सूचना समय–समय पर मंडल को दी गई है।

11. बैंक में यह एक सुस्थापित कार्यप्रणाली है कि निदेशक जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है, मंडल और मंडल की उप समिति के विचार विमर्ष में भाग नहीं लेते हैं।

12. बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सांविधिक समय–सीमा के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया।

13. विदेशी विनिमय जोखिम तथा वायदा कारोबार संबंधी प्रकटीकरण लेखा टिप्पणी में दिया गया है।

14. बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।

बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के उप–पैरा (2) से (10) की कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है। बैंक बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक कॉरपोरेट निकाय है। निदेशक मण्डल अधिनियम की धारा 9(3) के द्वारा संचालित होते हैं, जहां, शेयरधारकों में से चयनित केंद्र सरकार से इतर, तीन निदेशकों को छोडकर, शेष सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित होते हैं। मण्डल की उपसमितियां भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ सेबी के दिशानिर्देशानुसार गठित की गई है। बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 से 27 तथा 46(2)(बी) से (आई) में उल्लिखित अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है।

(PIDPI) the Bank has framed a Whistle Blower Policy to establish a vigil mechanism for stakeholders to report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower Policy is available on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/WHISTLE%20BLOWER%20POLICY.pdf

It is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee of Board.

5. The Bank has formulated a Policy on Related Party Transactions in compliance with the SEBI Listing Regulations which is available on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/RPT%20Policy.pdf

   The Policy intends to ensure proper approval and reporting of transactions between the Bank and its Related Parties pursuant to SEBI guidelines. The Related Party Transactions of the Bank as per RBI / ICAI guidelines are disclosed in the Notes to Accounts in Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2017.

6. The Bank has a Policy on Corporate Governance based on the Principles of Corporate Governance issued by the Basel Committee on Banking Supervision and provisions of the SEBI Listing Regulations on Corporate Governance.

7. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/MainMenuEnglishLevel-2_TRAINING.pdf

8. The dividend Policy of the Bank is available on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/MainMenuEnglishLevel-3_Revised_dividend_policy_2016-17.pdf.

9. The remuneration of the MD & CEO and EDs is fixed by the Govt. of India. The Bank does not pay any remuneration to the non-executive directors except sitting fee fixed by Govt. of India which is ₹20000/- per Board Meeting and ₹10000/- per Committee meeting in terms of Govt. of India Circular No.15/1/2011-BO.I dated 20.07.2015.

10. Material financial and commercial transactions of the Senior Management where they have personal interest that may have conflict with the interest of the Bank at large have been reported to the Board from time to time.

11. It is an established practice in the Bank that the directors do not take part in the deliberations of the Board and other sub-committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

12. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory timeframe.

13. The disclosure as to foreign exchange risk and hedging activities is given under notes to accounts.

14. There is no inter se relationship amongst the Directors on the Board of the Bank.

The Bank has complied with the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations. The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The composition of the Board of Directors is governed by Section 9(3) of the Act, where all the directors are appointed /nominate by Govt. of India except three directors elected from amongst the shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the sub-Committees of Board is as per extant RBI/GoI and other applicable guidelines as detailed in the report above. The Bank has complied with all other Corporate Governance

प्रकटन हेतु अनिवार्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 27(1) के गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

अपेक्षा	अनुपालन
मंडल : गैर–कार्यकारी अध्यक्ष इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाने और अपने कर्तव्यों के निर्वाह पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पाने का पात्र हो सकता है ।	मंडल की अध्यक्षता कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अतः यह अपेक्षा लागू नहीं होती ।
शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी सकती है।	बैंक के तिमाही / छमाही पुनरीक्षित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं ।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत : सूचीबद्ध इकाई गैर–संशोधित लेखापरीक्षा अभिमत सहित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की दिशा में कदम उठा सकती है।	बैंक वित्तीय विवरणियों में गैर–संशोधित अभिमत को प्राप्त करने की दिशा में जोरदार प्रसास कर रही है ।
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अलग पदः सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को (क) अध्यक्ष और (ख) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद के रूप में विभाजित किया गया है ।
आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं ।	बैंक की सभी शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। असाधारण रूप से बड़ी/ उच्च जोखिम/विशेषीकृत शाखाओं के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति को भेजी जाती हैं । एसीई के कार्यवृत्त मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अनिमेष चौहान)
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांकः 12.05.2017 स्थानः गुरुग्राम

requirements as specified in Regulation 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) of SEBI Listing Regulations.

Besides the mandatory requirements for disclosure, the status of compliance of non-mandatory requirements of Regulation 27(1) of the SEBI Listing Regulations is furnished below:-

Requirement	Compliance
The Board: A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by Managing Director & CEO and as such this requirement is not applicable.
Shareholder's Rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Bank's Quarterly / Half yearly / Annual Financial results are displayed on the Banks' Website along with mandatory disclosure to Stock Exchanges. The same are also published in Newspapers.
Modified opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is continuously making efforts towards achieving unmodified opinion in the financial statements.
Separate posts of Chairman and CEO: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and Managing Director has been split into a) Chairman and b) Managing Director and CEO.
Reporting of Internal Auditor: The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	The Risk Based Internal Audit of all the branches of the Bank is carried out by the Internal Auditors of the Bank. The Internal Audit Reports of the Exceptionally Large/High Risk/ Specialized Branches are submitted to Audit Committee of Executives. The Minutes of ACE are placed before Audit Committee of Board for information.

For and on behalf of Board of Directors

(ANIMESH CHAUHAN)
Managing Director & CEO

Date: 12.05.2017 Place: Gurugram

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सदस्यों,

निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता से संबंधित प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियामक के अनुसार बैंक के सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है, जो भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित आचार संहिता के समान है। मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2016–17 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : गुरुग्राम **(अनिमेष चौहान)**
दिनांक :12.05.2017 **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

The Members of Oriental Bank of Commerce,

CERTIFICATE RELATED TO CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

This is to certify that pursuant to the SEBI Listing Regulations, the Code of Conduct has been laid down for all the Board Members and Senior Management of the Bank which is in line with the Code of Conduct framed by Indian Banks' Association. The Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the year 2016-17.

Place: Gurugram **(ANIMESH CHAUHAN)**
Date: 12.05.2017 **MANAGING DIRECTOR & CEO**

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल
ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
नई दिल्ली
यह प्रमाणित किया जाता है कि

क) हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों तथा नकदी प्रवाह विवरणी की हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार जांच की है।

(i) इन विवरणियों में कोई वास्तविक असत्य कथन नहीं हैं या वास्तविक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन नहीं हैं जो गुमराह करते हों;

(ii) ये विवरणियां एक साथ बैंक के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्रण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लोखांकन मानकों, प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के अनुसार है।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान बैंक के मंडल को पहले से ही रिपोर्ट किए गए कुल 62 मामलों को छोड़कर ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रक पद्धित की प्रभावात्मकता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा अथवा कार्यचालन में कमी यदि कोई हो, जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाएं है या प्रस्ताव करते हैं, को लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकट कर दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नानुसार सूचित कर दिया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उन्हें वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों जिसकी हमें जानकारी हो गई है, के उदाहरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक की आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंध वर्ग या किसी कर्मचारी का उसमें लिप्त होना।

मुख्य वित्तीय अधिकारी **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 12.05.2017

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

The Board of Directors
Oriental Bank of Commerce
New Delhi
This is to certify that

a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2017 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct, other than 62 cases.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:-

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Chief Financial Officer **Managing Director & CEO**

Place: Gurugram
Date: 12.05.2017

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सदस्य,

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक 2015 में यथाविनिर्दिश्ट, कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उसके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति है ।

हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियामक 2015 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा कथन है कि शेयरधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरूद्ध निवेशक की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है जो एक माह से अधिक समय से लंबित हो।

हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति, न ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंध वर्ग ने बैंक के कार्यों का संचालन किया, के प्रति एक आश्वासन है।

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Oriental Bank of Commerce

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance for the year ended 31st March, 2017 as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned SEBI Listing Regulations, 2015.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते ए बाफना एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 003660सी	कृते लुनावत एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000629एन	कृते वी. के. ढींगरा एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	कृते सुदित के. पारिख एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.110512डब्ल्यू	कृते वी. के. लाढा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 002301सी
For A Bafna & Co **Chartered Accountants** **FRN 003660C**	**For Lunawat & Co** **Chartered Accountants** **FRN 000629N**	**For V K Dhingra & Co.** **Chartered Accountants** **FRN 000250N**	**For Sudit K. Parekh & Co.** **Chartered Accountants** **FRN 110512W**	**For V.K. Ladha & Associates** **Chartered Accountants** **FRN 002301C**
(मुकेश कुमार गुप्ता) भागीदार स.सं.073515	(रमेश के. भाटिया) भागीदार स.सं. 080160	(ललित आहुजा) भागीदार स.सं. 085842	(नेमिष कपाड़िया) भागीदार स.सं.111929	(वी. के. लाढा) भागीदार स.सं.071501
(Mukesh Kumar Gupta) **Partner** **M.No.073515**	**(Ramesh K. Bhatia)** **Partner** **M.No. 080160**	**(Lalit Ahuja)** **Partner** **M.No. 085842**	**(Nemish Kapadia)** **Partner** **M.No.111929**	**(V.K. Ladha)** **Partner** **M.No.071501**

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 12 मई, 2017

Place : Gurugram

Dated :12th May, 2017

कारोबार दायित्वता रिपोर्ट

खंड क: बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
कंपनी का नाम	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजीकृत पता कॉरपोरेट कार्यालय	हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 प्लॉट नं. 5, सेक्टर –32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम – 122001
वेबसाइट	www.obcindia.co.in
ई–मेल आईडी	mbd@obc.co.in, ssaha@obc.co.in,
रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2016-17
क्षेत्र (त्रों), जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
कंपनी द्वारा निर्मित/उपलब्ध तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची (तुलन–पत्र के अनुसार)	1. थोक बैंकिंग 2. रिटेल बैंकिंग 3. ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग
कंपनी द्वारा किए जा रहे कारोबार गतिविधि स्थानों की कुल संख्या	राष्ट्रीय स्थानों की संख्या : 2376 अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या : 1 (दुबई प्रतिनिधित्व कार्यालय)
कंपनी द्वारा सेवा किये जाने वाला बाजार	राष्ट्रीय

खंड ख: बैंक का वित्तीय ब्यौरा

प्रदत्त पूंजी (रु. में)	₹346.17 करोड़
कुल कारोबार (रु. में)	₹ 385777 करोड
कुल लाभ (रु. में)	(-) ₹1094.07 करोड
कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के अनुसार कारोबार सामाजिक दायित्वता (सीएसआर) पर हुआ कुल खर्च	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक द्वारा आबंटित ₹1.23 करोड़ रु. जो वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभ का 0.79% है जिसमें से वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि ₹98.66 लाख है।
गतिविधियों की सूची, जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियां कीं : **स्वास्थ्य:** बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर वाटर कूलर, मरीज कुर्सियां, ट्रॉलियां आदि दान कीं । **शिक्षा:** बैंक ने पहले से प्रयोग किए गए कंप्यूटर, स्टेशनरी मदें, ब्रेल किताबें आदि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को दान कीं । **हरित पहल:** बैंक ने पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड दान किये । बैंक ने गंगा नदी को स्वच्छ रखने के प्रयासों के तहत दशमेश घाट, वाराणसी को गोद लिया है। **सामुदायिक सेवाएं:** बैंक ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को स्वेटर्स, खाद्य मदें तथा कंबल आदि दान किए ।

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Section A: General Information about the Bank

Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
Name of the Company	Oriental Bank of Commerce
Registered Address Corporate Office	Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 Plot No.5, Sector 32, Institutional Area, Gurugram -122001
Website	www.obcindia.co.in
E-mail id	mbd@obc.co.in, ssaha@obc.co.in,
Financial Year reported	2016-17
Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
List three key products/ services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking
Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	Number of National Locations : 2376 Number of International Locations:1 (Dubai Representative Office)
Markets served by the Company	National

Section B: Financial Details of the Bank

Paid up Capital (INR)	₹346.17 crore
Total Business (INR)	₹ 385777.25 crore
Total Profit / (-) Loss (INR)	(-) ₹1094.07 crore
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	As per RBI Guidelines, the Bank may donate aggregating upto 1% of the profit of the previous financial year. Accordingly, the maximum permissible amount for FY 2016-17 is ₹1.56 crore. The total amount of CSR sanctioned in FY 2016-17 is ₹1.23 crore which is 0.79% of the allocated CSR budget.
List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	The Bank has undertaken the following CSR activities during FY 2016-17: **Health**: Bank has donated water coolers, patient chairs & Trollies etc. on pan India basis. **Education**: Bank has donated pre-used computers, stationery items, Braille Books etc. to poor & needy children. **Green Initiatives:** Bank has donated tree guards for protection of saplings. Bank has also adopted Dashashwamedh Ghat, Varanasi, as an effort towards cleaning River Ganga. **Community Services**: Bank has donated sweaters, food items, & Blankets etc to poor & needy people.

खंड ग: अन्य विवरण

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है?	नहीं
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां प्रमुख कंपनी की बीआर गतिविधियों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी कंपनी (यों) की संख्या बताएं ।	लागू नहीं
क्या कंपनी की बीआर गतिविधियों में भाग लेने के साथ–साथ कंपनी की कोई अन्य इकाई/इकाइयां (जैसे आपूर्तिकर्ता, संवितरणकर्ता आदि) जों कंपनी का कारोबार करती हैं। यदि हां, तो ऐसी इकाई/इकाइयों का प्रतिशत बताएं? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	नहीं

खंड घ: बीआर सूचना

क)	निदेशक का विवरण/ बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक	
क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
	डीआईएन नंबर	07427647
	नाम	श्री राजकिरण राय जी
	पदनाम	कार्यकारी निदेशक
ख)	बीआर प्रमुख का विवरण	
	डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
	नाम	श्री स्वरूप साहा
	पदनाम	महाप्रबंधक (एमबीडी)
	दूरभाष संख्या	0124-4126542/4126286
	ई–मेल आईडी	mbd@obc.co.in; ssaha@obc.co.in

1. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास सिद्धांत/तों के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित शेयरधारकों की परामर्श से नीति तैयार की जाती है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो उल्लेख करें (50 शब्दों में)*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति मंडल द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या यह प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/ सक्षम निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कंपनी की मंडल/ निदेशक/अधिकारी की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	नीतियां बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.obcindia.co.in/ आंतरिक वेब–पोर्टल पर उपलब्ध हैं ।								

Section C: Other Details

Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	No
Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	N.A.
Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	No

Section D: BR Information

a)	Details of Director /Directors responsible for BR	
Sr. No.	Particulars	Details
	DIN Number	07427647
	Name	Shri Rajkiran Rai G
	Designation	Executive Director
b)	Details of the BR Head	
	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
	Name	Shri Swarup Saha
	Designation	General Manager (MBD)
	Telephone number	0124-4126542/4126286
	e-mail id	mbd@obc.co.in; ssaha@obc.co.in

1. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

Sr. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a Policy/ Policies for the Principle/s	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the Policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the Policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner / CEO / appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	The Policies are available on the Bank's website i.e. www.obcindia.co.in/ Bank's internal web-portal.								

7.	क्या नीति सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या नीति / नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों के निवारण हेतु नीति / नीतियों से संबंधित कंपनी की शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

*बैंक की सभी नीतियां विभिन्न विनियामकों तथा सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत के संविधान, अन्य विधिक अधिनियमों आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है । इसलिए ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। कृपया नोट करें कि बैंक द्वारा औपचारिक रूप से कई तरह की नीतियां बनाई गई हैं जो बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती हैं । एक ही समय पर, बैंक द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का शाखाओं के साथ–साथ क्लस्टर/क्लस्टर निगरानी कार्यालयों, कॉरपोरेट कार्यालय आदि द्वारा पालन किया जा रहा है । सामान्यतः, बैंक विनियामकों, संबद्ध, सहयोगियों तथा अन्य सांविधिक संस्था द्वारा तैयार की गई नीतियां जो बैंकिंग कारोबार करने के लिए है, को भी लागू करता है ।

2. क. यदि क्रम सं. 1 का उत्तर किसी भी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' है तो कृपया उल्लेख करें क्यों : (विकल्प 2 पर निशान लगाएं)

क्रम सं.	प्रश्न	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	कंपनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है	लागू नहीं								
2.	कंपनी इस अवस्था में नहीं है, जहां विशिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार व लागू कर सके।									
3.	कंपनी के पास कार्य करने के लिए वित्तीय अथवा मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है।									
4.	अगले 6 महीनों के भीतर पूरा किए जाने की योजना है।									
5.	अगले 1 वर्ष के भीतर पूरा किए जाने की योजना है।									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	मद संख्या 10 के संबंध में, स्पष्ट किया जाता है कि बैंक की पॉलिसियों की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।								

3. कारोबार दायित्व से संबंधित अभिशासन

- निदेशक मंडल, मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्य–निष्पादन का आकलन करने की आवधिकता को दर्शाएँ। 3 महीने के भीतर, 3–6 महीने, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक।
  - ➢ सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के

7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the Policy/ Policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

*All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, other legal Acts etc. Hence they conform to national Standards.

Please note that there are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the bank directly or indirectly. At the same time, there are various guidelines, issued by the Bank from time to time, that are followed by the Branches as well as the Clusters/Cluster Monitoring Offices, Corporate Office etc. Similarly, Bank also implements the policies framed by regulators, affiliates, associates and other statutes while carrying out banking function.

2. a. If answer to Sr. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sr. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Not Applicable								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next 1 year									
6.	Any other reason (please specify)	In respect of Pt.10, it is submitted that the Policies of the Bank are being reviewed by the Board of Directors on annual basis.								

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
  - ➢ Pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the provisions w.r.t Business

प्रावधानों के अनुसरण में, कारोबार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) बैंक पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से लागू है। कारोबार दायित्व पर बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है।

- क्या कंपनी कारोबार दायित्व या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवधिकता क्या है?
  - ➢ जी हाँ। वार्षिक रूप से सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में, कारोबार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) बैंक पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से लागू है। अतः कारोबार दायित्वता रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर निवेश केन्द्र - कारोबार दायित्वता रिपोर्ट में उपलब्ध है।

धारा ङः सिद्धांत–वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1

व्यवसायों को नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ संव्यवहार और अभिशासन करना चाहिए

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है?
   - ➢ जी हाँ। बैंक, व्यापार परिचालन के आचार, नैतिक और कानूनी आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में निदेशकों व इसके मुख्य प्रबंधन के लिए आचार संहिता है। कोड उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास करता है, जिन पर बैंक अपने हितधारकों, सरकार और नियामक संस्थाओं आदि के साथ अपने व्यापार का परिचालन व संचालन करेगा, जिनके साथ यह जुड़ा हुआ है।

     बैंक में एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी भी है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधि निकायों सहित बैंक के हितधारकों के लिए कानूनी या विनियामक आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन, किसी भी वित्तीय विवरणों या रिपोर्ट के गलत या तोड़ने–मरोड़ने आदि मुद्दों को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, प्रतिकार, भेदभाव या उत्पीड़न के भय के बिना उठाने हेतु विकल्प प्रदान करना है। कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक की नीति श्रेष्ठ मंडल संव्यवहार, पारदर्शी प्रकटीकरण और हितधारक सशक्तिकरण पर जोर देती है।

     बैंक निर्दिष्ट आवधिक अंतराल पर अपनी विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) एवं जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा भी कराता है।

     क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्यों तक भी है?
   - ➢ जी नहीं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितने प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्वक हल कर दी गईं? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण प्रदान करें।
   - ❖ शेयरधारक शिकायतें

   वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक के शेयरधारकों से कुल 243 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतें वार्षिक रिपोर्ट, शेयरों का स्थानांतरण, घोषित लाभांश की अप्राप्ति आदि जैसे मुद्दों से संबंधित थी। मुख्य रूप से ये शिकायतें संबंधित शेयरधारकों द्वारा पतों/ बैंक विवरण अद्यतित न होने के कारण हुईं। ऐसी शिकायतों का समाधान करते समय, बैंक शेयरधारकों के पते, बैंक विवरण अद्यतित करने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। 31.03.2017 को बैंक के शेयरधारकों से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। अतः हितधारकों की 100% शिकायतों को संतोषपूर्वक हल किया गया। शिकायतों की स्थिति तिमाही आधार पर बोर्ड के हितधारक संबंध समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखी जा रही है और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जा रही है।

Responsibility Report (BRR) are applicable to the Bank w.e.f. FY 2016-17. The Bank's performance on Business Responsibility is assessed annually by the Board of Directors.

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?
  - ➢ Yes, Annually. Pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the provisions w.r.t. Business Responsibility Report (BRR) are applicable to the Bank w.e.f. FY 2016-17. As such, the Business Responsibility Report for the year 2016-17 is available on the website of the Bank i.e. www.obcindia.co.in under Investor Center - Business Responsibility Report

Section E: Principle-wise performance

Principle 1

Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company?
   - ➢ Yes. The Bank is committed to adhering to the highest standards of ethical, moral and legal conduct of business operations. The Bank has in place a Code of Conduct for the Directors and its core management. The Code attempts to set forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its business with its stakeholders, government and regulatory agencies, etc. with whom it is connected.

     The Bank also has in place a Whistle Blower Policy which aims to provide an avenue to Bank's stakeholders including employees and their representative bodies, to raise concerns of any violations of legal or regulatory requirements, incorrect or misrepresentation of any financial statements and reports etc. without any fear of reprisal, retaliation, discrimination or harassment of any kind. The Bank's Policy on Corporate Governance emphasizes on best Board practices, transparent disclosures and stakeholder empowerment.

     The Bank also conducts Risk Based Internal Audit (RBIA) and Risk Based Management Audit (RBMA) of its various branches and offices at specified periodical intervals.

     Does it extend to the Group/Joint Ventures / Suppliers / Contractors/NGOs/Others?
   - ➢ No.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.
   - ❖ Shareholder Complaints

     The total number of complaints received from the shareholders of the Bank during the FY 2016-17 was 243. The complaints pertained to issues like non-receipt of Annual Reports, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared etc. These complaints arose primarily on account of non-updation of the addresses/bank details by the concerned shareholders. While resolving such complaints, the Bank has been taking steps to update the addresses, bank details of shareholders so as to avoid recurrence of such complaints in future. No complaint pertaining to the shareholders of the Bank was pending as on 31.03.2017. As such 100% of the shareholder complaints were satisfactorily resolved. The status of complaints is being placed before the Stakeholders Relationship Committee of Board and the Board of Directors on quarterly basis and also submitted to the Stock Exchanges as per applicable guidelines.

   - ❖ Customer Complaints

     In all, the Bank received 23,548 complaints during FY 2016-17

❖ ग्राहक शिकायतें

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ग्राहकों से 23,548 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 95.18% शिकायतों का संतोषजनक रूप से निस्तारण किया गया।

बैंक ग्राहकों से संबंधित सभी शिकायतों में त्वरित और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समाधान का अनुवर्ती समय (टीएटी) कम हो गया है। ग्राहक शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में पूर्ण सुसज्जित विभाग है। विभाग, ग्राहक की शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्र समाधान करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें अन्य प्राधिकारियों और बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में जाने से रोका जा सके।

इसके अलावा, बैंक के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए, ग्राहक के विश्वास को बढ़ाने और शिकायतों के पारदर्शी और त्वरित निपटान के उद्देश्य से बैंक में आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को ऐसी वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हों

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया है।

i. वित्तीय समावेशन अभियानः

भारत सरकार के वित्तीय समावेशन पहल के अनुसरण में, बैंक समग्र समावेशी आर्थिक विकास के लिए बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को सस्ती कीमत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक ने ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष उत्पाद जैसे कि बचत सह इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, ओरिएंटल ग्रीन कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड और कम प्रीमियम वाले बीमा उत्पाद तैयार किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉड्यूल जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, कियोस्क बैंकिंग मॉडल और ब्रिक और मोर्टार शाखा, लागू किए गए हैं।

ii. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास न्यासः

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास न्यास (ओबीसीआरडीटी) नामक एक विशेष प्रयोजन संस्थान की स्थापना की है।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य कृषि की आधुनिक तकनीकों, ट्रैक्टर/कृषि मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव और कृषि /ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने और सूक्ष्म वित्त तथा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों/संस्थानों और कार्यशालाओं की स्थापना करना है।

वर्तमान में, देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर और पलवल में पांच ओबीसीआरसेटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं। बालेखान (जयपुर) और जीरा (फिरोजपुर) में आरसेटी परिचालन में हैं और अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। शेष 3 आरसेटी के लिए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 146 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए औरर विभिन्न कार्यक्रमों में 3608 उम्मीदवारों को सिलाई और ड्रेस डिजाइनिंग, वाटरशेड प्रबंधन, फुलकारी कढ़ाई, दुग्ध पशु पालन, फसल उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, औषधीय वृक्षारोपण, मोबाइल मरम्मत आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

स्थापना से अब तक प्रशिक्षुओं की नियोजन (सैटलमेंट) दर 67.14% है। समाज के गरीबी रेखा से नीचे स्तर के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए जोर

from the customers out of which 95.18% complaints have been satisfactorily resolved.

The Bank carries out vigorous and continuous follow-up in all customer related complaints, resulting into reduced TAT (Turn-around Time) of their Redressal. The Bank has a dedicated Department headed by a General Manager at Corporate Office, Gurugram to redress customer grievances. The Department tries to ensure resolution of the customer grievances promptly within a maximum period of 30 days as far as possible so as to avert escalation to the Office of Banking Ombudsman and other authorities.

Further, to strengthen the grievance redressal mechanism of the Bank, an Internal Ombudsman has been appointed by the Bank with the objective of enhancing customer confidence and providing transparent and speedy redressal of the same.

Principle 2

Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

i. Financial Inclusion Campaign:

Pursuant to the financial inclusion initiatives of Government of India, the Bank has been providing banking services in unbanked rural areas with affordable cost to the rural masses for an overall inclusive economic growth. The Bank has devised special products such as saving cum inbuilt overdraft facility, recurring deposit, oriental green card, General credit Card and insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various modules have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based BC model, Kiosk banking model and Brick and Mortar branches model.

ii. Oriental Bank Commerce Rural Development Trust: Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust (OBCRDT) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas.

The main objective of the Trust is to establish training colleges/ institutes and workshops for providing training to farmers on modern techniques of farming, tractor/farm machinery repair & maintenance and other aspects of agriculture/rural development; micro finance and capacity building of the rural youth and women.

Presently, five OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur, Ferozepur and Palwal. The RSETIs at Balekhan (Jaipur) and Zira (Ferozpur) are operating and holding training programmes from their own premises. The process of construction of buildings for the remaining 3 RSETIs is under progress.

During the Financial Year 2016-17 a total of 146 Skill Development Training programmes were conducted and 3608 candidates were given training on subjects like tailoring & dress designing, watershed management, phulkari embroidery, milch animal rearing, crop production, beauty parlor, medicinal plantation, mobile repairing, etc.

The settlement rate of trainees is 67.14% since inception. Emphasis is also given to train candidates from BPL strata of the society for which list of candidates are obtained by the

दिया जाता है, जिसके लिए उम्मीदवारों की सूची संबंधित डीआरडीए केंद्रों से प्राप्त की जाती है। समेकित रूप से इन केन्द्रों ने अपने आरंभ से 911 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 24483 उम्मीदवार लाभान्वित हुए।

iii. स्वयं सहायता समूहः

स्वयं सहायता समूह गरीबों तक पहुंचने और उनमें बचत करने की आदत पैदा करके और बैंक ऋण के माध्यम से आय सृजन गतिविधियां करने में सक्षम बनाने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है।

बैंक ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण के अधिक उदार नियमों को अपनाया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंक महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के चिन्हित पिछड़े जिलों में महिला लाभार्थियों को वित्तपोषण की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें 50,000/– प्रति उधारकर्ता की न्यूनतम ऋण राशि मंजूर की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित सभी 250 जिलों में गैर–सरकारी संगठनों के साथ करार के तहत विशेष महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। एनआरएलएम योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर बाधा रहित ऋण प्रदान करना है, के क्रियान्वयन में बैंक सक्रिय रूप से शामिल है। एनआरएलएम योजना के तहत बैंक ने 31.03.2017 तक महिलाओं द्वारा संचालित 911 स्वयं सहायता समूहों में ₹ 574.95 लाख का वित्त पोषण किया है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक):
   i) पिछले वर्ष से मूल्य श्रृंखला के दौरान सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण में कमी के लक्ष्य को हासिल किया गया?
   ii) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओ द्वारा उपभोग (ऊर्जा, जल) में कमी के लक्ष्य को हासिल किया गया?
   - एक सेवा संगठन होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।
3. क्या सतत सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं हैं?
   यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सतत रूप से सोर्स किया गया? इसके अलावा, इसका लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।
   - बैंक अपने अधिकांश उत्पादों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदता है और सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) को सक्रिय रूप से सहायता करता है। बैंक ने भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा बनाए गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है। कोड यह भी स्पष्ट करता है कि बैंक को कैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ उनके दैनिक परिचालन और वित्तीय समस्या के समय संव्यवहार करना है।
4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
   - बैंक ने अपनी शाखा कार्यालयों को स्थानीय आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से अपने अधिकतर उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों एवं अनुपयोगी सामान के रिसाइकल के लिए कोई प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों एवं अनुपयोगी सामान की रिसाइकल की कितनी प्रतिशतता है (अलग से <5%, 5-10%, > 10%)? साथ ही इसके बारें में 50 शब्दों में विवरण दीजिए।
   - बैंक के पास कार्यालय में प्रयोग होने वाली सामग्री की अधिक से

centres from respective DRDA. Cumulatively these centres have conducted 911 Skill Development training programmes since inception benefiting 24483 candidates.

iii. Self Help Groups:

SHG is a cost effective way to reach out to the poor and empower them by inculcating saving habit amongst them as well as to enable them to undertake income generating activities through bank credit.

Bank has adopted more liberal norms of financing to Self Help Groups (SHGs). Considering the role played by SHG in empowerment of women, the Bank is focusing on financing of women SHGs. Bank is implementing the scheme of financing to women beneficiaries in identified backward districts of the country, as per guidelines of Ministry of finance, wherein the minimum loan amount of ₹50,000/- per borrower is being sanctioned. In all 250 districts have been identified for implementation of this Scheme under which exclusive women SHGs are formed under tie up with NGOs. Bank is actively involved in implementation of NRLM scheme aimed at providing hassle free credit to women SHGs at a concessional rate of interest. Under NRLM scheme bank has financed 911 women SHGs with outstanding balance of ₹574.95Lakh Lakh up to 31.03.2017.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):
   i) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
   ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?
   - Being a service organization this section is not applicable.
3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?
   If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? *Also, provide details thereof, in about 50 words or so.*
   - The Bank procures most of its products from locally based suppliers and also actively supports the Micro and Small Enterprises (MSE). The Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises (MSE) formulated by Banking Codes and Standards Board of India (BCSB). The Code also explains how banks are expected to deal with MSEs for their day-to-day operations and in times of financial difficulty.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?
   If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?
   - The Bank encourages its branches/offices to procure most of its products from locally based suppliers. The Bank also provides loans at subsidized rate to Self Help Groups and women enterprises.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%)? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.
   - The Bank has a mechanism for recycling office materials to the maximum extent possible and a certification to this effect is also obtained. The Bank is also disposing off its computer

अधिक संभावित सीमा तक रिसाइकल करने की प्रणाली है और इस संबंध में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया हुआ है। साथ ही बैंक हार्डवेअर का केवल ग्रीन सर्टिफाइड वेंडर यथा आरओएचएस (RoHS) (खतरनाक घटकों पर प्रतिबंध) को रिसाइकल योग्य ई–वेस्ट के रूप में निपटान कर रहा है।

सिद्धांत 3

कारोबार को सभी कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।
   - 31.03.2017 को कुल कर्मचारियों की संख्या 21552 है।
2. कृपया अस्थायी/करार/आकस्मिक आधार पर रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बतायें।
   - 31.03.2017 को अस्थायी/करार/आकस्मिक आधार पर रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या 01 है (आंतरिक लोकपाल)।
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।
   - 31.03.2017 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 4637 है।
4. कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं।
   - 31.03.2017 को विकलांग स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 576 है।
5. क्या आपके यहां प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है।
   - जी हां,
     1) अखिल भारतीय ओरियन्टल बैंक अधिकारी संघ
     2) अखिल भारतीय ओरियन्टल बैंक कर्मचारी संघ
6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?
   - अखिल भारतीय ओरियन्टल बैंक अधिकारी संघ – 31.03.2017 को 89.66%
   - अखिल भारतीय ओरियन्टल बैंक कर्मचारी संघ – 31.03.2017 को 100.00%
7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या को दर्शाएं।

क्र. स.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	––लागू नहीं––	––लागू नहीं––
2.	यौन उत्पीड़न	02	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निम्नलिखित कर्मचारियों में से पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल अद्यतन प्रशिक्षण कितने प्रतिशत को दिया गया?
   - स्थायी कर्मचारीः 77.64%
   - स्थायी महिला कर्मचारीः 76.42%
   - आकस्मिक/अस्थायी/करार आधार पर कर्मचारीः शून्य
   - विकलांग कर्मचारीः 74.48%

सिद्धांत 4

कारोबार को सभी हितधारकों विशेष रूप से कमजोर, वंचित और हाशिए पर है उनके हितों का सम्मान और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मैप किया है?
   - जी हां, हितधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी और बैंक के ग्राहक शामिल हैं।

hardware as recyclable e-waste to green certified vendors i.e. RoHS (Restriction of Hazardous Substance) compliant only.

Principle 3

Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees.
   - The total number of employees as on 31.03.2017 is 21,552
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary contractual/casual basis.
   - The total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis as on 31.03.2017 is 01 (Internal Ombudsman)
3. Please indicate the Number of permanent women employees:
   - The total number of women employees as on 31.03.2017 is 4637
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities:
   - The total number of permanent employees with disabilities as on 31.03.2017 is 576.
5. Do you have an employee association that is recognized by management?
   - Yes
   1) All India Oriental Bank Officers' Association
   2) All India Oriental Bank Employees' Association
6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association? :
   - All India Oriental Bank Officers' Association - 89.66% as on 31.03.2017
   - All India Oriental Bank Employees' Association – 100.00% as on 31.03.2017
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year:

Sr. No.	Category	No of complaints filed during the financial year 2016-17	No of complaints pending as at end of the financial year 2016-17
1.	Child labour/ forced labour / involuntary labour	Not Applicable	Not Applicable
2.	Sexual harassment	02	Nil
3.	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?
   - Permanent Employees: 77.64%
   - Permanent Women Employees: 76.42%
   - Casual/Temporary/Contractual Employees: Nil
   - Employees with Disabilities: 74.48%

Principle 4

Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?
   - Yes. The stake holders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank

❖ हितधारकों को विभिन्न उप–वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे सरकार, विदेशी पोर्टफॉलियो वाले निवेशक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंड तथा व्यक्ति।

❖ ग्राहकों को बड़े कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम और रिटेल ग्राहकों में विभाजित किया गया है। इन वर्गों को समर्पित शाखाओं द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।

❖ स्टाफ सदस्य

2. उक्त में से क्या कंपनी द्वारा कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की गई है?

➢ जी हां, बैंक ने भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की है।

3. क्या कंपनी द्वारा कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि ऐसा है, तो इसका विवरण लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें।

➢ बैंक ने कमजोर, वंचित और हाशिए पर हितधारकों को सहायता और लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न पहल की है। बैंक द्वारा उठाएं गए कुछ कदम निम्नानुसार हैः–

❖ कर्मचारी

i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों का कल्याण

बैंक सभी कर्मचारियों से जाति, पंथ और धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है। बैंक सरकार के विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष लाभ/सुविधाएं/सहायता प्रदान करता है।

ii. विकलांग व्यक्ति

बैंक ने व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की पहल की है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से असक्षम स्टाफ सदस्यों से संपर्क किया गया है। उन्हें सहज कार्यों हेतु उनके अनुरोध के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए गए है। मनचाहे स्थान पर उनके स्थानांतरण अनुरोध पर भी विचार किया गया गया।

❖ ग्राहक

बैंक ने आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित ग्राहकों, छोटे किसानों और व्यापारियों, महिला समूहों आदि को विशेष ऋण योजना के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त, लघु ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसे ऋण उपलब्ध कराएं है। बैंक समाज के निम्न स्तर के लोगों को बैंकिंग धारा में लाने के लिए 'नो फ्रिल योजना' के अंतर्गत खाते खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

❖ Shareholders are divided into different sub-categories, viz., Government, Foreign Institutional Investors/ Foreign Portfolio Investors, Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, and others including Individuals.

❖ Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, small and medium enterprises and retail customers. Dedicated branches provide service to these segments.

❖ Staff members.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?

➢ Yes. The Bank has identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders as per Government of India guidelines.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so. :

➢ The Bank has taken various initiatives to engage and extend its support and benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Some of the initiatives taken by the Bank are as under:

❖ Employees

(i) Welfare of SC/ST Employees

The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends special benefits/ facilities / assistance to the employees belonging to SC/ST category as per extant Government guidelines.

(ii) Persons with Disabilities (PWD)

The Bank initiated Personal Contact Program (PCP) under which all the PWD staff members were contacted. They have been provided with the equipments as per their request for their comfortable working. Their requests for transfer to the place of choice have also been considered.

❖ Customers

The Bank caters to the economically and socially underprivileged customers, small farmers and businessman, women groups, etc, by providing micro-finance, small loans, and credit under special credit schemes such as Kisan Credit Cards etc. The Bank is also providing facility of account opening under "No Frill Scheme" to the people of lower strata in the society to bring them under banking fold.

सिद्धांत 5

"कारोबार को मानवाधिकार का सम्मान और उसे बढ़ावा देना चाहिए।"

1. क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्यों तक भी है?

➢ मानवाधिकार संबंधित नीति केवल बैंक को ही कवर करती है। बैंक अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान करता है। और कर्मचारी की राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, आयु असक्षमता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा प्रतिबंधित अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।

❖ यौन उत्पीड़न का निवारण

बैंक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है और कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और समाधान)

Principle 5

"Businesses should respect and promote human rights".

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/Others?

➢ The HR related Policies cover the Bank only. The Bank respects and protects the rights of its employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

❖ Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work place and the provisions of "The Sexual Harassment of Women at workplace

अधिनियम, 2013 को बैंक द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ऐसे मामलों को देखने के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट कार्यालय और क्लस्टर मॉनिटरिंग कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। और इसके विवरण नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

❖ सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार लोक प्राधिकार की परिभाषा के अनुसार बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इस प्रकार जनता को सूचना उपलब्ध कराने के दायित्व के अंतर्गत आता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारको से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है?

➢ वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल 2 शिकायत प्राप्त हुई थी और सभी शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया था।

सिद्धांत 6

कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण और उसकी बहाली के लिए प्रयास करने चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्यों तक भी है?

➢ नीति में बैंक कवर है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग आदि के लिए रणनीतिक उपाय हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेबसाइट आदि का हायपर लिंक दें।

➢ जी हां, बैंक ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित ऊर्जा, जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं, बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय, गुरूग्राम और भुबनेश्वर तथा पंचकूला में बैंक की इमारतों पर सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। अग्रतर, बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय और मानव संसाधन विकास संस्थान (मा.सं.वि.सं.) नोएडा में सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली लगाई है।

अग्रतर, बैंक पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए दैनिक कारोबारी गतिविधियों में "ग्रीन प्रैक्टिस" को प्रोत्साहित करता है जैसेः–

क) कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग करके लागत को 50% और बैंक के कॉर्बन फुटप्रिंट को कम करते है। बैंक अपने कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में ई–दस्तावेजों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करता है।

ख) बैंक केवल ऊर्जा दक्षता वाले डेस्कटॉप पीसी, प्रिंटिंग आदि की ही खरीद करता है। बोली में भाग लेने वाले वेंडर्स एनर्जी स्टार 6 या समान यथा बीईई प्रामाणिक अनुपालक होने आवश्यक है।

(क) बैंक वैकल्पिक सेवा वितरण प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ा रहा है और अपने ग्राहकों को इसे प्रयोग हेतु प्रोत्साहित कर रहा है परिणामस्वरुप कागज की बचत होगी।

कारोबार दायित्वतता से संबंधित अभिशासन

ख) वीडियो एवं टेलिफोन कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके कारोबार संबंधी यात्राओं पर होने वाले खर्च को कम करना

ग) ई–मेल द्वारा संवाद को प्रोत्साहन देना।

घ) बड़े दस्तावेजों अर्थात् आंतरिक परिपत्र तथा विभिन्न समितियों की कार्यसूची को इलेक्ट्रॉनिक रूप में साझा करना अथवा उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराना

ड.) स्टाफ मामलों में एचआरएमएस का प्रयोग, जिसने कागज के प्रयोग को बड़ी मात्रा में कम कर दिया है।

अग्रतर, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वता के तहत, बैंक ने हरित

(Prevention, prohibition and redressal) Act 2013 has been implemented by the Bank. For addressing such issues, the Bank has constituted Internal Complaint Committees at the Corporate Office as well as at all the Cluster Monitoring Offices and the details are regularly uploaded on the Bank's website.

❖ Right to Information Act

The Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

➢ The total number of complaints relating to sexual harassment received during FY 2016-17 were 2 and all the complaints were satisfactorily resolved.

Principle 6

Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ others?

➢ The Policy covers the Bank.

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

➢ Yes. Various initiatives have been undertaken towards environment conservation such as for Green Energy, Bank has installed Solar Plant at Corporate Office, Gurugram and at Bank's building at Bhubaneswar & Panchkula. Further, solar street lighting system is in place at the Bank's Corporate Office and Human Resource Development Institute (HRDI) Noida.

Further, Bank encourages "Green practices" in routine business activities to contribute towards environment conservation such as

A) By printing on both sides of the paper which reduces costs by 50% and also Bank's carbon footprint. Bank encourages its employees to use e-documents in its day-to-day working.

B) Buying only energy efficient desktop PCs, printers etc. Vendors participating in bids need to be energy star 6 compliant or equivalent i.e. BEE certified.

Bank has also taken various green initiatives, some of which are listed as below:

a) Bank is increasing availability of alternative service delivery channels and promoting its use by its customers leading to paper saving.

b) Efficient use of technology to cut down on business travel by relying on video and telephone conferencing.

c) Encouraging increased use of communication through e-mails.

d) Sharing of large documents electronically or making them available online e.g. internal circulars and agenda items of various committee meetings.

e) Use of HRMS portal for staff matters which has significantly reduced paper consumption.

पहलों के रूप में विभिन्न शहरों में नगर पालिका निकायों के सहयोग से ट्री–गार्ड भी उपलब्ध कराए हैं।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिमों को समझती और इसका आकलन करती है। हां/नहीं।

➢ जी हां, हरित उर्जा से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वन से पूर्व, बैंक इन परियोजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह करता है। (वित्तीय संस्था होने के नाते) बैंक के परिचालन से पर्यावरण को बहुत अधिक जोखिम नहीं होता है।

4. क्या कंपनी की स्वच्छता विकास प्रणाली से संबंधी कोई परियोजना है। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें। साथ ही, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

जी हां।

क) बैंक ने पेपरलैस बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तकनीकी पहल की हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम.

ख) कैश जमा/निकासी मशीनों के द्वारा पेपरलैस लेनदेन के लिए ई–लॉबी स्थापित की जा रही हैं।

ग) वेंडरों को ई–चैनल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

घ) ग्राहकों को एटीएम पिन एटीएम अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जनरेट/रिसेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अर्थात् मोबाइल एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी के द्वारा ग्रीन पिन जनरेट करना। बैंक ने एटीएम पिन को कागज द्वारा भेजना बंद कर दिया है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छता तकनीकी, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा आदि से संबंधित कोई पहल की है। हां/नहीं यदि हां तो वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

➢ जी हां। ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में एलईडी लाईट लगाई गई हैं। अग्रतर, महानगरीय शाखाओं में एलईडी आधारित साइनेज लगाए गए हैं। बैंक अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को भी रिसाइक्लेबल ई–कचरे को प्रमाणित आरओएचएस (संकटजनक पदार्थों के प्रतिबंध) हेतु अनुपालक वेंडरों के माध्यम से डिस्पोज भी कर रहा है ।

6. क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा तय की गई निर्धारित सीमा के अंदर कंपनी का प्रदूषण/ कचरा वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है।

➢ बैंक एक सेवा आधारित संगठन है अतः लागू नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जारी किए लंबित कारण बताओ /कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात् जिन पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है)।

➢ शून्य

सिद्धांत 7

कारोबार, जब जनसामान्य एवं नियामक नीति को प्रभावित करते हैं तो उन्हें यह कार्य जिम्मेदारी से करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार एवं चैंबर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है। यदि हां, तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं का नाम बताएं जिनसे आपका कारोबार संबंधित है।

जी हां। बैंक निम्न का सदस्य है:–

1) भारतीय बैंक संघ(आईबीए)– इसका गठन बेहतर एवं प्रगतिशील बैंकिंग सिद्धांत, व्यवहार तथा परम्परा को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए एवं सदस्य बैंकों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ भारत में बैंकिंग के विकास के लिए किया गया है। अन्य उद्देष्यों के साथ ही बैंकों तथा बैंकिंग उद्योगों की प्रक्रियागत, विधिक, तकनीकी, प्रशासनिक अथवा व्यावसायिक समस्याओं एवं व्यवहारों के संबंध में समन्वय तथा सहयोग करता है।

2) भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)–यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक डीलरों एवं बीमा कंपनियों का संघ है। यह संघ नियत आय लिखतों, मुद्रा बाजार

Further, under the Corporate Social Responsibility, the Bank has also provided for installation of tree guards in coordination with Municipal Bodies at different cities as part of its green initiatives.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

➢ Yes, prior to implementation of project relating to green energy, the Bank consults with the specialists in the field for garnering maximum benefit from these projects. The operations of the Bank (being a financial institution) do not per se generate significant environmental risks.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed? Yes.

a) For solar energy plant, installation report has been submitted to Project Officer, Haryana Renewable Energy Development Agency.

b) Bank has undertaken various technological initiatives to promote paperless banking e.g. internet banking, mobile banking, ATMs.

c) E-lobbies are established for paperless transactions through Cash Deposit/ Dispenser machines.

d) Payments to vendors are made through e-channels.

e) Customers are encouraged to generate/ reset ATM PIN through ATMs or Internet Banking i.e. Green Pin generation using OTP as Mobile SMS. Bank has stopped sending of ATM Pin through paper mode.

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

➢ Yes. As energy saving measure, LED lights are installed at the Bank's Corporate Office at Gurugram, administrative offices and branch offices. Further LED based signage is provided to metro branches. The Bank is also disposing off its computer hardware as recyclable e-waste to green certified vendors i.e. RoHS (Restriction of Hazardous Substance) compliant only.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

➢ The Bank being a service based organization, hence not applicable.

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/SPCB which is pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at the end of Financial Year.:

➢ Nil

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes. The Bank is member of:

1) Indian Banks' Association (IBA): It is formed with the objective of promoting and developing sound and progressive banking principles, practices and conventions and to contribute to the developments of banking in India besides rendering assistance to member banks. Besides other objectives, it also organizes co-ordination and co-operation on procedural, legal, technical, administrative or professional problems and practices of banks and the banking industry.

2) Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA): It is an association of Scheduled Commercial

लिखतों तथा व्युत्पन्नों में लेनदेन के हितों की बेहतरी और इन्हें नियमित करने के लिए कार्य करता है। यह नए उत्पादों एवं व्यवहारों की शुरूआत करने के साथ–साथ, सदस्यों के अनुपालन हेतु स्वस्थ कारोबार व्यवहार, नैतिक आचार संहिता, मानक सिद्धांत एवं व्यवहारों की अनुशंसा और इन्हें क्रियान्वित करता है।

3) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (एफईडीएआई)– यह भारत में विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने वाले डीलरों (अधिकृत डीलरों) का संघ है, जो स्वयं नियामक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य बैंकों एवं जनसामान्य के बीच अंतर–बैंक विदेशी आचरण को शासित करने वाले नियम बनाना और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सुधार और विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय स्थापित करना है। एफईडीएआई भारतीय रिजर्व बैंक, एफआईएमएमडीए, भारतीय विदेशी विनिमय संघ तथा विभिन्न बाजार प्रतिभागियों जैसे अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय के द्वारा बाजार के क्रियाकलापों के सुगम संचालन में प्रेरक की भूमिका निभाता है।

2. क्या आप जनसामान्य के हितों में वृद्धि अथवा विकास के लिए उपरोक्त संगठनों से जुड़े हैं। हां/नहीं। यदि हां तो इसे विस्तार से बताएं (ड्रॉप बॉक्सः अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समन्वित विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय कारोबार सिद्धान्त, अन्य)

➢ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते बैंक नीति निर्माताओं एवं नीतियों का विकास करने वाले नियामकों, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यशैली एवं विनियमों का नियमन करते हैं, के समन्वय से कार्य करते हुए वित्तीय समावेशन के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। बैंक का प्रबंधन नियमित रूप से अपने विचार रखता है तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर नियामकों और नीति निर्माताओं को अपना इनपुट देता है। अग्रतर, बैंक भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा जारी आर्थिक एवं सामाजिक विकास और साथ–ही देश का धारणीय व संपार्श्विक विकास सुनिश्चित करने संबंधी सभी दिशा–निर्देशों/ मार्गदर्शनों का पालन करता है।

सिद्धांत 8

"कारोबार को अंतर्वेशी वृद्धि एवं संपार्श्विक विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए"

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 के संबंध में नीति को लागू करने के लिए कार्यक्रम /पहल/परियोजनाएं विनिर्दिष्ट की हैं। यदि हां तो उनका विवरण दें।

जी हां। बैंक ने अंतर्वेशी वृद्धि एवं संपार्श्विक विकास के लिए कई पहल की हैं/परियोजनाएं चलाई हैं। जिनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार हैः–

i) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय समावेशन

बैंक ने बैंक–विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को किफायती दरों पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने और अंतर्वेशी वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वित्तीय समावेशन परियोजना को लागू किया है। बैंक ने ग्रामीण जनता को शामिल करने के लिए विशेष उत्पाद, जैसे बचत–सह–अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, ओरियन्टल ग्रीन कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड एवं कम लागत किश्तों पर बीमा उत्पाद तैयार किए हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉड्यूल जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, किओस्क बैंकिंग मॉडल एवं पारंपरिक शाखा मॉडल लागू किए गए हैं।

अभी तक हुई प्रगति निम्नानुसार हैः–

बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना 2016 के सभी अलग–अलग लक्ष्यों को दिसंबर 2014 में ही पार कर लिया है।

❖ हमारे बैंक ने ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में आबंटित 1600 सर्व शिक्षा अभियान में से 1240 कारोबार प्रतिनिधियों की सहायता से 1240 सर्व शिक्षा अभियान को शामिल कर लिया है, 360 सर्व शिक्षा अभियानों को शाखाओं द्वारा

Banks, Public Financial Institutions, Primary Dealers and Insurance Companies. The association works to further the interests of and regulate the dealings in fixed Income instruments, money market instruments and derivatives. It also recommends and implements healthy business practices, ethical code of conduct, standard principles and practices to be followed by members, besides facilitating introduction of new products and practices.

3) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI): It an Association of banks dealing in foreign exchange in India (Authorised Dealers - ADs) as a self regulatory body. Its major activities include framing of rules governing the conduct of inter-bank foreign exchange business among banks vis-à-vis public and liaison with RBI for reforms and development of forex market. FEDAI plays a catalytic role for smooth functioning of the markets through closer co-ordination with the RBI, other organizations like FIMMDA, the Forex Association of India and various market participants.

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others) :

➢ The Bank being a Public Sector Bank works in coordination with policy makers and regulators in evolving policies that govern the functioning and regulation of the Banking industry and contributes actively towards the objective of Financial Inclusion. The Management of the Bank regularly places its concerns and gives inputs to the regulators and policy makers on various economic and financial issues impacting the economy. Further, the Bank adheres to all the directions / guidelines issued by the Government of India and Reserve Bank of India, SEBI relating to promotion of economic and social objectives as well as for ensuring sustainable and equitable development of the country.

Principle 8

"Businesses should support inclusive growth and equitable development"

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof. :

Yes. The Bank has taken various initiatives / projects to support inclusive growth and equitable development. Some of them are detailed hereunder:

i) Financial Inclusion under various Schemes of Govt. of India

Bank has implemented financial inclusion project to provide banking service in unbanked rural areas with affordable cost to the rural masses and cover them in main economical stream for inclusive growth. The bank has devised special products such as saving cum inbuilt overdraft facility, recurring deposit, oriental green card, General credit Card and insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various modules have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based BC model, Kiosk banking model and Brick and Mortar branches model.

The Progress made so far is as under:

❖ Out of 1600 SSAs allocated to our bank, 1240 SSAs have been

शामिल किया गया है और 14 कारोबार प्रतिनिधियों को शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है।

❖ बैंक ने ₹ 421181 लाख की जमाराशियों के साथ कुल 39.61 लाख बेसिक बचत खाते खोले हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

वित्तीय समावेशन की पहल के तहत, भारत सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लागू की थी। प्रधान मंत्री जन धन योजना एक समेकित वित्तीय समावेशन योजना है जिसमें वित्तीय समावेशन को अधिक सार्थक बनाने के लिए इसका दायरा विस्तृत किया गया है। प्रधान मंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। यह योजना उन्हें बैंकिंग एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है साथ ही यह उन्हें वित्त–पोषण के अनौपचारिक स्त्रोतों से निधियां प्राप्त करने की आदत से मुक्ति दिलाने में भी मदद करती है।

योजना का प्रथम चरण सभी परिवारों के खाते खोलना तथा ₹100000 का दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए समर्थ बनाने के लिए रूपे डेबिट कार्ड प्रदान करना था। अग्रतर, प्रत्येक खाताधारक खाते का छह माह तक संतोषजनक परिचालन करने पर ₹ 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लिए पात्र है। जिन ग्राहकों ने 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच खाते खुलवाएं हैं, वे भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से ₹30000/- का अतिरिक्त मियादी बीमा प्राप्त करने के पात्र हैं।

बैंक ने 16.08.2014 से 31.03.2017 तक इस योजना के अन्तर्गत 39.61 लाख खाते खोले हैं। अग्रतर, भारत सरकार ने 9 मई, 2015 को जन सुरक्षा बीमा योजना लागू की थी, जिसके द्वारा कम प्रीमियम पर बीमा उत्पाद जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा अटल पैंशन योजना लागू की गई थीं।

ii) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमः

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार वित्तीय साक्षरता प्रसार कार्यक्रम चला रहा है। वित्तीय साक्षरता अभियान निम्न प्रमुख दृष्टिकोणों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है:–

क) वित्तीय साक्षरता को वित्तीय साक्षरता सामग्री के माध्यम से बीसी नेटवर्क/शाखाओं द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।

ख) वित्तीय साक्षरता शिविरों में भारतीय बैंक संघ द्वारा वित्तीय साक्षरता पर उपलब्ध कराई गई फिल्में भी दिखाई जा रही हैं।

ग) हमारे बैंक मित्र विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं कौशल केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

घ) गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों में वित्तीय साक्षरता सामग्री स्थानीय भाषाओं में मुद्रित और वितरित की गई है।

iii) विशेश सामाजिक सुरक्षा योजनाः

क) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई): 31.03.2017 को 3258017 आवेदन प्राप्त किए गए और ₹390.96 लाख की प्रीमियम एकत्रित की गई है।

ख) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई): 31.03.2017 को 622762 आवेदन प्राप्त किए गए और ₹2055.11 लाख की प्रीमियम एकत्रित की गई है।

ग) अटल पेंशन योजना (एपीवाई): 31.03.2017 को कुल 46761 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

अ) कमजोर वर्ग को ऋण –

बैंक सूक्ष्म ऋण, एससी/एसटी, महिलाओं के लाभार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रदान कर रहा है। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट (ओबीसीआरडीटी) के माध्यम से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत बैंक ग्रामीण / अर्ध–शहरी इलाकों में भी कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

2. क्या ये परियोजनाएं/कार्यक्रम अपनी टीम/अपने फाउंडेशन/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संघटनों /किसी अन्य संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं?

➢ वित्तीय समावेशन परियोजनाएं अपनी टीम और साथ ही बीसी द्वारा

covered by engaging 1240 BCAs in rural & semi-urban areas, 360 SSAs have been covered by branches and 14 BCAs have been engaged in urban areas.

❖ Bank has opened total 39.61 lakhs basic saving bank accounts with deposit of ₹421181 lakhs.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

Under the initiative of Financial Inclusion, the Government of India launched 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' (PMJDY) on 28th August, 2014. PMJDY is a comprehensive financial inclusion plan wherein the ambit of financial inclusion is enlarged to make it more meaningful. PMJDY is a National Mission for Financial Inclusion. The Scheme enables them to access banking and credit facilities while also helping them in coming out of the habit of raising funds from informal sources of finances.

The first step of the scheme was to open account of every household, and provide RuPay Debit Card to make them eligible for ₹100000/- accidental insurance cover. Further, every account holder is eligible for an overdraft facility up to ₹5000/- on satisfactory conduct of account for six months. Customers who have opened accounts under the scheme between 15.08.2014 to 31.01.2015 are eligible for additional term insurance of ₹30000/- from LIC.

The Bank has opened accounts of 39.61 lakhs from 16.08.2014 upto 31.03.2017 under this Scheme. Further, Govt. of India also launched Jan Suraksha Yojana on 9th May 2015, through which low premium insurance product like PMJJBY, PMSBY and Atal Pension Yojana were introduced.

ii) Financial Literacy Programme:

The Bank is undertaking Financial Literacy dissemination Programme as per guidelines issued by RBI/IBA. The financial literacy campaign is being taken on priority basis as per following key approaches:

a) Financial literacy is being disseminated through BC network/ branches by using financial literacy material.

b) Films on financial literacy provided by IBA are also being shown in financial literacy camps.

c) Our Bank Mitras are imparting training on financial literacy in the schools, colleges and skill development centres.

d) The financial literacy material have been printed and distributed in local languages in the states of Gujarat, Maharshtra and Madhya Pradesh.

iii) Special Social Security Scheme:

a) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): As on 31.03.2017 a total number of 3258017 applications have been sourced and premium collected ₹390.96 lakh.

b) Pradhan Mantri jeevan jyoti Bima Yojana (PMJJBY): As on 31.03.2017 a total number of 622762 applications have been sourced and premium collected ₹2055.11 lakh.

c) Atal Pension Yojana (APY): As on 31.03.2017 a total number of 46761 applications have been sourced.

iv) Credit to Weaker Sections:

The Bank is extending Micro Credit, Credit to SC/ST, women beneficiaries and Minority communities. Bank is also promoting welfare in rural/ Semi-urban areas as a part of Corporate Social Responsibility (CSR) through Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust (OBCRDT).

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation / external NGO/government structures / any other organization?

➢ The financial inclusion projects have been undertaken with

भी चलाई गई हैं। बैंक के पास कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एग्रीबिजनेस और एफआई के नाम से एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान के लिए बैंक ने "ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट" भी स्थापित किया है। ओबीसीआरडी ट्रस्ट विभिन्न प्रकार के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

3. आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है?
   - ➢ जी हाँ, प्रमुख बातें इस प्रकार हैं –
   - ❖ बैंक श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर, देहरादून और पलवल में कार्यरत पांच ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के जरिए बेरोजगार युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
   - ❖ बैंक बेरोजगार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले युवाओं और व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि उन्हें स्व–रोजगार प्राप्त करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाया जा सके। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए यह ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया गया प्रशिक्षण व्यावहारिक रूप से उपयोगी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सभी पांच आरएसईटीआई ने 911 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की और 24,483 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया।
   - ❖ बैंक 9 वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र संचालित कर रहा है जिनमें संरचित वित्तीय साक्षरता का प्रसार किया जा रहा है। ये एफएलसी बैंकिंग से संबंधित वित्तीय मुद्दों पर आमने सामने परामर्श प्रदान कर रहे हैं जैसे "नो फ्रिल" खाता खोलना, अन्य जमा खाते, उधार खाते और निवारक परामर्श आदि। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एफएलसी द्वारा आयोजित सेमिनार में 24,453 व्यक्तियों ने भाग लिया ।
4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है ? चलाई गई परियोजनाओं का विवरण और राशि (रूपये में) बताएं ।
   - ➢ सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बैंक का योगदान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्रामीण विकास संस्थान (ओबीसीआरडीटी) के माध्यम से किया गया है।

   "ओबीसीआरडीटी" का मूल उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वयं के व्यवसाय को स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे एकीकृत तरीके से विकास होगा, और जिसमें मानव संसाधन विकास, आर्थिक विकास और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा।
5. इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाए हैं? कृपया इसे लगभग 50 शब्दों में बताएं।
   - ➢ जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ओबीसीआरडीटी पहल के अंतर्गत आयोजित 146 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3608 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि इस समुदाय ने पहल को अच्छी तरह से अपनाया है।

सिद्धांत 9

"व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए"

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत / उपभोक्ता मामले लंबित है।
   - ➢ वित्तीय वर्ष के अंत में कुल 23,548 ग्राहक शिकायतों में से 4.82% (1136) लंबित थी।
2. क्या कंपनी स्थानीय नियमों के मुताबिक अनिवार्य रूप से उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं /लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

the help of an in-house team and also through BCs. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under the name of Agribusiness & FI at Corporate Office headed by a General Manager. The Bank has also set up "Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust" for direct contribution to community development projects. OBCRD Trust is conducting various types of financial literacy programmes.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?
   - ➢ Yes. The major deliverables are:
   - ❖ The Bank is providing free of cost training to unemployed youth through five Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) working at Sriganganagar, Jaipur, Ferozpur, Dehradun and Palwal.
   - ❖ The Bank imparts training to rural unemployed youth and persons from BPL category by way of training programmes to enable them to get self employed and earn their own livelihood. The training extended to rural unemployed youth is of practical use for unemployed persons. During financial year 2016-17 all five RSETIs arranged 911 training programmes and trained 24,483 candidates.
   - ❖ The Bank is operating 9 Financial Literacy Counseling Centers wherein structured financial literacy is being spread. These FLCs are providing face to face counseling on financial issues related to banking such as opening of "No Frill" accounts, other deposit accounts, borrowal accounts and preventive counseling etc. 24,453 persons attended the seminars conducted by FLCs during F.Y 2016-17.
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?
   - ➢ The Bank's contribution to community development program has been through Oriental Bank of Commerce Rural Development Trust (OBCRDT).

   The basic object of "OBCRDT" is to impart training to unemployed youth and assisting them in settling their own business, which will result in development in an integrated manner, and includes Human Resource Development, Economic Development & other infrastructure development.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.
   - ➢ Yes. Under OBCRDT initiative 3608 persons were benefitted from 146 training programmes conducted during the Financial Year 2016-17.The response being received from rural unemployed youth shows that the community has adopted the initiative well.

Principle 9

"Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner"

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year. :
   - ➢ 4.82% (1136) of the total 23,548 customer complaints were pending as at the end of the financial year.
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. / Remarks(additional information)

- हां। बैंक द्वारा प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी शाखाओं में पुस्तिकाएं और ब्रोशर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं और बैंक की वेबसाइट पर भी इन्हें उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच सालों के दौरान किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसे कितने मामले लंबित है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।
   - शून्य ।

4. क्या आपकी कंपनी किसी उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि विचार धाराओं का परीक्षण किया है?
   - बैंक एक ग्राहक केंद्रित संगठन है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी ग्राहक शिकायतों और परिवादों का यथासंभव प्रभावी और दक्षतापूर्वक निपटान हो। मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा बैंक की कार्यप्रण ाली का एक अभिन्न अंग है जो ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ ही,बैंक की शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने, ग्राहक के विश्वास को बढ़ाने और इसके पारदर्शी और त्वरित समाधान के उद्देश्य से बैंक द्वारा आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बैंक, अपनी वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त प्रश्नों और सुझावों की निगरानी करता है और प्राप्त प्रश्नों को त्वरित उत्तर देता है और बैंक के ग्राहकों की गई समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है। ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं पर ग्राहकों की राय प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक सर्वेक्षण शुरू करने पर विचार कर रहा है।

- Yes. The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.
   - Nil

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?
   - The Bank is a customer centric organization and ensures that all customer grievances and complaints are handled as efficiently and effectively as possible. The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning which further helps in further enhancement of the customer service. Also, to strengthen the grievance redressal mechanism of the Bank, the Internal Ombudsman has been appointed by the Bank with the objective of enhancing customer confidence and providing transparent and speedy redressal of the same. Further, the Bank monitors the queries and suggestions, received from the constituents on the Bank's website and gives prompt response to the queries received and ensures providing instant solutions to the problems faced by the customers of the Bank. The Bank is considering to introduce Customer Survey so as to obtain feedback of customers on various aspects of customer service.

31 मार्च, 2017 का तुलन – पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2017

(₹ हजार में/₹ *in thousands*)

	अनुसूची Schedule	31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	346,17,04	321,39,75
शेयर के आंबंटन के लिए लंबित आवेदन राशि Share Application Money pending allotment	1A	0	300,00,00
आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / Reserves & Surplus	2	13775,19,45	14619,74,60
निक्षेप / Deposits	3	219339,38,67	208914,81,68
उधार / Borrowings	4	14592,18,56	10123,87,40
अन्य देयताएं और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	5011,78,78	5488,16,82
कुल / Total		**253064,72,50**	**239768,00,25**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	10813,09,27	9432,88,22
बैंकों में अधिशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि Balances with Banks and Money at Call & Short Notice	7	6613,14,28	2179,54,72
निवेश / Investments	8	59229,26,49	66234,29,61
अग्रिम / Advances	9	157706,00,21	148879,98,91
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	10	2358,45,64	2271,90,13
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	16344,76,61	10769,38,66
कुल / Total		**253064,72,50**	**239768,00,25**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liablities	12	40285,38,10	40369,62,88
संग्रहण हेतु बिल / Bills for Collection		10303,77,64	9293,14,69
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न भाग है
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

जोगिन्दर सिंह
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Joginder Singh
Dy.General Manager (Accounts)

जितेन्द्र मोहन सिंह
महाप्रबंधक (लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Jitender Mohan Singh
General Manager (Accounts) & CFO

हिमांशु जोशी
कार्यकारी निदेशक
Himanshu Joshi
Executive Director

राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Rajkiran Rai G.
Executive Director

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Animesh Chauhan
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक / DIRECTORS

(एस. गणेश कुमार)
(S. Ganesh Kumar)

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
(Dinesh Kumar Agrawal)

(देश दीपक खेत्रपाल)
(Desh Deepak Khetrapal)

(अशोक कुमार शर्मा)
(Ashok Kumar Sharma)

(माला श्रीवास्तव)
(Mala Srivastava)

(संजय कपूर)
(Sanjay Kapoor)

स्थानः / Place: गुरूग्राम / Gurugram
दिनांकः / Dated : 12 मई, 2017 / 12th May, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

(₹ *हजार में/₹ in thousands*)

		अनुसूची Schedule	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
I.	**आय / INCOME**			
	अर्जित आय / Interest Earned	13	18422,32,52	20168,49,92
	अन्य आय / Other Income	14	2765,52,04	1766,28,19
	कुल / Total		**21187,84,56**	**21934,78,11**
II.	**व्यय / EXPENDITURE**			
	अपचित ब्याज / Interest Expended	15	13512,83,24	14793,93,33
	परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	3504,88,21	3458,77,90
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		5264,20,19	3525,99,06
	कुल / Total		**22281,91,64**	**21778,70,29**
III.	**वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) / NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE YEAR**		(1094,07,08)	156,07,82
	जोड़ें: आगे लाया गया लाभ / **Add:** Profit brought forward		64,34	14,45
	विनिवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve		11,54,17	42,26,02
	कुल / Total		**(1081,88,57)**	**198,48,29**
IV.	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		0	40,00,00
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Revenue & Other Reserves		(1081,88,57)	0
	विनिधान आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Investment Reserve Account		0	0
	विशेष आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Special Reserves		0	112,00,00
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		0	18,76,17
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		0	22,49,78
	लाभांश पर कर / Tax on Dividend		0	4,58,00
	तुलन–पत्र में ले जाया गया अधिशेष Balance Carried over to Balance Sheet		0	64,34
	कुल / Total		**(1081,88,57)**	**198,48,29**
	प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share मूल और ह्रासित (₹ में) / Basic & Diluted (In ₹)		**-31.82**	**5.20**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
	लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न हिस्सा है
Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में/In terms of our audit report of even date attached.

कृते ए बाफना एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 003660 सी **For A Bafna & Co** **Chartered Accountants** **FRN 003660C**	कृते लुनावत एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000629 एन **For Lunawat & Co** **Chartered Accountants** **FRN 000629N**	कृते वी. के. ढींगरा एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000250 एन **For V.K. Dhingra & Co.** **Chartered Accountants** **FRN 000250N**	कृते सुदित के. पारिख एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.110512 डब्ल्यू **For Sudit K. Parekh & Co.** **Chartered Accountants** **FRN 110512W**	कृते वी. के. लाढा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 002301सी **For V.K. Ladha & Associates** **Chartered Accountants** **FRN 002301C**
(मुकेश कुमार गुप्ता) भागीदार स.सं.073515 **(Mukesh Kumar Gupta)** **Partner** **M.No.073515**	(रमेश के. भाटिया) भागीदार स.सं. 080160 **(Ramesh K. Bhatia)** **Partner** **M.No. 080160**	(ललित आहुजा) भागीदार स.सं. 085842 **(Lalit Ahuja)** **Partner** **M.No. 085842**	(नेमिष कपाड़िया) भागीदार स.सं.111929 **(Nemish Kapadia)** **Partner** **M.No.111929**	(वी. के. लाढा) भागीदार स.सं.071501 **(V.K. Ladha)** **Partner** **M.No.071501**

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 1/SCHEDULE 1:		
पूंजी/CAPITAL		
अधिकृत पूंजी/AUTHORISED CAPITAL	**3000,00,00**	**3000,00,00**
₹10/- प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर/300,00,00,000 equity shares of ₹10/- each		
(₹10/- प्रत्येक के पिछले वर्ष 300,00,00,000 इक्विटी शेयर)/(Previous Year 300,00,00,000 equity shares of ₹10/- each)		
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी/ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL	346,17,04	321,39,75
निर्गमित, अभिदत्त तथा चुकता पूंजी केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹10/– प्रति शेयर के 34,61,70,415 (पिछले वर्ष 32,13,97,501) प्रत्येक इक्विटी शेयर के [20,20,81,957 सहित (पिछले वर्ष 17,73,09,043) सहित]/ 34,61,70,415 (Previous Year 32,13,97,501) equity shares of ₹10/- each [Includes 20,20,81,957 (Previous year 17,73,09,043) held by the Central Govt].		
कुल/Total	**346,17,04**	**321,39,75**
अनुसूची 1ए/SCHEDULE 1A:		
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि/SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 18.1.2 का संदर्भ लें)/(Refer note no. 18.1.2 of Schedule 18)	0	300,00,00
अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि/SCHEDULE 2: RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि/**STATUTORY RESERVES**		
अथशेष/Opening Balance	3463,00,00	3423,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	0	40,00,00
कुल/Total	**3463,00,00**	**3463,00,00**
II **पूंजी आरक्षित निधि/CAPITAL RESERVES**		
क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि/a) REVALUATION RESERVE		
अथशेष/Opening Balance	1507,26,76	621,89,70
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	0	929,99,85
वर्ष के दौरान कमी (संपत्ति के पूर्नमूल्यांकित भाग और पूर्नमूल्यांकित आस्ति की बिक्री के कारण उत्क्रमण पर मूल्यह्रास)/Deductions during the year(being depreciation on revalued portion of property & reversals on account of sale of revalued assets)	58,84,17	44,62,79
कुल(क)/Total (a)	**1448,42,59**	**1507,26,76**
ख) अन्य/b) Others		
अथशेष/Opening Balance	590,44,75	571,68,59
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	0	18,76,16
कुल (ख)/Total(b)	**590,44,75**	**590,44,75**
कुल (क+ख)/Total(a+b)	**2038,87,34**	**2097,71,51**
III **शेयर प्रीमियम/SHARE PREMIUM**		
अथशेष/Opening Balance	3712,24,28	3555,38,94
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	275,22,71	156,85,34
कुल/Total	**3987,46,99**	**3712,24,28**
IV **राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां/REVENUE & OTHER RESERVES**		
क) राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां/a) Revenue & Other Reserves		
अथशेष/Opening Balance	3749,60,30	3780,57,90
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	33,13,39	0
वर्ष के दौरान समायोजन/Adjustments During the Year	0	(309,760)
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कटौतियां)/Additions/ (Deductions) during the year	(1081,88,57)	0
कुल (क)/Total (a)	**2700,85,12**	**3749,60,30**
ख) निवेश आरक्षित निधि लेखा/b) Investment Reserve Account		
अथशेष/Opening Balance	11,54,17	53,80,18
वर्ष के दौरान कटौतियां/Deductions during the year	(11,54,17)	(42,26,01)
कुल (ख)/Total (b)	**0**	**11,54,17**
ग) आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि c) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of I-T Act		
अथशेष/Opening Balance	1585,00,00	1473,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	0	112,00,00
कुल (ग)/Total (c)	**1585,00,00**	**1585,00,00**
कुल (क+ख+ग)/Total (a+b+c)	**4285,85,12**	**5346,14,47**
V. **लाभ एवं हानि खाते में अथशेष/BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT**	**0**	**64,34**
कुल (I,II,III, IV एवं V)/TOTAL (I, II, III, IV & V)	**13775,19,45**	**14619,74,60**

(₹ *हजार में/₹ in thousands*)

		31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 3/SCHEDULE 3:			
निक्षेप/DEPOSITS			
A	I. मांग निक्षेप/ Demand Deposits		
	i) बैंकों से /From Banks	28,20,67	96,95,75
	ii) अन्यों से /From Others	17938,40,26	12724,09,53
		17966,60,93	**12821,05,28**
	II. बचत बैंक निक्षेप/Saving Banks Deposits	**48923,42,93**	**39869,19,67**
	III. आवधिक निक्षेप/ Term Deposits		
	i) बैंकों से From Bank	69,97,01	105,31,67
	ii) अन्यों से /From Others	152379,37,80	156119,25,06
		152449,34,81	**156224,56,73**
	कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)	**219339,38,67**	**208914,81,68**
B	i) भारत में शाखाओं का निक्षेप/Deposits of Branches in India	219339,38,67	208914,81,68
	ii) भारत से बाहर शाखाओं का निक्षेप/Deposits of Branches outside India	0	0
	कुल/Total	**219339,38,67**	**208914,81,68**
अनुसूची 4/ SCHEDULE 4:			
उधार/ BORROWINGS			
I.	भारत में उधार/Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India*	0	2226,45,80
	ii) अन्य बैंक/Other Banks	595,81,35	747,08,40
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेन्सियां/Other Institutions and Agencies	13672,12,21	6587,16,45
	कुल/Total	**14267,93,56**	**9560,70,65**
II.	भारत के बाहर से उधार/ Borrowings Outside India	324,25,00	563,16,75
	कुल (I एवं II) Total (I & II)	**14592,18,56**	**10123,87,40**
	प्रतिभूति उधार (। और ।। में सम्मिलित)/Secured Borrowings (Included in I and II)	6261,43,91	2526,23,95

बेमीयादी ऋण लिखत (टीयर । बॉण्ड) ₹2600.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1350.00 करोड़) और ऋण पूंजी लिखत (टीयर ।। बाण्ड) ₹5225.00 करोड (पिछले वर्ष ₹5225.00 करोड़) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

Perpetual Debt Instruments (Tier I Bonds) ₹2600.00 crore (Previous year ₹1350.00 crore) and Debt Capital Instruments (Tier II Bonds) amounting to ₹5225.00 crore (Previous year ₹5225.00 crore) classified under Borrowing as per RBI guidelines.

बेमीयादी ऋण लिखत में ₹2000.00 करोड़ के अतिरिक्त टीयर I बॉण्ड जो बासेल III के अनुपालक के रूप शामिल है में है जबकि ऋण पूंजी लिखत (टीयर II बॉण्ड) में ₹3000.00 करोड़ के टीयर II बॉण्ड बासेल III के अनुपालक के रूप शामिल है।

The Perpetual Debt instruments includes ₹2000.00 crore issued as Basel III Compliant Additional Tier I Bonds while Debt Capital Instruments (Tier II Bonds) includes ₹3000.00 crore issued as Basel III Compliant Tier II Bonds.

* लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 18.2.6 का संदर्भ लें।

* Refer note 18.2.6 in Notes to Accounts

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

		31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 5: / SCHEDULE 5:			
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS			
I.	देय बिल / Bills Payable	49,63,53	50,22,81
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustments (net)	570,86,90	554,35,36
III.	उपचित ब्याज / Interest Accrued	616,12,95	348,23,16
IV.	आस्थगित कर प्रावधान (निवल) / Deffered Tax Liability (Net)	214,00,00	466,00,00
V	अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including Provisions)	3561,15,40	4069,35,49
	कुल / Total	**5011,78,78**	**5488,16,82**
अनुसूची 6 / SCHEDULE 6:			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष / CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA			
I.	हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) / Cash in Hand (including foreign currency notes)	754,94,67	694,73,81
II	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष / Balance with Reserve Bank of India		
	i) चालू खातों में / In Current Account	10058,14,60	8738,14,41
	ii) अन्य खातों में / In other Accounts	0	0
	कुल / Total	**10813,09,27**	**9432,88,22**

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

	31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 7: / SCHEDULE 7:		
बैंकों के पास अधिशेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि		
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i) बैंकों के पास अधिशेष / Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	65,32,35	65,82,73
ख) अन्य निक्षेप खातों में		
b) In other Deposit Accounts	0	200,00,00
ii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Money at Call & Short Notice		
क) बैंकों में		
a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थानों में (भा.रि.बैंक के साथ रिवर्स रेपो सहित)		
b) With Other Institutions* (Include Reverse REPO with RBI)	5950,00,00	1650,00,00
कुल / **Total**	**6015,32,35**	**1915,82,73**
* लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 18.2.6 का संदर्भ लें।		
* Refer note 18.2.6 in Notes to Accounts		
II भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में / In Current Accounts	85,50,43	98,08,24
ii) अन्य निक्षेप खातों में / In Other Deposit Accounts	0	0
iii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Money at Call & Short Notice	512,31,50	165,63,75
कुल / **Total**	**597,81,93**	**263,71,99**
कुल योग **(I & II) Grand Total (I & II)**	**6613,14,28**	**2179,54,72**

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

		31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 8 / SCHEDULE 8:			
विनिवेश / INVESTMENTS			
A. I.	**भारत में विनिवेश / Investment in India in**		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities*	49786,89,93	52554,75,80
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities	15,00	15,00
	iii) शेयर / Shares	1133,31,42	828,43,77
	iv) डिबेंचर और बांड / Debentures & Bonds	6021,83,68	7701,71,36
	v) सहयोगी संस्थाएं और / अथवा संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/ or Joint Ventures	218,50,00	218,50,00
	vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, म्युचुअल फंड के यूनिट) Others (Commercial paper, Indira Vikas Patras, Units of UTI & Mutual Funds)*	2068,56,46	4930,73,68
	कुल / Total	**59229,26,49**	**66234,29,61**
II.	भारत से बाहर विनिवेश / Investments Outside India	0	0
	सकल योग (I एवं II) / Grand Total (I & II)	**59229,26,49**	**66234,29,61**
B.	क) भारत में कुल विनिवेश / a) Gross Investments in India	59480,61,98	66381,45,41
	घटाएं: प्रावधान / मूल्यह्रास का योग Less : Aggregate of Provisions/ Depreciation	251,35,49	147,15,80
	निवल विनिवेश / Net Investments	**59229,26,49**	**66234,29,61**
	ख) भारत से बाहर विनिवेश / b) Investments outside India	0	0

* लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 18.2.6 का संदर्भ लें।

* Refer note 18.2.6 in Notes to Accounts

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

	31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 9 / SCHEDULE 9:		
अग्रिम / ADVANCES		
A) i) खरीदे गए एवं मितिकटे पर दिए गए विनिमय पत्र		
Bills Purchased and Discounted	1109,08,19	1548,44,18
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण		
Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	80138,24,50	65975,47,83
iii) मीयादी ऋण / Term Loans	76458,67,52	81356,06,90
कुल / Total	**157706,00,21**	**148879,98,91**
B) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों के प्रति दिए गए अग्रिमों सहित)		
Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	144763,93,48	132074,91,08
ii) बैंकों / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित		
Covered by Banks/Govt. Guarantees	1753,43,48	3903,49,79
iii) अप्रतिभूत		
Unsecured	11188,63,25	12901,58,04
कुल / Total	**157706,00,21**	**148879,98,91**
C) I. भारत में अग्रिम		
Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
Priority Sector	58096,75,36	55844,24,74
ii) सार्वजनिक क्षेत्र		
Public Sector	4695,29,64	8505,11,07
iii) बैंक		
Banks	2653,24,01	5,85
iv) अन्य		
Others	92260,71,20	84530,57,25
कुल / Total	**157706,00,21**	**148879,98,91**
II. भारत से बाहर अग्रिम		
Advances Outside India	0	0
कुल जोड़ ग (I एवं II) Total C (I &II)	**157706,00,21**	**148879,98,91**

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

	31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 10/ SCHEDULE 10:		
स्थायी आस्तियां / FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर		
At cost as on 31st March of the preceding year	2212,15,76	1242,05,43
वर्ष के दौरान वृद्धि		
Additions during the year	9,41,26	970,60,33*
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां		
Less:Deductions during the year	204,43,34**	50,00
उप–जोड़ / Sub total	**2017,13,68**	**2212,15,76**
घटाएं: अद्यतित मूल्यह्रास		
Less:Depreciation to date	170,81,15	405,00,69
कुल / Total	**1846,32,53**	**1807,15,07**
जोड़िए: चल रहा निर्माण कार्य		
Add: Construction work in Progress	28,48,55	24,90,24
I का कुल / Total of I	**1874,81,08**	**1832,05,31**
II. **अन्य स्थायी आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)**		
Other Fixed Assets (Including Furnitures & Fixtures)		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर		
At cost as on 31st March of the preceding year	1538,22,73	1426,06,48
वर्ष के दौरान वृद्धि		
Additions during the year	202,97,50	138,33,64
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां		
Less:Deductions during the year	16,03,73	26,17,39
उप जोड़/Sub total	**1725,16,50**	**1538,22,73**
घटाएं: अद्यतित मूल्यह्रास		
Less:Depreciation to date	1241,51,94	1098,37,91
II का कुल Total of II	**483,64,56**	**439,84,82**
कुल (I एवं II) Total (I & II)	**2358,45,64**	**2271,90,13**

* आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 929.99 करोड़ की वृद्धि।

*Addition on account of revaluation of assets by ₹ 929.99 crores.

** पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पर मूल्यह्रास में हुए परिवर्तन के कारण बिक्री / समायोजन सहित।

** Includes sale/ adjustment due to change in depreciation on revaluation reserve.

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

	31.03.2017 को As on 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 11: / SCHEDULE 11:		
अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS		
i) उपचित ब्याज / Interest Accrued	1333,65,67	1422,13,81
ii) स्रोत पर काटा गया कर / वसूली योग्य आय कर Tax deducted at source/Income Tax Recoverable	2959,11,06	2432,50,52
iii) लेखन सामग्री और टिकटें / Stationery and Stamps	1,10,96	1,09,91
iv) गैर–बैंककारी आस्तियां, जो दावों की तुष्टि में अर्जित की गई हैं Non-banking Assets acquired in satisfaction of claims	30,38,91	30,38,91
vi) अन्य* / Others*	12020,50,01	6883,25,51
कुल / Total	**16344,76,61**	**10769,38,66**
*(i) इसमें स्टाफ को बिना ब्याज दिए ऋण तथा अग्रिम शामिल है। Includes non-interest bearing loans and advances to staff	10,30	2,46
(ii) सीबीएलओ के अंतर्गत उधार के ऐवज में गिरवी प्रतिभूतियों सहित Includes securities pledged against borrowing under CBLO	6306,01,30	310,59,94
अनुसूची 12 / SCHEDULE 12:		
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES		
I बैंक के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकृत न हुए दावे (अपीलाधीन / संदर्भाधीन विवादास्पद आयकर और ब्याज कर देयताओं आदि सहित) Claims against the bank not acknowledged as debts (Including disputed Income tax and Interest tax liability under Appeal, Reference etc.) [लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 18.8.11 का संदर्भ लें] [Refer Note 18.8.11 in Notes to Accounts]	2124,56,84	3281,21,14
II अंशतः प्रदत्त विनिवेश के लिए देयताएं / Liabilities for partly paid investments	0	0
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं Liability on account of outstanding forward exchange contracts	11944,08,04	9895,15,30
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां / Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में / a) In India	14679,81,49	14102,56,51
ख) भारत से बाहर / b) Outside India	2778,98,58	2605,98,09
V स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं / Acceptances, endorsements and other obligations	8193,94,40	10006,39,14
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the bank is contingently liable	563,98,75	478,32,70
कुल / Total	**40285,38,10**	**40369,62,88**

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

	31.03.2017 को Year Ended 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को Year Ended 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 13 / SCHEDULE 13:		
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		
i) **अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / मितिकाटा**		
Interest/Discount on Advances/Bills	12808,85,31	14794,05,75
ii) **विनिवेशों पर आय* /** Income on Investments*	5022,30,74	4860,97,29
iii) **भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेषों और अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज**		
Interest on balances with Reserve Bank of India and inter-Bank funds*	190,26,93	78,53,63
iv) अन्य / Others	400,89,54	434,93,25
कुल / Total	**18422,32,52**	**20168,49,92**
*** [लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 18.2.6 का संदर्भ लें]**		
* Refer note 18.2.6 in Notes to Accounts		
अनुसूची 14 / SCHEDULE 14:		
अन्य आय / OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली / Commission, Exchange & Brokerages	951,18,31	900,47,25
II विनिवेशों की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Investments	1417,88,45	501,71,54
घटाएं: विनिवेशों की बिक्री पर हानि / Less: Loss on Sale of Investments	10,80,69	16,79,45
	1407,07,76	484,92,09
III विनिवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएं: विनिवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
IV स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Fixed Assets	79,72	10,91,41
घटाएं: स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि / Less: Loss on Sale of Fixed Assets	61,63	59,73
	18,09	10,31,68
V विनिमय लेन–देनों पर लाभ (निवल) (इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ के संबंध में ₹ 7914.76 लाख (गतवर्ष ₹ 10492.39 लाख) शामिल हैं) Profit on Exchange Transactions (Net) (Including ₹7914.76 Lac (Previous year ₹10492.39 lac) on account of profit on valuation of Foreign Currency Assets & Liabilities)	79,32,12	106,00,94
VI विविध आय / Miscelleneous Income	327,75,76	264,56,23
कुल / Total	**2765,52,04**	**1766,28,19**

(₹ हजार में / ₹ *in thousands*)

	31.03.2017 को Year Ended 31.03.2017 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2016 को Year Ended 31.03.2016 (पिछले वर्ष) (Previous Year)

अनुसूची 15 / SCHEDULE 15:

अपचित ब्याज / INTEREST EXPENDED

i) निक्षेपों पर ब्याज Interest on Deposits	12787,42,53	14050,67,39
ii) भारतीय रिजर्व बैंक एवं अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India and inter-Bank Borowings*	14,37,51	149,65,20
iii) अन्य Others	711,03,20	593,60,74
कुल / Total	**13512,83,24**	**14793,93,33**

*लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 18.2.6 का संदर्भ लें,
* Refer note 18.2.6 in Notes to Accounts

अनुसूची 16 / SCHEDULE 16:

परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES

I	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provision for employees		2099,33,98		2031,67,66
II	किराया, कर और बिजली Rent, Taxes & Lighting		330,82,74		332,45,47
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing & Stationery		25,40,59		31,02,81
IV	विज्ञापन और प्रचार Advertisement & Publicity		17,94,85		18,16,00
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / परिशोधन Depreciation/Amortisation on Bank's Property	84,93,59		200,19,58	
	घटाएं: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित Less: Adjusted with Revaluation Reserve	16,61,29	68,32,30	44,33,84	155,85,74
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते तथा व्यय Directors' fees, allowances and expenses		49,74		50,44
VII	लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) की फीस और खर्च Auditors' fee and expenses (including Branch Auditors)		23,36,27		24,07,59
VIII	विधि प्रभार Law Charges		20,33,01		25,53,81
IX	डाक व्यय, तार, टेलीफोन आदि Postage, Telegram, Telephones etc.		48,44,23		53,88,29
X	मरम्मत एवं रखरखाव Repairs & Maintenance		71,94,70		64,99,61
XI	बीमा Insurance		214,45,02		210,28,19
XII	अन्य व्यय Other Expenditure		584,00,78		510,32,29
	कुल / Total		**3504,88,21**		**3458,77,90**

अनुसूची-17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणियों को परंपरागत लागत अवधारणा एवं लेखांकन के सतत संबंधित संचयी आधार पर तैयार किया गया हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हो और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत हो। यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (GAAP) के अनुकूल है जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियां तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं ।

2. प्राक्कलन का उपयोग

प्रबंध वर्ग को वित्तीय विवरणियां तैयार करने में प्राक्कलन तथा धारणाएं करनी होती हैं जो वित्तीय विवरिणयों की तारीख को आस्ति व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की यथासूचित राशि में और रिपोर्टिंग अवधि के लिए यथासूचित आय व व्यय में लिए जाते हैं । प्रबंध वर्ग का विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में प्रयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण तथा सुसंगत हैं । भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं । लेखांकन प्राक्कलन में कोई संशोधन, वर्तमान तथा भावी अवधि में प्रत्याशित प्रभाव से माना जाता है ।

3. राजस्व मान्यता

3.1 राजस्व और व्यय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है किन्तु प्राप्त/प्रदत्त कमीशन, वाद दायर खातों पर कानूनी व्यय और इनमें हुई वसूली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, आवास ऋणों पर प्रदत्त बीमा प्रीमियम तथा ब्याज की कर.वापसी की वसूली / भुगतान आधार पर हिसाब में लिया गया है। लाभाश का लेखांकन तब किया जाएगा जब उक्त को जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।

3.2 गैर–निष्पादनकारी आस्तियों/विनिवेशों के मामले में आय के संग्रहण की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसी आय को वसूली होने पर ही हिसाब में लिया जाता है।

3.3 अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का प्रावधान बचत बैंक दर पर किया जाता है और शेष को नवीकरण के समय हिसाब में लिया जाता है।

4. विनिवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के विनिवेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

i) परिपक्वता तक धारित (परिपक्वता तक धारित किए जाने हेतु आशयित विनिवेश)

ii) व्यापार हेतु धारित (अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर बिक्री हेतु धारित विनिवेश)

iii) बिक्री हेतु उपलब्ध (उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्गीकृत न किए गए विनिवेश

SCHEDULE -17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated and in conformity with statutory provisions and generally accepted accounting principles. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION

3.1 Income and expenses are accounted for on accrual basis except commission received / paid, legal expenses for suit filed accounts and recoveries there against, interest on overdue bills, insurance premium paid on Housing Loans and interest on tax refunds are accounted for on realisation/payment basis. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

3.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

3.3 Interest on overdue deposits is provided for at the Saving Bank Deposit Rate and the balance is accounted for at the time of renewal.

4. INVESTMENTS

4.1 In accordance with RBI guidelines, investments are classified into three categories.

i) Held to Maturity (Investments intended to be held till maturity)

ii) Held for Trading (Investments held for sale within 90 days from the date of acquisition)

iii) Available for Sale (Investments not classified in (i) and (ii) above)

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटीकरण हेतु, विनिवेशों को 6 शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड (ङ) अनुषंगी /संयुक्त उद्यम तथा (च) अन्य।

4.2 मूल्यांकनः

i) परिपक्वता तक धारित:

क. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत विनिवेशों को अभिग्रहण लागत अथवा यदि अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम मूल्य पर लिया गया हो तो परिशोधित लागत पर लिया गया है। जहां बही मूल्य, अंकित मूल्य/ प्रतिदेय मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया।

ख. संयुक्त उद्यम में विनिवेशों को, अस्थायी स्वरूप के विनिवेशों को छोड़कर, रखाव लागत घटा मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।

ग. जोखिम पूँजी में विनिवेश रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ii) बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित

1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	स्थायी आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव संघ (एफ.आई.एम.एम.डी.ए.) द्वारा प्रकाषित बाजार मूल्य पर
2.	राज्य विकास ऋण / अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	फिमडा (एफ.आई.एम.एम.डी.ए.) के मार्गनिर्देषों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय के आधार पर
3.	राजकोशीय बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा–प्रमाण पत्र	रखाव लागत पर
4.	ईक्विटी षेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए :जहां नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्श से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है , ब्रेक-अप मूल्य (अर्थात् अमूर्त आस्तियां तथा आरक्षित निधियों का पुनर्मूल्यांकन द्वारा कम किए हुए ईक्विटी पूंजी तथा आरक्षित पूंजी को ईक्विटी शेयरों की संख्या से डिवाइड करने पर प्राप्त) पर अन्यथा प्रति कम्पनी 1/-रुपए
5.	अधिमानी षेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : एफ.आई.एम.एम.डी.ए. के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय पर
6.	डिबेंचर/बाण्ड	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए :रेटिंग एजेंसियों द्वारा एफ.आई.एम.एम.डी.ए. के मार्गनिर्देशों के अनुसार दी गई रेटिंग के आधार पर परिपक्वता पर उपयुक्त आय पर
7.	म्यूचुअल फंड के यूनिट	कोट किए गए : बाजार मूल्य पर कोट न किए गए :पुनर्खरीद मूल्य / निवल आस्ति मूल्य पर
8.	असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी/एसआर) की प्रतिभूति रसीदें	एआरसी/एसआर में विनिवेश के मामले में एआरसी/एसआर द्वारा घोशित निवल आस्ति मूल्य अथवा निवल बही मूल्य पर जो भी कम हो ।

However, for disclosure in the Balance Sheet, Investments are classified under the six heads. (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures and Bonds (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

4.2 Valuation:

i) Held to Maturity: -

a. Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost or amortized cost if acquired at a premium over face value. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

b. Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.

c. Investment in venture capital is valued at carrying cost

ii) Available for Sale and Held for Trading

1.	Government of India Securities	At market prices as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
2.	State Development Loans /Other Approved Securities	At appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
3.	Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits	At carrying cost
4.	Equity Shares	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At break-up value(means Equity Capital & Reserves as reduced by Intangible Assets and Revaluation Reserves divided by number of equity shares), where latest balance sheet is available (Not more than one year old), otherwise at Re. 1/- per company
5.	Preference Shares	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity as per FIMMDA guidelines
6.	Debentures / Bonds	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity based on rating assigned by Rating Agencies as per FIMMDA guidelines
7.	Units of Mutual Funds	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At repurchase price/ Net Asset Value.
8.	Security receipts of Asset Reconstruction Company (ARC/SR)	In case of investment in ARC/SR at NAV declared by ARC/SR or net book value whichever is lower.

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन शेयरवार किया गया है तथा प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को जोडा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल वृद्धि को छोडते हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है।

4.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूतियो का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी मे अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का पूरा प्रावधान किया गया है।

4.4 भारतीय रिजर्व के पास तरलता समायोजन सुविधा/सीमांत रक्षित सुविधा के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को विनिवेश खाते में नामे/जमा किया गया और संव्यवहार की परिपक्वता पर इसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया । उस पर उपचित/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप मे हिसाब मे लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के बाद सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियो (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधा (LAF) / सीमांत रक्षित सुविधा (MSF) के अंतर्गत किए गए लेनदेनों सहित) मे रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन क्रमशः उधार लेने और उधार देने के लेनदेनों के रूप मे परिलक्षित होते है। रेपो लेनदेनो पर उधार लागत की गणना ब्याज व्यय और रिवर्स रेपो लेनदेनों पर ब्याज आय की गणना राजस्व के रूप में की गई है।

4.5 अन्य:

i) अभिदान पर प्राप्त दलाली/ कमीशन को लाभ व हानि खाते में दर्ज किया गया है।

ii) विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का अपफ्रंट व्यय किया जाता है और इन्हें लागत मे शामिल नहीं किया गया।

iii) प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री पर खंडित अवधि के प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है।

iv) विनिवेशो पर, गैर निष्पादनकारी विनिवेशो के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमान लगाए गए है तथा गैर निष्पादनकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

v) किसी भी श्रेणी के विनिवेश की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में लिया गया है । तथापि, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत विनिवेशो की बिक्री पर होने वाले लाभ, कर पश्चात अवशिष्ट राशि और सांविधिक आरक्षित निधि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है।

vi) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग (एएफएस) का मूल्यांकन क्रमशः दैनिक तथा तिमाही आधार पर किया जाता है और यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका प्रावधान तिमाही आधार पर लिया जाता है।

vii) बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन हेतु ''विवेकपूर्ण मानदंड'' पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के तहत बैंक ने निवेश बही मे खरीद एवं बिक्री के लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए "सैटलमेंट तिथि" लेखा का पालन किया है।

viii) गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में, डीमैट खाते में प्रतिभूति के आबंटन तक निवेश की राशि ''उचंत निवेश'' के अंतर्गत दर्शाई गई है।

4.6 व्युत्पन्न लेन–देन व्यापारिक या बचाव व्यवस्था प्रयोजनों से किए जाते है । व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर अंकित किए जाते है । भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार स्वैप की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i) बचाव स्वैप : ब्याज दर संबंधी स्वैप सौदों, जो ब्याज वाली आस्ति या देयता का बचाव करते है, को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, केवल ऐसे विनिमय सौदे को छोड़कर, जो बाजार मूल्य पर ली गई आस्ति या देयता के लिए है या वित्तीय विवरणी में लागत से

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored.

4.3 Transfer of securities from one category to another is done in conformity with the RBI guidelines. Such transfers are accounted at the lower of the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 Securities purchased/sold under Liquidity Adjustment Facility (LAF)/ Marginal Standby Facility (MSF) with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expanded/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue. Subsequent to the change in RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under LAF and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions are accounted for as interest expense and revenue on reverse repo transactions are accounted for as interest income.

4.5 Others:

i) Brokerage/commission received on subscription is booked in Profit and Loss Account.

ii) Brokerage, Commission, securities transaction tax etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

iii) Broken period interest paid / received on purchase /sale of securities is recognised as interest expense / income.

iv) Prudential norms of RBI for non performing investment Classification are applied to Investments and appropriate provisions are made in respect of non performing securities.

v) Profit/Loss on sale of any Investment in any category is taken to Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of Investments under 'Held to Maturity' category, the residual amount after taxes and amount transferred to statutory reserve is appropriated to Capital Reserve Account.

vi) Valuation of HFT and AFS portfolio is done on daily basis and depreciation if any is provided on monthly and quarterly basis respectively.

vii) In line with RBI Master Circular on "Prudential norms for classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks", bank has followed "Settlement date" accounting for recording purchase and sale of transactions in Investment book.

viii) In case of investment in Non-SLR securities, till the allotment of security in the Demat account, the amount of investment is shown under "Suspense Investment"

4.6 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

i) Hedge swaps: Interest rate swaps which hedges interest bearing asset or liability is accounted for on accrual basis

कम पर ली गई आस्ति या देयता के साथ विनिर्दिष्ट है।

सौदे समाप्त होने पर हुए लाभ या हानि को स्वैप की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो कम हो, उसके आधार पर लिया जाता है।

ii) व्यापारिक स्वैप व्यापारिक स्वैप लेन–देनों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और संबंधित परिवर्तनों को वित्तीय विवरणी में दर्ज किया जाता है।

5 अग्रिम /प्रावधान/वसूली

5.1 अग्रिमों को निष्पादनकारी/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए किए गए निवल प्रावधान तथा तकनीकी रुप से बट्टे खाते डाली गई राशि शामिल है।

5.3 निष्पादनकारी आस्तियों हेतु प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार "अन्य देयताए व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

5.4 गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और तत्पश्चात् ब्याज के प्रति विनियोजित किया गया है।

6 अचल परिसंपत्तियां का मूल्यह्रास तथा परिशोधन

6.1 परिसरों तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पर दिखाया गया है किंतु इसमें पुनर्मूल्यांकित परिसर शामिल नहीं है जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है । पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण हुए वृद्धिशील मूल्यह्रास को इसमें से घटाया गया है। स्थाई आस्तियों की लागत में खरीद की लागत तथा उनमें व्यय किए गए संबंधित खर्चे उनके उपयोग में लाने की समयावधि तक शामिल है।

6.2 परिसरों में भूमि और इमारत का मूल्य शामिल है।

6.3 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का निर्धारण स्ट्रेट लाइन पद्धति (एसएलएम) आधार पर किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई आस्तियों के उपयोगी जीवनावधि का विवरण निम्नानुसार दिया गया है :–

क्र.सं.	विवरण	उपयोगी जीवनावधि	मूल्यह्रास दर
क	परिसर	60 वर्ष	1.67%
ख	फर्नीचर व फिक्सचर(सेफ डिपॉजिट लॉकर सहित) कम्प्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	10 वर्ष	10%
ग	वाहन	5 वर्ष	20%
घ	कम्प्यूटर एवं एटीएम क. सर्वर, नेटवर्क उपकरण एवं ऑटोमेटेड टेलर मशीन (इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न रूप में सॉफ्टवेयर भी शामिल है)	5 वर्ष	20%
	ख. उपर्युक्त घ (क) में वर्णित कम्प्यूटरों के अलावा कम्प्यूटर (इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न रूप में सॉफ्टवेयर भी शामिल है)	3 वर्ष	33.33%
ङ	अस्थायी निर्माण	1 वर्ष	100%

except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swaps: Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

5. ADVANCES / PROVISIONS / RECOVERIES

5.1 Advances are classified as performing/ non-performing assets and provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by the RBI.

5.2 Advances are net of provisions and technical write-offs made for Non-Performing Assets (NPAs).

5.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions" in terms of RBI guidelines.

5.4 Recoveries in NPAs are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

6. FIXED ASSETS DEPRECIATION AND AMORTISATION

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from. Cost of fixed assets includes cost of purchase and relevant expenditure incurred thereon till the time it is put to use.

6.2 Premises include cost of land and building.

6.3 Depreciation on Fixed Asset is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of asset as given here under:-

S.no.	Particulars	Useful life	Depreciation rate
A	Premises	60 years	1.67%
B	Furniture & Fixtures(including Safe Deposit Lockers) other than Computers & ATMs	10 years	10%
C	Vehicles	5 years	20%
D	Computers and ATMs a) Servers, Network Equipments & Automated Teller Machines (including software forming an integral part of computer hardware)	5 years	20%
	b) Computers other than mentioned at D(a) above (including software forming an integral part of computer hardware)	3 years	33.33%
E	Temporary Erections	1 year	100%

टिप्पणी :–

1 ऐसे मामले, जहां लीजहोल्ड परिसरों की खरीद की गई है अथवा ऐसी लीजहोल्ड भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है जिसकी लीज अवधि 60 वर्ष से कम है, लीज अवधि को उपयोगी अवधि के रूप में लिया जाए तथा इसे टिप्पणी 6.5 एवं नीचे के अनुसार परिशोधित किया जाए।

2. ऐसे परिसरों के मामलों में जहां भूमि का मूल्य अलग से नहीं लिया गया है, वहां मूल्यह्रास का निर्धारण किया जाए अथवा परिसर की कुल जीवनावधि के अनुसार समग्र मूल्य पर परिशोधन किया जाए।

6.4 बिक्री / निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग 180 दिनों के लिए किया गया है तो अचल आस्तियों के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान मूल्यह्रास के लिए निर्धारित दर का 100% है और यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग 180 दिन से कम दिनों के लिए किया गया है तो मूल्यह्रास का प्रावधान मूल्यह्रास के लिए निर्धारित दर का 50% है।

6.5 पट्टाधारी भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे (नीचे पैरा 9 में संदर्भित के अलावा) की अवधि में एसएलएम आधार पर परिशोधित किया गया।

6.6 सभी प्रकार की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना के उदेश्य के लिए 1/–(एक रूपए) का अवशेष मूल्य लिया गया है।

6.7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, को सीधे लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन.देन

7.1 मौद्रिक आस्तियां और देयताएं, वित्त वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित की गई हैं और इससे हुए लाभ /हानि को राजस्व में लिया गया है।

7.2 आय तथा व्यय मदों को, लेन-देन की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।

7.3 वायदा विनिमय संविदाओं तथा बिलों को, वायदे की तारीख को प्रभावी विनिमय दर पर लिया गया है। बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं और बिलों का पुनर्मूल्यांकन फेडाई की दरों के अनुसार किया गया है और परिणामत: उनपर हुए लाभ /हानि को राजस्व में लिया गया है।

7.4 वित्त वर्ष के अंत में तुलन पत्र एक्सपोजर के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य देयताओं का उल्लेख फेडाई दरों पर किया गया है।

7.5 100% गैर–ह्रासित टीयर–। पूंजी के अंतर्गत पात्रता के अनुसार रुपया निधि को बढ़ाने के लिए उधार ली हुई विदेशी मुद्रा को कवर करने के लिए बचाव स्वैप के मामले में, मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा स्वैप को कवर करने के लिए प्रीमियम भुगतान परिशोधित है।

8 कर्मचारी हित

8.1 भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान है क्योंकि बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत अंशदान अदा करता है। बैंक का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तक समिति है। ये अंशदान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

8.2 उपदान तथा पेंशन देयता, परिभाषित लाभ दायित्व है और इसके लिए प्रावधान, वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है । इन योजनाओं का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और प्रबंध विभिन्न ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर लागू नई पेंशन योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्वनिर्धारित दर पर नियत अंशदान अदा करता है। बैंक का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान, लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

8.3 अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी का नकदीकरण, छुट्टी किराया रियायत तथा बीमारी की छुट्टी का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

8.4 अल्पावधि कर्मचारी लाभों को उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों, के लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में मान्यता दी गई हैं।

NOTE:-

1. In case where leasehold Premises is purchased or Building constructed on leasehold land having lease period less than 60 years, the period of lease is taken as useful life and is amortised as per Note 6.5 below.
2. In case of Premises where the value of land is not separable, the depreciation is being charged or amortisation is made on the composite value as per the useful life of Premises.

6.4 No depreciation is provided in the year of sale/disposal. Depreciation on additions to Fixed Assets during the financial year is provided at 100% of the prescribed rate of depreciation, if asset is put to use for 180 days or more during the financial year and at 50% of the prescribed rate of depreciation, if the asset is put to use for less than 180 days during the year.

6.5 Premium paid on leasehold land (other than those referred in para 9 given below) is amortised on SLM basis over the period of lease.

6.6 Residual value of Re.1 (Rupee one) is taken for the purpose of calculating depreciation on all types of fixed assets.

6.7 Computers Software not forming an integral part of Computer Hardware is charged directly to Profit and Loss account.

7. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

7.1 Monetary assets and liabilities are revalued at exchange rates advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the close of the financial year and the resultant gain/loss is taken to revenue.

7.2 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

7.3 Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue.

7.4 Foreign currency guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at FEDAI rates at the close of the financial year for the purpose of balance sheet exposure.

7.5 In case of Hedge swap to cover the foreign currency borrowing to raise Rupee fund as per eligibility under 100% of Un-impaired Tier-I capital, the premium paid to cover the foreign currency swap is amortised on monthly basis.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates .The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

8.2 Gratuity and pension liability are defined benefit obligation and are provided for on the basis of Actuarial Valuation made at the end of the financial year .The schemes are funded by the Bank and are managed by separate trusts. New Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.3 Other Employee benefits such as leave encashment leave fare concessions are provided for based on actuarial valuation.

8.4 Short term employee benefits are recognized as an expense in the profit and loss account of the year in which the related services are rendered.

9 लीज

लीज अवधि से अधिक परिचालन लीज पर आस्तियों के लिए किए जाने वाले पट्टे भुगतान को लाभ–हानि खाते मे व्यय के रूप मे दिखाया जाता है।

10 आय पर कर

10.1 आय कर व्यय चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) सहित, जहा भी लागू हो) और आस्थगित कर, दोनों की कुल राशि है।

10.2 चालू कर का निर्धारण, वर्ष की कर–योग्य आय के सबध मे देय कर की राशि पर किया गया है तथा तदनुसार कर का प्रावधान किया गया है।

10.3 समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं, जिनका प्रत्यावर्तन बाद की अवधि मे किया जा सकता हो, को तुलनपत्र की तारीख तक या बाद मे लागू होने वाली कर दरों और कर नियमो का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है। समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है यदि भविष्य मे ऐसी आस्तियों की वसूली होने की वास्तविक निश्चितता हो।

10.4 मैट ऋण को आस्ति के रूप में तभी मान्य किया जाता है जब एक सीमा तक इसके पक्ष में ठोस साक्ष्य हो कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान किया गया है।

11 आस्तियों की अनर्जकता

पुर्नमूल्याकित आस्तियों सहित अचल आस्तियो पर अनर्जक घाटे, यदि कोई हो, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकन मानक 28 - आस्तियो की अनर्जकता के अनुसार हिसाब मे लिए गए है और इन्हें लाभ-हानि खाते मे प्रभारित किया गया है।

12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

12.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकन मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताए और आकस्मिक आस्तिया" के अनुरूप बैंक ऐसे प्रावधानों को तभी मानता है जबकि पिछली घटना के परिणामत: इनका वर्तमान दायित्व हो । ऐसी संभावना है कि इन दायित्वो को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभो को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो।

12.2 वित्तीय विवरणियो मे आकस्मिक आस्तियो को नही लिया गया है क्योंकि इससे ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जिसकी कभी भी वसूली न हो सके।

13 प्रति शेयर अर्जन

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसरण में मूल तथा ह्रासित प्रति इक्विटी शेयर अर्जन की सूचना देता है। मूल अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना, निवल आय को आलोच्य अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है। ह्रासित अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरो की भारित औसत सख्या तथा आलोच्य अवधि के दौरान बकाया ह्रासित संभाव्य इक्विटी शेयर की संख्या का प्रयोग करके की गई है।

9. LEASES

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account over the lease term.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax (including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable) and deferred tax.

10.2 Current tax is determined as the amount of tax payable for the year and accordingly provision for tax is made.

10.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty of realisation of such assets in future.

10.4 MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and charged to Profit and Loss Account.

12. PROVISIONS,CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

12.1 In conformity with Accounting Standard 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

12.2 Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

13. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 "Earnings Per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period

अनुसूची- 18 लेखा टिप्पणियां

18.1 पूंजी

18.1.1 पूंजी अनुपात

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
i)	सामान्य इक्विटी टीयर–। पूंजी अनुपात	7.59%	8.52%
ii)	टीयर–। पूंजी अनुपात (%)	8.88%	9.10%
iii)	टीयर–।। पूंजी अनुपात (%)	2.76%	2.66%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (**सीआरएआर) (%)**	11.64%	11.76%
v)	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.38%	55.17%
vi)	वर्ष के दौरान जुटाए गए शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	300.00	178.40
vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर–1 पूंजी की राशि, जिसमें पीएनसीपीएस : शून्य पीडीआई: डिबेंचर के रूप में @ 10.95% की दर से जारी ₹1500 करोड़ राशि की बासेल III अनुपालक टीयर–1 बॉन्ड	1500.00	शून्य
viii)	जुटाए गई टीयर–2 पूंजी की राशि, जिसमें ऋण पूंजी लिखतः 9.05% वार्षिक की दर से डिबेंचर के रूप में जारी बासेल ।।। अनुपालक टीयर–2 बॉंड अधिमानी शेयर पूंजी लिखतः शून्य [शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)], आईपीडीआई जारी करके जुटाई गई राशि (₹करोड़ में)	1000.00	1000.00

18.1.2 शेयर पूंजी/शेयर आवेदन निधि

बैंक ने 30 मार्च, 2016 को ₹ 121.10 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य (प्रति शेयर प्रीमियम ₹111.10 सहित) पर प्राप्त ₹ 300 करोड़ शेयर आवेदन निधि में से दिनांक 06 मई, 2016 को ₹ 24.77 करोड़ राशि के ₹10 प्रति शेयर के 2,47,72,914 करोड़ इक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए।

18.1.3 टीयर II बॉन्ड

बैंक के पास निम्नलिखित टीयर–II बॉन्ड है:

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष के दौरान जुटाई गई	बॉन्ड प्रकार	राशि	दर (%)
2007-08	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ निम्न टीयर–II बॉन्ड। परिपक्वता : 23.04.2017	500.00	9.95
2008-09	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ उच्च टीयर–II बॉन्ड (क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद–12.02.2019) परिपक्वताः 12.02.2024	500.00	8.75

SCHEDULE 18 - Notes to Accounts

18.1 Capital

18.1.1 Capital Ratio

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio	7.59%	8.52%
ii)	Tier 1 Capital ratio (%)	8.88%	9.10%
iii)	Tier 2 Capital ratio (%)	2.76%	2.66%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.64%	11.76%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	58.38%	55.17%
vi)	Amount of equity capital including share premium raised during the year (₹ in Crore)	300.00	178.40
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which PNCPS: Nil PDI: Basel III compliant Tier 1 Bonds amounting to ₹1500 Crore issued in the nature of Debentures @ 10.95%.	1500.00	Nil
viii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument: Basel III Compliant Tier II Bonds issued in the nature of Debentures @ 9.05% p.a. Preference Share Capital Instruments: Nil [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)] Amount raised by issue of IPDI (₹ in Crore)	1000.00	1000.00

18.1.2 Share Capital/ Share Application Money

The Bank on 06th May, 2016 allotted 2,47,72,914 Crore equity shares of ₹ 10 each amounting to ₹ 24.77 Crore out of share application money of ₹ 300 Crore received on 30th March, 2016 at an issue price of ₹ 121.10 per share, including premium of ₹ 111.10 per share, to Government of India on preferential basis.

18.1.3 Tier II Bonds

The Bank has the following Tier-II Bonds:

(Amount in ₹ Crore)

Raised during the year	Type of Bonds	Amount	Rate (%)
2007-08	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds. Maturity: 23.04.2017	500.00	9.95
2008-09	Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds (with Call Option after 10 years-12.02.2019) Maturity: 12.02.2024	500.00	8.75

2010-11	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ उच्च टीयर–II बॉन्ड (क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद–20.09.2020) परिपक्वता: 20.09.2025	200.00	8.68
2012-13	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ निम्न टीयर–II बॉन्ड। परिपक्वता 30.11.2022	1025.00	8.93
2014-15	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल– III अनुपालक टीयर– II बॉन्ड। परिपक्वता: 27.10.2024	1000.00	9.20
2015-16	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल–III अनुपालक टीयर–II बॉन्ड। परिपक्वता: 26.10.2025	1000.00	8.34
2016-17	अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बासेल–III अनुपालक टीयर–II बॉन्ड (क्रय विकल्प 05 वर्ष के बाद–24.06.2021) परिपक्वता: 24.06.2026	1000.00	9.05

18.1.4 टीयर I बॉन्ड

बैंक के पास निम्नलिखित टीयर–I बॉन्ड हैं:

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष के दौरान जुटाई गई	बॉन्ड प्रकार	राशि	दर (%)
2009-10	स्थायी टीयर I बॉन्ड [अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, अप्रतिदेय, स्थायी बॉन्ड क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद (17.12.2019)]	300.00	9.10%
2010-11	स्थायी टीयर I बॉन्ड [अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, अप्रितदेय, स्थायी बॉन्ड क्रय विकल्प 10 वर्ष के बाद (17.09.2020)]	300.00	9.05%
2014-15	बासेल III नियामक अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड [अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, बासेल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखत (एटी1 बॉन्ड)] क्रय विकल्प 5 वर्ष के बाद (10.02.2020)]	500.00	9.48%
2016-17	बासेल III नियामक अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड [अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, बासेल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखत (एटी1 बॉन्ड)] क्रय विकल्प 5 वर्ष के बाद (16.09.2021)]	1000.00	10.95%
	बासेल III नियामक अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड [अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, बासेल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखत (एटी1 बॉन्ड)] क्रय विकल्प 5 वर्ष के बाद (30.09.2021)]	500.00	10.95%

2010-11	Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds (with Call Option after 10 years-20.09.2020) Maturity: 20.09.2025	200.00	8.68
2012-13	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds. Maturity: 30.11.2022	1025.00	8.93
2014-15	Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds. Maturity : 27.10.2024	1000.00	9.20
2015-16	Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds Maturity : 26.10.2025	1000.00	8.34
2016-17	Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III Compliant Tier-II Bonds (with Call Option after 5 years-24.06.2021) Maturity: 24.06.2026	1000.00	9.05

18.1.4 Tier I Bonds

The Bank has the following Tier I Bonds:

(Amount in ₹ Crore)

Raised during the year	Type of Bonds	Amount	Rate (%)
2009-10	Perpetual Tier I Bonds [Unsecured Non-convertible, Non-redeemable, Perpetual Bonds with Call Option after 10 years (17.12.2019)]	300.00	9.10%
2010-11	Perpetual Tier I Bonds [Unsecured Non-convertible, Non-redeemable, Perpetual Bonds with Call Option after 10 years(17.09.2020)]	300.00	9.05%
2014-15	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds [Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds)] with Call Option after 5 years (10.02.2020)]	500.00	9.48%
2016-17	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds [Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds) with Call Option after 5 years(16.09.2021)]	1000.00	10.95%
	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds [Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds) with Call Option after 5 years(30.09.2021)]	500.00	10.95%

18.2 विनिवेश

18.2.1 बैंक के निवेश पर मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधानों एवं निवेशों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.		मदें	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति
1.		विनिवेशों का मूल्य		
	i)	विनिवेशों का सकल मूल्य		
		क) भारत में	59480.62	66381.45
		ख) भारत से बाहर	-	-
	ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
		क) भारत में	251.35	147.16
		ख) भारत से बाहर	-	-
	iii)	विनिवेशों का निवल मूल्य		
		क) भारत में	59229.27	66234.29
		ख) भारत से बाहर	-	-
2.		विनिवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति किए गए प्रावधानों में उतार -चढ़ाव		
	(i)	अथ शेष	147.16	34.18
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	104.19	112.98
	(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	-	-
	(iv)	इति शेष#	251.35	147.16

* इसके अतिरिक्त, 2016–17 के दौरान विभिन्न प्रतिभूतियों के अंतर–पोर्टफोलियो अंतरण पर ₹6.04 करोड़ का मूल्यह्रास संबंधित प्रतिभूतियों के बही मूल्य में विनियोजित किया गया है।

#'गैर–निष्पादित निवेश तथा इक्विटी/अधिमानी शेयरों में निवेशों तथा अग्रिमों की पुनर्संरचना के अंतर्गत आबंटित बांड्स/डिबेंचर्स का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार मानक निवेश पोर्टफोलियो के साथ एमटीएम लाभ/(हानि) को जोड़े बिना अलग–से किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक को गैर–निष्पादित निवेशों पर ₹36.23 करोड़ की सीमा तक तथा अग्रिमों की पुनर्संरचना के अंतर्गत आबंटित निवशों पर ₹211.29 करोड़ का मूल्यह्रास दिखाना पड़ा है। (शेयरों में ₹ 197.43 करोड़ तथा ₹13.86 करोड़ बॉन्ड एवं डिबेंचर)

18.2.2 रेपो लेनदेन

अंकित मूल्य पर रेपो एवं रिवर्स रेपो तथा टर्म रेपो के अंतर्गत खरीदी गई एवं बेची गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:–

18.2 Investments

18.2.1 The detail of investments and the Movement of Provisions held towards Depreciation on Investments of the Bank are given below:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.		Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
(1)		Value of Investments		
	(i)	Gross Value of Investments		
		(a) In India	59480.62	66381.45
		(b) Outside India	-	-
	(ii)	Provisions for Depreciation		
		(a) In India	251.35	147.16
		(b) Outside India	-	-
	(iii)	Net Value of Investments		
		(a) In India	59229.27	66234.29
		(b) Outside India	-	-
(2)		Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i)	Opening balance	147.16	34.18
	(ii)	Add: Provisions made during the year*	104.19	112.98
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	-
	(iv)	Closing balance#	251.35	147.16

* Further, depreciation amounting to ₹ 6.04 Crore on inter-portfolio shifting of various securities during 2016-17, has been appropriated in Book Value of respective securities.

Valuation of Non-performing Investments and Investments made in Equity/ Preference shares & Bonds/Debentures allotted under restructuring of advances, is being done separately without clubbing MTM gain/(loss) with standard investment portfolio as per RBI directions. On account of this Bank has to provide depreciation to the extent of ₹ 36.23 Crore on Non-performing Investments and ₹ 211.29 Crore on Investments allotted under restructuring of advances (₹ 197.43 Crore on Shares & ₹ 13.86 Crore on Bonds & Debentures)

18.2.2 Repo Transactions

The details of securities sold and purchased under Repo and Reverse Repo and Term Repo at Face Value are given below:-

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया राशि	31 मार्च 2017 के अनुसार बकाया राशि
रेपो के तहत बेची गईं प्रतिभूतियां *	0.00 (0.00)	4500.00 (5618.08)	115.5644 (1602.97)	0.00 (2179.48)
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गईं प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	10150.00 (2444.00)	1827.956 (391.91)	5950.00 (1716.00)
iii. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iv. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां				
मार्किट रेपो के तहत बेची गईं प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
मार्किट रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गईं प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (10.00)	0.00 (4.60)	0.00 (0.00)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Minimum Outstanding During the Year	Maximum Outstanding During the Year	Daily Average Outstanding During the Year	Outstanding as on March 31, 2017
Securities Sold Under Repo*				
i. Government securities	0.00 (0.00)	4500.00 (5618.08)	115.5644 (1602.97)	0.00 (2179.48)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities Purchased under Reverse Repo				
i. Government securities	0.00 (0.00)	10150.00 (2444.00)	1827.956 (391.91)	5950.00 (1716.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities sold under Market Repo	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Market Reverse Repo	0.00 (0.00)	0.00 (10.00)	0.00 (4.60)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are for the previous year)

*चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तथा आरबीआई की मीयादी रेपो के अंतर्गत आने वाली रेपो सम्मिलित है।

* including Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF) and Term Repo of RBI.

18.2.3. गैर एसएलआर निवेश पोर्टफॉलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गम संरचना

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	निर्गम कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	"निवेश ग्रेड से कम" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर मूल्यांकित" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1953.55 (1501.80)	1505.68 (1148.20)	190.40 (0.00)	836.80 (334.22)	1445.71 (1145.40)
(ii)	वित्तीय संस्थान	2668.52 (2445.20)	181.90 (1110.99)	0.00 (0.00)	113.13 (150.81)	253.62 (1501.98)
(iii)	बैंक	876.42 (3076.54)	369.01 (432.40)	0.00 (0.00)	28.33 (32.56)	673.48 (2607.37)
(iv)	निजी कंपनियां	3227.66 (1560.51)	1570.46 (1182.09)	7.42 (53.88)	1320.41 (844.43)	1039.28 (504.37)
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)	0.00 (0.00)	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)
(vi)	अन्य #	748.92 (5023.99) ##	745.52 (5023.99)	0.00 (0.00)	280.73 (4755.87)##	643.58 (585.39) ##
(vii)	**कुल (i से vi)**	**9693.57 (13826.54) ##**	**4591.07 (9116.17)**	**197.82 (53.88)**	**2797.90** (6336.39) ##**	**4274.17*** (6563.01) ##**
(viii)	घटाएं:मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान	251.35 (147.16)	xxx	xxx	xxx	xxx
	कुल (vii-viii)	**9442.22* (13679.38)**	**4591.07 (9116.17)**	**197.82 (53.88)**	**2797.90** (6336.39) ##**	**4274.17*** (6563.01) ##**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

18.2.3. Non-SLR Investment Portfolio

Issuer composition of Non SLR investments

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
i)	PSUs	1953.55 (1501.80)	1505.68 (1148.20)	190.40 (0.00)	836.80 (334.22)	1445.71 (1145.40)
ii)	FIs	2668.52 (2445.20)	181.90 (1110.99)	0.00 (0.00)	113.13 (150.81)	253.62 (1501.98)
iii)	Banks	876.42 (3076.54)	369.01 (432.40)	0.00 (0.00)	28.33 (32.56)	673.48 (2607.37)
iv)	Private Corporates	3227.66 (1560.51)	1570.46 (1182.09)	7.42 (53.88)	1320.41 (844.43)	1039.28 (504.37)
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)	0.00 (0.00)	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)
vi)	Others#	748.92 (5023.99) ##	745.52 (5023.99)	0.00 (0.00)	280.73 (4755.87)##	643.58 (585.39) ##
vii)	**Total (i to vi)**	**9693.57 (13826.54) ##**	**4591.07 (9116.17)**	**197.82 (53.88)**	**2797.90** (6336.39) ##**	**4274.17*** (6563.01) ##**
viii)	Less: Provision held towards depreciation	251.35 (147.16)	xxx	xxx	xxx	xxx
	Total (vii-viii)	**9442.22* (13679.38)**	**4591.07 (9116.17)**	**197.82 (53.88)**	**2797.90** (6336.39) ##**	**4274.17*** (6563.01) ##**

(Figures in brackets are for the previous year)

टिप्पणियां: –

i. *कालम 3 के अंतर्गत कुल योग का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत सम्मिलित विनिधानों के योग के साथ होना चाहिए:

क). शेयर

ख). ऋणपत्र एवं बांड्स

ग). समनुषंगी/संयुक्त उपक्रम

घ). अन्य

ii. कालम सं. 4, 5, 6 व 7 में दी गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

iii. *अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों में ₹2797.90 करोड़ के कुल विनिवेश में से ₹ 2657.17 करोड़ छूट प्राप्त विनिवेश में हैं जिनमें ₹1195.60 करोड़ के ईक्विटी शेयर, ₹207.88 करोड़ की उद्यम निधि, ₹19.81 करोड़, की प्रतिभूति प्राप्ति(एसआर), ₹218.50 करोड. का संयुक्त उद्यम बीमा, ₹72.96 करोड के अपरिवर्तनीय डिबेंचर, ₹122.20 करोड के अधिमानी शेयर, ₹812.93 करोड के पीएसयू बांड्स तथा ₹7.29 करोड के विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

इसलिए अश्रेणीकृत विनिधान ₹140.73 करोड (₹49.17 करोड़ के अधिमानी शेयर और ₹84.92 करोड़ बाण्ड एवं डिबेंचर में तथा ₹6.64 करोड की प्रतिभूति रसीदों में) है।

iv.*** कुल ₹ 4274.17 करोड़ के विनिवेश में से ₹ 4215.00 करोड़ की असूचीबद्ध प्रतिभूतियां में सीडी ₹673.48 करोड़, सीपी ₹696.40 करोड़, छूट प्राप्त निवेश एनसीडी ₹76.59 करोड़ पीएसयू बाण्ड ₹1444.71 करोड़, जेवी ₹218.50 करोड, ₹207.88 करोड़ के वीसीएफ, ₹399.64 करोड़ के एसआर तथा ₹497.80 के शेयर शामिल हैं (₹375.60 करोड़ ईक्विटी शेयरों में तथा ₹122.20 करोड़ अधिमानी शेयरों में)

v. इसलिए असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में विनिवेश ₹59.17 करोड़ (₹49.17 करोड़ के अधिमानी शेयर तथा ₹10.00 के बॉन्ड एवं डिबेंचर) है।

अन्य विनिवेश में म्युचुअल फंड, वेंचर फंड, प्रतिभूति प्राप्ति, राज्य सरकार के विशेष बॉन्ड शामिल है।

18.2.4. गैर निष्पादनकारी विनिवेश

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति
(i) निवल विनिवेशों का निवल एनपीआई(%)	2.41%	0.19%
(ii) निवल एनपीआई की गतिविधि (सकल)		
(क) अथशेष	148.75	85.85
(ख) 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	889.93	82.28
(ग) उक्त अवधि के दौरान कमी	12.61	19.38
(घ) इति शेष	1026.07	148.75
(iii) निवल एनपीआई की गतिविधि		
(क) अथशेष	59.75	64.25
(ख) 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	659.68	12.28
(ग) उक्त अवधि के दौरान कमी	6.36	16.78
(घ) इति शेष	713.07	59.75

Notes: -

i. *Total under column 3 should tally with the total of investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet:

a) Shares
b) Debentures & Bonds
c) Subsidiaries/ Joint Ventures
d) Others

ii. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

iii. ** Out of total investment of ₹ 2797.90 Crore in Unrated securities, ₹ 2657.17 Crore is in exempted investment consisting of equity shares ₹ 1195.60 Crore, venture fund ₹ 207.88 Crore, Security Receipt (SR) ₹ 19.81 Crore, JV-INS ₹ 218.50 Crore, NCDs ₹ 72.96 Crore, Preference Shares ₹ 122.20 Crore, PSU bonds ₹ 812.93 Crore and Special Bonds ₹ 7.29 Crore.

Therefore, unrated investment is ₹ 140.73 Crore (₹ 49.17 Crore Preference Share, ₹ 84.92 Crore in Bonds & Debenture and ₹ 6.64 Crore in Security Receipts)

iv. *** Out of total investment in unlisted securities ₹ 4274.17 Crore, ₹ 4215.00 Crore includes exempted investments in CD ₹ 673.48 Crore, CP ₹ 696.40 Crore, NCDs ₹ 76.59 Crore, PSU Bonds ₹ 1444.71 Crore, JV ₹ 218.50 Crore, VCF ₹ 207.88 Crore, SR ₹399.64 Crore and Shares ₹ 497.80 Crore (₹ 375.60 Crore in Equity shares and ₹122.20 Crore in Preference Shares).

Hence, investment in unlisted securities is ₹ 59.17 Crore (₹ 49.17 Crore Preference Share & ₹ 10.00 Crore in Bonds & Debenture).

v. # Others include Investment in Mutual Fund, Venture Fund, Security Receipt, State Govt. Special Bonds.

18.2.4. Non performing Investments

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
(i) Net NPIs to Net Investments (%)	2.41%	0.19%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening Balance	148.75	85.85
b) Additions during the year since 1st April	889.93	82.28
c) Reductions during the above period	12.61	19.38
d) Closing Balance	1026.07	148.75
(iii) Movement of Net NPIs		
a) Opening Balance	59.75	64.25
b) Additions during the year since 1st April	659.68	12.28
c) Reductions during the above period	6.36	16.78
d) Closing Balance	713.07	59.75

(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों की गतिविधि		
(क) अथशेष	89.00	21.60
(ख) 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	230.25	70.00
(ग) उक्त अवधि के दौरान कमी	6.25	2.60
(घ) इति शेष	313.00	89.00

18.2.5 विनिवेशों का वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और लेखांकन नीति सं0 4 के अनुसार विनिवेश पोर्टफॉलियो को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति	31 मार्च, 2017 के अनुसार स्थिति				31 मार्च, 2016 के अनुसार स्थिति			
	एचटीएम	एचएफटी	एएफएस	कुल	एचटीएम	एचएफटी	एएफएस	कुल
सरकारी प्रतिभूतियां	34612.17	312.6	14862.13	49786.90	41839.05	0.00	10715.71	52554.76
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15
शेयर	30.66	0.76	1335.55	1366.97	30.66	0.56	929.32	960.54
डिबेंचर/ बॉण्ड	17.29	0.00	6018.41	6035.70	4348.60	0.00	3368.16	7716.76
अन्य– वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, यूटीआई, म्यूचुअल फंड आदि	92.15	0.00	1980.25	2072.40	117.39	0.00	4813.35	4930.74
अन्य (संयुक्त उद्यम - बीमा)	218.50	0.00	0.00	218.50	218.50	0.00	0.00	218.50
कुल	**34970.77**	**313.36**	**24196.49**	**59480.62**	**46554.20**	**0.56**	**19826.69**	**66381.45**

एचटीएम. परिवक्वता तक धारितए एचएफटी . ट्रेडिंग हेतु धारितए एएफएस . बिक्री हेतु उपलब्ध

i. परिवक्वता तक धारित श्रेणी के विनिवेशों के संबंध में,वर्ष के दौरान परिशोधित प्रीमियम राशि ₹91.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹81.44 करोड़) है और इसे अनुसूची 13 में 'विनिवेशों पर आय' में से कटौती के रूप में 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के तहत लिया गया है।

ii. **विनिवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान:**
31 मार्च, 2017 के अनुसार 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग हेतु धारित' श्रेणियों के अंतर्गत विनिवेशों पर मूल्यह्रास हेतु ₹251.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹147.16 करोड़) का प्रावधान किया गया ।

iii. बैंक ने वर्ष के दौरान ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में ₹14792.18 करोड़ की प्रतिभूति अंतरित की (पिछले वर्ष यह ₹10907.64 करोड़ थी) और'' बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी से ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में ₹1388.413 करोड़ अंतरित (पिछले वर्ष ₹1946.83 करोड़ थी) किए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है। उपर्युक्त प्रतिभूतियों के अंतरण पर बाजार मूल्य पर

(iv) Movement of provisions for NPIs		
i. Opening Balance	89.00	21.60
ii. Additions during the year since 1st April	230.25	70.00
iii. Reductions during the above period	6.25	2.60
iv. Closing Balance	313.00	89.00

18.2.5 Categorization of Investments

In accordance with Reserve Bank of India guidelines and as stated in Accounting Policy No. 4, investment portfolio has been categorized as under:

(Amount in ₹ Crore)

Security	Position as on 31st March, 2017				Position as on 31st March, 2016			
	HTM	HFT	AFS	Total	HTM	HFT	AFS	Total
Govt. Securities	34612.17	312.6	14862.13	49786.90	41839.05	0.00	10715.71	52554.76
Other Approved Securities	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15
Shares	30.66	0.76	1335.55	1366.97	30.66	0.56	929.32	960.54
Debentures /Bonds	17.29	0.00	6018.41	6035.70	4348.60	0.00	3368.16	7716.76
Others- Commercial Paper, IVP, UTI, Mutual Funds etc.	92.15	0.00	1980.25	2072.40	117.39	0.00	4813.35	4930.74
Others (Jt. Venture – Insurance)	218.50	0.00	0.00	218.50	218.50	0.00	0.00	218.50
Total	**34970.77**	**313.36**	**24196.49**	**59480.62**	**46554.20**	**0.56**	**19826.69**	**66381.45**

HTM – Held to Maturity; HFT – Held for Trading; AFS – Available for Sale

i. In respect of investments under Held to Maturity category, the premium amount amortized during the year is ₹ 91.64 Crore (previous year ₹ 81.44 Crore) and the same has been accounted for in Schedule No.13 under the head 'Interest Earned' as deduction from 'Income on Investments'.

ii. Provision for Depreciation on Investments:

Provision for depreciation on investments under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories as on March 31, 2017, is ₹ 251.35 Crore (previous year ₹ 147.16 Crore).

iii. The Bank has transferred Securities amounting to ₹ 14792.18 Crore (Previous year ₹ 10907.64 Crore), from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category and ₹ 1388.413 Crore (Previous year 1946.83 Crore) from 'Available for Sale' to 'Held to Maturity' category during the year which is in accordance with RBI guidelines. The total

अंकित मूल्यह्रास ₹6.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.16 करोड़) था और उसे लाभ व हानि खाते में नामे डाला गया है।

iv. 31 मार्च, 2017 के अनुसार, जीवन बीमा कारोबार हेतु केनरा बैंक और एचएसबीसी के साथ "केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड" नाम एवं स्वरूप की संयुक्त उद्यम कम्पनी में पूंजी अंशदान में ₹218.50 करोड़ का निवेश किया गया जो बैंक द्वारा 23% का पूंजी अंशदान है। तथापि, पिछले वर्ष के साथ–साथ चालू वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं है।

बैंक द्वारा किए गए उक्त निवेश को संयुक्त उद्यमों में विनिवेश शीर्ष के तहत 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया है क्योंकि इसे संयुक्त उद्यम निवेश के रूप में धारित करने की मंशा है, यद्यपि यह धारिता भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित 25% से कम है। बैंक ने 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त कर ली है। प्रबंध वर्ग के मतानुसार आरंभिक घाटों के कारण उक्त विनिधानों के मूल्य का प्रभाव स्थायी स्वरूप का नहीं है इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

v. अग्रिमों की पुनर्संरचना से, अत्यधिक ब्याज की दरों से सूची से इतर तथा असूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर बनाए गए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिभूति की आईआरआर को ध्यान में रखते हुए भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संध (एफआईएमएमडीए) की मूल्यांकन पद्धति के द्वारा भिन्नकालिक मोचन अनुसूची, प्रीमियम पर मोचनीय का मूल्यांकन किया गया है।

18.2.6 भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. भा.रि.बैं./2015–2016/403 एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015–16 दिनांक 19 मई, 2016 के माध्यम से भा.रि.बैं. के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदनों (03 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी) एलएएफ के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के लिए बाजार प्रतिभागियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली लेखांकन मानदंडों में मार्केट रेपो लेनदेनों हेतु निर्धारित लेखांकन दिशानिर्देशों के साथ बाजार में एकरूपता अपनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 03 अक्टूबर, 2016 से सभी रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन उधार देने एवं उधारी लेनदेनों के रूप में अपेक्षित है।

भा.रि.बैं. के परिपत्र के अनुसार किए गए उपरोक्त उल्लिखित बदलावों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ₹2226.46 करोड़ की उधारी को बैंक ने रेपो खातों में वर्ष 2015–16 के लिए अधिशेषों को अनुसूची 4 (I) (i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार, अन्य संस्थानों की मांग मुद्रा तथा अल्प सूचना पर ₹1,650 करोड़ की राशि को बैंक ने अनुसूची 7(I)(ii) (बी) के अंतर्गत क्रमशः रिवर्स रेपो खातों में वर्ष 2015–16 के लिए अधिशेषों को वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, रेपो लेनदेनों पर 109.79 करोड़ की ब्याज व्यय राशि को अनुसूची 15 – II भा.रि.बैं. के अंतर्गत पुनः समूहित किया गया है, ब्याज जिसे अनुसूची 13 (ii) (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में निवेश पर आय) के अंतर्गत निकाला गया है। अग्रतर, अब अनुसूची 13

Mark to Market depreciation on shifting of above mentioned securities was ₹ 6.04 Crore (previous year ₹ 12.16 Crore), and the same has been debited to Profit and Loss Account.

iv. Investment towards capital contribution in Joint Venture Company for Life Insurance Business with Canara Bank and HSBC under the name and style of "Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited" as on 31st March, 2017 is ₹ 218.50 Crore, which amounts to 23% capital contribution by the Bank. Further there is no investment in the current year as well as in previous year.

The said investment made by the Bank has been classified under 'Held to Maturity' category under the head investment in joint ventures, as the intention is to hold as joint venture investment although the holding is less than 25% as required under RBI norms. The Bank has obtained permission of RBI to classify the same under HTM category. In the opinion of the management the impact in the value of the said investment on account of initial losses is not permanent in nature and hence no provision is considered necessary.

v. Unquoted and unrated NCDs created out of restructuring of advances, carrying ballooning rate of interest and staggered redemption schedule, redeemable at premium, have been valued using FIMMDA valuation methodology, as per RBI Guidelines, by taking into account the IRR of the security

18.2.6 Repo/Reverse Repo Transactions with RBI

RBI *vide* its circular no. RBI/2015-2016/403 FMRD.DIRD.10 /14.03.002/2015-16 dated 19th May, 2016 on "Repo/Reverse Repo Transactions with RBI" (effective from 3rd October 2016) has decided to align the accounting norms to be followed by market participants for repo/reverse repo transactions under LAF and the Marginal Standing Facility (MSF) of RBI with the accounting guidelines prescribed for market repo transactions. Accordingly, all repo/ reverse repo transactions are required to be accounted as lending and borrowing transactions with effect from 3rd October 2016.

In view of the above stated change as per the RBI circular, Bank has classified the balances for 2015-16 in Repo A/c under Schedule 4 (I)(i) Borrowing from Reserve Bank of India amounting to ₹ 2,226.46 Crore. Similarly, the balances for 2015-16 in Reverse Repo A/c is classified under Schedule 7 (I)(ii)(b) –Money at call and short notice with other institution amounting to ₹.1,650 Crore respectively.

In view of above circular, Interest expenditure on Repo transactions amounting to ₹. 109.79 Crore have been regrouped under Schedule 15.II- Interest on Reserve Bank of India which was being netted off under schedule 13 (ii)- Income on Investment

(iii) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो लेनदेनों पर ₹23.81 करोड़ की उपचित ब्याज राशि को निवेश पर आय के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा अंतर बैंक निधियों के साथ अधिशेषों पर ब्याज के निवेश पर आय से पुनः समूहित किया गया है

18.3 व्युत्पन्न

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान करेंसी फ्यूचर में कोई व्युत्पन्न लेनदेन नहीं किए हैं। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार करेंसी फ्यूचर में बकाया स्थिति शून्य है। करेंसी ऑपरेशन, ब्याज दर स्वैप / ओआईएस और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप में कोई लेन-देन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं में लेन देन किए गये और 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया वायदा संविदा ₹11944.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9895.15 करोड़) है। बैंक ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 571.84 करोड़ के (अनुमानिक मूलधन) ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) लेनदेन (पिछले वर्ष ₹634.60 करोड़) किए है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार आईआरएफ की बकाया स्थिति शून्य है।

18.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति
i) स्वैप व्यवस्थाओं का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है तो होने वाली हानि	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बुक का सही मूल्य	शून्य	शून्य

18.3.2 एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) 1) 759जीएस2026 2) 772जीएस2025 3) 788जीएस2030 4) 840जीएस2024	 359.28 212.56 0.00 0.00	 10.00 594.60 10.00 20.00
2.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि 31 मार्च 2017 को बकाया (लिखत-वार)	शून्य	शून्य

in year ending 31st March, 2016. Further Interest earned on Reverse Repo transaction with RBI amounting to ₹. 23.81 Crore has been now regrouped from income on investment to interest on balances with Reserve Bank of India and inter-bank funds under schedule 13 (iii).

18.3 Derivatives

The Bank has not undertaken any Derivative Transactions in Currency Futures in the Financial Year 2016-17. The outstanding position in Currency Future as on 31st March, 2017 is NIL. No transaction is undertaken in Currency Options, Interest Rate Swap/OIS and Credit Default Swap. Also, transactions under Foreign Exchange Forward Contracts have been undertaken on behalf of various clients and total outstanding Forward Contracts as on 31st March, 2017 is ₹ 11944.08 Crore (previous year ₹ 9895.15 Crore). The Bank has undertaken Interest Rate Futures (IRF) transactions amounting to ₹571.84 Crore (Notional Principal) during the Current Year (Previous Year 634.60). The outstanding position of IRF as on 31st March, 2017 is NIL.

18.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
i. The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v. The fair value of the swap book	NIL	NIL

18.3.2 Exchange Traded Interest rate derivatives

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
1.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) 1) 759GS2026 2) 772GS2025 3) 788GS2030 4) 840GS2024	 359.28 212.56 0.00 0.00	 10.00 594.60 10.00 20.00
2.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March, 2017. (instrument-wise)	NIL	NIL

3.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि–बकाया एवं "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
4.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर बकाया डेरिवेटिव्स जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है, का 'बाजार को अंकित मूल्य' (लिखत-वार)	शून्य	शून्य

18.4 व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटनः–

18.4.1 गुणात्मक प्रकटनः

i) ट्रेजरी विभाग में परिचालनों को तीन कार्यक्षेत्रों में बांटा गया अर्थात् फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस तथा बैक ऑफिस, जिनमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जिनके उत्तरदायित्व सुपरिभाषित हैं।

ii) बैंक की राजकोषीय नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों के प्रकारों, प्रयोग क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है । व्युत्पन्न लेनदेनों में ब्याज दर जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, बाजार जोखिम, मुद्रा जोखिम, निपटान जोखिम, खुली स्थिति जोखिम तथा परिचालनपरक जोखिम रहते हैं । राजकोषीय नीति में आंतरिक नियंत्रण सीमाओं जैसे क्रय–विक्रय की खुली स्थिति सीमाओं, सौदे की सीमाओं, हानि रोध सीमाओं, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग/बचाव के लिए सौदा प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके और व्युत्पन्न लेनदेनों से अधिक से अधिक आय हो सके।

iii) मिड ऑफिस व्यापारिक बहियों में लेनदेनों को मॉनिटर करता है और प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) स्थिति की गणना द्वारा व्यापारिक बही में दैनिक आधार पर लेनदेनों में वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है । मिड ऑफिस की निगरानी तथा नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।

iv) बैंक में अपने तुलनपत्र में लिए गए एक्सपोज़र के बचाव की नीति है । बैंक की राजकोषीय नीति में एक्सपोज़र के बचाव हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है । बचावकारी लेनदेनों को नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है।

v) बचावकारी व्यापारिक लेनदेन अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं । बचावकारी लेनदेनों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है । समस्त व्यापारिक संविदाएं बाजार को अंकित की जाती हैं तथा परिणामतः सकल हानि को विवेकसम्मत आधार पर लाभ की अनदेखी करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का ट्रेडिंग सदस्य है । बैंक करेंसी फ्यूचर्स/ आईआरए में स्वामित्व लेनदेन करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड तथा बैक ऑफिस परिचालनों लिए आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित की है, विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) तथा मार्जिन दायित्वों का निपटान एक्सचेंजों के साथ किया जाता है।

राजकोषीय नीति भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार तैयार की गई है

3.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective". (instrument-wise)	NIL	NIL
4.	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective". (instrument-wise)	NIL	NIL

18.4 Disclosures on risk exposure in Derivatives

18.4.1 Qualitative Disclosure

i) Operations in the Treasury Department are segregated into three functional areas, i.e. Front Office, Mid Office and Back Office equipped with necessary infrastructure and trained Officers, whose responsibilities are well defined.

ii) The Treasury Policy of the Bank clearly lays down the types of financial derivative instruments, scope of usage, approval process. Derivative transactions contain interest rate risk, counterparty risk, market risk, currency risk, settlement risk, open position risk and operational risk. Treasury Policy specifies the internal control limits like open position limits, deal size limits, stop-loss limits, deal initiating authority for trading/hedging in approved instruments to contain the risk and maximize return on the derivative transactions.

iii) The mid office monitors the transactions in the trading books and also measures the financial risks for the transactions in the trading book on a daily basis by way of calculating Mark to Market (MTM) of positions. The Mid Office is monitored and controlled by Risk Management Department.

iv) The Bank also has a policy for hedging its balance sheet exposures. The treasury policy of the Bank spells out the approval process for hedging the exposures.

v) The hedging/trading transactions are recorded separately. The hedge transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are marked to market and resultant gross loss is accounted for ignoring the gain on a prudence basis.

The Bank is Trading Member of National Stock Exchange (NSE). The Bank undertakes proprietary trading in currency futures/ IRF. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back Office operations, daily mark to market (MTM) and margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the regulators.

Treasury Policy has been drawn up in accordance with RBI guidelines.

18.4.2 मात्रात्मक प्रकटन:

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति		31 मार्च, 2016 की यथास्थिति	
	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
i) व्युत्पन्न (अनुमानित मूलधन)				
क) बचाव व्यवस्था हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों की स्थिति				
क) आस्तियां (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) देयताएं (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ऋण एक्सपोजर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
क) बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापारिक व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) वर्ष के दौरान देखा गया 100*पीवी01 अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभाव				
क) बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अधिकतम	शून्य	0.0670	शून्य	0.0132
न्यूनतम	शून्य	0.0630	शून्य	0.0002

18.5 आस्ति गुणवत्ता

18.5.1 क्षेत्रवार अग्रिम

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	इस क्षेत्र में कुल अग्रिम का सकल एनपीए :	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	इस क्षेत्र में कुल अग्रिम का सकल एनपीए:
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	24141.99	1615.53	6.69%	21580.14	1364.74	6.32%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	12485.34	1605.53	12.86%	12529.45	1196.68	9.55%
3	सेवाएं	13025.31	871.26	6.69%	14603.43	791.42	5.96%
4	वैयक्तिक ऋण	11500.69	306.97	2.67%	8187.89	206.01	3.18%
	उप–योग (क)	61153.33	4399.29	7.19%	56900.91	3558.85	6.25%

18.4.2 Quantitative Disclosure:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	For the Year ended 31st March, 2017		For the Year ended 31st March, 2016	
	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
i) Derivatives (Notional Principal Amount)				
a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Marked to market Positions				
a) Assets (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
b) Liabilities (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
iv) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		\		
a) On hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
b) On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
v) Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a) On hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b) On trading	NIL	NIL	NIL	NIL
Maximum	NIL	0.0670	NIL	0.0132
Minimum	NIL	0.0630	NIL	0.0002

18.5 Asset Quality

18.5.1 Sector-wise Advances

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Sector	Current year			Previous year		
		Out-standing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstand-ing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	24141.99	1615.53	6.69%	21580.14	1364.74	6.32%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12485.34	1605.53	12.86%	12529.45	1196.68	9.55%
3	Services	13025.31	871.26	6.69%	14603.43	791.42	5.96%
4	Personal loans	11500.69	306.97	2.67%	8187.89	206.01	3.18%
	Sub-total (A)	61153.33	4399.29	7.19%	56900.91	3558.85	6.25%

ख	गैर–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियां	2996.17	432.47	14.43%	3226.00	232.56	7.21%
2	उद्योग	35198.13	14698.41	41.76%	32638.05	8019.82	24.57%
	जिसमें से						
	क. वस्त्र	3630.88	1309.39	36.06%	4317.92	861.56	19.95%
	ख. लौह एवं इस्पात	9219.71	7363.60	79.87%	9090.59	4829.60	53.13%
	ग. खाद्य प्रसंस्करण	Nil	Nil	Nil	53.42	2.57	4.81%
3	सेवाएं	18242.63	1314.47	7.21%	20780.16	942.42	4.54%
4	वैयक्तिक ऋण	48847.60	2014.63	4.12%	40094.26	1948.13	3.20%
	उप–योग (ख)	105284.53	18459.98	17.53%	96738.47	11142.93	11.52%
	कुल (क+ख)	**166437.86**	**22859.27**	**13.73%**	**153639.38**	**14701.78**	**9.57%**

B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	2996.17	432.47	14.43%	3226.00	232.56	7.21%
2	Industry	35198.13	14698.41	41.76%	32638.05	8019.82	24.57%
	Out of which						
	a. Textile	3630.88	1309.39	36.06%	4317.92	861.56	19.95%
	b. Iron & Steel	9219.71	7363.60	79.87%	9090.59	4829.60	53.13%
	c. Food Processing	Nil	Nil	Nil	53.42	2.57	4.81%
3	Services	18242.63	1314.47	7.21%	20780.16	942.42	4.54%
4	Personal loans	48847.60	2014.63	4.12%	40094.26	1948.13	3.20%
	Sub-total (B)	105284.53	18459.98	17.53%	96738.47	11142.93	11.52%
	Total (A+B)	**166437.86**	**22859.27**	**13.73%**	**153639.38**	**14701.78**	**9.57%**

18.5.2 गैर निष्पादनकारी आस्तियां:

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के लिए	31 मार्च, 2016 के लिए
(i) निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए.(%)	8.96%	6.70%
(ii) एन.पी.ए. में उतार–चढ़ाव (सकल)		
क) अथ शेष	14701.78	7666.22
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	12222.30	10371.43
ग) वर्ष के दौरान कमी	4064.81	3335.87
घ) इति शेष	22859.27	14701.78
(iii) निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
क) अथ शेष	9932.15	4816.24
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	12222.30	10371.43
ग) वर्ष के दौरान कमी	8036.62	5255.52
घ) इति शेष	14117.83	9932.15
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान में उतार- चढ़ाव (स्तरीय आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
क) अथ शेष	4759.88	2778.33
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	6284.21	3649.15
ग) अधिक प्रावधान का बट्टे खाते/राइट बैक	2308.32	1667.60
घ) इति शेष	8735.77	4759.88

(एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों में उतार–चढ़ाव में, बैंक द्वारा एन.पी.ए. पोर्टफोलियो के मद में दिनांक 31.03.2017 को ₹24.12 करोड़ अस्थायी प्रावधान का प्रभाव शामिल है।)

31 मार्च, 2017 को बैक का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 53. 61% (31 मार्च, 2016 को 51.16%) है जिसकी गणना बैंक द्वारा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई कुल राशि को हिसाब में लेकर की गई।

18.5.2 Non-Performing Assets

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	8.96%	6.70%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
1. Opening balance	14701.78	7666.22
2. Additions during the year	12222.30	10371.43
3. Reductions during the year	4064.81	3335.87
4. Closing balance	22859.27	14701.78
(iii) Movement of Net NPAs		
1. Opening balance	9932.15	4816.24
2. Additions during the year	12222.30	10371.43
3. Reductions during the year	8036.62	5255.52
4. Closing balance	14117.83	9932.15
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
1. Opening balance	4759.88	2778.33
2. Provisions made during the year	6284.21	3649.15
3. Write-off/ write-back of excess provisions	2308.32	1667.60
4. Closing balance	8735.77	4759.88

(The movement of Provision for NPAs as on 31st March, 2017 includes the effect of floating provision of ₹ 24.12 Crore made by the Bank towards NPA portfolio.)

The provisioning coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March, 2017 is 53.61% (As on 31st Mar, 2016 51.16%), which is calculated taking into account the total technical write offs.

18.5.3 परिसंपत्ति वर्गीकरण में विचलन एवं एनपीए हेतु प्रावधान

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	10371.43
2.	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए	11721.13
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	1349.70
4.	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	10371.43
5.	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए	11721.13
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	1349.70
7.	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एनपीए के लिए प्रावधान	3649.15
8.	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान	4042.75
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7)	393.60
10.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए टैक्स(पैट)/(हानि) के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ	156.08
11.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानीकरण में विचलन को ध्यान में रखते हुए टैक्स(पैट) के बाद समायोजित (धारणीय) निवल लाभ/(हानि)	(237.52)

18.5.3 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	10371.43
2.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	11721.13
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	1349.70
4.	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	10371.43
5.	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	11721.13
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	1349.70
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	3649.15
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	4042.75
9.	Divergence in provisioning (8-7)	393.60
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) /(Loss) for the year ended March 31, 2016	156.08
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT)/ (Loss)for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	(237.52)

18.5.4 क्षेत्रवार एनपीए

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
1	कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियां	6.69	6.44
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहत)	33.02	20.41
3	सेवाएं	6.99	4.90
4	वैयक्तिक ऋण	3.85	4.46

18.5.4 Sector-wise NPAs

(Amount in ₹ Crore)

S.No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
1	Agriculture & Allied activities	6.69	6.44
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	33.02	20.41
3	Services	6.99	4.90
4	Personal Loans	3.85	4.46

18.5.5 एनपीए गतिविधिः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
1	01 अप्रैल, 2016 की यथास्थिति के अनुसार सकल एनपीए* (अथ शेष)	14701.78	7666.22
2	वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	12222.30	10371.43
	उप–योग (क)	**26924.08**	**18037.65**
	घटाएं		
(i)	अपग्रेडेशन	408.21	519.62
(ii)	वसूली (अपग्रेडेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर)	1348.28	1148.65
(iii)	तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते**	2158.68	1328.71
(iv)	उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे पर डाले गए खाते	149.64	338.99
उप–योग(ख)		**4064.81**	**3335.87**
31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार सकल एनपीए–इति शेष (क) में से घटाएं (ख)		**22859.27**	**14701.78**

18.5.5 Movement of NPAs:

(Amount in ₹ Crore)

S.no.	Sector	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
1	Gross NPAs*as on 01st April 2016 (Opening balance)	14701.78	7666.22
2	Additions (fresh NPAs) during the year	12222.30	10371.43
	Sub-Total (A)	**26924.08**	**18037.65**
	Less:		
(i)	Up gradations	408.21	519.62
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	1348.28	1148.65
(iii)	Technical/Prudential write offs**	2158.68	1328.71
(iv)	Write offs other than those under (iii) above	149.64	338.99
	Sub-Total (B)	**4064.81**	**3335.87**
	Gross NPA as on 31st March, 2017 - Closing balance – (A) less (B)	**22859.27**	**14701.78**

*डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.048/2009–10 दिनांक 24 सितंबर, 2009 के अनुबंध के मद 2 के अनुसार सकल एनपीए जिसमें सकल अग्रिम, निवल अग्रिम, सकल एनपीए एवं निवल एनपीए की गणना करने हेतु समरूप विधि के बारे में बताया गया है।

** तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे खातों की राशि गैर–निष्पादित ऋण है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है, लेकिन इन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खातों में (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) डाला गया है। (अग्रिमों के लिए प्रावधानन कवरेज पर डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.6421.04.048/2009–10 दिनांक 01 दिसंबर, 2009)

*Gross NPAs as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD. BP.BC.No.46/21.04.048/ 2009-10 dated 24th September, 2009 which specified a uniform method to compute Gross Advances, Net Advances, Gross NPAs and Net NPAs.

** Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the book of the branches, but have been written-off (fully or partially) at Head Office level. (DBOD No. BP.BC.6421.04.048/2009-10 dated 1st December, 2009 on Provisioning Coverage for Advances)

18.5.6 पुनःसंरचित खातों के विवरण

पुनःसंरचित खातों का प्रकटन																					
(राशि करोड़ ₹ में)																					
क्र.सं.	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर पद्धति के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनः संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →																					
	विवरण		स्तरीय	अव–स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल	स्तरीय	अव–स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल	स्तरीय	अव–स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल	स्तरीय	अव–स्तरीय	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 2017 के 1 अप्रैल को पुनःसंरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	ऋणियों की संख्या	36	13	24	0	73	215	22	130	0	367	28637	304	1024	4	29969	28888	339	1178	4	30409
		बकाया राशि	3752.77	1514.86	2400.64	-	7668.27	396.33	467.72	278.19	-	1142.24	7679.42	1910.49	646.33	365.99	10602.23	11828.52	3893.07	3325.16	365.99	19412.74
		किया गया प्रावधान	231.58	-	-	-	231.58	10.11	-	-	-	10.11	183.95	-	-	-	183.95	425.64	-	-	-	425.64
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	6061	1	1	-	6063	6070	1	1	0	6072
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	0.52	889.53	66.85	154.62	-	1111.00	890.05	66.85	154.62	-	1111.52
		किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	9.09	-	-	-	9.09	9.12	-	-	-	9.12
3	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पुनःसंरचित स्तरीय श्रेणी में उन्नयन	ऋणियों की संख्या	2	(2)	0	-	-	2	(2)	-	-	0	4	(4)	-	-	0	8	(8)	0	0	0
		बकाया राशि	103.89	(103.89)	0	-	-	46.74	(46.74)	-	-	0.00	83.07	(83.07)	-	-	0.00	233.70	(233.70)	-	-	-
		किया गया प्रावधान	0.57	(0.57)	0		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.57	(0.57)	-	-	-
4	पुनःसंरचित स्तरीय अग्रिम जिनपर उच्च प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत में उच्च प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार बंद कर दिया गया है अतः अगले वित्तीय वर्ष 2018 के आरंभ में इन्हें पुनःसंरचित स्तरीय अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं है।	ऋणियों की संख्या	(8)				(8.00)	(14)				(14)	(3828)				(3828)	(3850)				(3850)
		बकाया राशि	(409.40)				(409.40)	(36.09)				(36.09)	(544.30)				(544.30)	(989.79)				(989.79)
		किया गया प्रावधान	(5.56)				(5.56)	(0.96)				(0.96)	(7.21)				(7.21)	(13.73)				(13.73)

18.5.6 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts																					
(Amount in ₹ Crore)																					
Sl No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2016-17 (opening figures)*	No. of borrowers	36	13	24	0	73	215	22	130	0	367	28637	304	1024	4	29969	28888	339	1178	4	30409
		Amount outstanding	3752.77	1514.86	2400.64	-	7668.27	396.33	467.72	278.19	-	1142.24	7679.42	1910.49	646.33	365.99	10602.23	11828.52	3893.07	3325.16	365.99	19412.74
		Provision thereon	231.58	-	-	-	231.58	10.11	-	-	-	10.11	183.95	-	-	-	183.95	425.64	-	-	-	425.64
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	6,061	1	1	-	6063	6070	1	1	0	6072
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	0.52	889.53	66.85	154.62	-	1111.00	890.05	66.85	154.62	-	1111.52
		Provision thereon	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	9.09	-	-	-	9.09	9.12	-	-	-	9.12
3	Up gradations to restructured standard category during the FY 2016-17	No. of Borrower	2	(2)	0	-	-	2	(2)	-	-	0	4	(4)	-	-	0	8	(8)	0	0	0
		Amount Outstanding	103.89	(103.89)	0	-	-	46.74	(46.74)	-	-	0.00	83.07	(83.07)	-	-	0.00	233.70	(233.70)	-	-	-
		Provision thereon	0.57	(0.57)	0		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.57	(0.57)	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and or/ additional risk weight at the end of March 2017 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2018.	No. of Borrower	(8)				(8.00)	(14)				(14)	(3828)				(3828)	(3850)				(3850)
		Amount Outstanding	(409.40)				(409.40)	(36.09)				(36.09)	(544.30)				(544.30)	(989.79)				(989.79)
		Provision thereon	(5.56)				(5.56)	(0.96)				(0.96)	(7.21)				(7.21)	(13.73)				(13.73)

5	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पुनःसंरचित खातों का अवनयन**	ऋणियों की संख्या	(11)	(5)	16	-	-	(34)	33	1	0	0	(300)	284	16	0	0	(345)	312	33	0	0
		बकाया राशि	(1695.26)	(661.64)	2356.90	-	-	(132.88)	102.08	30.80	-	0.00	(2221.51)	832.65	1388.86	-	0.00	(4049.65)	273.09	3776.56	0	-
		किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0	-
6	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते**	ऋणियों की संख्या	(6)	-	(1)		(7)	(47)	(23)	(84)	0	(154)	7710	(192)	(780)	(3)	6735	7657	(215)	(865)	(3)	6574
		बकाया राशि	(347.89)	10.46	(209.55)		(546.98)	(86.77)	(473.95)	350.84	0	(209.88)	(1441.17)	(1699.91)	2014.15	(0.34)	(1127.27)	(1875.83)	(2163.40)	2155.44	(0.34)	(1884.13)
		किया गया प्रावधान	(203.07)	0.57			(202.50)	(7.57)	0	0	0	(7.57)	(128.00)	0	0		(128)	(338.64)	0.57	-	-	(338)
7	**31 मार्च 2017 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)**	ऋणियों की संख्या	13	6	39	0	58	131	30	47	0	208	38284	393	261	1	38939	38,428	429	347	1	39,205
		बकाया राशि	1404.11	759.79	4547.99	-	6711.89	187.85	49.11	659.83	-	896.79	4445.04	1027.01	4203.96	365.65	10041.66	6037.00	1835.91	9411.78	365.65	17650.34
		किया गया प्रावधान	23.52	0.00	0.00	-	23.52	1.61	0.00	0.00	-	1.61	57.83	0.00	0.00	-	57.83	82.96	-	-	0.00	82.96

5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of borrowers	-11	-5	16	-	-	-34	33	1	0	0	-300	284	16	0	0	-345	312	33	0	0
		Amount outstanding	(1695.26)	(661.64)	2356.90	-	-	(132.88)	102.08	30.80	-	0.00	(2221.51)	832.65	1388.86	-	0.00	(4049.65)	273.09	3776.56	0	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0	-
6	Write-offs of restructured of restruc-tured accounts during the FY2016-17	No. of borrowers	(6)	-	(1)		(7)	(47)	(23)	(84)	0	(154)	7710	(192)	(780)	(3)	6735	7657	(215)	(865)	(3)	6574
		Amount outstanding	(347.89)	10.46	(209.55)		(546.98)	(86.77)	(473.95)	350.84	0	(209.88)	(1441.17)	(1699.91)	2014.15	(0.34)	(1127.27)	(1875.83)	(2163.40)	2155.44	(0.34)	(1884.13)
		Provision thereon	(203.07)	0.57			(202.50)	(7.57)	0	0	0	(7.57)	(128.00)	0	0		(128)	(338.64)	0.57	-	-	(338)
7	Restructured Accounts as on 31st March 2017 (closing figures)	No. of borrowers	13	6	39	0	58	131	30	47	0	208	38284	393	261	1	38939	38,428	429	347	1	39205
		Amount outstanding	1404.11	759.79	4547.99	-	6711.89	187.85	49.11	659.83	-	896.79	4445.04	1027.01	4203.96	365.65	10041.66	6037.00	1835.91	9411.78	365.65	17650.34
		Provision thereon	23.52	0.00	0.00	-	23.52	1.61	0.00	0.00	-	1.61	57.83	0.00	0.00	-	57.83	82.96	-	-	0.00	82.96

18.5.7 तकनीकी रूप से बट्टे पर डाले गए खातों की गतिविधि एवं वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
01 अप्रैल, 2016 के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में अथ शेष	5636.15	4555.08
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में डाले गए	2158.68	1328.71
उप योग (क)	7794.83	5883.79
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में डाले गए खातों से वसूली (ख)	218.60	247.64
31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार इति शेष (क–ख)	**7576.23**	**5636.15**

18.5.8 प्रतिभूतीकरण/पुनः संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
(क)	खातों की संख्या	2	16
(ख)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	86.74	280.20
(ग)	कुल निवल प्रतिफल	143.50	306.08
(घ)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(ङ)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ हानि	56.76	25.88

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015–16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसरण में पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण आई कमी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 2 वर्षों की अवधि के भीतर परिशोधित किया जा रहा है। तदोपरांत, ₹26.88 करोड़ की राशि परिशोधित की गई है तथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है। 31.03.2017 को इन खातों में गैर–परिशोधित राशि ₹ 13.45 करोड़ है।

18.5.9 प्रतिभूति रसीदों में किए गए विनिवेश के बही मूल्य का विवरण

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
(i) बैंक द्वारा बेचे गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित	**399.64**	**332.62**
(ii) अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित	**0.00**	**0.00**
कुल	**399.64**	**332.62**

18.5.7 Movement of Technical Write-offs and the Recoveries

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 1st April, 2016	5636.15	4555.08
Add: Technical/ Prudential written-offs during the year	2158.68	1328.71
Sub Total (A)	7794.83	5883.79
Less: Recoveries made from previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	218.60	247.64
Closing Balance as on 31st March 2017 (A-B)	**7576.23**	**5636.15**

18.5.8 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st Mar, 2017	As on 31st Mar, 2016
i. No. of accounts	2	16
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	86.74	280.20
iii. Aggregate consideration	143.50	306.08
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v. Aggregate gain/(loss) over net book value	56.76	25.88

Pursuant to RBI circular no. DBR. NO.BP.BC.2/21.04.048/2015-16 dated 01st July, 2015, the shortfall on account of sale of assets to Reconstruction Companies during the Financial Year 2015-16 is being amortized over a period of 2 years. Consequently, ₹ 26.88 Crore has been amortized during the year ended 31st March, 2017 and charged to Profit & loss Account. The unamortized amount related to these accounts as on 31st March, 2017 is ₹ 13.45 Crore.

18.5.9 Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st Mar, 2017	As on 31st Mar, 2016
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	**399.64**	**332.62**
(ii) Backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-Banking financial companies as underlying	**0.00**	**0.00**
Total	**399.64**	**332.62**

18.5.10 प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का प्रकटनः

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण		बीते 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए प्रतिभूति रसीद	5 वर्ष से अधिक पहले परंतु 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए प्रतिभूति रसीद	8 वर्ष से अधिक पूर्व जारी किए गए प्रतिभूति रसीद
(i)	बैंक द्वारा बेची गई मूल एनपीए समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	395.81	शून्य	3.83
	(i) के तहत किया गया प्रावधान	शून्य	शून्य	3.83
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई मूल एन पी ए समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) के तहत किया गया प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i) + (ii)		395.81	शून्य	शून्य

18.5.11 खरीदी/बेची गई गैर.निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

(क) खरीदी गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरणः

(राशि ₹करोड़ में)

क्र सं.		विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
1	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

(ख) बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरणः

(राशि ₹करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	कुल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

18.5.12 स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधानः

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान /(किया जा चुका है)	(118.22)	(1.80)

बैंक द्वारा धारित स्तरीय आस्तियों के लिए किया गया संचित प्रावधान सहित, जो वर्ष की समाप्ति पर ₹945.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1064 करोड़) है, को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के तहत शामिल किया गया है।

18.5.10 Disclosures of investments in security receipts:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	395.81	Nil	3.83
	Provision held against (i)	Nil	Nil	3.83
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-Banking financial companies as underlying	Nil	Nil	Nil
	Provision held against (ii)	Nil	Nil	Nil
Total (i) + (ii)		395.81	Nil	Nil

18.5.11 Details of non-performing financial assets purchased/sold

a) Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
1. (a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

b) Details of non-performing financial assets sold:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
1. No. of accounts sold	NIL	NIL
2. Aggregate outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate consideration received	NIL	NIL

18.5.12 Provisions on Standard Assets:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Provisions towards Standard Assets/(released)	(118.22)	(1.80)

The cumulative provision towards Standard Assets including held by the Bank as at the year-end amounting to ₹ 945.78 Crore (previous year ₹ 1064 Crore) is included under Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

18.5.13 कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
1.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	7.66%	8.78%
2.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय	1.15%	0.77%
3.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ/(हानि)	1.73%	1.61%
4.	आस्तियों पर आय	(0.46%)	0.07%
5.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम) (लाख रु. में)	1789.98	1688.73
6.	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (₹लाख में)	(5.08)	0.73

18.5.13 Business Ratios

Sr. No	Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.66%	8.78%
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.15%	0.77%
iii)	Operating Profit/(Loss) as a percentage to Working Funds	1.73%	1.61%
iv)	Return on Assets	(0.46%)	0.07%
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Lac)	1789.98	1688.73
vi)	Profit /(Loss) per employee (₹ in Lac)	(5.08)	0.73

18.5.14 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण			31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या			शून्य	
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल राशि				
3.	तुलन–पत्र की तारीख को बैंक द्वारा एमआरआर के अनुसरण में रखी गई एक्सपोजर की कुल राशि				
	क)	**ऑफ तुलन–पत्र एक्सपोजर**			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
	ख)	**ऑन–तुलन पत्र एक्सपोजर**			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों में एक्सपोजर राशि				
	क)	**ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर**			
		1)	**स्व–प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर**		
			प्रथम हानि		
			हानि		
		2)	**तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर**		
			प्रथम हानि		
			हानि		
			अन्य		
	ख)	**ऑन–तुलन पत्र एक्सपोजर**			
		1)	**स्व–प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर**		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		2)	**तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर**		
			प्रथम हानि		
			अन्य		

18.5.14 Disclosures relating to Securitisation

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars			As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
1.	No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions			NIL	
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank				
3.	Total amount of exposures retained by the Bank to comply with MRR as on the date of balance sheet				
	a)	Off balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
	b)	On-balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR				
	a)	Off balance sheet exposures			
		1)	Exposure to own securitizations		
			First loss		
			Loss		
		2)	Exposure to third party securitisations		
			First loss		
			Others		
	b)	On balance sheet exposures			
		1)	Exposure to own securitisations		
			First loss		
			Others		
		2)	Exposure to third party securitisations		
			First loss		
			Others		

18.5.15 31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय अवसंरचना के लिए योजना प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या जहां एस4ए आवेदन किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	**1**	**47.66**	**24.75**	**22.91**	**9.53**

18.5.15 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31st March 2017

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	**1**	**47.66**	**24.75**	**22.91**	**9.53**

एनपीए के रूप में वर्गीकृत	शून्य	-	-	-	-

18.5.16 मौजूदा ऋणों की लचीली अवसंरचना का प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली अवसंरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की सं.	लचीली अवसंरचना के लिए ली गई ऋण राशि		लचीली अवसंरचना के लिए लिए गए ऋणों की अवधि पर औसत भारित एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	आवेदन के पूर्व लचीली अवसंरचना	आवेदन के बाद लचीली अवसंरचना
पिछला वित्तीय वर्ष –2015-16	8	704.08	1300.00	77.36 माह	254.95 माह
चालू वित्तीय वर्ष -2016-17	2	77.14	0	109.41 माह	233.89 माह

18.5.17 नीतिगत ऋण अवसंरचित योजना का प्रकटन (वर्तमान में जो खाते अवरोधित अवधि में है)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर इन्वोक्ड किया गया है	रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि वैसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्जन लंबित है।		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि वैसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्जन किया गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
14	1695.12	शून्य	539.40	शून्य	1155.72	शून्य

18.5.18 एसडीआर योजना से अलग स्वामित्व बदलाव में प्रकटन (वर्तमान में जो खाते अवरोधित अवधि में है)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिसमें बैंक ने स्वामित्व में बदलाव को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि वैसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्ज/ इक्विटी शेयरों का गिरवी लागू करना लंबित है।		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि वैसे खातों के संबंध में जहां ऋण से इक्विटी में कन्वर्ज/ इक्विटी शेयरों का गिरवी लागू किया गया है।		रिपोर्टिंग तिथि की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि वैसे खातों के संबंध में जहां स्वामित्व में बदलाव नए शेयर या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के जरिए लागू किया गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
1	38.79	-	38.79	-	-	-	-	-

18.5.19 क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में बदलाव का प्रकटन (वर्तमान में जो खाते अवरोधित अवधि में है)

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में बदलाव को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अवसंरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य			

Classified as NPA	**Nil**	-	-	-	-

18.5.16 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(Amount in ₹ Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year- 2015-16	8	704.08	1300.00	77.36 Months	254.95 Months
Current Financial Year -2016-17	2	77.14	0	109.41 Months	233.89 Months

18.5.17 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
14	1695.12	Nil	539.40	Nil	1155.72	Nil

18.5.18 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where Bank has decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
1	38.79	-	38.79	-	-	-	-	-

18.5.19 Disclosures on Change in ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(Amount in ₹ Crore)

No. of project loan accounts where Bank has decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31st March, 2017		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil			

18.5.20 आस्ति– देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15- 30 दिन	31 दिन से 2 माह	2 माह से अधिक 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष तक	15 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियां	4,426.50	6,101.17	5,451.32	13,483.29	20,933.88	12,939.81	25,112.38	52,331.67	30,410.59	8,411.66	20,077.71	19,593.73	56.61	9.06	219,339.39
ऋण एवं अग्रिम	4907.58	1832.90	1500.30	6813.00	5840.44	8340.23	23213.87	12156.36	26747.15	28650.11	26413.63	8117.70	7847.42	4057.15	166,437.85
निवेश	0.00	1222.54	0.00	147.72	0.00	508.57	205.67	464.31	9584.05	9433.72	10954.91	16741.00	5597.55	4620.58	59,480.62
उधार	6321.72	0.00	64.85	500.00	129.69	129.71	0.00	71.93	1326.55	2022.74	1025.00	3000.00	0.00	0.00	14,592.19
विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,138.04	1,198.79	47.07	395.82	738.10	1,975.74	1,703.92	1,159.63	40.93	72.10	-	-	-	-	8,470.15
विदेशी मुद्रा देयताएं	360.21	2,089.80	128.87	912.76	728.84	1,392.20	1,262.13	1,196.94	347.60	34.90	-	-	-	-	8,454.26

18.6 एक्सपोज़र

18.6.1 अचल संपत्ति क्षेत्र को एक्सपोज़र

(राशि ₹करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
क) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
i. आवासीय बंधक :	11215.86	11063.07
उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाने वाली अथवा किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत ऋण		
ii. वाणिज्यिक अचल संपत्तिः वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, कई किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडार गृह स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण । इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ)सीमाएं भी शामिल हैं ।	9789.09	10248.36
iii. बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण क) आवासीय ख) वाणिज्यिक अचल संपत्ति	0	0
(ख) **अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र** राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि- आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	10568.97	4610.32
अचल संपत्ति क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र	**31573.92**	**25921.75**

18.6.2 पूंजी बाजार को एक्सपोज़र

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी आधारभूत निधि का विशिष्ट निवेश कारपोरेट ऋणों में नहीं किया गया है।	597.39	380.66
ii. शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम ।	0.03	0.08
iii. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	0.80	0.81
iv. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जो शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों की सम्पार्श्विक प्रतिभूति की सीमा तक प्रतिभूत हों अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा अग्रिम पूरी तरह कवर न हो।	0.56	207.65
v. शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां ।	58.25	80.14
vi. कारपोरेटों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कम्पनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान वहन करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
vii. प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
viii. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
ix. मार्जिन ट्रेडिंग हेतु शेयर दलालों को दिया गया वित्त ।	0.00	0.00
x. जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए कुल एक्सपोज़र ।	235.54	297.80
अचल संपत्ति क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र	**892.57**	**967.14**

18.5.20 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(Amount in ₹ Crore)

Maturity Pattern	Day 1	2-7 days	8-14 Days	15-30 Days	31 days- 2 months	Over 2 months to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1year to 3 years	Over 3 yrs to 5 years	Over 5 years to 7 years	Over 7 years to 10 years	Over 10 years to 15 years	Over 15 years	Total
Deposits	4,426.50	6,101.17	5,451.32	13,483.29	20,933.88	12,939.81	25,112.38	52,331.67	30,410.59	8,411.66	20,077.71	19,593.73	56.61	9.06	219,339.39
Loans & Advances	4907.58	1832.90	1500.30	6813.00	5840.44	8340.23	23213.87	12156.36	26747.15	28650.11	26413.63	8117.70	7847.42	4057.15	166,437.85
Investments	0.00	1222.54	0.00	147.72	0.00	508.57	205.67	464.31	9584.05	9433.72	10954.91	16741.00	5597.55	4620.58	59,480.62
Borrowings	6321.72	0.00	64.85	500.00	129.69	129.71	0.00	71.93	1326.55	2022.74	1025.00	3000.00	0.00	0.00	14,592.19
Foreign Currency Assets	1,138.04	1,198.79	47.07	395.82	738.10	1,975.74	1,703.92	1,159.63	40.93	72.10	-	-	-	-	8,470.15
Foreign Currency Liabilities	360.21	2,089.80	128.87	912.76	728.84	1,392.20	1,262.13	1,196.94	347.60	34.90	-	-	-	-	8,454.26

18.6 Exposures

18.6.1 Exposure to Real Estate Sector:

(Amount in ₹ Crore)

Category	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages: Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	11215.86	11063.07
ii.) Commercial Real Estate: Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.), including non-fund based (NFB) limits.	9789.09	10248.36
iii.) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other Securitised Exposures: a) Residential b) Commercial Real Estate	0	0
b) Indirect Exposure	10568.97	4610.32
Fund Based and Non-fund Based Exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
Total Exposure to Real Estate Sector	**31573.92**	**25921.75**

18.6.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	597.39	380.66
(ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.03	0.08
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.80	0.81
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.56	207.65
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	58.25	80.14
(vi)	Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.00	0.00
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	All exposure to Venture Capital Funds(both registered & unregistered)	235.54	297.80
	Total Exposure to Capital Market	**892.57**	**967.14**

18.6.3 नीतिगत अवसंरचित ऋण (एसडीआर) योजना

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों में नीतिगत अवसंरचित ऋण (एसडीआर) लागू किया है तथा एसडीआर लागू करने के क्रम में शेयरों को अधिग्रहित किया है। अधिग्रहित शेयरों का विवरण निम्न रूप में है–

(राशि ₹करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	इक्विटी में परिवर्तित एक्सपोजर
1	ए.एम.डबल्यू. मोटर्स लिमिटेड	2.71
2	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड	22.61
3	मित्तल कॉरपोरेट लिमिटेड	13.54
4	एस्टर प्राईवेट लिमिटेड	1.97
5	एल एंड टी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	68.82
6	जय प्रकाश टावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड	87.00
7	चौमू महला टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	4.17

18.6.4 जोखिम श्रेणीवार देश एक्सपोज़र

(राशि ₹करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार एक्सपोजर(निवल)	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार एक्सपोजर(निवल)	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान
मामूली	1123.68	0.00	826.90	0.00
कम	444.65	0.00	544.06	0.00
सामान्य कम	27.85	0.00	70.63	0.00
सामान्य	23.01	0.00	16.55	0.00
सामान्य उच्च	5.67	0.00	1.11	0.00
उच्च	0.00	0.00	12.35	0.00
अत्यधिक उच्च	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1624.86**	**0.00**	**1471.61**	**0.00**

प्रत्येक देश के लिए जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोज़र हेतु बैंक के निवल निधिक ऋण के अनुसार 31मार्च, 2016 को बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम हैं तथा इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

18.6.5 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) के अतिक्रमण के विवरण:

(राशि ₹करोड़ में)

क्रं0सं0	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2017 को बकाया
शून्य				

18.6.6 बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण:

(राशि ₹करोड़ में)

क्रं0सं0	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2017 को बकाया
	शून्य			

18.6.7 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर में कुल राशि	460.00	218.50
शीर्ष 20 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर में कुल राशि	218.50	218.50

18.6.3 Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme

During the year, Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) as per RBI guidelines in the following companies and acquired shares pursuant to invocation of SDR. The details of shares acquired are as under -

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Name of the Company	Exposure Converted in Equity
1	AMW Motors Ltd.	2.71
2	Adhunik Power and Natural Resources Ltd	22.61
3	Mittal Corp Ltd	13.54
4	Aster Pvt Ltd	1.97
5	L & T Halol Shamlaji Tollway Ltd	68.82
6	Jai Prakash Power Venture Pvt Ltd	87.00
7	Chomu Mahla Toll Road Private Limited	4.17

18.6.4 Risk Category wise Country Exposure:

(Amount in ₹ Crore)

Risk Category	Exposure (net) as on 31st March, 2017	Provision held as on 31st March, 2017	Exposure (net) as on 31st March, 2016	Provision held as on 31st March, 2016
Insignificant	1123.68	0.00	826.90	0.00
Low	444.65	0.00	544.06	0.00
Moderately Low	27.85	0.00	70.63	0.00
Moderate	23.01	0.00	16.55	0.00
Moderately High	5.67	0.00	1.11	0.00
High	0.00	0.00	12.35	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1624.86**	**0.00**	**1471.61**	**0.00**

Bank's net funded exposure for risk category-wise country exposures for each country is less than 1% of Bank's total assets as on 31st March, 2016 and as such no provision is required in terms of RBI guidelines.

18.6.5 Details of Single Borrower Limit (SBL), exceeded by the Bank:

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31st March, 2017
NIL				

18.6.6 Details of Group Borrower Limit (GBL), exceeded by the Bank:

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31st March, 2017
NIL				

18.6.7 Intra-Group Exposure

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Total Amount of Intra Group Exposure	460.00	218.50
Total Amount of Top-20 intra group exposure	218.50	218.50

उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर में से इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.09%	0.10%
इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर में सीमाओं के उल्लंघन एवं उसके अंतर्गत नियामक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं

18.6.8 आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक के पास एसएमई सहित कॉरपोरेट आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रबंधन एवं निगरानी हेतु मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है। उपलब्ध आँकड़ों एवं वित्तीय विवरणियों तथा उधारकर्ताओं के घोषणा पत्र के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013–14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 एवं परिपत्र सं. डीबीओडी.सं– बीपी–बीसी.116/21.06.200/2013–14 दिनांक 3 जून, 2014 के अनुसार दिए गए तदनुरूपी स्पष्टीकरण के अनुसार अपने घटकों के आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर देयताओं को ₹ 25.81 करोड़ (31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार) आकलित किया है। 31 मार्च, 2017 को अरक्षित एक्सपोजर का बकाया प्रावधान ₹ 25.81 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 23.85 करोड़)

18.6.9 अग्रिम–मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत

अग्रिमों की ₹6054.87 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹4898.17 करोड़) सहित अनुसूची 9 के अनुसार मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत अग्रिम जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकारी का प्रभार ले लिया गया है

18.7 विविध प्रकटन

18.7.1 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई शास्तियों का प्रकटनः

वर्ष 2016–17 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत बैंक के ऊपर कोई भी शास्ति नही लगाई गई है।

18.7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं– डीबीआर– सं– बीपी.13018/21.04.048/2015–16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. 3992/21.04.048/2016–17 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार द्वारा प्राप्त खाद्य ऋण सुविधा के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को ₹ 627.46 करोड़ के मौजूदा बकाया का 15% यानि ₹94.12 करोड़ का प्रावधान रखा है।

18.7.3 ₹0.25 करोड़ की दो परिसरों के संबंध में (गत वर्ष ₹ 0.26 करोड़ के तीन परिसर), बैंक के पक्ष में पंजीकरण/बिक्री/हक विलेख लंबित है।

18.8 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन

18.8.1 लेखांकन मानक एएस-5–आलोच्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनः

अनुसूची 16 के अंतर्गत ''अन्य व्यय'' में शामिल अवधि पूर्व व्यय ₹0.61 करोड़ रु. (पिछले वर्ष ₹0.17 करोड़ रु.) है।

अवमूल्यन के संबंध में लेखांकन नीति में बदलाव के लिए, टिप्पणी सं. 18.8.2 देखें।

Percentage of intra group exposure to total exposure of the Bank on borrowers/customers	0.09%	0.10%
Detail of breach of limits on intra- group exposures and regulatory action thereon, if any.	NA	NA

18.6.8 Unhedged Foreign Currency Exposure

Bank has laid down Board approved policy for managing and monitoring Un-hedged Foreign Currency Exposure of corporate including SMEs. Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability of ₹ 25.81 Crore (as on 31st March, 2017) on unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. NO. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January, 2014 and subsequent clarification vide circular No. DBOD.No. BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June 2014. The outstanding provision on Unhedged Exposure as on 31st March, 2017 is ₹ 25.81 Crore. (Previous Year ₹ 23.85 Crore).

18.6.9 Advances- Secured by Tangible Assets

Advances-secured by tangible assets as per Schedule 9 include ₹ 6054.87 Crore (Previous Year ₹ 4898.17 Crore) being the amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken.

18.7 Miscellaneous Disclosures

18.7.1 Disclosure of Penalties imposed by RBI under Banking Regulation Act, 1949:

During the year 2016-17, no penalty has been imposed by the RBI on the Bank under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949.

18.7.2 In compliance of RBI letter No. DBR. No. BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016 and further in compliance with RBI letter No. 3992/21.04.048/2016-17, Bank has retained a provision of ₹ 94.12 Crore being 15 % of the existing outstanding of ₹ 627.46 Crore as on 31st March, 2017 under food credit availed by State Government of Punjab.

18.7.3 In respect of two premises costing ₹ 0.25 Crore (Previous year three premises ₹ 0.26 Crore), registration/sale/title deeds in favour of the Bank are pending.

18.8 Disclosure in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

18.8.1 Accounting Standard AS-5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies:

Prior period expenses included in "Other Expenditure" under Schedule 16 is ₹ 0.61 Crore (previous year ₹ 0.17 Crore).

For change in accounting policy in respect of depreciation, refer note No. 18.8.2.

18.8.2 लेखांकन मानक – एएस 6 – मूल्यह्रास लेखांकन

वर्ष हेतु आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्यह्रास का ब्रेकअप

(राशि ₹करोड़ में)

आस्ति श्रेणी	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
परिसर	(88.70)	16.74
अन्य अचल आस्तियां (वाहन सहित)	157.02	139.11
कुल	**68.32**	**155.85**

लेखांकन नीति में बदलाव का प्रभाव – स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास नीति

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार विधि को पूर्व में प्रयोग में लाए जा रहे डबल्यूडीवी प्रक्रिया की तुलना में स्ट्रैट लाइन विधि (एसएलएम) में बदल दिया गया है, जिसे प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनावधि के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति को अधिक उपयोगी बनाने हेतु किया जा रहा है। बैंक ने 180 दिनों या उससे अधिक के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के लिए पूँजीकरण को सामान्य दर के 100% पर तथा उस वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम का उपयोग करने पर कम्प्यूटरों एवं एटीएम पर 50% मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति अपनाई है, और बिक्री / निपटान के लिए वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, ₹116.59 करोड़ की पूर्व अवधि के मूल्यह्रास राशि को अतिरिक्त पाया गया है और इसे वापस ले लिया गया है तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है।

लेखांकन आकलन में बदलाव

वर्ष के दौरान, कुछ परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवनावधि में बदलाव किया गया है। सर्वर, हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरणों एवं ऑटोमैटेड टेलर मशीन (एटीएम) की उपयोगिता अवधि को बदलकर पांच वर्ष कर दिया गया है (पूर्व में निर्धारित तीन वर्ष की तुलना में) क्योंकि ये अब कम्प्यूटर का हिस्सा नहीं माने जाते हैं।

18.8.3 लेखांकन मानक – एएस 9 – राजस्व मान्यता:

लेखांकन नीति सं0 3.1 के अनुसार आय की कुछ मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण नकद आधार पर लिया गया है।

18.8.4 लेखांकन मानक –एएस 15 – कर्मचारी लाभ:

बैंक एएफ–15 (संशोधित 2005) कर्मचारी लाभ का अनुसरण कर रहा है। परिभाषित कर्मचारी अंशदान/लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैः

क) भविष्य निधि

बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक नियत अंशदान का भुगतान एक अलग न्यास को करता है, जो इन निधियों का निवेश अनुमोदित प्रतिभूतियों में करता है। इस कोश में आलोच्य अवधि के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक का दायित्व इस प्रकार के नियत अंशदान तक सीमित है।

ख) उपदान

बैंक में 01.01.1983 से पहले कार्यग्रहण करने वाले/बनने वाले अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और कर्मकारों के लिए एक परिभाषित उपदान लाभ योजना

18.8.2 Accounting Standard AS-6 – Depreciation Accounting

Breakup of Total Depreciation for the year for each class of assets

(Amount in ₹ Crore)

Class of Asset	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Premises	(88.70)	16.74
Other Fixed Assets (including vehicles)	157.02	139.11
Total	**68.32**	**155.85**

Effect of changes in Accounting Policies – Depreciation policy on Fixed Assets

During the year the method of charging depreciation on Fixed Assets has been changed to Straight Line Method (SLM), on the basis of useful life determined by management, as against WDV method being used hitherto. This is done to make more appropriate presentation of the financial statements. The Bank has also adopted to follow the policy of charging depreciation on Computers and ATM in the year of capitalisation at 100% of the normal rate for assets put to use for 180 days or more and at 50% of the normal rate for assets put to use for less than 180 days during that financial year, and that no depreciation is provided in the year of sale/disposal.

Consequent to the above change, depreciation of prior period amounting to ₹ 116.59 Crore has been found to be in excess and hence written back and credited to Profit and loss account for the year ended 31st March 2017.

Change in Accounting Estimates

During the year, useful life for some of the assets has been changed. The useful lives of Server, Hardware, Network equipment's and Automated Teller Machines (ATMs) have been changed to five years (as against three years determined earlier) because these are no longer considered to be part of computers.

18.8.3 Accounting Standard AS-9 – Revenue Recognition:

As per Accounting Policy No. 3.1, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

18.8.4 Accounting Standard AS-15 – Employee Benefits:

The Bank is following AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits'. The defined employee contribution/ benefit schemes are as under:-

a) Provident Fund

The Bank pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate Trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the profit & loss account. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution.

b) Gratuity

The Bank has defined benefit gratuity plans for Officers who have joined / became Officer before 01st January, 1983. Every Officer /

है । प्रत्येक अधिकारी/कर्मकार जिसने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है वह अधिवार्षिकी, त्यागपत्र देने, सेवा – समाप्ति, विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम 20 माह का उपदान पाने का पात्र है। इस योजना का निधीयन बैंक करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास करता है । इनके दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

ग) पेंशन

बैंक में एक परिभाषित पेंशन लाभ योजना है। यह योजना 29/09/1995 की स्थिति के अनुसार बैंक के उन वर्तमान कर्मचारियों पर, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है और तत्पश्चात 01 अप्रैल, 2010 के पूर्व परंतु इसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना की देखरेख एक अलग न्यास करता है और इसका दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

घ) चिकित्सा अवकाश

बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹6.45 करोड़ के प्रावधान को निकाल दिया है जो 31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार बकाया प्रावधान ₹73.19 करोड़ में से है।

ङ) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभों में कर्मचारियों और अश्रितों को उनके गृह नगर (होम टाऊन) में बसाना और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ये गैर निधिक हैं और इन्हें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना गया है।

लाभ एवं हानि खाता और तुलन पत्र में लिए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिक स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि ₹करोड़ में)

	मदें	निधिक				गैर–निधिक	
		ग्रेच्युटी		पेंशन		गैर–निधिक	
		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	परिभाषित लाभ बाध्यता में बदलाव						
	परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49
	(जोड़े) वेतन संशोधन खाते में विभिन्न भुगतान	0.00	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28
	अभिग्रहण समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान सेवा लागत	38.04	36.48	131.48	123.56	25.64	21.91
	ब्याज लागत	63.07	61.05	420.72	385.84	34.49	27.36
	गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीकांकिक हानि /लाभ	-1.21	11.44	291.35	218.33	49.35	124.06
	प्रदत्त लाभ	-68.38	-64.63	-194.43	-187.71	-74.48	-80.34
	परिभाशित लाभ बाध्यता इतिशेश	773.62	742.10	5598.76	4949.64	440.76	405.76

workman who have rendered continuous services of five years or more is eligible for Gratuity, subject to a maximum of 20 months on superannuation, resignation, termination, disablement or on death. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

c) Pension.

The Bank has a defined benefit pension scheme. The Scheme applies to existing employees of the Bank as on 29th September, 1995 who have opted for the pension scheme and to all the employees joining, thereafter but before 01st April, 2010. The scheme is managed by a separate Trust and the liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

d) Sick leave

The Bank has reversed the provision of ₹ 6.45 Crore towards sick leaves during the year ended 31st March, 2017 out of outstanding provision of ₹ 73.19 Crore as on 31st March, 2016.

e) Other Defined Retirement Benefits (ODRB)

Other Defined Retirement Benefits (ODRB) include leave encashment, settlement at home town for employees and dependents and post-retirement medical benefit for CMD & ED. These are unfunded and are recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of various defined benefits recognized in the profit and loss account and balance sheet along with the funded status are as under:

(Amount in ₹ Crore)

	Items	Funded				Unfunded	
		Gratuity		Pension		Leave Encashment	
		For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a)	**Changes in the Defined Benefit Obligation:**						
	Opening defined benefit obligation	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49
	(Add) difference paid on account of wage revision	0.00	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28
	Acquisition Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Current Service Cost	38.04	36.48	131.48	123.56	25.64	21.91
	Interest Cost	63.07	61.05	420.72	385.84	34.49	27.36
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actuarial loss/ (gain)	-1.21	11.44	291.35	218.33	49.35	124.06
	Benefits paid	-68.38	-64.63	-194.43	-187.71	-74.48	-80.34
	Closing defined benefit obligation	773.62	742.10	5598.76	4949.64	440.76	405.76

ख.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन						
	आस्तियों का उचित मूल्य अथशेश	727.52	648.66	4934.69	4294.68	लागु नहीं	
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय	64.53	58.37	437.70	386.52		
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.72	-3.98	-7.08	-0.87		
	नियोक्ता द्वारा अंशदान	49.73	89.10	426.88	442.08		
	प्रदत्त लाभ	-68.38	-64.63	-194.43	-187.71		
	परिशोधित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00		
	आस्तियों का उचित मूल्य इतिशेष	778.12	727.52	5597.76	4934.68		
ग.	**तुलनपत्र में ली गई राशि**						
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य – वर्ष के अंत में – **(i)**	773.62	742.10	5598.76	4949.64	440.76	405.76
	आस्तियों से भिन्न उचित मूल्य – वर्ष के अंत में – **(ii)**	778.12	727.52	5597.76	4934.68	0.00	0.00
	अंतर (ii) – (i)	4.49	-14.58	-1.00	-14.96	-440.76	-405.76
	तुलनपत्र में ली गई निवल (आस्ति /(देयता)	4.49	-14.58	-1.00	-14.96	-440.76	-405.76
घ.	**लाभ हानि खाते में लिया गया व्ययः**						
	वर्तमान सेवा लागत	38.04	36.48	131.48	123.56	25.64	21.91
	पिछली सेवा लागत/मान्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	परिभाषित लाभ बाध्यता पर ब्याज	63.07	61.05	420.72	385.84	34.49	27.37
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय	-64.53	-58.38	-437.70	-386.52	0.00	0.00
	चालू वर्ष में लिया गया निवल बीमांकिक घाटा/(लाभ)	-5.93	15.42	298.42	219.21	49.35	124.06
	लाभ–हानि खाते में लिया गया व्यय	30.65	54.58	412.92	342.09	109.48	173.34
ङ	**तुलनपत्र में ली गई देयता में उतार–चढ़ाव**						
	निवल देयता अथशेष	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49
	(जोड़े) वेतन संशोधन पर विभिन्न भुगतान	0.00	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28
	उपरोक्तानुसार व्यय	30.65	54.58	412.92	342.09	109.48	173.34
	प्रदत्त लाभ	-68.38	-64.63	-194.43	-187.71	-74.48	-80.34
	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय	69.25	54.39	430.63	385.64	0.00	0.00
	अर्जन समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल देयता/(आस्ति) इतिशेष	773.62	742.10	5598.76	4949.64	440.76	405.76

b)	**Changes in Fair value of Plan Assets:**						
	Opening fair value of Assets	727.52	648.66	4934.69	4294.68	N.A.	
	Expected return on plan assets	64.53	58.37	437.70	386.52		
	Actuarial (gain)/loss	4.72	-3.98	-7.08	-0.87		
	Contributions by employer	49.73	89.10	426.88	442.08		
	Benefits paid	-68.38	-64.63	-194.43	-187.71		
	Amount amortized	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Closing fair value of assets	778.12	727.52	5597.76	4934.68		
c)	**Amount recognised in the Balance Sheet:**						
	Present Value of Obligation - as at the year-end - (i)	773.62	742.10	5598.76	4949.64	440.76	405.76
	Fair value of the Assets - as at the year-end- (ii)	778.12	727.52	5597.76	4934.68	0.00	0.00
	Difference (ii) - (i)	4.49	-14.58	-1.00	-14.96	-440.76	-405.76
	Net asset/(liability) recognised in the Balance Sheet	4.49	-14.58	-1.00	-14.96	-440.76	-405.76
d)	**Expenses recognised in the Profit and Loss account::**						
	Current Service cost	38.04	36.48	131.48	123.56	25.64	21.91
	Past service cost/ recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interest on defined benefit obligation	63.07	61.05	420.72	385.84	34.49	27.37
	Expected return on plan assets	-64.53	-58.38	-437.70	-386.52	0.00	0.00
	Net actuarial loss/ (gain) recognised in the current year	-5.93	15.42	298.42	219.21	49.35	124.06
	Expenses recognised in the P&L a/c	30.65	54.58	412.92	342.09	109.48	173.34
e)	**Movements in the Liability recognised in the Balance Sheet**						
	Opening Net Liability	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49
	(Add) difference paid on account of wage revision	0.00	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28
	Expense as above	30.65	54.58	412.92	342.09	109.48	173.34
	Benefit paid	-68.38	-64.63	-194.43	-187.71	-74.48	-80.34
	Actual return on Plan asset	69.25	54.39	430.63	385.64	0.00	0.00
	Acquisition Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Closing Net liability/(asset)	773.62	742.10	5598.76	4949.64	440.76	405.76

च.	योजना आस्तियों के विवरण (विनिवेश)						
	सरकारी प्रतिभूतियां	180.48	195.50	2074.68	2002.81	N.A.	
	कॉरपोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	87.14	90.14	1133.95	1068.75		
	बैंकों में जमाराशियां	0.02	0.02	0.00	30.00		
	बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधियां	443.45	380.00	1912.97	1538.95		
	अन्य	7.25	18.00	129.00	69.00		
	कुल	**718.34**	**683.86**	**5250.60**	**4709.51**		
	उपर्युक्त में से ओबीसी बॉण्ड/ जमाराशियों में विनिवेश	45.20	59.20	13.00	58.00		

छ.	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं**						
	प्रयुक्त पद्धति	Projected Unit Credit		Projected Unit Credit			
	बट्टा दर (वार्षिक)	7.50%	8.50%	7.50%	8.50%	7.50%	8.50%
	योजना आस्तियों पर आय की अनुमानित दर (वार्षिक)	8.50%	8.87%	8.50%	8.87%	0.00%	0.00%
	भावी वेतन वृद्धि	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%

ज.	**अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ – गैर–निधिक**						
		Sick Leave		**Medical Aid**			
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16		
	परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष	73.19	69.27	2.35	2.18		
	वर्तमान सेवा लागत	4.06	3.99	0.09	0.04		
	ब्याज लागत	6.22	6.06	0.20	0.19		
	प्रदत्त लाभ	0.00	0.00	-0.12	-0.20		
	बीमांकिक हानि/लाभ	-16.73	-6.13	0.39	0.14		
	परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष	66.74	73.19	2.91	2.35		

झ.	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं**				
	बट्टा दर (वार्षिक)	7.50%	8.50%	7.50%	8.50%
	भावी वेतन वृद्धि	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%

f)	**Details of Plan Assets (Investments):**						
	Government Securities	180.48	195.50	2074.68	2002.81	N.A.	
	Corporate Bonds/ debentures	87.14	90.14	1133.95	1068.75		
	Deposit in Banks	0.02	0.02	0.00	30.00		
	Funds managed by Insurance Co.	443.45	380.00	1912.97	1538.95		
	Others	7.25	18.00	129.00	69.00		
	Total	**718.34**	**683.86**	**5250.60**	**4709.51**		
	Of the above, investment in OBC Bond/deposits	45.20	59.20	13.00	58.00		

g)	**Principal actuarial assumptions used:**						
	Method used	Projected Unit Credit		Projected Unit Credit			
	Discount rate (p.a.)	7.50%	8.50%	7.50%	8.50%	7.50%	8.50%
	Expected rate of return on plan assets (p.a.)	8.50%	8.87%	8.50%	8.87%	0.00%	0.00%
	Future Salary increase	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%

h)	**Other Long Term Employee Benefits – unfunded**						
		Sick Leave		**Medical Aid**			
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16		
	Opening defined benefit obligation	73.19	69.27	2.35	2.18		
	Current Service Cost	4.06	3.99	0.09	0.04		
	Interest Cost	6.22	6.06	0.20	0.19		
	Benefits paid	0.00	0.00	-0.12	-0.20		
	Actuarial loss/gain	-16.73	-6.13	0.39	0.14		
	Closing defined benefit obligation	66.74	73.19	2.91	2.35		

i)	**Principal actuarial assumptions used:**				
	Discount rate (p.a.)	7.50%	8.50%	7.50%	8.50%
	Future Salary increase	4.00%	5.00%	4.00%	5.00%

टिप्पणियां :

- बीमांकिक मूल्यांकन में ली गई भावी वेतन वृद्धि का अनुमान महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- आलोच्य वर्ष के दौरान छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹40.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹37.38 करोड़) तथा स्टाफ सैटलमेंट व्यय हेतु ₹3.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.15 करोड़) प्रावधान किया गया है जो बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार है ।
- पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों में ट्रस्ट द्वारा बैंक के अपने टीयर 2 बॉण्डों में निवेश की गई क्रमशः ₹13.00 करोड़ तथा ₹45. 20 करोड़ की राशियां शामिल हैं, जो पहले वर्श जारी किए गए थे तथा ट्रस्ट द्वारा समान नियम एवं शर्तों पर दिया गया अनुदान है।

Note:

- The estimated future salary increases considered in actuarial valuation, takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market.
- The provision for LFC is at ₹ 40.64 Crore (previous year ₹ 37.38 Crore) and Staff settlement expenses at ₹ 3.33 Crore (previous year ₹ 3.15 Crore) which are as per Actuarial Certificate.
- Plan Assets of the Pension & Gratuity fund include amount of ₹ 13.00 Crore and ₹ 45.20 Crore respectively invested by the trust in the Bank's own Tier 2 Bonds which were issued in earlier years and subscribed by trusts and others on same terms and conditions.

18-8-5 लेखांकन मानक – 17 : खण्डवार रिपोर्टिंग:

क) कारोबार खंड जो प्राथमिक खंड है, में निम्नलिखित शामिल हैं

- राजकोषीय परिचालन
- कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन

ख) भौगोलि केवल घरेलू परिचालन हैं।

- **राजकोषीय परिचालन** : राजकोषीय परिचालन में प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार परिचालन में लेनदेन शामिल है ।
- **कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग** : इनमें न्यासों, भागीदार फर्मों,कम्पनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग में शामिल नहीं किया गया।
- **रिटेल बैंकिंग** : व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, भागीदार फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि अथवा लघु कारोबार को ₹5.00 करोड़ तक का ऋण रिटेल बैंकिंग के तहत आता है। लघु कारोबार वह है जहां पिछले तीन वर्षों का वार्षिक पण्यावर्त (टर्नओवर) (मौजूदा कम्पनी के लिए वास्तविक और नई कम्पनी के लिए पूर्वानुमानित) ₹50 करोड़ से कम हो।
- अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालनः इनमें राजकोश, थोक बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग खण्डों में शामिल न किए गए अन्य सभी बैंकिंग परिचालन आते हैं। अन्य बैंकिंग कारोबार अवशिष्ट श्रेणी हैं।

ग) राजकोषीय परिचालनों से हुए खंड राजस्व को, राजकोषीय परिचालन में प्रयुक्त औसत अंतर–खण्डीय निधियों पर ब्याज के बाद दर्शाया गया है । ब्याज निधि लागत की दर पर प्रभारित किया गया है अर्थात् आलोच्य वर्ष हेतु औसत कार्यशील निधियों पर व्यय किए गए कुल ब्याज का प्रतिशत।

घ) व्यय, आस्ति एवं देयतायों का आबंटन–प्रधान कार्यालय / नियंत्रक कार्यालय में किए गए व्ययों को सीधे होलसेल एवं रिटेल बैंकिंग परिचालनों अथवा ट्रेजरी ऑपरेशन सेगमेंट में तद्नुसार आवंटित किया जाता है। व्यय को प्रत्येक सेगमेंट में छोड़े गए ब्याज (पुनरूसंरचित बकाए के आधार पर विभाजित) के प्रावधान को छोड़कर बकाए अग्रिम के अनुपात के आधार पर सीधे आबंटित किया जाता है तथा एफआईटीएल का प्रावधान एवं मानक पुनरूसंरचित एवं मानक अग्रिम(बकाए मानक पुनरूसंरचित अग्रिम के आधार पर विभाजित) किया गया है। बैंक के पास कुछ सामान्य संपत्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, और उक्त को 'अनाबंटित' के रूप में समझा जाएगा।

भाग क –कारोबार खंड

(राशि ₹करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोषीय		कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष '	चालू वर्ष	पिछले वर्ष '	चालू वर्ष	पिछले वर्ष '	चालू वर्ष	पिछले वर्ष '	चालू वर्ष	पिछले वर्ष '
राजस्व	6580.47	5505.04	11911.99	12888.84	6451.67	7510.83	429.47	259.71	25373.60	26164.42
परिणाम	1820.22	1012.86	-3943.27	-1134.25	226.63	222.41	128.65	119.03	-1767.77	220.05
कुल अनाबंटित आय में से अनाबंटित व्यय									-244.59	-105.79
परिचालन लाभ / (हानि)									-1523.18	325.84
आयकर									-429.11	169.76

18.8.5 Accounting Standard AS-17 – Segment Reporting:

a) The Business Segments, which is the Primary Segment include:

- Treasury Operations
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business Operations

b) The Geographical segments are recognized as the Secondary Segment. As the Bank is not carrying on any foreign operations, the only reportable geographical segment is of Domestic operations.

- **Treasury Operations:** Treasury operations consist of dealing in securities and Money Market Operations.
- **Corporate / Wholesale Banking:** Includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included under "Retail Banking"
- **Retail Banking:** The exposure up to ₹ 5.00 Crore to individual , HUF, Partnership firm ,Trust, Private Ltd. Companies, Public ltd. Companies , Co-operative societies etc. or to a small business is covered under retail Banking. Small business is one where average of last three years' annual turnover (Actual for existing & projected for new entities) is less than ₹ 50.00 Crore.
- **Other Banking business operations:** Includes all other Banking operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking Segments. Other Banking business is the residual category.

c) The segment revenue is shown after interest on average inter-segment funds used in Treasury Operations. The interest has been charged at the rate based on the movements in Cost of Funds i.e. percentage of total interest expended to average working funds for the year.

d) Allocation of Expenses, Assets and Liabilities Expenses incurred at Head office/ Controlling Office directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of outstanding advances in each segment except the provision for sacrifice interest (bifurcated on the basis of outstanding restructured advances) and provision for FITL & Standard restructured standard advances (bifurcated on the basis of outstanding standard restructured advances).The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

Part A- Business Segment

(Amount in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Pre-vious Year	Current Year	Previous Year
Revenue	6580.47	5505.04	11911.99	12888.84	6451.67	7510.83	429.47	259.71	25373.60	26164.42
Result	1820.22	1012.86	-3943.27	-1134.25	226.63	222.41	128.65	119.03	-1767.77	220.05
Un-allocable Expenditure net off un-allocable income									-244.59	-105.79
Operating Profit / (Loss)									-1523.18	325.84
Income Taxes									-429.11	169.76

असाधारण लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ / (हानि)									-1094.07	156.08
अन्य सूचना										
खण्ड आस्तियां	73819.28	68027.80	148916.05	150445.10	86133.22	82725.99	6423.17	2046.40	315291.72	303245.29
अनाबंटित आस्तियां									2960.75	2434.10
कुल आस्तियां									318252.47	305679.39
खण्ड देयताएं	73819.28	68027.80	148916.05	150445.10	86133.22	82725.99	6423.17	2046.40	315291.72	303245.29
अनाबंटित देयताएं									2960.75	2434.10
कुल देयताएं									318252.47	305679.39

18.8.6 लेखांकन मानक–एएस 18: संबंधित पार्टी प्रकटन

बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	नाम	संबंध	लेनदेन का स्वरूप	2016-17	2015-16
1	श्री अनिमेष चौहान	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	पारिश्रमिक	26.64	21.21
2	श्री राजकिरण राय जी.	कार्यकारी निदेशक	पारिश्रमिक	22.48	3.31
3	श्री हिमांशु जोशी	कार्यकारी निदेशक (09.08.2016 से)	पारिश्रमिक	13.96	---
4	श्री भूपिंदर नैयर	कार्यकारी निदेशक (30.06.2015 तक)	पारिश्रमिक	---	4.53
5	श्री सुरेश एन पटेल	कार्यकारी निदेशक (02.11.2015 तक)	पारिश्रमिक	---	10.54

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड–ज्वाइंट वेंचर । आईसीएआई द्वारा जारी किए पार्टी प्रकटीकरण संबंधित एएस –18 के उद्धरण 9 को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट वेंचर के साथ किए गए लेनदेनों का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि सरकार नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित सरकार नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन से संबंधित किसी प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है।

अग्रतर, एएस–18 के उद्धरण 5 के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों सहित बैंकर–ग्राहक संबंधों के स्वरूप में किए गए लेनदेनों का प्रकटन नहीं किया गया है।

18.8.7 लेखांकन मानक –एएस 19 – पट्टा :

बैंक ने ऐसी कोई वित्तीय लीज़, परिचालनपरक लीज़ जो मुख्यतः कार्यालय परिसरों से संबंधित होती हैं, नहीं की है, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरण योग्य हो।

Extraordinary Profit/ (Loss)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit/ (Loss)									-1094.07	156.08
Other Information:										
Segment Assets	73819.28	68027.80	148916.05	150445.10	86133.22	82725.99	6423.17	2046.40	315291.72	303245.29
Unallocated Assets									2960.75	2434.10
Total Assets									318252.47	305679.39
Segment Liabilities	73819.28	68027.80	148916.05	150445.10	86133.22	82725.99	6423.17	2046.40	315291.72	303245.29
Unallocated Liabilities									2960.75	2434.10
Total Liabilities									318252.47	305679.39

18.8.6 Accounting Standard AS-18 – Related Party disclosures:

Details pertaining to Related Party Transactions in respect of key managerial personnel of the Bank are as follows:-

(Amount in ₹ Lac)

S.No.	Name	Relationship	Nature of Transaction	2016-17	2015-16
1	Sh. Animesh Chauhan	Managing Director & CEO	Remuneration	26.64	21.21
2	Sh. Rajkiran Rai G.	Executive Director	Remuneration	22.48	3.31
3	Sh. Himanshu Joshi	Executive Director (from 09.08.2016)	Remuneration	13.96	---
4	Sh.Bhupinder Nayyar	Executive Director (upto 30.06.2015)	Remuneration	---	4.53
5	Sh. Suresh N Patel	Executive Director (upto 02.11.2015)	Remuneration	---	10.54

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited – Joint Venture. The transactions with joint venture have not been disclosed in view of para 9 of the AS -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises.

Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker- Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

18.8.7 Accounting Standard AS-19 – Leases:

The Bank has not entered into any transaction of Financial Lease. Operating lease primarily comprises of office premises, which are renewable at the option of the Bank.

18.8.8 लेखांकन मानक –एएस 20 – प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.)

क्रं. सं0	विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
i)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन (₹)	(31.82)	5.20
ii)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क)	असाधारण मदों के बाद और कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (₹करोड़)	(1094.07)	156.08
ख)	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	343794930	299966496
ग)	मूल प्रति शेयर अर्जन (क/ख)	(31.82)	5.20
घ)	प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य	10.00	10.00

18.8.9 लेखांकन मानक – 22 आय पर कर हेतु लेखांकन

i) चालू कर

क) कर योग्य हानियों को देखते हुए, बैंक को आयकर हेतु किसी प्रकार का प्रावधान करना अपेक्षित नहीं है। बैंक ने कानूनी राय के आधार पर, ₹ 177.96 करोड़ की कुल राशि को बट्टे पर लिया है जो कि बैंक के पक्ष में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णयित अपील अवधि के अतिरिक्त आयकर प्रावधान से संबंधित हैं।

ख) 31.03.2017 की यथास्थिति के अनुसार अनुसूची 12 – बैंक के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित देयताएं में विवादित कर मांग ₹1287.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2344.49 करोड़) बकाया है।

ग) अन्य आस्तियां {अनुसूची 11 (ii)} बैंक द्वारा अदा/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित किए विवादित आय कर सहित ₹2573.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2145.52 करोड़) तथा जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 61.53 करोड़ के संशोधित आय कर रिटर्न को उपयोग में लाने के बाद ₹ 136.89 करोड (पिछले वर्ष ₹ 198.42 करोड़) मैट ऋण पात्रता भी शामिल है। प्रावधान को उपर्युक्त विवादित मांग के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों/विधि परामर्शदाताओं की राय के आधार पर आवश्यक नहीं माना गया है।

घ) आयकर गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) जैसा कि 29 सितंबर, 2016 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के तहत अधिसूचित है, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कर प्रावधान एवं आस्थगित कर की गणना उनके प्रभावों पर विचार करने के बाद की गई है।

ii) आस्थगित कर

बैंक ने आस्थगित आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की है । आस्थगित आस्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण की प्रमुख मदें नीचे दी जा रही है:–

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
क)आस्थगित कर आस्तियां :		
छुट्टी नकदीकरण/छुट्टी किराया रियायत आदि के लिए प्रावधान	184.00	174.00
पूंजीकृत ब्याज (वित्त पोषित ब्याज) के लिए प्रावधान	152.00	269.00
आकस्मिकताओं के लिए अन्य प्रावधान	60.00	82.00
क का जोड़	**396.00**	**525.00**

18.8.8 Accounting Standard AS-20 - Earnings per Share (EPS):

S. No.	Particulars	As on 31st March 2017	As on 31st March 2016
i)	Basic/Diluted EPS (₹)	(31.82)	5.20
ii)	Calculation of Basic/Diluted EPS.		
a)	Net Profit /(Loss)EPS after Extraordinary Items and after Tax (₹ Crore)	(1094.07)	156.08
b)	Weighted Average No. of Equity Shares	343794930	299966496
c)	Basic Earning per Share (a/b) (₹)	(31.82)	5.20
d)	Nominal value per Share (₹)	10.00	10.00

18.8.9 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:

i. Current Tax

a) In view of taxable losses, the Bank is not required to make any provision for income tax. The Bank, based on legal opinion, has written back a sum of ₹ 177.96 Crore being excess provision of Income tax pertaining to the period up to which the appeals have been decided by the Appellate Authorities in favor of the Bank.

b) The disputed tax demands of ₹1287.03 Crore outstanding as on 31.03.2017 (previous year ₹ 2344.49 Crore) have been shown in Schedule No 12 – Contingent Liabilities under the head "Claims against the Bank not acknowledged as debt".

c) Other assets {Schedule 11 (ii)} include ₹ 2573.81Crore (previous year ₹ 2145.52 Crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank / adjusted by the authorities and also include MAT Credit Entitlement of ₹ 136.89 Crore (previous year ₹ 198.42 Crore) after utilizing ₹ 61.53 Crore by revising Income Tax return for Assessment year 2015-16. Provision is not considered necessary in respect of aforesaid disputed demands based on several judicial pronouncements / counsels opinions.

d) Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) as notified u/s 145(2) of the Income Tax Act, 1961 on 29th September, 2016 are applicable for financial year ended on 31st March 2017 and accordingly tax provisions and deferred tax for the financial year 2016-17 have been computed after considering their impact.

ii. Deferred Tax

The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities. The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	**As on 31st March, 2017**	**As on 31st March, 2016**
A. Deferred Tax Assets:		
Provision for Leave Encashment/LFC etc.	184.00	174.00
Provision for Interest Capitalized (Funded Interest)	152.00	269.00
Other Provisions for contingencies	60.00	82.00
Total of A	**396.00**	**525.00**

ख) आस्थगित कर देयताएं :		
विनियेशों पर प्रोद्भूत परन्तु अदेय ब्याज	(0.00)	(424.00)
अनुच्छेद 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	(549.00)	(549.00)
स्थाई आस्तियों का मूल्यह्रास	(61.00)	(18.00)
ख का जोड़	**(610.00)**	**(991.00)**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**(214.00)**	**(466.00)**

*वर्ष 2017–18 से आयकर गणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने उपचित ब्याज की पेशकश की परंतु 01 अप्रैल, 2016 को कर के लिए बकाया निवशों पर देय नहीं एवं तद्नुसार, समानुपातिक आस्थागित कर देयताओं को प्रत्यायोजित किया गया है।

18.8.10 लेखांकन मानक – 28 आस्तियों की अनर्जकता

बैंक की आस्तियों में मुख्यतः वित्तीय आस्तियां शामिल हैं जो एएस–28 'आस्तियों की अनर्जकता' के तहत नहीं आतीं। बैंक प्रबंधन के मतानुसार उक्त लेखांकन मानक के अनुसार इसकी गैर वित्तीय आस्तियों के मूल्य में कोई अनर्जकता नहीं है।

18.8.11 लेखांकन मानक – 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

उपर्युक्त वर्णित लेखों की अनुसूची 12 (खण्ड (i) और (vi)) में यथा उल्लिखित आकस्मिक देयताएं, अदालती मामलों के निष्कर्षों/विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष दायर अपीलों के निपटान/मध्यस्थता/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों का निपटान, तथा मांगी गई राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा मांग और मांग बढ़ाने, जैसा भी मामला हों, पर निर्भर हैं। उक्त अनुसूची के खंड (i) एवं (vi) के संबंध में कोई देयता संभावित नहीं है।

18.9 अतिरिक्त प्रकटन

18.9.1 इंश्योरेंस एवं अन्य त्रिपक्षीय उत्पाद के संबंध में शुल्क/प्राप्त कमीशनः–

(राशि ₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1	जीवन बीमा	16.43	11.46
2	सामान्य बीमा एवं मेडिक्लेम	8.71	8.72
3	सामाजिक सुरक्षा योजना – पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई	2.51	2.57
4	म्यूचुअल फंड	0.34	0.38
5	क्रेडिट कार्ड	1.08	0.80
6	**कुल**	**29.07**	**23.93**

18.9.2 अस्थायी प्रावधान

(राशि ₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शष	24.12	24.12
ख.	लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग.	लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कम की गई राशि	0.00	0.00
घ.	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	24.12	24.12

B. Deferred Tax Liabilities:		
Interest Accrued but not due on Investments*	(0.00)	(424.00)
Special Reserve under section 36(1)(viii)	(549.00)	(549.00)
Depreciation on fixed assets	(61.00)	(18.00)
Total of B	**(610.00)**	**(991.00)**
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	**(214.00)**	**(466.00)**

*In view of applicability of Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) w.e.f. AY 2017-18, the Bank has offered interest accrued but not due on investments outstanding on 01st April, 2016 for tax and accordingly, corresponding Deferred Tax Liability has been reversed.

18.8.10 Accounting Standard – 28 - Impairment of Assets:

The Bank's assets substantially comprise of financial assets, which are not covered by AS-28 'Impairment of Assets'. In the opinion of Bank's management there is no impairment in the value of its non-financial assets in terms of said Accounting Standard.

18.8.11 Accounting Standard – 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Contingent Liabilities as stated in schedule 12 [clause (i) and (vi)] to the accounts mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No liability is expected in respect of clause (i) and (vi) of the said schedule.

18.9 Additional Disclosures

18.9.1 Fee/Commission earned in respect of insurance and other third party products :-

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2017	For the Year ended 31st March, 2016
1	Life Insurance	16.43	11.46
2	General Insurance & Mediclaim	8.71	8.72
3	Social Security Schemes – PMJJBY & PMSBY	2.51	2.57
4	Mutual Funds	0.34	0.38
5	Credit Cards	1.08	0.80
6	**Total**	**29.07**	**23.93**

18.9.2 Floating provisions

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2017	For the Year ended 31st March, 2016
a.	Opening balance in the floating provision a/c	24.12	24.12
b.	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c.	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d.	Closing balance in the floating provisions a/c	24.12	24.12

18.9.3 शिकायतों का प्रकटन

क) ग्राहक शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
i)	वर्ष के आरंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	173	92
ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	24511	14930
iii)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	23548	14849
iv)	वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	1136	173

(ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
i)	वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
ii)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
iii)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
iv)	वर्ष के अंत में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

18.9.4 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटन

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है । प्रबन्ध वर्ग के मतानुसार विगत में, चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व निर्धारित नहीं किए गए हैं और वे अभी भी बकाया हैं । बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
1	01.04.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	2520	2573
2	वर्ष 2016–17 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	1723	2184
3	वर्ष 2016–17 के दौरान परिपक्व हुए/ रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	2289	2237
4	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	1954	2520

18.9.5 जमाओं का संकेद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष बीस जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	26677.17	25499.43
बैंक की कुल जमाओं में शीर्ष बीस जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि का प्रतिशत	12.16%	12.21%

18.9.6 अग्रिमों का सकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथा. स्थिति के अनुसार
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	17408.95	14746.93

18.9.3 Disclosures of Complaints

a) Customer Complaints

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2017	For the Year ended 31st March, 2016
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	173	92
(b)	No. of complaints received during the year	24511	14930
(c)	No. of complaints redressed during the year	23548	14849
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1136	173

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2017	For the Year ended 31st March, 2016
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	Nil	Nil
(c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	Nil
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil	Nil

18.9.4 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:-

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	For the Year ended 31st March, 2017	For the Year ended 31st March, 2016
1	Letter of comforts outstanding as on 01.04.2016	2520	2573
2	Letter of comforts issued during the year 2016-17	1723	2184
3	Letter of comforts matured/cancelled during the year 2016-17	2289	2237
4	Letter of comforts outstanding as on 31.03.2017	1954	2520

18.9.5 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Total Deposits of twenty largest depositors	26677.17	25499.43
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.16%	12.21%

18.9.6 Concentration of Advances

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Total Advances to twenty largest borrowers	17408.95	14746.93

बैंक के कुल अग्रिमों में शीर्ष बीस उधारकर्ताओं की कुल अग्रिमों का प्रतिशत	10.46%	9.60%

18.9.7 एक्सपोजर का सकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	26594.17	28571.35
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर में शीर्ष बीस उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	10.91%	13.02%

18.9.8 एनपीए का सकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल निधिगत एक्सपोजर	3761.40	3760.09

18.9.9 विदेश में आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
कुल आस्तियां	0.39	0.43
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

18.9.10 एसपीवी प्रायोजित ऑफ तुलन पत्र (घरेलू एवं विदेशी) शून्य

18.9.11 भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं– डीबीआर सं–बीपी–बीसी–6/21.04.141/2015–16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार, बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ₹11.54 करोड़ (31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार) शेष वाले निवेश आरक्षित खातों से निकासी की एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में वर्ष के दौरान निवेशों में कमी पर किए गए प्रावधानों की सीमा तक ₹11.54 करोड़ की निकासी की। (निवल करों, एवं सांविधिक आरक्षित के लिए निवल अंतरण जैसा कि अधिक प्रावधानों में लागू है।

18.9.12 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) : बैंक में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नीति है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक दवारा कोई भी सीडीएस लेनदेन नहीं किया गया है।

18.9.13 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
डीईएएफ को अंतरित राशि का अथ शेष	401.72	295.85
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	115.57	120.69
घटाएं: दावों पर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	13.24	14.82
डीईएएफ को अंतरित राशि का इति शेष	504.05	401.72

Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	10.46%	9.60%

18.9.7 Concentration of Exposure

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	26594.17	28571.35
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	10.91%	13.02%

18.9.8 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Total Funded Exposure to top four NPA accounts	3761.40	3760.09

18.9.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
Total Assets	0.39	0.43
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

18.9.10 Off Balance Sheet SPVs sponsored (domestic & overseas) – Nil

18.9.11 In terms of RBI Master Circular No. DBR No. BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 dated, 1st July 2015, during the current Financial Year, the Bank has withdrawn ₹ 11.54 Crore from Investment Reserve Account having balance of ₹ 11.54 Crore (as on 31st March, 2016) to the extent of provision made during the year towards depreciation in Investment in AFS & HFT categories (net of taxes, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provision).

18.9.12 Credit Default Swaps (CDS): Bank has policy in place for Credit default Swaps. However, no CDS transaction has been undertaken by the Bank during the Financial Year 2016-17.

18.9.13 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
Opening Balance of amount transferred to DEAF	401.72	295.85
Add: Amount transferred to DEAF during the year	115.57	120.69
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claim	13.24	14.82
Closing balance of amount transferred to DEAF	504.05	401.72

18.9.14 तरलता कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार	
		कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति					
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		39809.84		26972.18
नकदी प्रवाह					
2	रिटेल जमा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशि, जिसमें है:	108861.69	7893.48	93121.12	6660.64
(i)	स्थिर जमाराशि	59853.73	2992.69	53029.38	2651.47
(ii)	स्थिर जमाराशि घटाएं	49007.96	4900.80	40091.74	4009.17
3	असुरक्षित होलसेल वित्तपोषण, जिसमें है:	80877.09	31476.45	81389.57	27461.35
(i)	परिचालन जमाराशि (सभी प्रतिपक्षी)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालन जमाराशि (सभी प्रतिपक्षी)	80877.09	31476.45	81389.57	27461.35
(iii)	असुरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सुरक्षित होलसेल वित्तपोषण		73.99		0.00
5	**अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें हैं**	836.06	836.06	44.36	44.36
(i)	**व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह**	836.06	836.06	44.36	44.36
(ii)	ऋण उत्पादों के वित्तपोषण हानि से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण संबंधी बाध्यताएं	22843.79	2154.83	23880.40	2361.35
7	अन्य आकस्मिक वित्त पोषण संबंधी बाध्यताएं	25833.69	775.01	27445.41	1268.29
8	कुल नकदी बाहय प्रवाह		**43209.82**		**37796.00**
नकदी अंतर प्रवाह					
9	सुरक्षित ऋण पोषण (यथा, रिवर्स रेपो)	0.00	0.00	117.50	0
10	पूर्ण रूप से कार्य निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर प्रवाह	8559.10	5296.42	8457.28	5175.97
11	अंतर नकदी अंतर प्रवाह	376.27	376.27	199.15	199.15
12	कुल नकदी अंतर प्रवाह	8935.37	5672.69	8773.93	5375.12
			कुल समायोजित मूल्य	लागू नहीं	कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		39809.84		26972.18
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		**37537.13**		**32420.88**
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		**106.05%**		**83.19%**

18.9.14 Liquidity Coverage Ratio

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	As on 31st March, 2017		As on 31st March, 2016	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		39809.84		26972.18
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	108861.69	7893.48	93121.12	6660.64
(i)	Stable deposits	59853.73	2992.69	53029.38	2651.47
(ii)	Less stable deposits	49007.96	4900.80	40091.74	4009.17
3	Unsecured wholesale funding, of which:	80877.09	31476.45	81389.57	27461.35
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	80877.09	31476.45	81389.57	27461.35
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		73.99		0.00
5	Additional requirements, of which	836.06	836.06	44.36	44.36
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	836.06	836.06	44.36	44.36
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Other contractual funding obligations	22843.79	2154.83	23880.40	2361.35
7	Other contingent funding obligations	25833.69	775.01	27445.41	1268.29
8	**Total Cash Outflows**		**43209.82**		**37796.00**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.00	117.50	0
10	Inflows from fully performing exposures	8559.10	5296.42	8457.28	5175.97
11	Other cash inflows	376.27	376.27	199.15	199.15
12	Total Cash Inflows	8935.37	5672.69	8773.93	5375.12
			Total Adjusted Value	N.A.	Total Adjusted Value
13	Total HQLA		39809.84		26972.18
14	Total Net Cash Outflows		**37537.13**		**32420.88**
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		**106.05%**		**83.19%**

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी गुणवतापरक प्रकटन

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई है कि बैंक भार–रहित उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है, जिसे विशेष गम्भीर चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिवस समय हेतु चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है । चलनिधि आस्तियों का स्टॉक दबाव परिदृश्य में 30 दिनों तक बैंक की स्थिति बरकरार रखने में सक्षम होना चाहिए, जिसके दौरान यह माना जाता है कि समुचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं । जनवरी, 2015 के शुरुआत में एलसीआर को 60% तक अनिवार्य कर दिया गया है, जो 2019 तक 100% के स्तर तक पहुंचने के लिए 10% की समान बढ़ोतरी के साथ वृद्धि करेगा। तदनुसार, 01 जनवरी, 2017 से एलसीआर बढ़कर 80% हो गया है । एलसीआर को आगामी 30 कैलेंडर दिवसों के दौरान कुल निवल नकदी बहिर्गमन हेतु उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में परिभाषित किया गया है। तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां शामिल हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा कठिन परिस्थितियों में निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । एचक्यूएलए के स्टॉक में दो प्रकार की आस्तियां शामिल हैं, जैसे स्तर 1 एवं स्तर 2 आस्तियां । स्तर 1 आस्तियों में 0% हानि होती है जबकि 2–क आस्तियों में न्यूनतम 15% की हानि और 2–ख आस्तियों में न्यूनतम 50% की हानि होती है ।

कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह, आगामी 30 कैलेण्डर दिनों के लिए कुल संभावित नकदी बाह्य प्रवाह में से कुल संभावित नकदी अंतर प्रवाह को घटाकर प्राप्त होता है । कुल संभावित नकदी अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह संविदागत प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के अधिशेष और देयताओं के प्रकार तथा तुलन पत्र से पृथक कमिटमेंट को उस दर से गुणा करने पर प्राप्त होता है जिसपर वे प्राप्त होने अथवा दिए जाने हैं ।

एलसीआर परिणामों के मुख्य कारक तथा समय के साथ एलसीआर गणना हेतु निविष्टियों के अंशदान का उदभव;

i) एलसीआर परिणामों के मुख्य अभिप्रेरक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा से अधिक अतिरिक्त एसएलआर के रूप में उच्च क्वालिटी की चल आस्तियां (एचक्यूएलएल) हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा, एमएसएफ पात्र एसएलआर प्रतिभूतियों (वर्तमान में एनडीटीएल का 2%) और एलसीआर के लिए चलनिधि उपलब्ध कराने की सुविधा (एफएएलएलसीआर), एनडीटीएल के 9% तक अतिरिक्त तरलता सुविधा के रूप में प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा एफएएलएलसीआर को 8% से बढ़ाकर एनडीटीए का 9% कर दिया है।

ii) **अंतर–अवधि परिवर्तन तथा समयोपरि परिवर्तन**

वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम तिमाही के लिए एलसीआर 95.47% रहा । यह वित्तीय वर्ष 2016–17 की दूसरी तिमाही में एचक्यूएलए में वृद्धि के कारण बढ़कर 98.49% हो गया। तीसरी तिमाही में एचक्यूएलए में और सुधार होकर 115.62% हो गया और वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में प्रायः समान रहकर यह 115.32% हो गया । एलसीआर में तीसरी और चौथी तिमाही में हुई वृद्धि मुख्यतः बढ़े हुए एचक्यूएलए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एलसीआर संबंधी दिशानिर्देशों में अनुकूल परिवर्तनों के कारण दिखाई दी। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए औसत एलसीआर 106.05% रही ।

iii) **एचक्यूएलए की संरचना**

एचक्यूएलए में मुख्यतः अतिरिक्त सीआरआर सहित नकदी, अतिरिक्त एसएलआर, अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत एनडीटीएल के 2% तक सरकारी प्रतिभूतियां (एमएसएफ), अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत एनडीटीएल के 9%तक सरकारी प्रतिभूतियां (एफएएलएलसीआर), सरकार

Qualitative Disclosure around LCR

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The stock of liquid assets should enable the Bank to survive until day 30 of the stress scenario, by which time it is assumed that appropriate corrective actions can be taken. Beginning January 2015, LCR has been mandated at 60% which is to rise in equal steps of 10% to reach 100% by January 2019. Accordingly, the LCR has increased to 80% with effect from January 01, 2017. LCR has been defined as Stock of high quality liquid assets (HQLAs) over Total net cash outflows over the next 30 calendar days. Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. There are two categories of assets included in the stock of HQLAs, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 1 assets are with 0% haircut while Level 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash inflows and outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables and types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to flow in or drawn down.

The main drivers of LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation over time;

i. The main drivers of LCR results are High Quality liquid assets (HQLA) in the form of excess SLR over mandatory SLR requirement, MSF eligible SLR securities (presently upto 2% of NDTL) and providing additional liquidity facility in the form of Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR) upto 9% of NDTL. RBI vide circular dated July 21, 2016 has increased the FALLCR to 9% of NDTL from 8% earlier.

ii. Intra-period changes as well as changes over time;

The LCR for the 1st quarter of FY 2016-17 stood at 95.47%. The same increased to 98.49% for the 2nd Quarter of FY 2016-17 due to increase in HQLA. The LCR for the 3rd Quarter further improved to 115.62% and the same remained almost on the same level of 115.32% for the 4th quarter of FY 2016-17. The increase in LCR in 3rd and 4th quarter can mainly be attributed to higher HQLA and favorable changes in LCR guidelines by RBI. The average LCR for the FY 2016-17 stood at 106.05%.

iii. The composition of HQLA :

HQLA Mainly consists of Cash including excess CRR, excess SLR, Govt. securities upto 2% of NDTL within the mandatory SLR requirement (MSF), Govt. Securities upto 9% of NDTL within the mandatory SLR requirement (FALLCR), Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development Banks that are assigned a 20% risk weight, Corporate bonds not issued by a Bank/

द्वारा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं और बहुपक्षीय विकास बैंक, से गारंटी प्राप्त दावों अथवा दावों का प्रतिनिधित्व करने वाले विपणन योग्य प्रतिभूतियां, जिन्हें 20% का जोखिम भार दिया गया है, बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इसके किसी सहयोगी संस्था जिसे पात्र ऋण मूल्यांकन एजेंसी द्वारा एए– अथवा इससे अधिक की रेटिंग दी गई है, द्वारा जारी न किए गए कारपोरेट बांड, बैंक /पीडी /वित्तीय संस्था अथवा इसकी किसी संबद्ध संस्था आदि के द्वारा जारी न किए गए वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं ।

iv) **निधियन स्रोतों का सकेंद्रण**

बैंक ने जमा आधार को भलीभांति व्यापक बनाया है । 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, बैंक की कुल देयताओं की 1% से अधिक कुल जमाराशि रखने वाला केवल एक जमाकर्ता है। 31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार कुल देयताओं में शीर्ष जमाकर्ता का योगदान 1.03% रहा एवं कुल जमाओं में योगदान 1.19% रहा।

v) डेरीवेटिव एक्सपोजर तथा संभावी संपार्श्विक मांग – शून्य

vi) एलसीआर में करेंसी असंतुलन – शून्य

vii) समूह की यूनिटों के बीच संपर्क और चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीयकरण की डिग्री का विवरण :–

बैंक की कोई अनुषंगीय संस्था नहीं है । चलनिधि प्रबंधन कारपोरेट कार्यालय में राजकोष विभाग द्वारा किया जाता है।

viii) एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाह तथा बहिर्वाह जिन्हें एलसीआर सामान्य टेम्प्लेट में नहीं दिया गया किंतु संस्था द्वारा इसे चलनिधि प्रोफाइल के लिए संगत माना गया है –शून्य

18.9.15 पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में समामेलन :

पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (ईजीटीबी) आर्थिक कार्य विभाग(बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार "योजना" के रूप में अधिसूचित समामेलन योजना के अनुसार समामेलित किया गया। इस योजना के अनुसार, पूर्ववर्ती जीटीबी का कारोबार, संपत्तियां, आस्तियां और देयताएं निर्धारित तिथि 14 अगस्त, 2004 से बैंक को हस्तांतरित हो गई हैं।

बैंक ने पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की, उक्त योजना के अनुसार मूल्यांकित और निर्धारित आस्तियों और देयताओं सहित बैंक की पुस्तकों में ₹1285.26 करोड़ रुपए के सकल सहज वसूली अयोग्य अग्रिम, उनके प्रति ₹821.16 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा विवादग्रस्त मांगों के प्रति ₹41.21 करोड़ रुपए के प्रदत्त आयकर की सहज वसूली अयोग्य आस्तियों सम्मिलित की हैं।

"दिनांक 13.08.2016 अर्थात समामेलन योजना की अंतिम तिथि को सहज वसूली अयोग्य आस्तियां ₹9.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.76 करोड़) हैं, बकाया सहज वसूली अयोग्य आस्तियों के लिए बैंक ने पूरा प्रावधान किया है। समायोजन योजना के अंतर्गत निवल घाटा दिनांक 13.08.2016 को ₹548.27 करोड़ है एनआरआरए के ₹9.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹549. 50 करोड़) को समायोजित करने के बाद। बैंक ने योजना समाप्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया हैं।

18.9.16 लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं का विवरण

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की यथास्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की यथास्थिति के अनुसार
(i)विनिधान पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	128.94	51.74
(ii) एनपीए के लिए प्रावधान	6315.19	3608.75
(iii) आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित कर सहित)	(429.11)	169.76
(iv) अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		
(क) गैर निष्पादनकारी विनिवेश	153.24	16.99
(ख) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान/(किया जा चुका)	(118.18)	(1.80)

financial institution/NBFC or any of its affiliated entities, which have been rated AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency, Commercial Papers not issued by a Bank/ PD/financial institution or any of its Affiliated entities etc.

iv. Concentration of funding sources;

The Bank has well diversified deposit base, only one depositors had aggregate deposits in excess of 1% of the total liabilities of the Bank as on 31st March, 2017. The deposit by the largest depositor contributed 1.03% of the total liabilities and 1.19% of the total deposits as on 31st March, 2017.

v. Derivative exposures and potential collateral calls; - NIL

vi. Currency mismatch in the LCR;- NIL

vii. A description of the degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units:-

The Bank is not having any subsidiary. The Liquidity Management is undertaken at Corporate Office by Treasury Department.

viii. Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.—NIL

18.9.15 Amalgamation of erstwhile Global Trust Bank Ltd. with Oriental Bank of Commerce:

The erstwhile Global Trust Bank (e-GTB) was amalgamated with the Bank as per the scheme of amalgamation notified by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) "the scheme". As per the scheme, the business, properties, asset and liabilities of e-GTB stand transferred to the Bank with effect from 14th August, 2004, the prescribed date.

The Bank incorporated gross "Not Readily Realizable" Advances of ₹ 1285.26 Crore ,and provision of ₹821.16 Crore there against and "Not Readily Realizable" Assets comprising of Income-tax paid amounting to ₹ 41.21 Crore against disputed demands, in the books of the Bank along with assets and liabilities of e-GTB as valued and determined in terms of the Scheme .

The "Not Readily Realizable Assets" as on date of closure of Amalgamation scheme viz 13th August 2016 are ₹ 9.76 Crore (previous year ₹ 9.76 Crore). The outstanding NRRAs are fully provided for by the Bank. The net deficit under the scheme as on 13th August 2016 is ₹ 548.27 Crore after adjusting ₹ 9.76 Crore of NRRAs (Previous Year 549.50 Crore) The Bank has submitted to Reserve Bank of India to close the scheme.

18.9.16 Break up of provisions and contingencies shown under the head expenditure in profit and loss account

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2016
(i) Provisions for depreciation on Investment	128.94	51.74
(ii) Provision towards NPA	6315.19	3608.75
(iii) Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	(429.11)	169.76
(iv) Other Provisions and Contingencies (with details)		
(a) Non Performing Investments	153.24	16.99
(b) Provisions towards Standard Assets/(released)	(118.18)	(1.80)

(ग) एफआईटीएल हेतु प्रावधान/(किया जा चुका)	(325.25)	(63.84)
(घ) छोड़े गए ब्याज हेतु प्रावधान/(किया जा चुका)	(438.96)	(255.83)
(ङ.) अन्य	(21.67)	0.21
कुल	5264.20	3525.99

18.9.17 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बी.पीबीसी. 92/21.04.048/2015–16 दिनांक 18.04.2016 के संदर्भ में प्रकटन। अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:–

आरक्षित निधि से निकाला गया

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2014–15 / 535 डीबीआर नं. बीपी. बीसी. 83 /21.04. 048 / 2014–15 दिनांक 01.04.2015 के अनुपालन में वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से कोई निकासी नहीं की गई है। तथापि, पिछले वर्ष में धोखाधड़ी/संदेहास्पद धोखाधड़ी से संबंधित ₹31.27 करोड़ की राशि जो देयता थी, को वापस ले लिया गया है तथा वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाता में नामे कर दिया गया है।

18.9.18 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ''दवाबग्रस्त आस्तियां के लिए योजनाएं – संशोधन'' पर आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर नं. बीपी.बीसी.34/21.04.132/2016–17 दिनांक 10 नवंबर, 2016 के अनुसार अनुकूल ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) और दवाबग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए) हेतु योजना के तहत मानक सुविधाओं के संबंध में बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए उपचय आधार पर ₹138.54 करोड़ के अप्राप्त ब्याज को शामिल नहीं किया है।

18.9.19 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन में, आस्ति गुणवता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III के तहत दिखाए गये खाते, जिनमें कार्यप्रदर्शन या कुछ शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण पुनर्रचना नहीं हो सकी थी और उन खातों में आरबीआई के निर्देशानुसार आवश्यक प्रावधान किया गया था, की 31 मार्च, 2017 को समीक्षा की गई और उन्हें अब वर्गीकृत किया जा रहा है व आईआरएसी नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है। 31 मार्च 2017 तक स्टैंडर्ड बने रहे खातों पर विचार करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत किए गए ₹299.22 करोड़ के वृद्धिशील प्रावधान को वापस ले लिया गया है।

18.9.20 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ''दवाबग्रस्त आस्तियां के लिए योजनाएं–संशोधन'' पर आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर नं. बीपी.बीसी.34/21.04.132/2016–17 दिनांक 10 नवंबर, 2016 के अनुसार अनुकूल ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) और दवाबग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए) हेतु योजना के तहत मानक सुविधाओं के संबंध में बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए उपचय आधार पर ₹138.54 करोड़ के अप्राप्त ब्याज को शामिल नहीं किया है।

18.9.21 अंतर कार्यालयी खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के बीच अंतर कार्यालय खातों को निरंतर आधार पर मिलाया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

18.9.22 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान

बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूलधन राशि या ब्याज के देरी से भुगतान करने का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

18.9.23 वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हों, गत वर्ष के आंकड़ें पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत किए गए है। आरबीआई के दिशानिर्देशों / लेखा मानकों के तहत जिन मामलों में पहली बार प्रकटन किए गए हैं, गत वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(c) Provision for FITL/(released)	(325.25)	(63.84)
(d) Provision for sacrifices interest /(released)	(438.96)	(255.83)
(e) Others	(21.67)	0.21
TOTAL	**5264.20**	**3525.99**

18.9.17 Disclosures in terms of RBI Circular No. DBR. No.B.P.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016. The required detail is as under:-

Draw Down from Reserves

Pursuant to RBI Circular No. RBI / 2014-15 / 535 DBR.NO.BP. BC.83 /21.04.048 /2014-15 dated 01st April, 2015, there is no draw down from Reserves during the year. However in respect of frauds / suspected frauds pertaining to previous year, an amount of ₹ 31.27 Crore lying in liability has been reversed and debited to Profit & Loss Account during the year.

18.9.18 Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10 November, 2016, "Schemes for Stressed Assets-Revisions", during the year ended 31st March 2017, in respect of Standard Facilities under Strategic Debt Restructuring (SDR) and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), the Bank has not recognized unrealized interest of ₹ 138.54 Crore on accrual basis for the year ending 31st March, 2017

18.9.19 In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non-fulfilment of certain conditions and necessary provision was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March 2017 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms. Incremental provision of ₹ 299.22 Crore which was made in terms of RBI directives have been reversed on 31st March 2017 considering those accounts which remained standard as on 31st March 2017.

18.9.20 Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10November, 2016, "Schemes for Stressed Assets-Revisions", during the year ended 31st March 2017, in respect of Standard Facilities under Strategic Debt Restructuring (SDR) and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), the Bank has not recognized unrealized interest of ₹ 138.54 Crore on accrual basis for the year ending 31st March 2017.

18.9.21 Inter Office Accounts

Inter Office Accounts between branches, controlling offices and head office are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

18.9.22 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

As per the information available with the Bank, there has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

18.9.23 Previous year figures have been regrouped/ reclassified, wherever necessary, to conform to current year classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (''बैंक'') की 31 मार्च, 2017 की संलग्न वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च, 2017 के तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 130 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे में ऐसी 1050 शाखाओं की विवरणियों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं होनी थी। ऐसी अलेखापरीक्षित शाखाओं में 6.27% अग्रिम, 23.15% जमाराशियां, 4.87% ब्याज आय तथा 21.92% ब्याज व्यय है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबन्ध वर्ग की जिम्मेदारी

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है, लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्दिष्ट लेखा मानक में निर्धारित मान्यता तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर दिशानिर्देश एवं जारी परिपत्र और माप सिद्धांतों के साथ भारत में स्वीकार किए जाते हैं और ये बैंक में लागू हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण, जो मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो, गलती के कारण, से मुक्त है, को तैयार करने से संबंधित डिजाइन व आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा रख–रखाव करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणियों पर अपने अभिमत प्रकट करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा इस प्रकार से लेखा परीक्षा करने की योजना बनायें कि हमें यह विश्वास हो कि वित्तीय विवरणियां भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणियों में भौतिक निष्पादन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलती के, से जुड़े जोखिमों का आकलन शामिल है। इस जोखिम आकलन के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Oriental Bank of Commerce

Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Oriental Bank of Commerce ("the Bank") as at 31st March, 2017, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Profit & Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1306 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1050 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.27% of advances, 23.15% of deposits, 4.87% of interest income and 21.92% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, accounting principles generally accepted in India alongwith recognition and measurement principles laid down in the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and guidelines and circulars issued by Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether

उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धितयों को डिजाइन करने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार करने तथा उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करना है, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। लेखापरीक्षा में प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयुक्त की गईं लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की लेखा पुस्तकों में दिखाए अनुसार, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

(क) लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक पूर्ण एवं सही तुलन–पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2017 तक के बैंक के कार्यों का सही–सही चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

(ख) लेखा टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, निहित वर्ष के हानि के वास्तविक शेष को भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दर्शाता है, तथा

(ग) नकद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह का सही एवं स्पष्ट चित्र दर्शाती है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट

7. तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुक्रम में तैयार किए गए हैं।

8. उक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा यथापेक्षित और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोशजनक पाया है।

(ख) बैंक के जो कारोबार हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तथा

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ समुचित पाया गया है।

due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:- -

(a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2017, in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that: -

(a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. अग्रतर हम यह प्रस्तुत करते है कि:

(क) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखे का निपटान खाता बहियों एवं विवरणियों के साथ किया गया है;

(ख) हमें शाखा कार्यालयों से प्रेषित लेखा विवरणियों को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत लेखा परीक्षित किया गया है तथा इस रिपोर्ट को हमारे द्वारा ठीक प्रकार से निपटान किया गया है;

(ग) हमारे अभिमत के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है।

9. We further report that:

(a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

(b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act,1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

(c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते ए बाफना एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 003660सी	कृते लुनावत एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000629एन	कृते वी. के. ढ़ींगरा एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	कृते सुदित के. पारिख एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.110512डब्ल्यू	कृते वी. के. लाढा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 002301सी
For A Bafna & Co **Chartered Accountants** **FRN 003660C**	**For Lunawat & Co** **Chartered Accountants** **FRN 000629N**	**For V K Dhingra & Co.** **Chartered Accountants** **FRN 000250N**	**For Sudit K. Parekh & Co.** **Chartered Accountants** **FRN 110512W**	**For V.K. Ladha & Associates** **Chartered Accountants** **FRN 002301C**
(मुकेश कुमार गुप्ता) भागीदार स.सं.073515	(रमेश के. भाटिया) भागीदार स.सं. 080160	(ललित आहुजा) भागीदार स.सं. 085842	(नेमिष कपाड़िया) भागीदार स.सं.111929	(वी. के. लाढा) भागीदार स.सं.071501
(Mukesh Kumar Gupta) **Partner** **M.No.073515**	**(Ramesh K. Bhatia)** **Partner** **M.No. 080160**	**(Lalit Ahuja)** **Partner** **M.No. 085842**	**(Nemish Kapadia)** **Partner** **M.No.111929**	**(V.K. Ladha)** **Partner** **M.No.071501**

स्थान: गुरूग्राम
दिनांक: 12 मई, 2017

Place : Gurugram
Dated :12th May, 2017

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

			(हजार ₹ में / ₹ in thousands) 31.03.2017	31.03.2016
क.		परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A.		**Cash flow from operating activities**		
	I	कर पश्चात् निवल लाभ / **Net Profit after Tax**	-1094,07,08	156,07,82
		कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर को घटाकर)		
		Provision for Tax (Net of deferred Tax)	-429,10,45	169,76,42
		कुल (I) **/ Total (I)**	**-1523,17,53**	**325,84,24**
	II	समायोजन **/ Adjustment for**		
		अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि घटाकर)		
		Depreciation on Fixed Assets (Net of Revaluation Reserve)	68,32,30	155,85,74
		स्तरीय आस्तियों के प्रति प्रावधान		
		Provision against Standard Assets	-118,18,40	-1,80,00
		एनपीए अग्रिमों हेतु प्रावधान		
		Provision for NPA advances	6315,18,70	3608,75,17
		अन्य प्रावधान		
		Other Provision	-494,52,02	-250,72,52
		गौण ऋणों पर ब्याज		
		Interest on subordinate Debts	668,59,92	546,32,69
		व्ययों का परिशोधन		
		Amortisation of Expenses	0	0
		अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		
		Profit/Loss on Sale of Fixed Assets	-,18,09	-10,31,68
		कुल (II) **/ Total (II)**	**6439,22,41**	**4048,09,40**
		परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालनपरक लाभ कुल **(I)+(II)**		
		Operating Profit before changes in Operating Assets & Liabilities Total (I)+(II)	**4916,04,88**	**4373,93,64**
	III	परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन		
		Changes in Operating Assets & Liabilities		
		विनिवेश में कमी/वृद्धि		
		Decrease/Increase in Investments	6281,55,11	2730,86,87
		अग्रिमों में कमी/वृद्धि		
		Decrease/Increase in Advances	-15141,20,01	-7227,43,89
		जमा में कमी / वृद्धि		
		Decrease/Increase in Deposits	10424,57,03	4905,12,10
		उधारों में कमी/वृद्धि		
		Decrease/Increase in Borrowings	5444,76,94	352,40,08
		अन्य आस्तियों में कमी/वृद्धि		
		Decrease/Increase in Other Assets	-5054,00,62	-5659,30,53
		अन्य देयताओं व प्रावधान में कमी/वृद्धि		
		Decrease/Increase in Other Liabilities & Provisions	595,55,79	-347,06,87
		कुल **(III) / Total (III)**	**2551,24,24**	**-5245,42,24**
		परिचालनों से सृजित नकदी		
		Cash generated from Operations		
		प्रदत्त कर (वापसी को घटाकर)		
		Tax Paid (Net of Refund)	-344,26,92	-544,35,52
		परिचालनपरक कार्यकलापों से निवल नकदी कुल (क)		
		Net Cash from Operating Activities Total (A)	**7123,02,20**	**-1415,84,12**
ख		निवेशपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B		**Cash flow from Investing Activities**		
		अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री कर को घटाकर)		
		Purchase of Fixed Assets (Net of Sales)	-213,53,89	-210,51,62
		कुल (ख) **/ Total (B)**	**-213,53,89**	**-210,51,62**
ग		वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C		**Cash Flow from Financing Activities**		
		शेयर पूंजी जारी करना		
		Issue of Share Capital	24,77,29	21,54,88

	शेयर प्रीमियम Share Premium	275,22,71	156,85,34
	शेयर एप्लीकेशन मनी लंबित आबंटन Share application money pending allotment	-300,00,00	300,00,00
	जारी किए गए गौण बॉण्ड Subordinate Bonds issued	1250,00,00	1000,00,00
	गौण बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Subordinate Bonds	-668,59,92	-546,32,69
	लाभांश/अंतरिम लाभांश/ लाभांश पर कॉरपोरेट कर का भुगतान Payment of Dividend/interim Dividend/Corporate Tax on Dividend	-27,07,79	-119,09,40
	कुल (ग) **/ Total (C)**	**554,32,29**	**812,98,13**
घ	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		
D	**Net Changes in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)**	**7463,80,60**	**-813,37,61**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year**	**9962,42,94**	**10775,80,55**
	समाप्त वर्ष में नकदी एवं नकदी समतुल्य (वित्तीय विवरणी की अनुसूची 6 एवं 7 के अनुसार) **Cash & Cash Equivalents at the end of the year (as per Schedules 6 & 7 to the financial statements)**	**17426,23,54**	**9962,42,94**

Note: **1.** सभी ऋणात्मक (–) आंकड़े, अचल आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर, जिसे परिचालनपरक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालनपरक लाभ निकालने के लिए हिसाब में लिया गया है, ''नकदी बाह्य प्रवाह'' को दर्शाते हैं ।
All figures in minus represents " Cash out-flow', except profit on sale of fixed assets, considered to arrive at operating profit before changes in operating assets and liabilities.

2. भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालनपरक कार्यकलापों से सृजित माना गया है और इन्हें निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों के मध्य विभाजित नहीं किया गया है।
Direct taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing & financing activities.

जोगिन्दर सिंह	जितेन्द्र मोहन सिंह	राजकिरण राय जी.	हिमांशु जोशी	अनिमेष चौहान
उप महाप्रबंधक (लेखा)	महाप्रबंधक (लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेषक	कार्यकारी निदेषक	प्रबंध निदेषक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Joginder Singh	**Jitender Mohan Singh**	**Rajkiran Rai G.**	**Himanshu Joshi**	**Animesh Chauhan**
Dy.General Manager(Accounts)	General Manager (Accounts) & CFO	Executive Director	Executive Director	Managing Director & Chief Executive Officer

हमारी सम दिनांकित संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में **/ In terms of our Report of even date attached,**

कृते ए बाफना एण्ड कंपनी	कृते लुनावत एण्ड कं.	कृते वी. के. ढींगरा एण्ड कं	कृते सुदित के. पारिख एण्ड कं	कृते वी. के. लाढा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003660सी	फर्म पंजीकरण सं. 000629एन	फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	फर्म पंजीकरण सं.110512डब्ल्यू	फर्म पंजीकरण सं. 002301सी
For A Bafna & Co	**For Lunawat & Co**	**For V K Dhingra & Co.**	**For Sudit K. Parekh & Co.**	**For V.K. Ladha & Associates**
Chartered Accountants	**Chartered Accountants**	**Chartered Accountants**	**Chartered Accountants**	**Chartered Accountants**
FRN 003660C	**FRN 000629N**	**FRN 000250N**	**FRN 110512W**	**FRN 002301C**
(मुकेश कुमार गुप्ता)	(रमेश के. भाटिया)	(ललित आहुजा)	(नेमिष कपाड़िया)	(वी. के. लाढा)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
स.सं.073515	स.सं. 080160	स.सं. 085842	स.सं.111929	स.सं.071501
(Mukesh Kumar Gupta)	**(Ramesh K. Bhatia)**	**(Lalit Ahuja)**	**(Nemish Kapadia)**	**(V.K. Ladha)**
Partner	**Partner**	**Partner**	**Partner**	**Partner**
M.No.073515	**M.No. 080160**	**M.No. 085842**	**M.No.111929**	**M.No.071501**

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 12 मई, 2017

Place : Gurugram
Dated :12th May, 2017

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5,सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम–122001

प्रॉक्सी फॉर्म बी

(इसे शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है।)		ग्राहक आईडी	
		(यदि शेयर अमूर्त है।)	

मैं / हम,..... राज्य के ..... जिले में ..... का / के निवासी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा ..... राज्य के ..... जिले के निवासी श्री / श्रीमती .... को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर .... राज्य के ..... जिले के निवासी श्री / श्रीमती ..... को गुरूवार, 29 जून, 2017 को पीएचडी चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 4 / 2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, पीएचडी हाउस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

———————— दिन के ———————— 2017 को हस्ताक्षरित ।

कृपया ₹ 1 / – का राजस्व टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

_____

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर तथा प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1.	प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरुरी है कि,	
	क)	व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ख)	संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षिरत हो।
	ग)	किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा फार्म बी में विधिवत् रूप से मुहर लगी हो।
2.	प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिसमें शेयरधारक ने किसी भी कारण से हस्ताक्षर नहीं किया है और कोई टिप्पणी की है तो यह तभी वैध होगी जब यह किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) अथवा उप निबंधक बीमा अथवा अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।	
3.	प्रॉक्सी के साथ	
	क	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षिरत किया गया अथवा
	ख	नोटरी पब्लिक या किसी दंडाधिकारी(मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन से पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
4.	कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह फॉर्म–ख हो और उस पर विधिवत् मुहर न लगी हो।	
5.	बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय एवं अंतिम होगी।	
6.	यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रुप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।	
7.	शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रुप से मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा, जिस बैठक से ऐसे लिखत संबंधित है।	
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।	
9.	प्रॉक्सी फार्म में किसी भी प्रकार के संषोधन को विधिवत् रुप से प्रमाणित किया जाए।	

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM -122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
If shares are not dematerialized		If shares are dematerialized	

I/We,_____resident/s of _____in the district of_____ in the State of _____being a shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt._____resident of _____in the district of _____in the State of _____or failing him/her, Shri/Smt._____resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Thursday, June 29th, 2017 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017.

Please affix Revenue Stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,	
	a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
	b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
	c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.	
3.	The proxy together with	
	a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
	b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Friday, 23rd June 2017.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.	
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.	
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.	
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.	
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.	
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.	

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5,सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम–122001

उपस्थिति पत्रक

(बैठक स्थल में प्रवेश के समय जमा किया जाए)

दिनांक : 29 जून, 2017 **समयः प्रातः 10.00 बजे** **स्थानः नई दिल्ली**

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी / ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			

मैं , 29 जून, 2017 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, पीएचडी हाउस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में आयोजित होने वाली बैंक की वार्षिक आम बैठक में एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर	

.....

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5,सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम–122001

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान इसे संभाल कर रखा जाए)

दिनांक : 29 जून, 2017 **समयः प्रातः 10.00 बजे** **स्थानः नई दिल्ली**

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी / ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			

शेयरधारका / प्रॉक्सीधारकों / अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल में प्रवेश हेतु, बैंक में पंजीकृत नमूने हस्ताक्षर के साथ विधिवत्त हस्ताक्षरित उपर्युक्त प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश यथा आवश्यकतानुसार सत्यापन / जांच के अध्यधीन होगा। किसी भी स्थिति में, बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र–सह–बैलेट पत्र पास की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

.....

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5,सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम–122001

(बैलेट पत्र जारी करने हेतु इसे मतदान काउंटर पर जमा किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी / ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: June 29th, 2017 **Time: 10.00 a.m.** **Place: New Delhi**

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative present			

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank held on June 29th, 2017 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	

.....

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date: June 29th, 2017 **Time: 10.00 a.m.** **Place: New Delhi**

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

.....

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			

(क) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
44, समुदाय केन्द्र, दूसरी मंजिल,
नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–1
निकट पीवीआर नारायणा, नई दिल्ली–110028

(ख) उप महाप्रबंधक
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
कॉरपोरेट कार्यालय, दूसरी मंजिल,
सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरूग्राम–122001 (हरियाणा)
फोन–0124–4126285/4176918, फैक्सः 0124–4126574
वेबसाइटः www.obcindia.co.in

(a) Registrar & Share Transfer Agent
Link Intime India Pvt. Ltd.
44, Community Centre, 2nd Floor
Naraina Industrial Area
Phase-1, Near PVR Naraina
New Delhi-110028

(b) Dy. General Manager
Merchant Banking Department
Oriental Bank of Commerce
Corporate Office, 2nd Floor
Sector-32, Institutional Area
Gurgaon-122001 (Haryana)
Ph: 0124-4126285/4176918
Fax: 0124-4126574
Website : www.obcindia.co.in

Chote sapno ka bada account

Oriental

Yuva Account

Start early. Save regularly

Start early, go far

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है

ओ.बी.सी.

Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)
Where every individual is committed

HEAD OFFICE : Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001. www.obcindia.co.in

Printed by : Nova Publications & Printers Pvt. Ltd. Faridabad, works@nppl.in